वार्षिक रिपोर्ट 2024-25
ANNUAL REPORT 2024-25

स्पाइसेस बोर्ड भारत
SPICES BOARD INDIA
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce&Industry
भारत सरकार
Government of India
कोचिन / Cochin – 682 025

EXPORT OF SPICES FROM INDIA DURING 2024-25 (VALUE)

Rs. in Lakhs

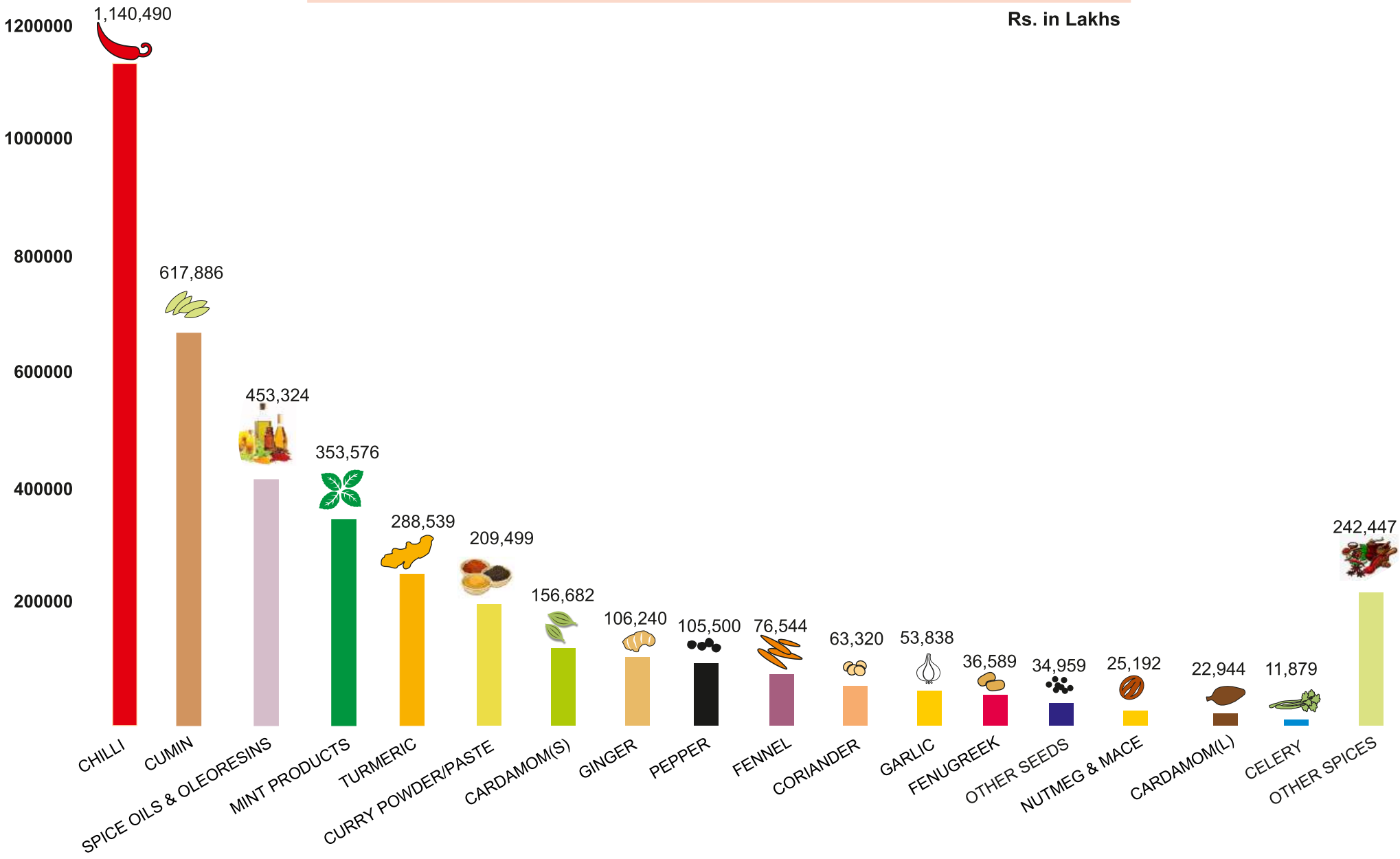

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

वार्षिक रिपोर्ट

2024 - 25

संकलन व सम्पादन:

श्री नितिन जो
उप निदेशक

श्री कनगधिलीपन के.
सहायक निदेशक

श्री बीजु डी. षेणाई
सहायक निदेशक

सुश्री रेशमी ई.जी.
फार्म प्रबंधक

सुश्री अनीनामोल पी.एस.
संपादक

तकनीकी सहायता:

श्री आर. जयचंद्रन
ईडीपी सहायक

विषयवस्तु...

कार्यकारी सारांश

1. संघटन एवं प्रकार्य
2. प्रशासन
3. वित्त और लेखा
4. मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसलोत्तर सुधार
5. निर्यात विकास और संवर्धन
6. व्यापार सूचना सेवा
7. प्रचार एवं संवर्धन
8. गुणवत्ता सुधार
9. कोडेक्स सेल एवं हस्तक्षेप
10. निर्यातोन्मुखी अनुसंधान
11. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग
12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

भविष्य की ओर

परिशिष्ट

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024-25 में पैरा

कार्यकारी सारांश

स्पाइसेस बोर्ड, भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा है ताकि भारतीय मसाला उद्योग को वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक, खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में स्वच्छ एवं मूल्यवर्धित मसालों और शाकों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र और प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। बोर्ड ने गुणवत्ता और स्वच्छता को अपनी विकास और प्रचार रणनीतियों का आधार बनाया है।

भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने ₹ 39,994.48 करोड़ (4,722.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 17,99,267 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 14,899.67 करोड़ (2432.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 8,93,920 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। इस प्रकार, मात्रा में 101 प्रतिशत, रुपये के मूल्य में 168 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य में 94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014-15 से मसालों के निर्यात में मात्रा में सात प्रतिशत, मूल्य (भारतीय रुपये में) में दस प्रतिशत और मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) में सात प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई है।

भारतीय मसाला निर्यात बास्केट में 225 मसाले और मसाला उत्पाद शामिल हैं, जिनका निर्यात रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर 180 से अधिक गंतव्यों को किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, मूल्य की दृष्टि से मसाला निर्यात बास्केट में प्रमुख योगदानकर्ता मिर्च (28%), जीरा (16%), मसाला तेल और तैलीराल (11%), पुदीना उत्पाद (9%), हल्दी (7%), करी पाउडर/पेस्ट (5%), छोटी इलायची (4%), अदरक और काली मिर्च (3%), सौंफ और धनिया (2%) थे, जिनका कुल मिलाकर मसालों से होने वाली कुल निर्यात आय में 90 प्रतिशत से अधिक योगदान रहा।

वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय मसालों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन (16%), यूएसए (15%), यूएई (9%), बांग्लादेश (8%), मलेशिया (4%), थाईलैंड (3%), यूके (3%), सऊदी अरब (3%), इंडोनेशिया (3%), श्रीलंका (2%), जर्मनी (2%), नीदरलैंड (2%), कनाडा (2%), नेपाल (2%), ऑस्ट्रेलिया (1%), जापान (1%), रूस (1%), सिंगापुर (1%), फ्रांस (1%), मैक्सिको (1%), वियतनाम (1%), मोरोक्को (1%), दक्षिण अफ्रीका (1%) और कोरिया (1%) थे, जो देश से मसालों की कुल निर्यात आय का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं।

वर्ष 2024-25 में, काली मिर्च, इलायची (छोटी और बड़ी), अदरक, हल्दी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, इमली, मसाला तेल और तैलीराल, तथा करी पाउडर और पेस्ट के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि होने की संभावना है। हालाँकि वर्ष 2024-25 में मिर्च के निर्यात में मात्रा की दृष्टि से 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन रुपये के संदर्भ में इसके मूल्य में नौ प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में 11 प्रतिशत की गिरावट आई। पुदीना उत्पादों के मामले में, निर्यात की मात्रा में एक प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, निर्यात मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में रुपये के संदर्भ में तीन प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। धनिया के निर्यात में मात्रा के हिसाब से 44 प्रतिशत, रुपए के हिसाब से 33 प्रतिशत तथा डॉलर के मूल्य के हिसाब से 35 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि जायफल और जावित्री के निर्यात में मात्रा के हिसाब से 8 प्रतिशत, रुपए के हिसाब से 12 प्रतिशत तथा डॉलर के मूल्य के हिसाब से 14 प्रतिशत की गिरावट आई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड द्वारा मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के कुल 4,106 प्रमाण पत्र (सीआरईएस) जारी किए गए थे। इनमें से 3,713 प्रमाण पत्र व्यापारी निर्यातकों को और 393 निर्माता निर्यातकों को जारी किए गए थे। बोर्ड ने 705 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए हैं, जिसमें 688 छोटी

इलायची डीलर लाइसेंस और 17 बड़ी इलायची डीलर लाइसेंस शामिल हैं। इनमें से 130 वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए थे जिसमें 116 छोटी इलायची डीलर लाइसेंस और 14 बड़ी इलायची डीलर लाइसेंस शामिल हैं। इसके अलावा, वर्तमान में इलायची के लिए 18 लाइसेंस प्राप्त ई-नीलामीकर्ता और चार लाइसेंस प्राप्त मैनुअल नीलामीकर्ता हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ई-नीलामी/मैनुअल नीलामी के माध्यम से कुल 23,335 मीट्रिक टन इलायची (छोटी) बिक्री हुई जिसका भारित औसत मूल्य ₹ 2,575.98/किलोग्राम था। वर्ष 2024-25 के दौरान छोटी और बड़ी इलायची का उत्पादन क्रमशः 20,696 मीट्रिक टन और 9,552 मीट्रिक टन रहा, जिसमें छोटी इलायची की उत्पादकता 435.57 किग्रा/हेक्टेयर और बड़ी इलायची की उत्पादकता 293.33 किग्रा/हेक्टेयर रही।

वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड के लिए स्वीकृत बजट ₹ 13,000.00 लाख था। सामान्य, पूंजीगत व्यय, वेतन, अन्य व्यय और स्वच्छ भारत के लिए ₹ 7153.00 लाख की राशि; इमदाद /वित्तीय सहायता के लिए ₹ 4200.00 लाख की राशि; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹ 849.00 लाख की राशि; अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए ₹ 249.00 लाख की राशि; और जनजातीय उप-योजना के लिए ₹ 549.00 लाख की राशि बोर्ड को भारत सरकार से प्राप्त हुई। बोर्ड ने वर्ष 2024-25 में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता परीक्षण सेवाओं के विश्लेषणात्मक शुल्क, नर्सरियों से पौधों की बिक्री और अनुसंधान फार्मों के कृषि उत्पादों, सदस्यता और विज्ञापन शुल्क, निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालिक जमा पर ब्याज आदि से ₹ 3751.59 लाख का राजस्व (IEBR) अर्जित किया। वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड का कुल व्यय ₹ 13,343.85 लाख था।

मसालों के प्रमुख मूल्यवर्धन खंडों में अवसरों की पहचान करने, आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, मसाला क्षेत्र के लिए विज़न डॉक्यूमेंट 2047 के विकास और मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने 09-10 मई 2024 के दौरान मुन्नार, केरल में एक 'चिंतन शिविर' का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार और अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों ने 'चिंतन शिविर' में भाग लिया और मसाला क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने और 2047 तक मसाला क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों और विजन को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के तरीकों पर अपनी अंतर्दृष्टि का योगदान दिया।

स्पाइसेस बोर्ड ने 22-23 मई 2024 के दौरान कर्नाटक के कुर्ग में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और बागान बोर्डों द्वारा आयोजित आम 'चिंतन शिविर' - दो दिवसीय, बंद दरवाजे के पीछे, विचार-मंथन सत्र - में भाग लिया। 'चिंतन शिविर' में मंत्रालय के लगभग 75 वरिष्ठ अधिकारियों, चार बागान बोर्डों के अधिकारियों, निर्यातकों, विशेषज्ञों और उद्योग के अग्रजों ने भाग लिया।

जम्मू और कश्मीर में केसर मूल्य श्रृंखला में शामिल एफपीओ/एफपीसी हितधारकों के साथ वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने केसर पार्क का दौरा किया जहाँ केसर की कटाई के बाद की प्रसंस्करण का प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने कोच्ची, केरल स्थित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के मुख्यालय में 21 फरवरी 2025 को आयोजित एक बैठक में मसाला क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत की। बैठक में मसाला क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। बातचीत के प्रमुख क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित कालीमिर्च की निगरानी को मजबूत करना, मूल्यवर्धित प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना और जैविक मसाला निर्यात का विस्तार करना शामिल रहा। बैठक के दौरान अन्य बागान फसलों के साथ संभावित मसालों की अंतर-फसल, गुणवत्ता मूल्यांतन प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, आयातक देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित कड़े खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों और पूर्वोत्तर भारत में शाकीय मसालों की खेती पर भी चर्चा की गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने भारतीय मसालों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 घरेलू व्यापार मेलों और नौ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया। मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और मसालों के निर्यात स्रोतों के लिए संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से, बोर्ड क्रेता-विक्रेता

बैठकें आयोजित कर रहा है। साथ ही, मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रगतिशील हितधारकों को आकर्षित, प्रेरित और सुसज्जित करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड पूरे भारत के प्रतिभागियों को शामिल करते हुए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित कर रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने 12 क्रेता-विक्रेता बैठकें और चार उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में इलायची (छोटी और बड़ी) के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होने के नाते स्पाइसेस बोर्ड ने स्पाइस्ड (SPICED) योजना के तहत इलायची क्षेत्र की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, पुनर्रोपण/नए रोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से, तमिलनाडु और केरल राज्यों में 2670 उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए 746.67 हेक्टेयर छोटी इलायची के पुनर्रोपण के लिए ₹ 366.68 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और कर्नाटक में 364 उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए 153.7 हेक्टेयर छोटी इलायची के पुनर्रोपण के लिए ₹ 61.99 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 3,472 उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए 771.18 हेक्टेयर बड़ी इलायची के पुनर्रोपण/नए रोपण के लिए ₹ 265.36 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कर्नाटक क्षेत्र में बोर्ड की पाँच विभागीय नर्सरियों द्वारा कुल 74,304 इलायची रोपण सामग्री, 3,84,507 जड़युक्त मिर्च की कलमों, 13,377 मिर्च की केंद्रक रोपण सामग्रियाँ, और 34,132 इलायची की अंतर्भूस्तरियाँ का उत्पादन किया गया। ये रोपण सामग्रियाँ 659 उत्पादकों को वितरित की गईं। प्रमाणित नर्सरी योजना के अंतर्गत, ₹ 141.77 लाख की वित्तीय सहायता से 216.03 छोटी इलायची इकाइयाँ (10,80,500 रोपण सामग्री) और 342.4 बड़ी इलायची इकाइयाँ (17,12,050 रोपण सामग्री) स्थापित की गईं।

'जल स्रोतों का विकास एवं सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान' कार्यक्रम के अंतर्गत, छोटी इलायची में 78 जल संग्रहण संरचनाएँ, 53 वर्षा जल संग्रहण संरचनाएँ, 67 सिंचाई पंप सेट और 22 स्प्रिंकलर प्रणालियाँ स्थापित की गईं, जिससे 220 किसानों को ₹ 61.56 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। बड़ी इलायची में आठ जल संग्रहण संरचनाएँ, 16 वर्षा जल संचयन संरचनाएँ और 36 सिंचाई पंप सेट स्थापित किए गए, जिससे 60 किसानों को ₹ 15.37 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

छोटी इलायची उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं, जैसे कम या ज़्यादा बारिश, गर्मी (तापमान), सापेक्षिक आर्द्रता आदि, जो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, से बचाने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड छोटी इलायची के लिए मौसम आधारित बीमा कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रीमियम का 75 प्रतिशत स्पाइसेस बोर्ड और 25 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 670 किसानों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित किया गया, जिसमें 370 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया और बोर्ड के हिस्से के रूप में ₹ 62.22 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

मसालों की कटाई उपरांत गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के तहत, स्पाइसेस बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान जीआई केसर मेला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और जीआई केसर के प्रचार के लिए ₹ 1.64 लाख की राशि का उपयोग किया; मसाला क्षेत्र में 42 किसान समूहों को ₹ 236.32 लाख की वित्तीय सहायता के साथ विभिन्न कटाई के बाद मशीनें स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे गुणवत्ता अंतर पाट ने वाले समूह (क्यूजीबीजी) घटक के तहत 16,186 किसान लाभान्वित हुए। दूरदराज के क्षेत्रों/उत्तर पूर्वी क्षेत्र/ हाशिए पर पड़े समुदायों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रमुख निर्यात/उत्पादन केंद्र के किसानों के लिए कटाई के बाद की मशीनरी के घटक के तहत, 66 बिजली चालित बीज मसाला थ्रेशर, 492 काली मिर्च थ्रेशर, 84 हल्दी भाप उबालने वाली इकाइयां, 153 मसाला पॉलिशिंग इकाइयां (इलायची पॉलिशर और हल्दी पॉलिशर), आठ पुदीना आसवन इकाइयां, 153 मसाला क्लीनर/ग्रेडर/सर्पिल ग्रेविटी सेपरेटर, 39 मसाला वॉशिंग मशीन, दस मसाला स्लाइसिंग मशीनें, और 320 मसाला ड्रायर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे 1325 किसानों को ₹ 617.07 लाख की वित्तीय सहायता मिली।

निर्यात योग्य अधिशेष उत्पन्न करने हेतु चिन्हित क्लस्टरों में समूहों या एफपीओ द्वारा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इकाइयाँ स्थापित करने हेतु एफपीओ को सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए दो एफपीओ को ₹ 15.73 लाख की वित्तीय सहायता

प्रदान की गई, जिससे 405 उत्पादकों को लाभ हुआ।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 34.48 लाख की वित्तीय सहायता से 29 उन्नत छोटी इलायची सुखाने के उपकरण स्थापित किए गए, जिससे 29 उत्पादकों को लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 12 लाख की वित्तीय सहायता से बड़ी इलायची सुखाने के लिए कुल 40 संशोधित भट्टी इकाइयों/ सॉ ड्रायर का निर्माण किया गया, जिससे 40 उत्पादकों को लाभ हुआ।

बोर्ड के कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड आईसीएआर संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीआरआई और इसी तरह के संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, पाँच राज्यों के विभिन्न आईसीएआर संस्थानों/कृषि विज्ञान केंद्रों में ऐसे छह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 183 उत्पादकों को लाभ हुआ। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक कृषि युवाओं/किसानों को सशक्त बनाने, खेती/उद्यमिता में उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करने और समुदाय के बीच मास्टर प्रशिक्षकों का एक समूह बनाने में मदद करता है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के उत्पादकों को आंतरिक गुणों और जीआई टैग वाले विभिन्न मसालों जैसे लाकाडोंग हल्दी, नागा मिर्च, हथेई की खेती के लिए प्रदर्शन और प्रेरित करने के उद्देश्य से मिर्च, मिज़ो मिर्च, मिज़ो अदरक, दाल खुरसानी आदि के लिए, स्पाइसेस बोर्ड SPICED योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम लागू कर रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्तर-पूर्वी राज्यों के 680 किसानों को 266.6 हेक्टेयर क्षेत्र में ₹ 60.73 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इंडगैप, प्राकृतिक खेती आदि जैसे सतत उत्पादन और प्रमाणन प्रणालियों को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के तहत, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान तीन किसान समूहों को ₹ 2.49 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई; जैविक समूह प्रमाणन के लिए तीन किसान समूहों को ₹ 2.03 लाख प्रदान किए गए; उत्पादन में इंडगैप और अन्य सतत प्रमाणन के लिए पांच किसान समूहों के लिए प्रमाणन सहायता के लिए ₹ 8.05 लाख; 247 किसानों को लाभान्वित करने वाले खाद के कृषि उत्पादन के लिए ₹ 33.68 लाख; और केयर एंड क्योर सेंटर की स्थापना की लागत और पांच एफपीओ को अधिकृत स्रोतों से प्राप्त इनपुट के लिए ₹ 8.00 लाख।

वर्ष 2024-25 के दौरान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों तथा अन्य मसाला उत्पादक क्षेत्रों में इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए कुल 14,945 विस्तार दौरे किए गए और 2,788 समूह बैठकें/अभियान आयोजित किए गए। विस्तार सलाहकार सेवा के अंतर्गत कुल व्यय ₹114.53 लाख था।

स्पाइसेस बोर्ड किसानों, राज्य कृषि/बागवानी विभागों के अधिकारियों, व्यापारियों, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों आदि के लिए नियमित रूप से गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यूआईटीपी) आयोजित कर रहा है ताकि उन्हें कटाई-पूर्व और कटाई-पश्चात तथा भंडारण तकनीकों के वैज्ञानिक तरीकों और प्रमुख मसालों की अद्यतन गुणवत्ता आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित किया जा सके। वर्ष 2024-25 के दौरान 215 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 12,771 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया, जिस पर कुल ₹ 22.32 लाख खर्च हुए।

बोर्ड के 38 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 फरवरी 2025 को 'स्वच्छ एवं सुरक्षित मसाले' पर एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात के विभिन्न चरणों में जोखिमों, सुधारात्मक कार्रवाइयों और अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं के बारे में हितधारकों को जागरूक करना था। वर्ष 2024-25 के दौरान 13 राज्यों में आयोजित 14 अभियानों के तहत कुल ₹ 1.68 लाख की लागत से कुल 735 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड द्वारा उत्तराखंड के बड़ी इलायची किसानों के लिए एक अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया। इस अध्ययन यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों के कुल 153 किसानों को ₹ 2.65 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने 12 राज्यों में 17 स्थानों पर किसानों और एफपीओ सदस्यों के लिए हल्दी के जीएपी और जीएचपी पर 17 विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम और तीन प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में हल्दी के लिए तीन खाद्य सुरक्षा और बाजार संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें ₹ 57.25 लाख का व्यय हुआ है और 1,879 हितधारकों को लाभ हुआ है।

मसालों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) समस्याओं के समाधान के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ) को 'भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और क्षमता निर्माण और अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार' शीर्षक से एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो विकासशील देशों को उनके मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच हासिल करने या बनाए रखने की क्षमता के साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों को लागू करने की क्षमता के निर्माण में सहायता करता है। परियोजना को एसटीडीएफ ने 2018 में मंजूरी दी थी। एफएओ इंडिया परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार और बजट धारक रहा और परियोजना के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार रहा। स्पाइसेस बोर्ड परियोजना का स्थानीय भागीदार रहा और उसे परियोजना के तहत सभी स्थानीय गतिविधियों के कार्यान्वयन और उनके समन्वय को सुनिश्चित करता रहा।

त्रिपुरा में काली मिर्च के उत्पादन एवं कटाई-पश्चात प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान काली मिर्च किसानों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का आयोजन स्पाइसेस बोर्ड द्वारा त्रिपुरा सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 492 किसानों को ₹ 4.00 लाख की लागत से प्रशिक्षित किया गया।

'बाज़ार विस्तार के लिए क्षमता संवर्धन, 'व्यापार संवर्धन' और 'तकनीकी हस्तक्षेप' घटकों के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य निर्यातकों को बुनियादी ढाँचे के विकास और भारतीय मसालों व मसाला उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित मसालों का निर्यात बढ़ाया जा सके, जो आयातक देशों के उभरते खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और प्रक्रिया उन्नयन को प्रोत्साहित करने के अलावा, बोर्ड ने मसालों की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उपर्युक्त घटकों के अंतर्गत प्रमुख ज़ोर वाले क्षेत्र हैं - व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, बुनियादी ढाँचे का विकास, विदेशों में भारतीय मसाला ब्रांडों का प्रचार, प्रमुख मसाला उत्पादक/विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना, मसाला पार्क जैविक मसालों/जीआई मसालों का प्रचार, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि।

'मसालों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी और अवसंरचनात्मक हस्तक्षेप (टीआईआईपीएस)' कार्यक्रम के तहत, जिसका उद्देश्य मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए सुविधाएं स्थापित करने, मसाला प्रसंस्करण में उच्च तकनीक वाले बुनियादी ढांचे को अपनाने, प्रक्रिया उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप करने आदि के लिए निर्यातकों को समर्थन देना है। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 100.00 लाख की सहायता प्रदान की गई।

इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1.60 लाख की सहायता प्रदान की गई। किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने और व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड ने प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में आठ फसल-विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। सभी पार्कों में मसालों और मसाला उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और भंडारण के लिए अच्छी तरह से स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं और सभी पार्कों में इकाइयां वर्तमान में बोर्ड द्वारा पहचाने गए ऑपरेटरों के माध्यम से कार्य कर रही हैं। 31 मार्च 2025 तक, मसाला पार्क, जोधपुर में 21 निर्यातकों को 25 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 13 इकाइयां कार्य कर रही हैं; मसाला पार्क, गुना में 21 निर्यातकों को 37 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से तीन इकाइयां कार्य कर रही हैं। स्पाइसेस पार्क, गुंटूर में 26 निर्यातकों को 51 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से सात इकाइयाँ कार्यरत हैं; स्पाइसेस पार्क, शिवगंगा में 12 निर्यातकों को 17 भूखंड और स्पाइसेस पार्क, रायबरेली में 3 निर्यातकों को सात भूखंड आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, स्पाइसेस पार्क, जोधपुर में एक इकाई ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

वर्ष 2024-2025 के दौरान, मसाला पार्कों में निर्यातकों द्वारा स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं इकाइयों में ₹ 89,951.70 लाख मूल्य के 68774.08 मीट्रिक टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया है, जिनमें से ₹ 35,326 लाख

मूल्य के 19,789.17 मीट्रिक टन मसाले/मसाला उत्पाद निर्यात हेतु निर्यातकों को निर्यात/आपूर्ति किए गए। इसके अतिरिक्त, मसाला पार्कों के गोदामों में ₹ 26,261.76 लाख मूल्य के कुल 18,197.04 मीट्रिक टन मसालों का भंडारण किया गया है। साथ ही, मसाला पार्कों में कुल 1,717 श्रमिक/ मजदूर कार्यरत थे।

कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 के दौरान दो निर्यातकों को ₹ 14.80 लाख की सहायता प्रदान की गई। पहचाने गए विदेशी बाज़ारों में भारतीय ब्रांडों की पहुँच बढ़ाने के लिए, विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से स्पष्ट ट्रेसेबिलिटी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने एक कार्यक्रम लागू किया है। बोर्ड भारतीय मसालों के लॉगो और ब्रांडों के प्रचार के लिए एक कार्यक्रम लागू कर रहा है और वर्ष 2024-25 के दौरान एक निर्यातक को ₹ 15.70 लाख की सहायता जारी की गई।

मसाला निर्यातकों को नमूने भेजने में सहायता कार्यक्रम (एएसईएसएस) के अंतर्गत, सात निर्यातकों को ₹ 1.30 लाख की सहायता प्रदान की गई। निर्यात हेतु उत्पाद विकास में सहायता घटक के अंतर्गत, बोर्ड ने आलोच्य अवधि के दौरान चार फर्मों को ₹ 37.40 लाख की सहायता प्रदान की गई । स्पाइसेस बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान 'खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र/प्रमाणन के कार्यान्वयन हेतु सहायता' कार्यक्रम के अंतर्गत पाँच निर्यातकों को प्रमाणन लागत के रूप में ₹ 8.57 लाख की सहायता प्रदान की गई।

व्यापार मेलों/बैठकों/सेमिनारों/प्रशिक्षणों में भागीदारी के लिए बोर्ड के कार्यक्रम के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22 निर्यातकों को हवाई किराए और स्टॉल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹ 62.61 लाख की सहायता प्रदान की गई। बोर्ड, नवीन विचारों वाले निर्यातकों, स्टार्ट-अप्स, एसएमई और उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए चिन्हित विशेषज्ञ संस्थानों में 'स्पाइस इनक्यूबेशन सेंटर' स्थापित करने के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला क्षेत्र में नवीन उत्पादों और प्रक्रियाओं को विकसित करने में उनका मार्गदर्शन और सहायता करना है। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने कार्यक्रम के अंतर्गत दो विशेषज्ञ संस्थानों को ₹ 20 लाख और एक इनक्यूबेटी को ₹ 2 लाख की सहायता प्रदान की।

कोच्ची, चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और कोलकाता स्थित स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (क्यूईएल) चुनिंदा मसालों की निर्यात खेपों के लिए विश्लेषणात्मक सेवाएँ और अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन प्रदान करती रहीं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रयोगशाला ने विभिन्न देशों को निर्यात किए जाने वाले मसालों और मसाला उत्पादों के 71,241 नमूनों में एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंजक, बाहरी पदार्थ, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला और ईटीओ जैसे कुल 1,64,556 मापदंडों का विश्लेषण किया। इसके अलावा, बोर्ड ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेपों के लिए 14,162 आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किए। वर्ष 2024-2025 के दौरान, बोर्ड ने अग्रिम प्राधिकरण योजना (एएएस) के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त मसालों और मसाला उत्पादों की आयात खेपों में 606 नमूनों का परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट जारी की गईं। स्पाइसेस बोर्ड, एफएसएसएआई की एक रेफरल प्रयोगशाला होने के नाते, निर्दिष्ट मापदंडों के लिए एम.एल. की पुनः पुष्टि हेतु एफएसएसएआई द्वारा लिए गए नमूनों का परीक्षण किया। वर्ष 2024-2025 के दौरान, बोर्ड ने एफएसएसएआई विभाग से प्राप्त 18 ऐसे नमूनों का परीक्षण किया और संबंधित परीक्षण रिपोर्ट जारी कीं।

CCSCH समिति द्वारा 47 वें सत्र में विकसित तीन और मसाला मानकों को अपनाया गया: हल्दी, छोटी इलायची और सूखे या निर्जलित फलों और जामुनों के लिए समूह मानक - ऑलस्पाइस, जुनिपर बेरी और स्टार ऐनीज़। वर्तमान में, कोडेक्स के अंतर्गत 16 मसालों वाले कुल 14 पूर्ण मसाला मानक प्रकाशित और उपलब्ध हैं।

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) ने अपने शोध प्रयासों को फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और कटाई-पश्चात अध्ययनों पर केंद्रित किया। अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा विश्लेषण, छोटी और बड़ी इलायची दोनों के लिए एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करते हुए फसल सुरक्षा रणनीतियाँ थीं। आईसीआरआई, स्पाइसेस बोर्ड, मैलाडुंपारा द्वारा विकसित उच्च उपज देने वाली, उत्कृष्ट, जलवायु प्रतिरोधी छोटी इलायची किस्म, आईसीआरआई 10 (आईसीआरआई सुगंध भारती) को केरल राज्य कृषि एवं बागान फसलों की किस्म विमोचन समिति

द्वारा 12 नवंबर 2024 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित अपनी 29 वीं बैठक के दौरान जारी किया गया।

स्पाइसेस बोर्ड ने 11 सितंबर 2024 को आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में आयोजित 'स्पाइस अप योर बिज़नेस: स्टेकहोल्डर्स कॉन्क्लेव एंड बायर-सेलर मीट' के दौरान ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा प्रणाली वाला एक एप्लिकेशन 'कार्ड्सऐप' लॉन्च किया। ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा प्रणाली वाला यह ऐप, उडुम्बनचोला और इडुक्की तालुकों के 19 गाँवों से एकत्र किए गए नमूनों से मृदा उर्वरता मानचित्र सहित महत्वपूर्ण मृदा परीक्षण परिणाम प्रदान करता है' ये क्षेत्र इलायची की खेती की संभावनाओं के लिए जाने जाते हैं। यह परियोजना रबड़ बोर्ड और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से शुरू की गई थी। इस दौरान एक समर्पित किसान सुविधा केंद्र, आईसीआरआई-किसान सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में 11 सितंबर 2024 को 'अपने व्यवसाय को और बेहतर बनाएँ: हितधारकों का सम्मेलन और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन' आयोजित किया गया। आईसीआरआई-किसान सेवा केंद्र का उद्देश्य मसाला किसानों का समर्थन करना और कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों का समाधान प्रदान करना है। मसाला उत्पादकों के लाभ के लिए आईसीआरआई-किसान सेवा केंद्र के माध्यम से आईसीएआर-आईआईएसआर, कोझिकोड से विभिन्न जैव नियंत्रण कारकों और रोपण सामग्री की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए स्पाइसेस बोर्ड और आईसीएआर-आईआईएसआर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के इडुक्की जिले के कार्डमम हिल रिजर्व के 935 मृदा नमूनों से लगभग 7332 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और उर्वरकों के उचित प्रयोग के लिए सिफारिशें दी गईं। इसके अतिरिक्त, सिक्किम के 44 मृदा नमूनों से 528 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए रिपोर्ट प्रदान की गईं। 226 किसानों से प्राप्त कुल 377 मृदा नमूनों का उपलब्ध नाइट्रोजन के लिए विश्लेषण किया गया।

मसाला किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, केरल राज्य बागवानी मिशन की सहायता से, आईसीआरआई ने सिंचाई के लिए स्वचालन के साथ-साथ काली मिर्च के गुणन के लिए सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रण और इलायची चूसने वाली नर्सरी के साथ बारह उच्च तकनीक वाले पॉलीहाउस स्थापित किए।

वर्ष 2024-25 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड की 95 वीं बोर्ड बैठक 29 जून 2024 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। स्वीकृत 31 सदस्यों में से कुल 16 सदस्यों की नियुक्ति की गई। श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, 12 जुलाई 2023 से 10 अक्तूबर 2024 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहे। श्री एल . सत्य श्रीनिवास, आईआरएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, को 11 अक्तूबर 2024 को छह महीने की अवधि के लिए बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

डॉ. के.जी. जगदीशा आईएएस ने 18 मार्च 2024 से स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का पदभार ग्रहण किया और 23 अक्तूबर 2024 तक इस पद पर बने रहे । सुश्री पी. हेमलता आईएएस ने 24 अक्तूबर 2024 को स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का पदभार ग्रहण किया और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस पद पर बने रहे।

वार्षिक कार्यक्रम के साथ-साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के संबंध में जारी आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग ने वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा नीति कार्यान्वयन को और अधिक फलदायी और प्रभावी बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।

बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रभावी ढंग से लागू किया और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया। बोर्ड ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा सूचना के प्रसार में समन्वय हेतु पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी को समन्वयकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया। बोर्ड ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, प्रकट की जाने वाली प्रत्येक आवश्यक जानकारी को ऐसे रूप और तरीके से प्रकट किया, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ हो [आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)]। 2024-25 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुल 104 आरटीआई आवेदन (भौतिक और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) और 13 अपीलें प्राप्त हुईं और सभी मामलों में निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान की गई। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की तीन सुनवाईयाँ हुईं।

01

संघटन एवं प्रकार्य

अ) स्पाइसेस बोर्ड का संघटन

संसद द्वारा अधिनियमित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 10) में इलायची की खेती एवं उससे जुड़े मामलों के नियंत्रण सहित मसालों के निर्यात के विकास तथा इलायची उद्योग के नियंत्रणार्थ बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने स्पाइसेस बोर्ड का गठन किया, जो 26 फरवरी 1987 से अस्तित्व में आ गया।

आ) स्पाइसेस बोर्ड की सदस्यता में:

क) अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी

ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने होते हैं

ग) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन सदस्य:

(i) वाणिज्य

(ii) कृषि; एवं

(iii) वित्त;

घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि छह सदस्य।;

ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य;

च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य;

छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य:

(i) योजना आयोग (संप्रति नीति आयोग);

(ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई;

(iii) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसुरु;

(iv) भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कोषिक्कोड;

झ) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य।

* वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) सं.जी.एस.आर.157 (ई) दिनांक 2 फरवरी, 2018 के अनुसार संशोधित।

इ) बोर्ड के कार्य

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986, के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं :-

क) बोर्ड:

(i) मसालों के निर्यात का विकास, संवर्धन एवं विनियमन करें;

(ii) मसालों के निर्यात केलिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;

(iii) मसालों के निर्यात के संवर्धन केलिए कार्यक्रम व परियोजनाएँ प्रारंभ करें;

(iv) मसालों के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, श्रेणीकरण के तकनीक और पैकिंग में सुधार केलिए अनुसंधान व अध्ययन में सहायता दें एवं उसका प्रोत्साहन करें;

(v) निर्यात केलिए मसालों की कीमतों के स्थिरीकरण केलिए प्रयास करें;

(vi) निर्यातार्थ मसालों केलिए उपायुक्त गुणवत्ता मापमान विकसित करें और 'गुणवत्ता-चिह्नाँकन' के माध्यम से गुणवत्ता का प्रमाणन प्रारंभ करें;

(vii) निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;

(viii) निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अनुज्ञप्तियां प्रदान करें;

(ix) यदि निर्यात के संवर्धन के हित में आवश्यक समझे तो किसी मसाले का विपणन करें;

(x) मसालों केलिए विदेशों में भंडारकरण की सुविधाओं की व्यवस्था करें;

(xi) संकलन एवं प्रकाशन केलिए मसालों के बारे में आंकड़ों का संग्रह करें;

(xii) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री केलिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा

(xiii) मसालों के आयात-निर्यात संबंधी किसी विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह दें।

ख) साथ ही, बोर्ड:-

(i) इलायची कृषकों के बीच सहकारिता प्रयासों को बढ़ावा दें;

(ii) इलायची कृषकों केलिए लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;

(iii) इलायची की खेती और प्रसंस्करण के उन्नत तकनीकों केलिए इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण केलिए वित्तीय एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करें;

(iv) इलायची के विक्रय और इलायची की कीमतों के स्थिरीकरण का विनियमन करें;

(v) इलायची की जाँच तथा उसके श्रेणीमानदण्ड नियत करने में प्रशिक्षण की व्यवस्था करें;

(vi) इलायची के उपभोग में वृद्धि और उस प्रयोजन केलिए प्रचार करें;

(vii) इलायची के दलालों (जिनके अंतर्गत नीलामकर्त्ता हैं) एवं इलायची के कारोबार में लगे व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्त करें;

(viii) इलायची के विपणन में वृद्धि करें;

(ix) कृषकों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से जो विहित किए गए जाए, इलायची उद्योग से संबंधित किसी विषय पर आँकडों का संग्रह करें; ऐसे संगृहीत आंकड़ों या उनके भागों या उनसे उद्धरणों का प्रकाशन भी करें;

(x) कर्मचारियों केलिए अधिक अच्छी कार्यकारी दशाओं और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें और

(xi) वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक अनुसंधान आरंभ करें, उसमें प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

ग) बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूचि में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं :-

1	इलायची	19	कोकम	37	जूनिपर बेरी
2	कालीमिर्च	20	पुदीना	38	बे-पत्ता
3	मिर्च	21	सरसों	39	लूबेज
4	अदरक	22	अजमोद	40	मर्जोरम
5	हल्दी	23	अनारदाना	41	जायफल
6	धनिया	24	केसर	42	जावित्री(मेस)
7	जीरा	25	वैनिला	43	तुलसी
8	बडी सौंफ	26	तेजपात	44	खसखस
9	मेथी	27	पीपला	45	ऑलस्पाइस
10	अजवाइन	28	स्टार एनीज़	46	रोज़मेरी
11	सौंफ	29	घोड बच (स्वीट फ्लैग)	47	सेज
12	अजोवन (मसाले का पौधा)	30	महा गलेंजा	48	सेवरी
13	काला जीरा	31	होर्स-रैडिश	49	थाइम
14	सोआ	32	केपर	50	ओरगेनो
15	दालचीनी	33	लौंग	51	टेरागन
16	अमलतास (कैसिया)	34	हींग	52	इमली
17	लहसुन	35	केंबोज		
18	करी पत्ता	36	हिस्सप		

(करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है)

स्पाइसेस बोर्ड का ऑर्गेनोग्राम

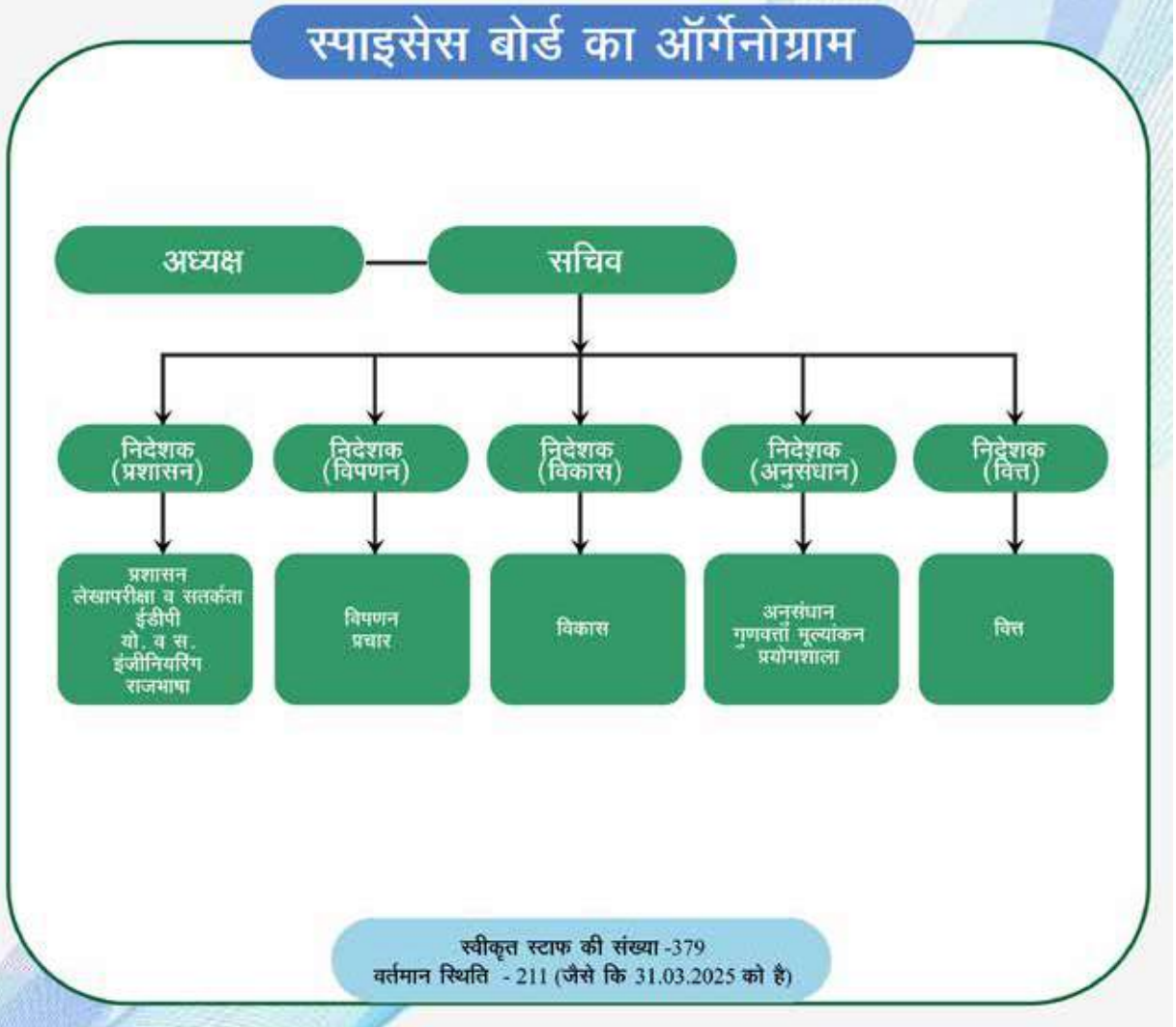

स्वीकृत स्टाफ की संख्या -379
वर्तमान स्थिति - 211 (जैसे कि 31.03.2025 को है)

02

प्रशासन

अ) प्रशासन

श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 जुलाई 2023 से 10 अक्तूबर 2024 तक स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। श्री एल सत्य श्रीनिवास आईआरएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक 11 अक्तूबर 2024 को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किय गया था। डॉ के जी जगदीश आईएएस ने 18 मार्च 2024 से स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का पदभार ग्रहण किया और 23 अक्तूबर 2024 तक बने रहे। सुश्री पी हेमलता आइएएस ने 24 अक्तूबर 2024 से स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का पदभार ग्रहण किया और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बने रहे। डॉ रेमा श्री ए. बी. ने निदेशक (अनुसंधान) के रूप में कार्य ज़ारी रखा और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्री जिजेष टी दास, उप निदेशक (ईडीपी), श्री बी. एन. झा, उप निदेशक (विपणन) और श्री धर्मेन्द्र दास उप निदेशक (विकास) ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान क्रमशः निदेशक (प्रशासन), निदेशक (विपणन) और निदेशक (विकास) का कार्यभार संभाला।

स्पाइसेस बोर्ड ने पहले ही पुनर्गठन प्रस्ताव में स्वीकृत लक्षित कर्मचारियों की संख्या हासिल कर ली है। जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, 379 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, स्पाइसेस बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 211 है जिसमें 64 वर्ग 'क', 72 वर्ग 'ख' और 75 वर्ग 'ग' कर्मचारी शामिल हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने दो कर्मचारियों को पदोन्नति दी है और पात्र 14 कर्मचारी को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है। बोर्ड ने निर्यात संवर्धन और विकास गतिविधियों के समर्थन के लिए तीन विपणन कार्यपालकों और आठ विकास कार्यपालकों को नियुक्त किया है।

बोर्ड ने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 57 से अधिक बेरोजगार युवाओं को गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में विश्लेषणात्मक सेवाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुसंधान स्टेशनों में कृषि विस्तार सेवा और लेखा तथा पुस्तकालय अनुभाग में शासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त किया है।

क) नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अ.जा/अ. ज.जा/अ.पि.व. के लिए आरक्षण

बोर्ड अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए पद-आधारित आरक्षण रोस्टर का उचित रूप से कार्यान्वयन करता है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों का भी कडाई से अनुपालन किया जा रहा है। जैसे कि 31 मार्च, 2025 को है, अ.जा/अ.ज.जा और अ.पि.व. की श्रेणियों में 128 पदाधिकारी(अ.पि.व.-76, अ.जा-31 और अ.ज. जा-21) थे।

स्पाइसेस बोर्ड के भर्ती विनियम की स्वीकृति लम्बित होने के कारण वाणिज्य विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कोई नियुक्ति नहीं हुई है । मंत्रालय ने पत्र संख्या 5/6/2018-प्लांट-डी दिनांक 04.02.2020 के माध्यम से बोर्ड को निदेश दिया है कि जब तक मंत्रालय द्वारा भर्ती नियम को मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक वह कोई भर्ती न करें।

ख) महिला कल्याण

जैसे कि 31 मार्च 2025 को है, बोई की 'क', 'ख' व 'ग' श्रेणियों की महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 59 है। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान जाता है। बोर्ड की वर्ग 'क' स्तर की एक महिला अधिकारी

को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि महिलाओं की परेशानियां/समस्याओं, यदि कोई हो, तो उन्हें जानने और संभव समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया था।

ग) अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. कल्याण

बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. से संबंधित आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' भी गठित की गई थी।

घ) दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

बोर्ड द्वारा दिव्यांग श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु दिव्यांग सेल का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से जुडे आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया है। सरकार के निदेशानुसार बोर्ड द्वारा दिव्यांग को पदोन्नति में आरक्षण भी लागू किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति का भी पुनर्गठन किया गया है। जैसेकि 31 मार्च, 2025 को है, दिव्यांग व्यक्तियों की (दिव्यांगजन) श्रेणी से संबंधित 9 (ओएच-5, वीएच-3, एच एच-1) कर्मचारी थे।

ङ) स्पाइसेस बोर्ड का कार्यात्मक नेटवर्क

बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोच्ची में स्थित है। बोर्ड के देश भर में कार्यालय हैं जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी व बड़ी इलायची के लिए विकास कार्यालय, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (गु.मू.प्र.), अनुसंधान स्टेशन और मसाला पार्क शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय प्रवृत्त रहे:

(i) निर्यात संवर्धन कार्यालय

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	पडेरू	आंध्र प्रदेश
2	वारंगल	आंध्र प्रदेश
3	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
4	गुवाहटी	असम
5	पटना	बिहार
6	जगदलपुर	छत्तीसगढ़
7	नई दिल्ली	दिल्ली
8	पोंडा	गोआ
9	अहमदाबाद	गुजरात
10	ऊँझा	गुजरात
11	उना	हिमाचल प्रदेश
12	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
13	बैंगलूरू	कर्नाटक
14	मुंबई	महाराष्ट्र
15	शिलाँग	मेघालय
16	आइज़ॉल	मिज़ोरम
17	कोरापुट	उडीसा
18	जोधपुर	राजस्थान
19	चेन्नई	तमिलनाडु
20	नागरकोविल	तमिलनाडु
21	निज़ामाबाद	तेलंगाना
22	हैदराबाद	तेलंगाना
23	अगरतला	त्रिपुरा
24	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
25	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(ii) विकास कार्यालय/फार्म

छोटी इलायची का अनुसंधान व विकास		
क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	अडिमाली	केरल
2	एलप्पारा	केरल
3	कल्पेट्टा	केरल

4	कट्टप्पना	केरल
5	कुमली	केरल
6	नेडुंकण्डम	केरल
7	पांपाडुम्पारा	केरल
8	पीरमेड	केरल
9	पुट्टडी	केरल
10	राजाक्काड	केरल
11	राजकुमारी	केरल
12	शांतनपारा	केरल
13	उडुन्पनचोला	केरल
14	बोडिनायकन्नूर	तमिलनाडु
15	इरोड	तमिलनाडु
16	बत्लगुंडु	तमिलनाडु
17	आइगूर (फार्म)	कर्नाटक
18	बेलगोला (फार्म)	कर्नाटक
19	बेलिगेरी (फार्म)	कर्नाटक
20	बेट्टडामने (फार्म)	कर्नाटक
21	सकलेशपुर	कर्नाटक
22	हावेरी	कर्नाटक
23	कोप्पा	कर्नाटक
24	मडिक्केरी	कर्नाटक
25	मुडिगेरे	कर्नाटक
26	शिवमोगा	कर्नाटक
27	सिरसी	कर्नाटक
28	सोमवारपेट	कर्नाटक
29	वनगूर	कर्नाटक
30	येसलूर (फार्म)	कर्नाटक

बड़ी इलायची का अनुसंधान व विकास

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
2	नमसाई	अरुणाचल प्रदेश
3	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश
4	रोइंग	अरुणाचल प्रदेश
5	ज़िरो	अरुणाचल प्रदेश
6	दीमापुर	नागालैंड
7	कोहिमा	नागालैंड
8	गान्तोक	सिक्किम
9	गेयसिंग	सिक्किम
10	जोरथांग	सिक्किम
11	मंगन	सिक्किम
12	कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल
13	सुखियापोखरी	पश्चिम बंगाल
14	चुराचंदपुर	मणिपुर

(iii) अनुसंधान स्टेशनें

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	मैलाडुंपारा	केरल
2	डोनिगल-सकलेशपुर	कर्नाटक
3	ताडियनकुड़िशि	तमिलनाडु
4	तादोंग	सिक्किम

(iv) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यू ई एल)

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	काण्डला	गुजरात
3	कोच्ची	केरल
4	मुम्बई	महाराष्ट्र
5	नरेला	नई दिल्ली
6	चेन्नई	तमिलनाडु
7	तूतिकोरिन	तमिलनाडु
8	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(v) मसाला पार्क

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	पुट्टडी	केरल
3	छिंदवाडा	मध्य प्रदेश
4	गुना	मध्य प्रदेश
5	जोधपुर	राजस्थान
6	रामगंज मंडी (कोटा)	राजस्थान
7	शिवगंगा	तमिलनाडु
8	राय बरेली	उत्तर प्रदेश

च) वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यकलाप

i. उत्पादों व सेवाओं की अधिप्राप्ति

सुरक्षा, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रीशियन, ड्रैवर्स (चालक) आदि सभी आउटसोर्स की गई सेवाएँ, केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वाले सेवा प्रदाताओं के ज़रिए अधिप्राप्त की गईं। कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेखन-सामग्रियाँ आदि जैसे उत्पाद भी जेम (GeM) के ज़रिए खरीदे गए हैं (कुल खरीद का 80 प्रतिशत से अधिक जेम (GeM) के ज़रिए किया गया)।

ii. स्वच्छ भारत मिशन कार्यकलापों का कार्यान्वयन

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के भाग के रूप में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी गतिविधियों को स्पाइसेस बोर्ड में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया और तस्वीरों सहित रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी गई।

स्वच्छता ही सेवा (विशेष अभियान 4.0) के एक भाग के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड के विभिन्न स्थानों की निष्क्रिय और स्क्रैप वस्तुओं की पहचान की गई और माल और सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उनका निपटान किया गया और कार्यवाही को स्पाइसेस बोर्ड को जमा किया गया।

iii. वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड बैठकें

वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, केवल एक बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं, यानी 29 जून, 2024 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में 95वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बोर्ड के कुल 31 संख्या में से, 16 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को **12 जुलाई 2023 से 10 अक्तूबर 2024** तक बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। श्री एल.सत्य श्रीनिवास, आईआरएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, को **11 अक्तूबर 2024** को छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

डॉ. के. जी. जगदीश आईएएस, सचिव, कॉफी बोर्ड को **18 मार्च 2024 से 17 सितंबर 2024** तक या अगले आदेश तक सचिव, स्पाइसेस बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सुश्री पी. हेमलता, आईएएस, विकास आयुक्त, कोचीन एसईज़ेड (CSEZ) को **22 अक्तूबर 2024** से स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सोंपा गया है और उन्होंने **24 अक्टूबर 2024** को कार्यभार ग्रहण किया। वे आज तक इस पद पर कार्यरत हैं।

iv. बाहरी कार्यालयों का अनुरक्षण

कोच्ची में स्थित स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय और देश भर के 82 कार्यालयों, जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, विकास कार्यालय, आठ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यूईएल), चार अनुसंधान स्टेशन और आठ स्पाइस पार्क शामिल हैं, का अनुरक्षण किया गया।

v. राष्ट्रीय महत्ववाले दिनों का मनाया जाना :

स्पाइसेस बोर्ड में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के दिन मनाए गए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसे निम्नलिखित दिन मनाए गए :-

क) 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस(आईडीवाई)
ख) विश्व रक्तदान दिवस
ग) सांप्रदायिक सद्भावना सप्ताह
घ) 'हर घर तिरंगा' पर अभियान
ङ) देश-वार नशीले पदार्थों के खिलाफ सामूहिक प्रतिज्ञा
च) राष्ट्रीय एकता दिवस
छ) जनजातीय गौरव दिवस
ज) राष्ट्रीय वाणिज्य दिवस
झ) सशस्त्र सेना दिवस
ञ) सतर्कता जागरूकता सप्ताह
ट) राष्ट्रीय महत्व के अन्य दिवस स्वतन्त्रता दिवस जैसे, स्वतंत्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस आदि

आ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम बनाने और उनका संचालन करने में बोर्ड की सहायता करने और बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के मॉनीटरिंग और

कार्यन्वयन हेतु उत्तरदायी नॉडल पॉइंट है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग, सचिव और बोर्ड की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की सहमति और अनुमोदन से वर्ष 2024-25 के दौरान भी राजभाषा नीति के कार्यन्वयन को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने में राजभाषा अनुभाग प्रयासरत रहा।

प्रमुख कार्यकलाप और उपलब्धियां:

(i) अनुवाद

निम्नलिखित का अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिन्दी और उल्टेः) किया गयाः

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश (परिपत्र), निविदा दस्तावेज, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, वीआईपी संदर्भ आदि
- वर्ष 2023-24 केलिए वार्षिक रिपोर्ट व लेखापरीक्षा रिपोर्ट और संसद के समक्ष प्रस्तुत बोर्ड की अन्य प्रशासनिक रिपोर्टें
- हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके हिन्दी में उत्तर
- सेवारत कार्मिकों के लिए विजिटिंग कार्ड, रबड़ मुहर और बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत होने वाले कार्मिक को स्मृति-चिह्न के लिए सामग्री
- बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी समारोहों के लिए सामग्रियाँ, बैनर, बैकड्रोप, निमंत्रण-कार्ड, कार्यक्रम शीट आदि

(ii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करने के अनुरूप चार बैठकें क्रमशः 27 जून, 2024 (अप्रैल - जून, 2024), 30 सितंबर, 2024 (जुलाई - सितंबर, 2024), 31 दिसंबर, 2024 (अक्तूबर - दिसंबर, 2024) और 26 मार्च, 2025 (जनवरी - मार्च, 2025) को आयोजित की गईं।

ख) हिन्दी कार्यशाला

बोर्ड के स्टाफ सदस्यों के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से चार हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और प्रतिभागियों को कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें राजभाषा नीति के साथ-साथ चेक-प्वाइंट के प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ राजभाषा नीति को लागू करने के लिए बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया गया।

ग) हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए चंदा

बोर्ड ने, हिन्दी अखबार 'डेली हिन्दी मिलाप' और सरिता व वनिता नामक हिन्दी पत्रिकाओं के लिए चंदा देना ज़ारी रखा।

घ) राजभाषा निरीक्षण

श्री परमानंद उप निदेशक (रा.भा), वाणिज्य विभाग और उनकी टीम ने 14 नवंबर 2024 को स्पाइसेस बोर्ड, मूंबई के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया और राजभाषा निरीक्षण किया। निरीक्षण दल ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में बोर्ड द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। निरीक्षण/बैठक के दौरान समिति ने राजभाषा नीति के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये। अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई की जा रही है।

ङ) हिन्दी दिवस/पखवाड़ा समारोह 2024

बोर्ड में 14 सितम्बर, 2024 को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। बोर्ड की ओर से, सहायक निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय कोच्ची ने 14-15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। उसी दिन को बोर्ड भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 से 29 सितंबर, 2024 के दौरान आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह में पूरे भारत के अधिकारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा समारोह 2024 के संबंध में स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

च) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड को कार्यालय में राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कोच्ची टोलिक द्वारा स्थापित रोलिंग ट्रॉफी (तृतीय स्थान) से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 23 अक्तूबर, 2024 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी), कोच्ची की आवधिक

बैठक के दौरान प्रभारी निदेशक (प्रशासन) द्वारा ग्रहण किया गया।

इस अवधि के दौरान, बोर्ड के निदेशक (अनुसंधान और वित्त प्रभारी) और सहायक निदेशक (राजभाषा) ने 28 मई, 2024 को आयोजित नराकास, कोच्ची की पहली अर्धवार्षिक बैठक में भाग लिया।

छ) सेवाकालीन प्रशिक्षण

स्पाइसेस बोर्ड ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित पत्राचार माध्यम से प्राज्ञ हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए दो अधिकारियों को नामित किया।

ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंटर्नशिप

कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयुएसएटी) के हिंदी विभाग में अनुवाद, पत्रकारिता और हिंदी कंप्यूटिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीटीजेसी) कर रहे पांच छात्रों ने अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में बोर्ड से हिंदी भाषा में इंट र्नशिप सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

iii) स्पाइस इंडिया (हिन्दी)

बोर्ड की हिंदी मासिक पत्रिका 'स्पाइस इंडिया' के विमोचन से संबंधित कार्य में सहायता प्रदान की गई।

इ) पुस्तकालय एवं प्रलेखन सेवा

बोर्ड के पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत ग्रंथसूची डाटा सहित पुस्तकों व पत्रिकाओं का एक अच्छा संग्रहण है। पुस्तकालय व प्रलेखन इकाई को मजबूत बनाने की प्रक्रिया, नई पुस्तकों व पत्रिकाओं को जोड़कर जारी रखा गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, 139 नई पुस्तकें जोडी गईं और करीब 80 पत्रिकाओं के लिए चंदा ज़ारी रखा गया। पुस्तकालय ने किताबें जारी करना तथा वापस लेना, दस्तावेज़ों व पत्रिकाओं का परिचालन, करंट एवेयरनेस सेवा, दैनिक सूचना सेवाएं, ई-समाचार-पत्र पठन और जर्नलों को मुक्त अभिगम्यता और 'स्पाइसेस समाचार सेवा' जैसी नियमित सेवाएं ज़ारी रखीं। विविध संस्थाओं के लगभग 17 छात्रों तथा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन सहित संदर्भ सुविधाएं प्रदान की गईं। नियमित कार्यकलापों के अलावा जैविक कृषि, जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, कालीमिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, पुदीना, बीजीय मसाले, वृक्ष मसाले, तेल व तैलीराल पर सूचना समेकित की गई।

03

वित्त और लेखा

बोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता द्वारा की जाती है। प्रशासन के खर्च मुख्यतः सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान और बोर्ड के विविध कार्यकलापों से अर्जित आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईबीआर) के जरिए किए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट ₹13,000.00 लाख है। ₹13,000.00 लाख की अनुदान सहायता का विस्तृत आवंटन निम्नानुसार था:

क्रमांक	सहायता अनुदान का आबंटन	₹ लाख रुपयों में
1	अनुदान सहायता सामान्य, पूंजीगत व्यय, वेतन, अन्य व्यय और स्वच्छ भारत	7153.00
2	इमदाद/वित्तीय सहायता के लिए सहायता अनुदान	4200.00
3	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान	849.00
4	अनुसूचित जाति उप योजना के लिए सहायता अनुदान	249.00
5	जनजातीय उपयोजना के लिए सहायता अनुदान	549.00
	कुल	**5847.00**

बोर्ड ने 2024-25 में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता परीक्षण सेवाओं के लिए विश्लेषणात्मक शुल्क, नर्सरी से पौध और अनुसंधान फार्मों के कृषि उत्पादों, सदस्यता और विज्ञापन शुल्क, निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालिक जमा पर ब्याज आदि से 3751.59 लाख रुपये का राजस्व (आईईबीआर) उत्पन्न किया।

स्पाइसेस बोर्ड को मसालों (52 अनुसूचित मसालों और उसके उत्पादों) के निर्यात संवर्धन और इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, अनुसंधान, विकास और घरेलू विपणन और निर्यात के लिए मसालों के गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रमाणन का अधिदेश प्राप्त है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र योजना - निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (स्पाइस्ड) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को लागू कर रहा है। इस योजना में इलायची की उत्पादकता में सुधार, मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, बाजार व्यय के लिए क्षमता बढ़ाना, व्यापार संवर्धन और तकनीकी हस्तक्षेप, छोटी और बड़ी इलायची पर अनुसंधान, क्षमता निर्माण और कौशल विकास जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड का कुल व्यय 13,343.85 लाख रुपये था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख रूपयों में)
उत्पादकता में सुधार-इलायची	1031.49
मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन	1157.20
गुणवत्ता सुधार	1044.65
बाजार विस्तार के लिए क्षमताओं में वृद्धि	1021.65
व्यापार संवर्धन	1302.48
तकनीकी हस्तक्षेप	44.68
छोटी और बड़ी इलायची पर शोध	296.25
क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास	89.16
स्थापना	7356.29
कुल	13343.85

बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसे कि आईसीएआर, एएसआईडीई और अन्य से प्राप्त अनुदानों से कुछ चालू परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त अनुदानों एवं किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

कार्यक्रम	प्राप्त अनुदान (लाख रूपयों में)	व्यय (लाख रूपयों में) (*)
क्षेत्र व्यापी आईपीएम काली मिर्च	-	2.00
आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस	21.31	33.25
बेयर परियोजना	-	3.03
फ्लूपाईरिमिन का मूल्यांकन	-	4.33
डब्ल्यूटीओ - एसटीडीएफ़	-	16.89
डीयूएस जांच केंद्र	0.75	0.15
पॉलीसल्फेट का मूल्यांकन	6.00	5.09
स्पिनेटोरम का मूल्यांकन	-	11.71
नैनो उर्वरक का मूल्यांकन	2.40	1.70
एस एच एं है-टेक पौधशाला	-	71.41
सिंजेंटा कवकनाशी	-	2.64
सिंजेंटा कीटनाशी	-	1.21
महिला वैज्ञानिक योजना	-	0.03
एएसआईडीई-टीआईईएस-सिक्किम	-	98.47
जिंजर प्रोजेक्ट बस्तर	-	0.88
म्यांमार बड़ी इलायची	-	2.62
आर के वी वाई आंध्र प्रदेश	-	5.93
एं आई डी एच	-	28.30
नबार्ड सिक्किम	-	0.94
कुल	**30.46**	**290.58**

(*) व्यय में, पिछले वर्षों में प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उपयोग में लाया गया अनुदान शामिल है।

स्पाइसेस बोर्ड पर सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2024-25 के खंड परिशिष्ट-I के रूप में रखे गए हैं।

04

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसलोत्तर सुधार

स्पाइसेस बोर्ड उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के मामले में इलायची (छोटी और बड़ी) के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड निर्यात के लिए गुणवत्ता पूर्ण मसालों के उत्पादन के लिए फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम भी लागू कर रहा है। इसके अधिदेश के अनुरूप, स्पाइसेस बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र की योजना "निर्यात विकास हेतु प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता(एसपीआईसीईडी)" का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें विभिन्न विकास कार्यक्रम और फसलोत्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शामिल है, अथार्त घटक-I) इलायची (छोटी और बड़ी) की उत्पादकता में सुधार और घट क-II) मसालों का फसलोत्तर गुणवत्ता उन्नयन।

विकास कार्यक्रमों को बोर्ड के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें उसके क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय शामिल हैं। बोर्ड मसाला उत्पादकों की रोपाई के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में पांच विभागीय नर्सरी का रखरखाव कर रहा है।

अ) इलायची की उत्पादकता में सुधार (छोटी और बड़ी)

छोटी और बड़ी इलायची के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यान्वित प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैः

क) इलायची (छोटी) की उत्पादकता में सुधार

छोटी इलायची की खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में की जाती है। छोटी इलायची के अधिकांश जोतें छोटे और सीमांत हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान छोटी इलायची की खेती का कुल क्षेत्रफल 70,411 हेक्टेयर (हे) और अनुमानित उत्पादन 20696 मीट्रिक टन था। छोटी इलायची के विकास हेतु क्रियान्वित कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं:

1) पुनःरोपण/नया रोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में छोटी इलायची के उत्पादकों को रोगग्रस्त, पुराने, बूढ़े और अलाभकारी खेती की व्यवस्थित पुनः रोपाई के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना और सीमांत उत्पादकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें पुनर्रोपण/नए रोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा छोटी इलायची की खेती के क्षेत्रफल में विस्तार करना है।

(i) पुनःरोपण/नया रोपण (तमिलनाडु और केरल)

केरल और तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर सामान्य वर्ग के किसानों को ₹ 1,00,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ₹ 2,10,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है जो परियोजना की अवधि के दौरान पुनः रोपण और रखरखाव की लागत के मद में क्रमशः 33.33 प्रतिशत और 75 प्रतिशत है, जिसका भुगतान दो समान वार्षिक किश्तों में किया जाता है। पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची उत्पादक जिनके पास चार (4) हेक्टेयर तक खेत हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 746.67 हेक्टेयर छोटी इलायची की पुनःरोपण के लिए 366.68 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (जिसमें वर्ष 2024-25 के दौरान 468.15 हेक्टेयर पुनःरोपण की पहली किस्त के लिए 236.14 लाख रुपये, वर्ष 2023-24 के दौरान 278.52 हेक्टेयर पुनःरोपण की दूसरी किस्त के लिए ₹ 130.54 लाख और वर्ष 2023-24 के बैकलॉग मामले शामिल हैं), जिससे 2670 उत्पादक (महिलाः 801, ट्रांसजेंडरः 0, एससीः 43, एसटीः 33) लाभान्वित हुए।

(ii) पुनःरोपण/नया रोपण (कर्नाटक & अन्य संभावित राज्य)

कर्नाटक में प्रति हेक्टेयर सामान्य वर्ग के किसानों को ₹.75,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ₹.1,68,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है जो परियोजना की अवधि के दौरान पुनः रोपण और रखरखाव की लागत के मद में क्रमशः 33.33 प्रतिशत और 75 प्रतिशत है, जिसका भुगतान दो समान वार्षिक किश्तों में किया जाता है। पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची उत्पादक जिनके पास चार (4) हेक्टेयर तक खेत हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 153.7 हेक्टेयर छोटी इलायची की पुनःरोपण के लिए ₹ 61.99 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (जिसमें वर्ष 2024-25 के दौरान 83.65 हेक्टेयर पुनःरोपण की पहली किस्त के लिए 34.40 लाख रुपये, वर्ष 2023-24 के दौरान 70.05 हेक्टेयर पुनःरोपण की दूसरी किस्त के लिए ₹ 27.59 लाख और वर्ष 2023-24 के बैकलॉग मामले शामिल हैं), जिससे 364 उत्पादक (महिलाः 91, ट्रांसजेंडरः 0, एससीः 17, एसटीः 10) लाभान्वित हुए।

2) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन

इलायची की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पुनःरोपण हेतु उन्नत किस्मों/प्रजातियों की अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। पुनःरोपण हेतु गुणवत्तापूर्ण, उच्च उपज देने वाली और रोगमुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम इस प्रकार हैः

(i) प्रमाणित नर्सरियों के माध्यम से रोपण सामग्री का उत्पादन

आगामी मौसम के लिए रोग मुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री तैयार करने हेतु, किसानों को अपने खेत में इलायची की अंतःभूस्तारि/पादप के उगाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रमाणित नर्सरियों में उत्पादित पौध सामग्री का उपयोग आवेदकों द्वारा पुनःरोपण/अंतराल भरने के लिए किया गया और शेष सामग्री को पड़ोसी/ज़रूरतमंद किसानों को बाज़ार मूल्य से अधिक न होने वाले इष्तम मूल्य पर उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 434 लाभार्थी किसान (महिलाः 130, ट्रांसजेंडरः 0, एससीः 11, एसटीः 1) को कवर करते हुए 216.03 इकाइयां (यानी, 10,80,500 रोपण सामग्री) स्थापित की गई, जिसमें ₹ 44.50 लाख की वित्तीय सहायता दी गई।

(ii) विभागीय नर्सरियों के माध्यम से रोपण सामग्री का उत्पादन

रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन और वितरण का कार्य बोर्ड की विभागीय नर्सरियों द्वारा किया गया। पाँच विभागीय नर्सरियों में उत्पादित पौध सामग्री उत्पादकों को नाममात्र दर पर वितरित की गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कर्नाटक क्षेत्र में पांच विभागीय नर्सरियों द्वारा कुल 74,304 इलायची रोपण सामग्रियाँ, कालीमिर्च की 3,84,507 मूल लगाई कतरनें और मिर्च के 13,377 न्यूक्लियस रोपण सामग्री और इलायची की 34,132 अंतःभूस्तारियां तैयार की गई और इलायची के 55,354 पादप, इलायची की 25,565 अंतःभूस्तारियां, कालीमिर्च की 2,48,842 मूल लगाई कतरनें और कालीमिर्च के 8,545 न्यूक्लियस रोपण सामग्री 659 उत्पादकों को(महिलाः 25, ट्रांसजेंडरः 0 एससीः 13, एसटीः 2) वितरित की गई।

3) जल स्रोतों का विकास और सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना

इलायची के बागानों में गर्मी के महीनों के दौरान अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेत तालाबों, कुओं, वर्षा जल संचयन संरचनाओं, सिंचाई उपकरणों की स्थापना और सिंचाई संरचनाओं के निर्माण और सिंचाई उपकरणों एवं सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना जल संसाधनों को बढ़ाकर इलायची बागानों में सिंचाई को बढ़ावा देना है। बोर्ड यह कार्यक्रम केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में लागू कर रहा है।

i) जल भण्डारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जो 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भू स्वामित्व वाले हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कार्यक्रम के तहत लाभ को अधिक उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता केवल एक निर्माण यानी खेत तालाब/कुआँ/भंडारण टैंक तक सीमित है। कार्यक्रम के तहत अधिकतम सहायता प्राप्त

करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 घन मीटर होनी चाहिए। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 30,000 और अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 45,000 जो भी कम हो दी जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 23.67 लाख की वित्तीय सहायता से 78 जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिससे 78 किसानों (महिलाः 24, ट्रांसजेंडरः 0 एससीः 1, एसटीः 0) को लाभ हुआ।

ii) वर्षा जल संचयन संरचनाएं

पंजीकृत इलायची कृषक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले यह लाभ प्राप्त कर लिया है, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत के 33.33 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता, जो ₹18,000 तक सीमित है, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत के 75 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता, जो ₹40,000 तक सीमित है, जो भी कम हो, 200 घन मीटर क्षमता वाले टैंक के निर्माण हेतु प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 53 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिससे 53 किसानों (महिलाः 16, ट्रांसजेंडरः 0, एससीः 1, एसटी 0) को ₹ 8.55 लाख की वित्तीय सहायता से लाभ हुआ।

iii) सिंचाई पंप सेट

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। सामान्य वर्ग के लिए दी जाने वाली सहायता राशि वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 30,000 जो भी कम हो, है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, जो ₹ 45,000 तक सीमित है, है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 67 सिंचाई उपकरण स्थापित किए गए, जिससे 67 किसानों (महिला 21 ट्रांसजेंडर 0 एससी:2, एसटी.0) को ₹ 16.98 लाख की वित्तीय सहायता से लाभ हुआ।

iv) सूक्ष्म सिंचाई / स्प्रिंकलर / आईसीटी सक्षम सिंचाई उपकरण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। सामान्य वर्ग के लिए दी जाने वाली सहायता राशि वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 63,000 जो भी कम हो, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 95,000 जो भी कम हो।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 22 स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए गए, जिससे 22 किसानों (महिलाः 7 ट्रांसजेंडरः 0 एससीः 0, एसटीः 0) को ₹12.36 लाख की वित्तीय सहायता से लाभ हुआ।

4) इलायची (छोटी) के लिए मौसम आधारित बीमा

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटी इलायची उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं, जैसे कम या ज़्यादा बारिश, गर्मी (तापमान), सापेक्ष आर्द्रता आदि से बचाना है, जो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटी इलायची के पंजीकृत इलायची उत्पादक इस कार्यक्रम में नामांकन के पात्र हैं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (AIC), स्पाइसेस बोर्ड के तत्वावधान में इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस कार्यक्रम में प्रीमियम का 75 प्रतिशत स्पाइसेस बोर्ड द्वारा और 25 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बोर्ड अधिकतम ₹ 16,040/हेक्टेयर (जीएसटी सहित) की सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 670 किसानों को कार्यक्रम के तहत नामांकित किया गया, जिसमें 370 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, जिसमें बोर्ड के हिस्से के रूप में ₹ 62.22 लाख की वित्तीय सहायता शामिल है (महिला:135)

ख) इलायची (बड़ी) की उत्पादकता में विकास

बड़ी इलायची मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के उ-हिमालयी इलाकों में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में वर्ष 2024-25 के दौरान बड़ी इलायची का कुल क्षेत्रफल

26,617 हेक्टेयर और अनुमानित उत्पादन 6,518 मीट्रिक टन था। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में वर्ष 2024-25 में बड़ी इलायची उगाने वाला कुल क्षेत्रफल 19,399 हेक्टेयर और उत्पाद 3,033 मीट्रिक टन था। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की अनुपलब्धता, जीर्ण, पुराने और अलाभकारी पौधों की उपस्थिति और झुलसा रोग की घटनाएँ बड़ी इलायची उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड बड़ी इलायची के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रहा है।

1) पुनःरोपण/नया रोपण

बड़ी इलायची समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाई जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादकों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित तरीके से पुनःरोपण अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अधिक निवेश की आवश्यकता के कारण इलायची किसानों के लिए पुनः रोपण/नए रोपण की लागत को पूरा कर पाना मुश्किल होता है। यह कार्यक्रम गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में नए रोपण और पारंपरिक क्षेत्रों में पुनर्रोपण के साथ-साथ कार्यक्रम की अवधि (प्रथम और द्वितीय वर्ष) के दौरान रखरखाव की लागत के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 33.33 प्रतिशत और एससी और एसटी वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसे अधिकतम क्रमशः ₹ 33,600 और ₹ 75,000 प्रति हेक्टेयर की दर से, दो समान वार्षिक किश्तों में भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 771.18 हेक्टेयर बड़ी इलायची की पुनःरोपण/नवरोपण के लिए ₹ 265.36 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (जिसमें वर्ष 2024-25 के दौरान 411.45 हेक्टेयर पुनःरोपण की पहली किस्त के लिए ₹137.75 लाख, वर्ष 2023-24 के दौरान 359.73 हेक्टेयर पुनःरोपण की दूसरी किस्त के लिए ₹127.61 लाख और वर्ष 2023-24 के बैकलॉग मामले शामिल हैं), जिससे 3472 उत्पादक (महिला:868, ट्रांसजेंडरः 0, एससी:9, एसटी:2,985) लाभान्वित हुए।

2) प्रमाणित नर्सरियों के माध्यम से रोपण सामग्री का उत्पादन

बड़ी इलायची की खेती में उच्च उपज देने वाली और रोगमुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। आगामी मौसम के लिए रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री तैयार करने हेतु, किसान को अपने खेत में इलायची के पौधे उगाने के लिए प्रेरित किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत ₹ 97.27 लाख की वित्तीय सहायता से 604 लाभार्थी किसानों (महिला:184, ट्रांसजेंडर:0, एससी:3, एसटी:422) को कवर करते हुए 342.41 इकाइयां (यानी, 17,12,050 रोपण सामग्रियां) स्थापित की गईं।

3) जल स्रोतों का विकास और सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना

बड़ी इलायची मुख्यतः वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है। जलवायु की अनियमितताएं उत्पादन को अक्सर प्रभावित करती हैं। नवंबर से मार्च तक के लंबे शुष्क दौर में भीषण सर्दी भी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप फसल का विकास धीमा हो जाता है और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल संसाधनों को बढ़ाने के साथ-साथ बड़ी इलायची के बागान में सिंचाई उपकरण स्थापित करने के लिए, ताकी सर्दियों के महीनों में लंबें समय तक सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई की जा सके और उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हो सके, बोर्ड यह कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू कर रहा है।

(i) जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण

0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक भू स्वामित्व वाले पंजीकृत इलायची उत्पादक कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कार्यक्रम के तहत लाभ को अधिक उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता केवल एक निर्माण यानी खेत तालाब/कुआँ/भंडारण टैंक तक सीमित है। कार्यक्रम के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 घन मीटर होनी चाहिए। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 30,000 और अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 45,000 जो भी कम हो, दी जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत ₹ 3.15 लाख की वित्तीय सहायता से आठ लाभार्थी किसानों (महिला:3, ट्रांसजेंडर:0, एससी:0, एसटी:8) को कवर करते हुए आठ जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया।

(ii) वर्षा जल संचयन संरचनाएं

बड़ी इलायची की खेती में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए गर्मी के महीनों में सिंचाई बहुत आवश्यक है। सिंचाई के उद्देश्य के लिए वर्षा जल का संचयन (प्रत्यक्ष वर्षा और सतही अपवाह दोनों) इलायची उत्पादकों के बीच इसकी कम लागत और सुविधा की वजह से लोकप्रिय हो रहा है। पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि है, वे इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। सहायता एचडीपीई शीट (120 जीएसएम) के साथ 200 घन मीटर क्षमता की संरचना के लिए होगी। कम क्षमता के लिए सहायता जल संचयन क्षमता के अनुपात में सीमित होगी। कोई भी किसान जिसने पहले यह लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता निर्माण की लागत का 33.33 प्रतिशत है ₹ 18,000 तक सीमित और अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत ₹ 40,000 तक सीमित, जो भी कम हो, की दर से प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत 16 लाभार्थी किसानों (महिला 6, ट्रांसजेंडर 0, एससी: 0, एसटी: 12) को ₹ 5.52 लाख की वित्तीय सहायता के साथ 16 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया।

(iii) सिंचाई उपकरण (आईसीटी सक्षम सिंचाई उपकरण सहित)

सिंचाई उपकरणों के उपयोग से उत्पादकों को बिना अधिक बर्बादी के बेहतर तरीके से सिंचाई करने में मदद मिलती है और सिंचाई के लिए सिंचाई पंप सेट और होज़ पाइप लगाने में उत्पादकों की सहायता करने का प्रस्ताव है। पंजीकृत इलायची उत्पादक 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि वाले "सिंचाई उपकरण" कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक उत्पादकों को लाभ पहुँचाने के लिए, एक व्यक्ति को दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल एक इकाई तक ही सीमित है। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत है, जो सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम ₹ 15,000 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत है, जो अधिकतम ₹ 22,500 तक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 36 सिंचाई पंप सेट स्थापित किए गए, जिससे 36 (महिला: 11, ट्रांसजेंडर: 0 अनुसूचित जाति: 0, अनुसूचित जनजाति: 28) किसानों को ₹ 6.70 लाख की वित्तीय सहायता मिली।

आ) मसालों की कटाई उपरांत गुणवत्ता उन्नयन

(क) चिन्हित क्लस्टरों में समूहों द्वारा कटाई के बाद सुधार के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित मसालों का मिशन

इस घटक के अंतर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य निर्यात योग्य अधिशेष उत्पन्न करने हेतु केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से देश से मसालों के निर्यात को बढ़ाना है, जिससे आयातक देशों की गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी विशिष्टताओं को पूरा किया जा सके। मसालों में भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवी संदूषक भारतीय मसालों की गुणवत्ता अनुपालन को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका समाधान फसल-पश्चात गुणवत्ता उन्नयन हेतु बेहतर तकनीकों सहित उत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाकर किया जा सकता है। साथ ही, श्रमिकों की कमी की समस्या के समाधान हेतु कृषि गतिविधियों के मशीनीकरण का प्रस्ताव है। फसल-पश्चात प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से मसाला ईपीक्यूएस/किसान समूहों को उद्यमी बनने हेतु सुसज्जित और सतत बनाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी कार्यक्रम

स्पाइसेस बोर्ड ने केसर के विकास, विपणन, गुणवत्ता, निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (SPEDA) की स्थापना की। SPEDA की सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव और जम्मू और कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने SPEDA के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए हैं। गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्रेता-विक्रेता बैठकें जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान जीआई केसर मेला सह जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया और जीआई केसर के प्रचार के लिए ₹ 1.64 लाख की राशि का उपयोग किया।

(2) गुणवत्ता अंतर ब्रिजिंग समूह (क्यूजीबीजी)

कटाई-पश्चात प्रबंधन मसालों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है और निर्यात योग्य अधिशेष प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेत स्तर पर बेहतर कटाई-पश्चात प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने से गुणवत्तापूर्ण मसाले उपलब्ध कराने में मदद मिलती है, जिससे भारत से मसालों के निर्यात में वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित समूहों को सहयोग प्रदान करके मसाला उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और पता लगाने योग्य मसालों का उत्पादन करने में सक्षम बनाना है।

(i) कटाई उपरांत की मशीन/उपकरण बैंक

प्रमुख मसाला उत्पादक समूहों में पंजीकृत मसाला उत्पादक समूह, जिनका निर्यातकों के साथ अग्रिम बाज़ार संपर्क है, फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम के प्रत्येक उप-घटक के अंतर्गत मसाला उत्पादक समूहों के सदस्यों के बीच उपयोग हेतु दो मशीनें/उपकरण स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यातकों के साथ समूहों का संपर्क विकसित करना है। समूहों को निर्यात के लिए मसालों की आपूर्ति हेतु निर्यातकों के साथ बाज़ार संपर्क व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मसाला उत्पादक समूह को कटाई उपरांत मशीन/उपकरण बैंक की स्थापना के लिए अधिकतम ₹ 23.5 लाख की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें बीजीय मसाला थ्रेशर के लिए ₹ 1,35,000 की दर से सहायता, काली मिर्च थ्रेशर के लिए ₹ 34,000 की दर से सहायता, हल्दी बॉयलर के लिए ₹ 3,38,000 की दर से सहायता, मसाला पॉलिशर के लिए ₹ 1,70,000 की दर से सहायता, पुदीना आसवन इकाइयाँ के लिए ₹ 3,38,000 की दर से सहायता, पत्ती/शाकीय मसाला आसवन इकाइयों के लिए ₹ 6,30,000 की दर से सहायता, ₹ 80,000/- की दर से मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर, अधिकतम ₹ 95,000/- की दर से मसाला धुलाई उपकरण, ₹ 16,000/- की दर से मसाला स्लाइसिंग मशीनें, ₹ 1,50,000/- की दर से मसालों के लिए नवीनतम कटाई-पश्चात उपकरण (इमली डी-सीडर, लहसुन ग्रेडर, आदि), ₹ 90,000/- की दर से मसाला डिबुलर, ₹ 67,500/- मसाले सुखाने वाले स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर सतहों (सिलपॉलिन/तिरपालिन) पर ₹ 4000/- की दर से, निर्यात हेतु एकत्रीकरण हेतु मसालों का बुनियादी गुणवत्ता परीक्षण ₹ 18,000/- की दर से तथा ईपीओ के लिए सुखाने वाले प्लेटफार्म, तथा ₹ 1,00,000/- की दर से बाजार यार्ड शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, मसाला क्षेत्र के 42 किसान समूहों को विभिन्न कटाई-पश्चात मशीनें स्थापित करने के लिए ₹ 236.32 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 16,186 किसान लाभान्वित हुए।

(ii) दूरदराज के क्षेत्रों/पूर्वोत्तर क्षेत्र/दरकिनार किए समुदायों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रमुख निर्यात/उत्पादन केंद्र के किसानों के लिए कटाई उपरांत मशीनरी

1) बीजीय मसाला थ्रेशर

कुछ बीज मसाला उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली कटाई और कटाई उपरांत की प्रथाएं अस्वास्थ्यकर हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद डंठल, धूल, रेत, तने के टुकड़े आदि जैसे बाहरी पदार्थों से दूषित हो जाते हैं। काटे गए और सूखे पौधों को बांस की छडियों से पीटकर, पौधों को हाथ से रगड़ कर बीज को अलग किया जाता है। सूखे पौधों से बीज अलग करने और साफ मसालों का उत्पादन करने के लिए, बोर्ड थ्रेशर के उपयोग को लोकप्रिय बनाना चाहता है जो मैन्युअल रूप से या बिजली का उपयोग करके संचालित होते हैं। 0.04 हेक्टर तक की भूमि वाले उत्पादक इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र है।

बोर्ड थ्रेशर की लागत के लिए सामान्य को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों केलिए 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान कर रहा है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमश ₹ 75,000 और ₹ 1,12,000 है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, किसानों के खेतों में 66 बिजली संचालित थ्रेशर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान किया गया और कुल ₹ 53.20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 66 कृषक (महिला:18, ट्रांसजेंडर:0, एससी:4, एसटी:6) लाभान्वित हुए।

2) काली मिर्च थ्रेशर

कार्यक्रम का उद्देश्य काली मिर्च उत्पादकों को निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली काली मिर्च का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए काली मिर्च की फलियों को बाली से स्वच्छतापूर्वक अलग करने के लिए काली मिर्च थ्रेशर की

स्थापना को बढ़ावा दिया है। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को थ्रेशर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 19,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 28,000 है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 93.99 लाख की कुल वित्तीय सहायता के साथ 492 थ्रेसर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे 492 उत्पादकों (महिला:172, ट्रांसजेंडरः 0, एससी:17, एसटी:107) को लाभ हुआ।

3) हल्दी बॉयलर

कार्यक्रम का उद्देश्य भाप से उबालने वाली इकाइयों का उपयोग करके हल्दी प्रसंस्करण के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में हल्दी उत्पादकों की सहायता करना है। यह अंतिम उत्पाद को बेहतर रंग और गुणवत्ता प्रदान करता है। स्पाइसेस बोर्ड निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली हल्दी के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर हल्दी को उबालने वाली इकाई के उपयोग को उत्पादकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। इस कार्यक्रम के तहत उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत के मद में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या सामान्य वर्ग और पूर्वोत्तर/अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए क्रमशः ₹ 1,88,000 और ₹ 2,82,000 जो भी कम हो, वह होती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 183.31 लाख की वित्तीय सहायता से हल्दी को भाप से उबालने वाली कुल 84 इकाइयों की स्थापना की गई, जिससे 84 उत्पादकों (महिला: 30, ट्रांसजेंडरः 0, एससी: 20, एसटी:14) को लाभ प्राप्त हुआ।

4) मसाला पॉलिशर

कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला उत्पादकों, विशेष रूप से हल्दी और छोटी इलायची उत्पादकों, उत्पादकों के समूह, मसाला उत्पादक समितियों/मसाला किसान उत्पादक कंपनी इत्यादि को, मसालों की पॉलिशिंग को अपनाने के लिए प्रेरित करना और इसमें उनको सहायता देना है। इसके लिए उन्हें रियायती दरों पर बेहतर पॉलिशर्स की आपूर्ति करके निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाले मसालों का उत्पादन करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत बॉयलर इकाई की वास्तविक लागत के मद में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या सामान्य वर्ग और पूर्वोत्तर/अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए क्रमशः ₹ 94,000 और ₹ 140,000 जो भी कम हो, वह होती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 125.35 लाख की वित्तीय सहायता से 153 मसाला पॉलिशिंग इकाइयाँ (इलायची पॉलिशर व हल्दी पॉलिशर) इकाइयों की स्थापना केलिए सहायता प्रदान की गई, जिससे 153 उत्पादकों (महिला:38, ट्रांसजेंडर:0, एससी:18, एसटी:24) को लाभ प्राप्त हुआ।

5) पुदीना आसवन इकाई

कार्यक्रम का उद्देश्य पुदीना उत्पादकों को अपने खेतों में स्टेनलेस स्टील से सुसज्जित आधुनिक आसवन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है ताकि आसवन इकाई की दक्षता में सुधार के साथ-साथ निर्यात के लिए तेल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को आसवन इकाई की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 1,88,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 2,82,000/- है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल ₹ 16.91 लाख की वित्तीय सहायता से आठ आसवन इकाइयां स्थापित की गईं, जिससे आठ उत्पादकों(महिला:2, ट्रांसजेंडर:0, एससी:2, एसटी:0) को लाभ हुआ।

6) मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर को लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 44,000 प्रति इकाई और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को इकाई की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 66,000 प्रति इकाई सहायता प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 46.60 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 153 मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर इकाइयों को स्थापित किया गया, जिससे 153 उत्पादकों (महिला: 33, ट्रांसजेंडरः 0, एससी: 6, एसटी: 35) को लाभ प्राप्त हुआ।

7) मसाला वाशिंग मशीन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला वाशिंग मशीन को

लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 53,000 प्रति इकाई और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को इकाई की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 79,500 प्रति इकाई सहायता क्रमशः प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 21.28 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 39 मसाला वाशिंग मशीनों की स्थापना की गई, जिससे 39 उत्पादकों (महिला:14, ट्रांसजेंडर:0, एससी:0, एसटी:3) को लाभ प्राप्त हुआ।

8) मसाला स्लाइसिंग मशीन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरल स्लाइसिंग मशीनों का उपयोग करके सुखाने से पहले अदरक/हल्दी की स्लाइसिंग अपनाने के लिए उत्पादकों को प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम क्रमशः सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम ₹ 9,000 प्रति यूनिट हो और पूर्वोत्तर / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 75 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम ₹ 13,000 प्रति यूनिट सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 1.30 लाख की वित्तीय सहायता के साथ एक मसाला स्लाइसिंग मशीन स्थापित की गई थी। जिससे 10 उत्पादकों (महिला:4, ट्रांसजेंडर:0, एससी:0, एसटी :9) को लाभ प्राप्त हुआ।

9) मसाला ड्रायर

कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादकों के बीच यांत्रिक ड्रायरों को लोकप्रिय बनाना है ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाले जायफल, जावित्री, लौंग आदि का उत्पादन कर सकें। कार्यक्रम में ड्रायर की लागत के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाती है, जो वित्तीय सहायता के रूप में क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 37,500 और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए ₹ 56,250 तक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 75.13 लाख की वित्तीय सहायता के साथ 320 मसाला ड्रायर स्थापित करने के लिए सहायता दी गई, जिससे 320 उत्पादकों (महिला 112, ट्रांसजेंडर 0, एससी: 0 एसटीडी:0) को लाभ हुआ।

(iii) एफपीओ/क्यूजीबीजी स्तर प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन

कार्यक्रम का उद्देश्य पहचाने गए क्लस्टरों में समूहों या एफपीओएस द्वारा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है ताकि निर्यात योग्य अधिशेष उत्पन्न किया जा सके। मसालों के प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन हेतु इकाई(यों) की स्थापना में एफपीओ को सहायता प्रदान की जाती है, ताकि निर्यात योग्य अधिशेष उत्पन्न किया जा सके और आगे एकीकरण को सुगम बनाया जा सके। लघु-स्तरीय प्राथमिक प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन इकाइयों की स्थापना लागत के 90 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 15 लाख/इकाई है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में दो एफपीओ को ₹ 15.73 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 405 उत्पादक लाभान्वित हुए।

(3) छोटी इलायची के लिए उन्नत उपचार उपकरण

कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादकों को इलायची सुखाने के लिए उन्नत उपचार उपकरण अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का उत्पादन किया जा सके। कार्यक्रम सामान्य वर्ग के लिए 33.33 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 150,000) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 3,37,500/समूहों/एफपीओ के लिए 90 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 4,00,000) की सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 34.48 लाख की कुल वित्तीय सहायता से 29 उन्नत इलायची उपचार उपकरण स्थापित किए गए, जिससे 29 उत्पादकों (महिला 12, ट्रांसजेंडर 0, एससी: 0 एसटी: 0) को लाभ हुआ।

(4) बड़ी इलायची ड्रायर (सावो ड्रायर/संशोधित भट्टी/ स्वीकृत समकक्ष ड्रायर)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषक समुदाय को बड़ी इलायची की गुणवत्ता में सुधार हेतु वैज्ञानिक उपचार विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों के लिए 75 प्रतिशत और समूहों/कृषि उत्पादक संगठनों /एफपीओ के लिए 90 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा सहित वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो इस प्रकार है:

क) व्यक्तिगत उत्पादक: बड़ी इलायची उत्पादकों जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 0.40 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल है उनके लिए 200 किलोग्राम क्षमता वाली भट्टी या एकल द्वार वाली आरा मशीन/समतुल्य ड्रायर सहायता ₹ 30,000 है और 0.4 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इलायची उत्पादकों के लिए 400 किलोग्राम क्षमता वाली भट्टी या दोहरे द्वार वाली आरा मशीन/समतुल्य ड्रायर सहायता ₹ 45,000 है।

ख) समूह/एफपीओएस: 200 किलोग्राम क्षमता वाली भट्टी या सिंगल डोर सॉ/समतुल्य ड्रायर के लिए सहायता

₹ 36,000 है और 400 किलोग्राम क्षमता वाली भट्टी या डबल डोर सॉ/समतुल्य ड्रायर के लिए सहायता ₹ 54,000 है।.

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 12 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 40 संशोधित भट्टी इकाइयों/सावो ड्रायर का निर्माण किया गया, जिससे 40 उत्पादकों (महिला 10, ट्रांसजेंडर:0 एससी:0 एसटी:27) को लाभ हुआ।

(5) मसाला संवर्धन के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए समावेशी विकास

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को मसाला खेती के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित करना तथा उन्हें प्राथमिक विक्रेता से उद्यमी बनाना है, जिससे समुदाय का उत्थान हो सके।

(i) आईसीएआर संस्थानों/एसएयूएस/केवीके एस/ आईसीआरआई/समान के माध्यम से क्षमता निर्माण

कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषि/किसानों के इच्छुक युवाओं को सशक्त बनाना, खेती/उद्यमिता में उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करना और समुदाय के बीच मास्टर प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार करना है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, पांच राज्यों में विभिन्न आईसीएआर संस्थानों/केवीके में छह प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिससे 183 उत्पादकों (महिला: 55, ट्रांसजेंडर: 0, एससी: 8, एसटी: 170) को लाभ हुआ। इस पर ₹ 10.19 लाख रुपये खर्च हुए।

(6) जिएल टैग वाले और अन्य मसालों के निर्यात योग्य अधिशेष को बढ़ावा देना

इस घटक का उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, ऐसे मसालों की खेती के लिए उपयुक्त विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों में, आंतरिक गुणों वाले विभिन्न मसालों और जीएल टैग वाले मसालों जैसे, लाकाडोंग हल्दी, नागा मिर्च, हथेई मिर्च, मिजो मिर्च, मिजो अदरक दल्ले खुरसानी आदि की खेती के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादकों को प्रदर्शित करना और प्रेरित करना है। 0.10 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोतने वाला व्यक्तिगत पंजीकृत उत्पादक आवेदन करने के लिए पात्र है। सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के तहत न्यूनतम रोपण क्षेत्र एक सतत ब्लॉक में 0.10 हेक्टेयर है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर पात्र है, जो प्रति वर्ष 2 हेक्टेयर तक सीमित है। रोपण सामग्री की लागत के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अधिकतम ₹ 25,000 प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों के 680 किसानों को 266.6 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए ₹ 60.73 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (महिला: 204, ट्रांसजेंडर: 0, एससी :22, एसटी :484)

(ख) जैविक, इंडगैप, प्राकृतिक खेती आदि जैसी टिकाऊ उत्पादन एवं प्रमाणन प्रणालियों को बढ़ावा देना।

1) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (समूह)

स्पाइसेस बोर्ड उत्पादक समूह प्रमाणन स्थापित करने के लिए किसान समूहों/एफपीओ को समर्थन देकर मसाला क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। जैविक खेती अपनाने के इच्छुक किसानों को जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) की स्थापना उत्पादक समूह प्रमाणन (अम्ब्रोला प्रमाणन) के लिए एक पूर्व-अपेक्षा है, ताकि इन किसानों को समूह गठन, जैविक विनियमन, प्रमाणन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, दस्तावेज़ीकरण, आंतरिक निरीक्षण आदि के बारे में तैयार किया जा सके। बोर्ड जैविक प्रमाणीकरण और उपज के एकत्रीकरण के लिए आईसीएस स्थापित करने के लिए उत्पादक समूहों/एफपीओ आदि को समर्थन देने का प्रस्ताव करता है। एक समूह/एफपीओ निधि की उपलब्धता के अनुसार लगातार तीन वर्षों तक या चरणों में वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। जैविक मसाले पैदा करने वाले समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण की लागत का 50 प्रतिशत (जो एनईआर समूहों के अलावा अन्य के लिए अधिकतम ₹ 1,12,000 तक है) और एनईआर समूहों के लिए 75 प्रतिशत (जो अधिकतम ₹ 1,68,000 तक है) की सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान एक किसान समूह को ₹ 2.49 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(2) जैविक समूह प्रमाणीकरण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मसाला उत्पादक समूहों/एफपीओ को जैविक मसाला फार्मों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत सहायता (अधिकतम ₹ 1,50,000) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूहों के लिए 90 प्रतिशत सहायता (अधिकतम ₹ 2,70,000) प्रदान करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान तीन किसान समूहों को ₹ 2.03 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(3) इंडगैप और उत्पादन में अन्य सतत प्रमाणन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसान समूहों/एफपीओ/एफपीसी/ मसाला उत्पादक समितियों को मसाला फार्मों के लिए इंडगैप समूह प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है ताकि जीएपी मसालों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्यक्रम प्रमाणन की लागत का 90 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 1,12,500 प्रति समूह, सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान पाँच किसान समूहों को प्रमाणन सहायता हेतु ₹ 8.05 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(4) खेतों पर खाद का उत्पादन

कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को खेत में ही वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ/ कोई भी कृषि कम्पोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु गुणवत्तापूर्ण वर्मीकम्पोस्ट/कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा सके। इस कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत और समूह/एफपीओ के लिए 90 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा (सामान्य श्रेणी = ₹ 10,000 पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ₹ 15,000, एफपीओ/एसएचजीएस/एफआईजीएस/मसाला समितियाँ = ₹ 18,000) है।

वर्ष 2024-25 के दौरान 247 किसानों को ₹ 33.68 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (महिला :74, ट्रांसजेंडर :0, एससी :9, एसटी :139)

(5) आईपीएम/जीएपी और सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर एफपीओ के लिए देखभाल और इलाज केंद्र

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आईपीएम/जीएपी और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए देखभाल और इलाज केंद्र की स्थापना की लागत और अधिकृत स्रोतों से प्राप्त इनपुट के लिए एफपीओ/ एफपीसी का समर्थन करना है। एफपीओएस/एफपीसीएस द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आधार पर अधिकतम सहायता ₹ 2,00,000 तक सीमित है। वर्ष 2024-25 तक ईआरओएस को ₹ 8.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इ) विस्तार सलाहकार सेवा

मसालों के उत्पादन और कटाई उपरांत सुधार से संबंधित तकनीकी जानकारी का किसानों को हस्तांतरण के बारे में प्रशिक्षण, मसालों की उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत संपर्क, क्षेत्र दौरे, समूह बैठकों और साहित्य के वितरण के माध्यम से छोटी इलायची (केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में) और बड़ी इलायची (सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में) के लिए खेती और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में किसानों को तकनीकी/विस्तार सहायता की परिकल्पना की गई है।

विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा, छोटी एवं बड़ी इलायची के उत्पादन एवं फसलोत्तर सुधार के कार्यक्रम तथा बोर्ड के फसलोत्तर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विस्तार नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों में एवं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए और अन्य मसालों के लिए संबंधित उत्पादक क्षेत्रों में कुल 14,945 विस्तार दौरे और 2788 समूह बैठकें/ अभियान आयोजित किए गए। वर्ष 2024-25 के दौरान, विस्तार सलाहकार सेवा के तहत कुल व्यय ₹ 114.53 लाख था।

इस कार्यक्रन में मसाला विस्तार प्रशिक्षुओं (एसईटी) और युवा पेशेवरों को समेकित मासिक वजीफा देकर क्षेत्रीय विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त करने की परिकल्पना की गई है।

ई) क्षमता निर्माण कार्यक्रम

(क) मसालों की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यूआईटीपी)

स्पाइसेस बोर्ड नियमित रूप से किसानों, राज्य कृषि/बागवानी विभागों के अधिकारियों, व्यापारियों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों आदि के लिए गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि उन्हें कटाई से पहले और बाद में वैज्ञानिक तरीकों और भंडारण प्रौद्योगिकियों तथा प्रमुख मसालों के लिए अद्यतन गुणवत्ता आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित किया जा सके।

2024-25 के दौरान 215 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कुल 12,762 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया, जिस पर कुल ₹ 22.32 लाख खर्च हुए (महिला: 3434, ट्रांसजेंडर :0, एससी: 621, एसटी : 4814)

(ख) स्वच्छ एवं सुरक्षित मसालों पर अभियान

'स्वच्छ और सुरक्षित मसालों' पर 25 फरवरी 2025 को एक अभियान चलाया गया, जो बोर्ड के 38वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह अभियान मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और निर्यात के विभिन्न चरणों में जोखिमों, सुधारात्मक कार्रवाइयों और अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में हितधारकों को जागरूक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सभी हितधारकों और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए यह अभियान पूरे देश में चलाया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान 13 राज्यों में आयोजित 14 अभियानों के तहत कुल ₹ 1.68 लाख (महिला: 193, ट्रांसजेंडर :0, एससी :70, एसटी: 124) के व्यय से कुल 735 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) अध्ययन दौरे

उत्तराखंड के बड़ी इलायची किसानों के लिए बोर्ड द्वारा एक अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया। अध्ययन यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से कुल 153 किसानों को ₹ 2.65 लाख की वित्तीय सहायता से लाभान्वित किया गया।

(घ) हल्दी के लिए विशेष कार्यक्रम

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने 12 राज्यों में 17 स्थानों पर किसानों और एफपीओ सदस्यों के लिए हल्दी के जीएपी और जीएचपी पर 17 विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम और तीन प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में हल्दी के लिए तीन खाद्य सुरक्षा और बाजार संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिन पर ₹ 57.25 लाख का व्यय हुआ है और 1,879 हितधारकों को लाभ हुआ है।

i. हल्दी पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम1108 (महिला: 327, एससी :120, एसटी :471)

ii. मार्केट लिंकेज कार्यक्रम 771 (महिला :244, ट्रांसजेंडर :0 एससी :36 एसटी: 171)

उ) बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं

क) क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और बाजार पहुंच में सुधार करना

मसालों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) समस्याओं का समाधान करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने वर्ष 2014 में, मानकों और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत एक संगठन, जो विकासशील देशों को उनके मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच हासिल करने या बनाए रखने की क्षमता में सुधार करने के साधन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों को लागू करने की क्षमता बनाने में सहायता करता है) के लिए, "क्षमता निर्माण और नवीन हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और बाजार पहुंच में सुधार" शीर्षक से एक परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

इस परियोजना को अक्तूबर 2018 में एसटीडीएफ द्वारा अनुमोदित किया गया था। एफएओ इंडिया इस परियोजना के कार्यान्वयन में भागीदार और बजट धारक है और परियोजना के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। स्पाइसेस बोर्ड इस परियोजना का स्थानीय भागीदार है और सभी स्थानीय गतिविधियों का कार्यान्वयन और उनका समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाता है।

परियोजना के समग्र उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले मसालों का भारत से विदेशी बाज़ार में निर्यात का विस्तार करने के लिए मसाला मूल्य श्रृंखला में शामिल हितधारकों की क्षमता निर्माण।
- छोटे पैमाने के किसानों की आय बढ़ाना, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों को सशक्त बनाना
- गरीबी कम करने के प्रयासों का समर्थन करना (एसडीजी 1/0 और भूख (एसडीजी 2))

  यह परियोजना चार राज्यों के 12 गांवों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें चार मसालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है अर्थात;
- गुजरात और राजस्थान में (प्रत्येक राज्य के चार गांवों में लागू) में जीरा और सौंफ
- मध्य प्रदेश में (दो गांवों में) धनिया
- आंध्र प्रदेश में (दो गांवों में) काली मिर्च

यह परियोजना 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित एक आरंभिक कार्यशाला के साथ शुरू हुई थी। परियोजना के चार चरण में सितंबर 2024 तक पूरी हो गई। तीसरे चरण के दौरान आयोजित गतिविधियों में शामिल हैं:

- परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्रों से चयनित किसानों/एफपीओ के लिए पास के जिलों और राज्यों में उद्योगों/प्रसंस्करण सुविधाओं/मसाला पार्कों के लिए चार क्षेत्रीय दौरे आयोजित किए गए, जिससे 61 उत्पादकों (महिला: 4.एससी:2. एसटी: 10) को लाभ हुआ।

- गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में मसाला निर्यातकों और ईपीओएस के बीच व्यवस्था स्थापित करने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओएस) और निर्यातकों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- चार परियोजना स्थलों पर फसलोपरांत संचालन में जीएपी और जीएचपी पर प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 636 उत्पादकों (महिला: 55, एससी: 3, एसटी :124) को लाभ मिला।
- स्पाइसेस बोर्ड की सूचीबद्ध प्रयोगशाला के माध्यम से 144 मसाला नमूने एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण किया गया।
- परियोजना कार्यान्वयन राज्यों में चार एफपीओएस को इंडगैप प्रमाणन के तहत प्रमाणित किया गया

ख) त्रिपुरा के लिए काली मिर्च के उत्पादन और कटाई उपरांत प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना

त्रिपुरा के लिए काली मिर्च के उत्पादन और कटाई उपरांत प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान काली मिर्च किसानों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का आयोजन त्रिपुरा सरकार की वित्तीय सहायता से मसाला बोर्ड द्वारा किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कुल 492 कर्मियों को (महिला: 105; एससी: 79; एसटी: 247) ₹ 4.00 लाख के कुल व्यय पर प्रशिक्षित किया गया।

05

निर्यात विकास और संवर्धन

स्पाइसेस बोर्ड को मसालों (53 अनुसूचित मसालों और उनके उत्पादों) के निर्यात संवर्धन, इलायची (छोटी एवं बड़ी) के उत्पादन, अनुसंधान, विकास एवं घरेलू विपणन तथा निर्यात हेतु मसालों के गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रमाणन का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र योजना - "निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (SPICED)" के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहा है।

भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने ₹ 39,994.48 करोड़ (4,722.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 17,99,267 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 14,899.67 करोड़ (2432.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 8,93,920 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था, जो मात्रा में 101 प्रतिशत, रुपये के मूल्य के संदर्भ में 168 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य के संदर्भ में 94 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2014-15 से मसालों के निर्यात में मात्रा में सात प्रतिशत, मूल्य (भारतीय रुपये) में दस प्रतिशत और मूल्य (अमेरिकी डॉलर) में सात प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है।

जम्मू और कश्मीर में केसर मूल्य श्रृंखला में शामिल एफपीओ/एफपीसी हितधारकों के साथ वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने केसर पार्क का दौरा किया जहाँ केसर की कटाई के बाद की प्रसंस्करण का प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने कोच्ची, केरल स्थित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के मुख्यालय में 21 फरवरी 2025 को आयोजित एक बैठक में मसाला क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत की। बैठक में मसाला क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। बातचीत के प्रमुख क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित कालीमिर्च की निगरानी को मजबूत करना, मूल्यवर्धित प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना और जैविक मसाला निर्यात का विस्तार करना शामिल रहा। बैठक के दौरान अन्य बागान फसलों के साथ संभावित मसालों की अंतर-फसल, गुणवत्ता मूल्यांतन प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, आयातक देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित कड़े खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों और पूर्वोत्तर भारत में शाकीय मसालों की खेती पर भी चर्चा की गई।

'बाज़ार विस्तार के लिए क्षमता बढ़ाना', 'व्यापार संवर्धन' और 'तकनीकी हस्तक्षेप' घटकों के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा निर्यात संवर्धन हेतु बुनियादी ढाँचे के विकास में निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है, ताकि ऐसे प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित मसालों का निर्यात बढ़ाया जा सके जो आयातक देशों के उभरते खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और प्रक्रिया उन्नयन को प्रोत्साहित करने के अलावा, बोर्ड मसालों की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उपर्युक्त घटकों के अंतर्गत ज़ोर देने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, मिशन मूल्य संवर्धन, व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, प्रमुख मसाला उत्पादक/विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण (मसाला पार्क) के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना, जैविक मसालों/जीआई मसालों को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि।

क. बाजार विस्तार के लिए क्षमता बढ़ाना

अ) मिशन मूल्य संवर्धन:

1. मसालों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी और अवसंरचनात्मक हस्तक्षेप (टीआईआईपीएस)

कार्यक्रम का उद्देश्य मसालों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए सुविधाएं स्थापित करने, मसाला प्रसंस्करण

में उच्च तकनीक बुनियादी ढांचे को अपनाने, प्रक्रिया उन्नयन के लिए तकनीकी हस्तक्षेप करने आदि के लिए निर्यातकों को समर्थन देना है। कार्यक्रम के तहत, उच्च मूल्य संवर्धन खंडों जैसे मसाला अर्क, मसाला आधारित सीजनिंग, तेल और तैलीराल, करी पाउडर/मिश्रणों के साथ-साथ अन्य उत्पाद खंड में लगी इकाइयों, जहां भारत के पास अपने वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की क्षमता है, को समर्थन दिया जाता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्य संवर्धन के अन्य रूपों जैसे उपभोक्ता पैक में मसाले, एकल मसाला पाउडर, नमकीन पानी में मसाले, निर्जलित मसाले, फ्रीज सूखे मसाले आदि को भी समर्थन प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम प्रमाणित जैविक मसालों के निर्यात को भी समर्थन प्रदान करता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता का पैमाना उच्च स्तरीय मूल्य संवर्धन हेतु मशीनरी/उपकरणों एवं सहायक उपकरणों की लागत का 33% है, जो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत प्रति निर्यातक अधिकतम ₹ 2.00 करोड़ तक हो सकती है। मशीनरी/उपकरणों (नए निर्यातकों के मामले में, उच्च स्तरीय मूल्य संवर्धन के अलावा मूल्य संवर्धन के अन्य रूप) एवं सहायक उपकरणों की लागत का 33% है, जो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत प्रति निर्यातक अधिकतम ₹ 1.00 करोड़ तक हो सकती है। तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) की इकाइयों, अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों एवं द्वीपसमूहों (अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों) के लिए मशीनरी/उपकरणों की लागत का 75% है, जो अधिकतम ₹ 1.50 करोड़ तक हो सकती है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 100.00 लाख की सहायता प्रदान की गई।

2. निर्यातकों की इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड का लक्ष्य निर्यातकों को आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन में सहायता करना है, जिसका उद्देश्य भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ जांच करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसमें भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवी संदूषकों, विषाक्त पदार्थों, एलर्जी, भारी धातुओं आदि के साथ-साथ आंतरिक मापदंडों सहित उत्पादों की गुणवत्ता जांच करने के लिए सुविधाएं स्थापित करना शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता का पैमाना सामान्य श्रेणी के लिए प्रति निर्यातक मशीनरी/उपकरण और सहायक उपकरण की लागत का 33 प्रतिशत है, जो अधिकतम ₹ 1.00 करोड़ तक हो सकता है और एससी/एसटी निर्यातकों; एफपीओ निर्यातकों; पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के निर्यातकों के लिए मशीनरी/उपकरण और सहायक उपकरण की लागत का 75 प्रतिशत है, जो अधिकतम ₹ 1.50 करोड़ तक हो सकता है। 2024-25 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत ₹ 1.60 लाख की सहायता प्रदान की गई।

3. मसाला पार्कों के रखरखाव सहित उत्पादन/निर्यात केंद्रों में सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना

किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और व्यापक बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्पाइसेस बोर्ड ने प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। पार्क का उद्देश्य मसालों और मसाला उत्पादों की खेती, कटाई के बाद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग और भंडारण के लिए एक एकीकृत संचालन करना है। सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टीम स्टरलाइजेशन आदि के लिए सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं किसानों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेंगी और इस प्रकार उच्च मूल्य प्राप्ति होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मई 2018 के दौरान सभी आठ मसाला पार्कों को नामित खाद्य पार्क के रूप में अधिसूचित किया था। प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में बोर्ड द्वारा स्थापित फसल विशिष्ट मसाला पार्क निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	स्थान/राज्य	शामिल मसाले	भूमि क्षेत्र (एकड़)
1	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	मिर्च और लहसुन	10.00
2	पुट्टडी, केरल	काली मिर्च और इलायची	12.50
3	जोधपुर, राजस्थान	जीरा और धनिया	60.00
4	गुना, मध्य प्रदेश	धनिया	100.00
5	शिवगंगा, तमिलनाडु	मिर्च और हल्दी	75.00
6	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च	125.00
7	रामगंजमंडी (कोटा), राजस्थान	धनिया	30.00
8	रायबरेली, उत्तर प्रदेश	पुदीना	11.79

(i) मसाला पार्कों में सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थिति

सभी पार्कों में मसालों और मसाला उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और भंडारण के लिए सुस्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित संचालकों के माध्यम से कार्यरत हैं। प्रत्येक पार्क में उपलब्ध प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ-साथ संचालकों के नाम नीचे दिए गए हैं:

मसाला पार्क का स्थान	प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण	ऑपरेटर का नाम
छिंदवाड़ा	लहसुन सुखाने / निर्जलीकरण और मिर्च निष्कर्षण	मेसर्स वी नेचुरल
गुना	बीजीय मसालों, विशेष रूप से धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएंब्र	मेसर्स मयंक इंडस्ट्रीज
गुंटूर	मिर्च की सफाई, छंटाई, पीसने और पैकेजिंग की सुविधाएं	मेसर्स माने कांकोर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
जोधपुर	बीजीय मसालों, विशेष रूप से जीरे के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएंब्र	मेसर्स श्री राधे कृष्णा स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
रामगंज मंडी (कोटा)	बीजीय मसालों, विशेष रूप से धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएंब्र	मेसर्स ओर्कला इंडिया लिमिटेड
पुट्टाडी	इलायची और काली मिर्च के लिए सफाई, ग्रेडिंग, पीसने, पैकेजिंग की सुविधाएं	मेसर्स फ्लेवरिट स्पाइसेज ट्रेडिंग लिमिटेड
रायबरेली	पार्क और प्रभावी क्षेत्र में पुदीना और अन्य पाक शाकों के तेल आसवन इकाई	आसवन इकाइयाँ सीधे किसान समूहों द्वारा संचालित की जाती हैं
शिवगंगा	मिर्च और हल्दी के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग की सुविधाएं	मेसर्स सीज़न फ्रेश एग्रो फूड्स

इसके अलावा, मसाला पार्क, जोधपुर, रायबरेली और शिवगंगा में सामान्य भंडारण सुविधाएं (गोदाम) निर्यातकों को पट्टे पर दे दी गई हैं।

(ii) निर्यातकों को भूखंडों के आवंटन की स्थिति और मसाला पार्कों में स्थापित इकाइयों की स्थिति

छिंदवाड़ा और पुट्टडी को छोड़कर सभी मसाला पार्कों में मसालों के मूल्य संवर्धन और उच्च-स्तरीय प्रसंस्करण हेतु अपनी स्वयं की प्रसंस्करण इकाइयाँ विकसित करने हेतु संभावित उद्यमियों को आवंटित करने के लिए भूमि चिन्हित की गई है।

31 मार्च 2025 तक, मसाला पार्क, जोधपुर में 21 निर्यातकों को 25 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 13 इकाइयाँ कार्यरत हैं; मसाला पार्क, गुना में 21 निर्यातकों को 37 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से तीन इकाइयाँ कार्यरत हैं; मसाला पार्क, रामगंजमंडी (कोट ा) में 15 निर्यातकों को 16 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से एक इकाई कार्यरत है; मसाला पार्क, गुंटूर में 26 निर्यातकों को 51 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से सात इकाइयाँ कार्यरत हैं; मसाला पार्क, शिवगंगा में 12 निर्यातकों को 17 भूखंड आवंटित किए गए हैं और मसाला पार्क, रायबरेली में 3 निर्यातकों को सात भूखंड आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, स्पाइसेस पार्क, जोधपुर में एक इकाई ने काम करना शुरू कर दिया।

इसके अलावा, बोर्ड विभिन्न मसाला पार्कों में खाली भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया में है। शिवगंगा और गुना स्थित मसाला पार्कों में भूखंड, खाद्य एवं संबद्ध उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने हेतु एपीडा, चाय बोर्ड और कॉफ़ी बोर्ड में पंजीकृत निर्यातकों को आवंटन के लिए उपलब्ध हैं।

साथ ही, बोर्ड ने बोली प्रक्रिया के माध्यम से पात्र हितधारकों को पार्कों में सहायक सुविधाएँ, जैसे प्रयोगशाला, कार्यालय स्थल, कैंटीन भवन, बैंक भवन आदि स्थापित करने हेतु निर्मित क्षेत्र, आवंटित किए हैं।

(iii) मसाला पार्कों का प्रदर्शन

वर्ष 2024-2025 के दौरान, मसाला पार्कों की सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं निर्यातकों द्वारा स्थापित इकाइयों में ₹ 89,951.698 लाख मूल्य के 68774.08 मीट्रिक टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया है, जिनमें से ₹ 35,326 लाख मूल्य के 19,789.167 मीट्रिक टन मसाले/मसाला उत्पाद निर्यात हेतु निर्यातकों को निर्यात/आपूर्ति किए गए। इसके अतिरिक्त, मसाला पार्कों के गोदामों में ₹ 26,261.76 लाख मूल्य के कुल 18,197.04 मीट्रिक टन मसालों का भंडारण किया गया है। साथ ही, मसाला पार्कों में कुल 1,717 श्रमिक/मजदूर कार्यरत थे।

(iv) मसाला कॉम्प्लेक्स सिक्किम

सिक्किम सरकार ने राज्य से मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास हेतु मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु मसाला बोर्ड को सिक्किम के पूर्वी जिले के नामचेयबोंग में दस एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की थी। निर्यात योजना के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा (टीआईईएस) की कार्यकारी समिति ने 9 फरवरी 2021 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में सिक्किम में मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए ₹ 26.51 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी, जिसमें से मसाला बोर्ड का हिस्सा ₹ 8.77 करोड़ है और शेष ₹ 17.74 करोड़ टीआईईएस का योगदान होगा। मसाला बोर्ड ने टर्न-की आधार पर मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), गंगटोक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कार्य प्रगति पर है और 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

4. मसालों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड का उद्देश्य निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण/सुविधाएँ स्थापित करने में सहायता करना है, जिनमें ड्रायर, क्लीनर, ग्रेडिंग उपकरण, कलर सॉर्टेक्स, पॉलिशिंग उपकरण, डीस्टॉकिंग मशीन, डीहुलिंग उपकरण, पैकिंग उपकरण आदि शामिल हैं, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो सके और मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात योग्य अधिशेष एकत्र किया जा सके। सहायता का पैमाना उपकरण और सहायक उपकरण की लागत का 50% है, जो सामान्य श्रेणी के निर्यातकों के लिए अधिकतम ₹ 10 लाख के अधीन है और एससी/एसटी निर्यातकों और एफपीओ निर्यातकों के लिए मशीनरी की लागत का 75 प्रतिशत है, जो अधिकतम ₹ 15 लाख के अधीन है। वर्ष 2024-25 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत दो निर्यातकों को ₹ 14.80 लाख की सहायता प्रदान की गई।

ख. भारतीय मसालों का उत्पाद एवं बाजार विकास और ब्रांडिंग

1. भारतीय मसालों के लोगो और ब्रांडों का प्रचार

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से पहचाने गए विदेशी बाज़ारों में भारतीय ब्रांडों के प्रवेश को बढ़ाना है, साथ ही पता लगाने और खाद्य सुरक्षा की एक स्पष्ट पहचान भी सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के तहत, जिन निर्यातकों ने बोर्ड के साथ अपने ब्रांड को पंजीकृत कराया है, वे प्रति ब्रांड ₹ 100 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत सहायता में स्लॉटिंग/लिस्टिंग शुल्क और प्रचार व्यय का 100 प्रतिशत और उत्पाद विकास की लागत का 50 प्रतिशत शामिल है, ताकि निर्यातकों को विदेशों में चुनिंदा शहरों में पहचाने गए आउटलेट्स में निर्दिष्ट ब्रांडों को स्थापित करने में मदद मिल सके। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने इस कार्यक्रम के तहत एक निर्यातक को ₹ 15.70 लाख की राशि जारी की।

2. नमूने भेजने के लिए मसाला निर्यातकों को सहायता (एएसईएसएस)

मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात ठेका आम तौर पर खरीदारों को उपलब्ध कराए गए नमूनों के आधार पर संपन्न होते हैं। निर्यातकों को अनुमोदन के लिए और खरीदारों की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए विदेशों में अपने ग्राहकों को नमूने भेजने की आवश्यकता होती है। नमूनों को कूरियर करने की उच्च लागत और ठेका हासिल करने के लिए कूरियर किए जाने वाले नमूनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड निर्यातकों को नमूने विदेश भेजने के लिए कूरियर शुल्क की लागत की भरपाई के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत नए पंजीकृत निर्यातकों (पिछले तीन वर्षों में स्पाइसेस बोर्ड के साथ पहला पंजीकरण) और सूक्ष्म और लघु श्रेणी के अंतर्गत आने वाले निर्यातकों और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य श्रेणी के लिए कूरियर शुल्क की लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम ₹ 1.50 लाख प्रति वर्ष है, और एससी/एसटी निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्यों, राज्य अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों के लिए, कूरियर शुल्क का 75 प्रतिशत, जो अधिकतम ₹ 2.25 लाख प्रति वर्ष है, की सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान तक इस कार्यक्रम के तहत सात निर्यातकों को ₹ 1.30 लाख की सहायता प्रदान की गई।

3. निर्यात के लिए उत्पाद विकास का समर्थन करना

मसालों में औषधीय, सौंदर्यवर्धक, पोषण संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी गुण पाए जाते हैं। देश में ऐसे उपयोगों के बारे में पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल भंडार उपलब्ध है। हालाँकि, मसालों/मसाला अर्क/मसाला मिश्रणों के प्रशंसित गुणों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रलेखित साक्ष्य/सत्यापन अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। दस्तावेज़ीकरण/सत्यापन का अभाव ऐसे उत्पादों की बाज़ार उपलब्धता को बाधित करता है। यदि वैज्ञानिक रूप से किए गए परीक्षणों और नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक दस्तावेज़ीकरण/सत्यापन तैयार किया जाता है, तो उत्पादों को अत्यधिक मूल्यवर्धन के साथ तैयार किया जा सकता है और इन उत्पादों को वैकल्पिक दवाओं, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, न्यूट्रास्युटिकल्स, प्रतिरक्षा बूस्टर आदि के रूप में स्थापित बाजारों में विपणन और पेटेंट (यदि आवश्यक हो) कराया जा सकता है। साथ ही, देश में उत्पादित मसालों से नए अंतिम उपयोग और अनुप्रयोग प्राप्त करने की भी गुंजाइश है। मसालों से नए अंतिम उत्पादों के विकास में अपरंपरागत अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है, जिससे निर्यात की अधिक संभावना वाले पेटेंट योग्य उत्पादों का निर्माण हो सकता है। यह योजना उत्पाद अनुसंधान और विकास, नैदानिक परीक्षणों, गुणों के सत्यापन, और पेटेंटिंग एवं परीक्षण विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पंजीकृत निर्यातक और आवश्यक सुविधाओं वाले अनुसंधान एवं विकास संस्थान, उत्पाद विकास, अनुसंधान की लागत के 50 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, जिसमें नए उपकरणों/ उपकरणों का विकास/प्रौद्योगिकी का सत्यापन शामिल है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये तक हो सकता है, यदि इसमें नैदानिक परीक्षण (अंतर्राष्ट्रीय), पेटेंटिंग और वाणिज्यिक/नियामक अनुमोदन (ईपीए, एफडीए आदि) शामिल हैं। यदि नैदानिक परीक्षण, पेटेंटिंग आदि शामिल नहीं हैं, तो सहायता ₹ 25 लाख तक सीमित होगी। उपकरण की लागत के लिए सहायता, यदि कोई हो, परियोजना लागत के अधिकतम 25 प्रतिशत तक मानी जाएगी। साथ ही, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों/अनुसंधान एवं विकास और सरकार के अन्य संस्थानों के लिए सहायता का पैमाना बिना किसी बदलाव के परियोजना लागत के 100 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। वर्ष

2024-25 के दौरान, बोर्ड ने कार्यक्रम के तहत चार फर्मों को ₹ 37.40 लाख की सहायता प्रदान की।

4. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र/प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए सहायता

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मसालों के निर्यात के लिए गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रमुख पहलू हैं। गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित तृतीय पक्ष/प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास और भरोसा पैदा करते हैं और इस प्रकार देश से मसालों के निर्यात को बनाए रखने/बढ़ाने में मदद करते हैं। मसाला निर्यातकों को गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र और चिह्नांकन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा ISO/HACCP/FSSC 22000/NPOP आदि (कोषेर, हलाल, GMP, SQF, BRC आदि सहित) के अंतर्गत मसाला निर्यातकों की प्रसंस्करण इकाइयों, आंतरिक प्रयोगशालाओं आदि के प्रत्यायन/प्रमाणन की लागत, आयातक देशों की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणन/विदेशी क्रेता सत्यापन कार्यक्रम (FBVP), आदि पर विचार किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड निर्यातकों को एचएसीसीपी/आईएसओ मानक/खाद्य सुरक्षा/गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)/जीएमपी/एनपीओपी/जैविक प्रमाणन/मसालों से संबंधित अन्य प्रमाणन और चिह्नों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें स्पाइस हाउस प्रमाणन, भारतीय मसाला लोगो आदि शामिल हैं, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुपालन के बारे में संचार को सक्षम किया जा सके और भारतीय मसालों के लिए वैश्विक खरीदारों के बीच विश्वास का निर्माण और सुधार किया जा सके।

बोर्ड इस अवधि के दौरान सामान्य श्रेणी के निर्यातकों के लिए प्रमाणन/नवीनीकरण की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम पाँच लाख रुपये प्रदान करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपों (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों के लिए प्रमाणन/नवीनीकरण की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 7.50 लाख प्रदान करता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने पाँच निर्यातकों को स्टॉल शुल्क के रूप में ₹ 8.57 लाख की सहायता प्रदान की।

5. निर्यात विकास के लिए बाजार अनुसंधान और सहायक सेवाएं

(i) अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 और स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989 के प्रावधानों के तहत, स्पाइसेस बोर्ड आयातक देशों की आवश्यकता, निर्यात अलर्ट की पिछली घटनाओं, जोखिम मूल्यांकन आदि के आधार पर चयनित गंतव्यों के लिए कुछ मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेपों का अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, मापदंडों और परीक्षण किए गए मसालों में समय-समय पर संशोधन के साथ मसाला खेपों के अनिवार्य नमूनाकरण, परीक्षण और निकासी को जारी रखा।

कार्यक्रम के तहत, बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए जाने वाले मसालों और मसाला उत्पादों के 71,241 नमूनों में एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंग, बाहरी पदार्थ, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला और ईओ जैसे 1,64,556 मापदंडों का विश्लेषण किया द्य। इसके अलावा, बोर्ड ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेपों के लिए 14,162 आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किए।

(ii) मसालों के कस्टम नमूनों का परीक्षण

सीमा शुल्क विभाग के माध्यम से अग्रिम प्राधिकरण योजना (एएएस) के अंतर्गत देश में आयातित मसालों और मसाला उत्पादों के नमूने प्राप्त कर रहा है और मानक इनपुट-आउट पुट मानदंड (एसआईओएन) निर्धारित करने हेतु डीजीएफटी को सिफारिशें प्रदान कर रहा है। वर्ष 2024-2025 के दौरान, बोर्ड ने सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त मसालों और मसाला उत्पादों की आयात खेपों में 606 नमूनों का परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई।

(iii) मसालों के एफ एस एस ए आई नमूनों की जांच

स्पाइसेस बोर्ड, एफएसएसएआई की एक रेफरल प्रयोगशाला होने के नाते, निर्दिष्ट मापदंडों के लिए मसाला प्रसंस्करण की पुनः पुष्टि हेतु एफएसएसएआई द्वारा लिए गए नमूनों का परीक्षण करता है। वर्ष 2024-2025 के दौरान, बोर्ड ने एफएसएसएआई विभाग से प्राप्त ऐसे 18 नमूनों का

परीक्षण किया और संबंधित परीक्षण रिपोर्ट जारी कीं।

(iv) मसालों के निजी नमूनों का परीक्षण

बोर्ड निर्यातकों/किसानों/हितधारकों से मसालों और मसाला उत्पादों के निजी नमूने प्राप्त करता है ताकि उनके द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार उनके मसालों/मसाला उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके।

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने 346 निजी नमूनों का परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट जारी की।

6. पंजीकरण और लाइसेंसिंग

(i) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस)

मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के अनुसार, मसालों का निर्यात करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) होना आवश्यक है। मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 के अनुसार, सीआरईएस जारी होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए वैध है।

बोर्ड द्वारा सीआरईएस जारी करने की प्रक्रिया, वर्ष 2022-23 के दौरान डीजीएफटी द्वारा विकसित कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म (ईआरसीएमसी) में स्थानांतरित कर दी गई और मई 2022 से, सीआरईएस डीजीएफटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 4,106 सीआरईएस जारी किए गए, जिनमें से 3,713 व्यापारी निर्यातकों को और 393 निर्माता निर्यातकों को दिए गए।

(ii) इलायची डीलर और नीलामीकर्ता लाइसेंस

इलायची लाइसेंसिंग एवं विपणन नियम, 1987 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो नीलामीकर्ता या डीलर के रूप में इलायची का व्यवसाय करना चाहता है, उसके पास बोर्ड से वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। तदनुसार, बोर्ड द्वारा इलायची (छोटी एवं बड़ी) के लिए नीलामीकर्ता और डीलर लाइसेंस जारी किए जाते हैं। व्यापार को सुगम बनाने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (क़्क्ष्क्ष्च्र) द्वारा विकसित राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (ग़्च्ज़्च) को अपनाया है, जिसके तहत 01 अगस्त 2022 से इलायची डीलर और नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नीलामीकर्ता और डीलर लाइसेंस तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और वर्तमान ब्लॉक अवधि (2023-26) 31 अगस्त 2026 तक है।

अब तक, बोर्ड ने 705 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए हैं, जिनमें 688 छोटी इलायची डीलर लाइसेंस और 17 बड़ी इलायची डीलर लाइसेंस शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने 130 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए, जिनमें से 116 छोटी इलायची डीलरों को और 14 बड़ी इलायची डीलरों को जारी किए गए।

वर्तमान में, इलायची के लिए 18 लाइसेंस प्राप्त ई-नीलामीकर्ता और चार लाइसेंस प्राप्त मैनुअल नीलामीकर्ता हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने छोटी इलायची के लिए दो इलायची ई-नीलामीकर्ता लाइसेंस और बड़ी इलायची के लिए एक मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किया।

(iii) इलायची की नीलामी - क्लाउड-आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली की स्थापना

बोर्ड ने 1 नवंबर 2021 से 'क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी' शुरू की, जिससे दोनों नीलामी केंद्रों को वर्चुअल लिंक करना और साथ-साथ ई-नीलामी का संचालन संभव हो गया। इस प्रणाली में, किसान और डीलर अपनी सुविधानुसार किसी भी नीलामी केंद्र से इलायची की नीलामी में भाग ले सकते हैं, जबकि पहले की प्रणाली में किसानों और डीलरों को नीलामी में भाग लेने के लिए संबंधित नीलामी केंद्र तक जाना पड़ता था। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भी क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली जारी रखी। क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली ने नीलामी में खरीदारों की भागीदारी बढ़ाने में मदद की, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति संभव हुई। वर्ष 2024-25 के दौरान, ई-नीलामी/मैनुअल नीलामी के माध्यम से कुल 23,335 मीट्रिक टन इलायची (छोटी) बेची गई, जिसका भारित औसत मूल्य ₹ 2575.98/किलोग्राम था।

ख. व्यापार संवर्धन

अ) व्यापार मेलों/बैठकों/सेमिनारों/प्रशिक्षणों में भागीदारी

स्पाइसेस बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय मसालों को बढ़ावा देने और

निर्यातकों को अवसर प्रदान करने की अपनी पहल के तहत, बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के समक्ष भारतीय मसालों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा सके।

बोर्ड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बोर्ड निर्यातकों को मसालों के निर्यात में अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों में अपने स्टॉल स्थापित करने में सहायता करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लिए स्टॉल किराए की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5.00 लाख) और हवाई किराए की लागत का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 2.25 लाख) की सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, आदि के लिए स्टॉल किराए की लागत का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 7.50 लाख) की सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्यों, राज्य अधिसूचित आईटी डीपी क्षेत्रों और द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 22 निर्यातकों को ₹ 62.61 लाख की सहायता प्रदान की।

आ) क्रेता-विक्रेता बैठकें, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम

निर्यात प्रक्रियाओं, आयात दस्तावेज़ीकरण आदि के बारे में हितधारकों को जानकारी प्रदान करने और उन्हें मसाला व्यवसाय में प्रवेश के लिए प्रेरित करने हेतु, बोर्ड उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इसके अतिरिक्त, क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच बाज़ार संपर्क को सुगम बनाने के लिए, बोर्ड मसालों के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को लक्षित करते हुए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करता रहा है।

(क) क्रेता-विक्रेता बैठक

मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा मसालों के निर्यात स्रोतों के लिए संपर्कों को मजबूत करने के उद्देश्य से बोर्ड क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित कर रहा है, जो मसाला उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों के बीच सीधे बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

(i) क्रेता-विक्रेता बैठक

क्रेता-विक्रेता बैठकें किसान समूहों और निर्यातकों के बीच सीधे संपर्क को सुगम बनाती हैं, और निर्यात क्षेत्र की गुणवत्ता एवं सुरक्षा आवश्यकताओं पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के अलावा, निर्यात सोर्सिंग को मज़बूत करने

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	तारीख
1	उत्तराखंड में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	22 अगस्त 2024
2	केरल के इडुक्की में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	11 सितंबर 2024
3	गंगटोक, सिक्किम में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	25 सितंबर 2024
4	कर्नाटक के हुबली में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	25 नवंबर 2024
5	ओडिशा में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	7 दिसंबर 2024
6	जम्मू और कश्मीर में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	12 दिसंबर 2024
7	अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	23 जनवरी 2025
8	रांची, झारखंड में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	28 जनवरी 2025
9	तेलंगाना के निज़ामाबाद में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	18 मार्च 2025
10	खाद्य सुरक्षा और बाजार संपर्क कार्यक्रम, नागपुर, महाराष्ट्र	23 मार्च 2025
11	खाद्य सुरक्षा और बाजार संपर्क कार्यक्रम, चेन्नई, तमिलनाडु	24 मार्च 2025
12	खाद्य सुरक्षा और बाजार संपर्क कार्यक्रम, शिलांग, मेघालय	26 मार्च 2025

में भी मदद करती हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कीं:

(ii) उद्यमिता विकास कार्यक्रम

मसाले और मूल्यवर्धित मसाला उत्पाद विश्व बाजार में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, जिससे मसाला प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में उद्यमशील उपक्रमों की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। स्पाइसेस बोर्ड, प्रगतिशील हितधारकों को मसाला व्यवसाय में प्रवेश के लिए आकर्षित, प्रेरित और सुसज्जित करने हेतु, पूरे भारत से प्रतिभागियों को शामिल करते हुए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मसाला निर्यात क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर संवेदनशील और शिक्षित करना है, जिसमें निर्यात दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया, गुणवत्ता और सुरक्षा मानक, निर्यात के लिए नियामक आवश्यकताएँ, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, निर्यात रसद, निर्यात डेटा और रुझानों का विश्लेषण आदि शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	तारीख
1	मसालों के निर्यात के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उंझा, गुजरात	12-13 अगस्त 2024
2	नमूनाकरण और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के विनियमन पर मसाला उद्योग के लिए क्षमता निर्माण, कोच्चि, केरल	06-07 दिसंबर 2024
3	नमूनाकरण और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के विनियमन पर मसाला उद्योग के लिए क्षमता निर्माण, उंझा, गुजरात	09-10 दिसंबर 2024
4	नमूनाकरण और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के विनियमन पर मसाला उद्योग के लिए क्षमता निर्माण, मुंबई, महाराष्ट्र	12-13 दिसंबर 2024

भौगोलिक संकेत पंजीकरण

स्पाइसेस बोर्ड ने पाँच मसालों, अर्थात् मलबार कालीमिर्च, अलेप्पी ग्रीन कार्डमम, कूर्ग ग्रीन कार्डमम, गुंटूर सन्नम चिली और ब्यादगी मिर्च के लिए जीआई रजिस्ट्री से जीआई टैग प्राप्त किया है और वह इन पाँच जीआई टैग प्राप्त मसालों का पंजीकृत स्वामी है।

ग. तकनीकी हस्तक्षेप

1. उभरते उद्यमिताओं केलिए मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों को सहायता (एस्पायर)

बोर्ड निर्यातकों, स्टार्ट-अप्स, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) और नवीन विचारों वाले उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए चिन्हित विशेषज्ञ संस्थानों में 'मसाला इन्क्यूबेशन केंद्र' स्थापित करने हेतु एक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला क्षेत्र में नवीन उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास में उनका मार्गदर्शन और सहायता करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आवश्यक अवसंरचना विकसित करने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों को ₹ 10 लाख तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, चिन्हित विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से बोर्ड द्वारा स्थापित मसाला इन्क्यूबेशन केंद्रों में चयनित परियोजना पर इन्क्यूबेशन के लिए प्रति इन्क्यूबेटी ₹ 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इनक्यूबेटी और विशेषज्ञ संस्थानों का चयन प्राप्त आवेदनों के आधार पर एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान में, बोर्ड ने कृषि व्यवसाय विकास निदेशालय (डीएबीडी), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयंबतूर में कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेशन सोसाइटी द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर (टीबीआई) और एस्पायर कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर के साथ सहयोग किया है।

मेसर्स श्री राजा राजेश्वरी ट्रेडर्स को एस्पायर कार्यक्रम के अंतर्गत सीएफटीआरआई मैसूर में इन्क्यूबेटी के रूप में चुना गया है और

वर्तमान में 'स्पाइस न्यूट्रास्युटिकल नैनोइमल्शन के तकनीकी-व्यावसायिक अनुप्रयोग' नामक परियोजना के लिए इन्क्यूबेशन प्रक्रिया से गुजर रहा है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड ने कार्यक्रम के अंतर्गत दो विशेषज्ञ संस्थानों को ₹ 20 लाख और एक इन्क्यूबेटी को ₹ 2 लाख की सहायता प्रदान की।

घ. अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय (आईपीसी)

अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएन-एस्केप) के तत्वावधान में एक अंतर-सरकारी संगठन है। इस समुदाय में अब भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम स्थायी सदस्य और पापुआ न्यू गिनी तथा फिलीपींस सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह समुदाय एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसे वैश्विक काली मिर्च उद्योग के लिए एक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है ताकि साझा मुद्दों पर चर्चा की जा सके और वैश्विक काली मिर्च उद्योग की बेहतरी के लिए समाधान खोजे जा सकें। सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से आईपीसी के अध्यक्ष का पद धारण करते हैं। आईपीसी ने वर्तमान और उभरते मुद्दों के समाधान हेतु काली मिर्च के अनुसंधान एवं विकास, विपणन और गुणवत्ता मूल्यांकन के संबंध में नीतियाँ और विशिष्ट रणनीतियाँ बनाने हेतु विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया है।

ङ) मसालों के निर्यात के लिए प्रमुख हस्तक्षेप

चीन के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन (जीएसीसी), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) ने 'आयातित खाद्य के विदेशी निर्माताओं के पंजीकरण और प्रशासन पर विनियम' को लागू किया है, और वर्ष 2021 के दौरान मसालों सहित खाद्य उत्पादों की 14 श्रेणियों के विदेशी उत्पादन उद्यमों के पंजीकरण के लिए निर्धारित किया है। तदनुसार, चीन को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की उपरोक्त श्रेणियों के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण में शामिल प्रतिष्ठानों को पहले जीएसीसी द्वारा चीन आयात खाद्य उद्यम पंजीकरण (सीआईएफईआर) प्रणाली में पंजीकृत होना आवश्यक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, जीएसीसी ने मसालों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पिसे हुए और बिना पिसे हुए खंडों में विभाजित कर दिया है और बिना पिसे/असंसाधित मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात में शामिल प्रतिष्ठानों का पंजीकरण जीएसीसी के पशु एवं पादप संगरोध विभाग (डीएपीक्यू) को सौंप दिया गया है। तदनुसार, बोर्ड ने चीन को बिना पिसे मसालों के निर्यातकों के डीएपीक्यू पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है और पंजीकृत निर्यातकों की सूची को समय-समय पर नए निर्यातकों को जोड़कर अद्यतन किया जाता है।

06

व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा मसालों के निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, नीलामी और घरेलू कीमतों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

भारत से मसालों के अनुमानित निर्यात/आयात को संकलित करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता/वाणिज्य मंत्रालय (एमओसी) की वेबसाइट/ निर्यात की दैनिक सूची (डीएलई)/सीमा शुल्क द्वारा प्रकाशित आयात की दैनिक सूची (डीएलआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात/आयात आंकड़े हैं। बोर्ड मसालों के निर्यात विवरण को मासिक आधार पर और आयात विवरण को वार्षिक आधार पर संकलित कर रहा है और ये आंकड़े नियमित आधार पर अपनी वेबसाइट और मंत्रालय/विभागों के माध्यम से हितधारकों तक प्रसारित किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड नियमित रूप से कोचीन, जेएनपीटी, चेन्नई, तूतीकोरिन, मुंद्रा, कोलकाता, पेट्रापोल, मोहद्दीपुर, रक्सौल, अमृतसर/डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता जैसे सभी प्रमुख बंदरगाहों से डीएलई और डीएलआई दोनों एकत्र करता है

बोर्ड अपनी वेबसाइट और प्रकाशनों के माध्यम से नियमित रूप से भारत और विदेश के प्रमुख बाज़ारों से मसालों की कीमतों की जानकारी संकलित करता है और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाता है। मूल्य विवरण एकत्र करने के प्रमुख स्रोत भारतीय काली मिर्च और मसाला व्यापार संघ, कृषि उत्पाद विपणन समितियाँ, व्यापारी संघ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय, इंडोनेशिया जैसी एजेंसियाँ हैं। ये सभी जानकारी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सदस्यता के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफ़लाइन माध्यम से भी एकत्र की जाती है।

बोर्ड इलायची (छोटी एवं बड़ी) के उत्पादन विकास के लिए उत्तरदायी है, और इलायची के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता का अनुमान व्यापार सूचना सेवा द्वारा बोर्ड के क्षेत्रीय ढाँचे के माध्यम से किए गए क्षेत्रीय नमूना अध्ययन के आधार पर लगाया जाता है। अन्य मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभागों/डीएएसडी से संकलन हेतु एकत्र किया जाता है। सभी मसालों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की जानकारी बोर्ड के प्रकाशनों के साथ-साथ वेबसाइट के माध्यम से हितधारकों एवं नीति निर्माताओं तक पहुँचाई गई है।

निर्यातकों के पंजीकरण (विनियम) के अनुसार, सभी पंजीकृत मसाला निर्यातकों को बोर्ड को अपना तिमाही निर्यात रिटर्न प्रस्तुत करना होता है। व्यापार सूचना सेवा पंजीकृत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत तिमाही निर्यात रिटर्न का संकलन कर रही है और निर्यातक-वार मसालों के निर्यात का डेटाबेस बनाए रख रही है। इस डेटाबेस का उपयोग करके, प्रत्येक मसाले के प्रमुख निर्यातकों का विवरण संकलित किया जाता है और हितधारकों के अनुरोध पर आधिकारिक उद्देश्य/प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है।

बोडिनायकनूर और पुट्टडी में बोर्ड द्वारा विकसित ई-नीलामी केंद्रों के माध्यम से इलायची के व्यापार के लिए ई-नीलामी आयोजित कर रहा है। इलायची की दैनिक नीलामी मात्रा और औसत मूल्य का विवरण बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दैनिक आधार पर संकलित और प्रकाशित किया जाता है। नीलामी बिक्री और औसत मूल्य का समेकित विवरण बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से संकलित और प्रसारित किया जाता है।

उद्योग के हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न बाजार केंद्रों के लिए विभिन्न मसालों की साप्ताहिक घरेलू कीमत बोर्ड के प्रकाशन अर्थात मसाला बाजार के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर (वेबसाइट पर) संकलित और प्रकाशित की जाती है।

क. मसालों का क्षेत्र और उत्पादन

वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए इलायची (छोटी) और इलायची (बड़ी) का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका ६ और ६६ में दी गई है। अन्य मसालों का क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका-६६६ में दिया गया है।

तालिका-I: इलायची (छोटी) का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

	2023-24				2024-25			
राज्य	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उपज क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)	उत्पादकता (कि.ग्रा./ हेक्टेयर)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उपज क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)	उत्पादकता (कि.ग्रा./ हेक्टेयर)
केरल	40345	30949	22868	738.90	40345	30095	18310	608.41
कर्नाटक	25135	14666	867	59.17	25135	14694	902	61.40
तमिलनाडु	4930	2781	1495	537.73	4930	2727	1484	544.24
कुल	**70410**	**48396**	**25230**	**521.33**	**70410**	**47516**	**20696**	**435.57**

स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान।

तालिका-II: इलायची का क्षेत्रफल और उत्पादन (बड़ी मात्रा में)

राज्य	2023-24				2024-25			
	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उपज क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)	उत्पादकता (कि.ग्रा./ हेक्टेयर)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उपज क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)	उत्पादकता (कि.ग्रा./ हेक्टेयर)
सिक्किम	23312	17453	5280	302.50	23312	17550	5429	309.33
पश्चिम बंगाल	3305	3165	1069	338.00	3305	3187	1089	341.79
अरुणाचल प्रदेश	12131	7078	1806	255.14	12438	7289	1864	255.65
नागालैंड	6631	4431	1128	254.64	6694	4473	1165	260.47
मणिपुर	217	64	5	76.50	267	64	5	79.89
कुल	**45596**	**32191**	**9288**	**288.54**	**46017**	**32563**	**9552**	**293.33**

स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

तालिका-III: भारत में प्रमुख मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

मसाले	2023-24		2024-25 *	
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन(एमटी)
काली मिर्च	312902	126038	254597	77533
मिर्च	965612	2909844	921540	2693265
अदरक (ताजा)	194243	2333000	193258	2246292
हल्दी (सूखी)	292830	1063224	290939	1116124
धनिया	604075	836524	627008	869443
जीरा	1302336	894565	1094382	723795
अजमोदा	4657	6882	4590	6636
सौंफ	216019	376049	129858	243666

मेथी	158203	249523	147000	226853
लहसुन	388676	3315545	405115	3422491
इमली	35593	132429	39563	138113
लौंग	1847	1015	1887	1031
जायफल	25743	18940	26204	19012
अन्य सहित कुल योग	**5056599**	**12483215**	**4686713**	**11995594**

स्रोतः सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कोझिकोड; (*) : पहला अग्रिम अनुमान

ख. इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और कीमतें

वर्ष 2024-25 (अगस्त 2024 - जुलाई 2025) और वर्ष 2023-24 (अगस्त 2023- जुलाई 2024) के लिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारित औसत मूल्य तालिका-IV में दिए गए हैं।

तालिका IV: इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और कीमतें

(मात्रा टन में, कीमत ₹/किग्रा में)

केंद्र	2023-24 (अगस्त-जुलाई)		2024-25 (अगस्त-जुलाई)	
	बेची गई मात्रा	भारित औसत नीलामी मूल्य	बेची गई मात्रा	भारित औसत नीलामी मूल्य
केरल और तमिलनाडु (ई-नीलामी)	29119	1763.89	23315	2575.94
कर्नाटक	11	1335.40	4	2229.23
महाराष्ट्र	106	1916.09	17	2728.54
कुल	**29237**	**1764.43**	**23335**	**2575.98**

स्रोतः लाइसेंस प्राप्त नीलामकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्ट

ग. इलायची (बड़ी) की कीमतें

वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के लिए गंगटोक और सिलीगुड़ी बाजारों में इलायची(बड़ी) के औसत थोक मूल्य तालिका V में दिए गए हैं।

(कीमत ₹/किग्रा में)

केंद्र	श्रेणी	2023-24	2024-25
गंगटोक	बड़ादाना	930.21	1481.25
सिलीगुड़ी	बड़ादाना	1177.90	1687.17

स्रोतः स्पाइसेस बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, गंगटोक।

घ. अन्य प्रमुख मसालों की कीमतें

प्रमुख मसालों के औसत घरेलू मूल्य नीचे दिए गए हैं। ये मूल्य चैंबर ऑफ कॉमर्स, भारतीय काली मिर्च एवं मसाला व्यापार संघ, व्यापारी संघों द्वारा तैयार की गई बाज़ार समीक्षाओं आदि जैसे द्वितीयक स्रोतों से एकत्र किए गए हैं। महत्वपूर्ण बाज़ार केंद्रों में प्रमुख मसालों के मूल्य तालिका VI में दिए गए हैं।

तालिका VI: महत्वपूर्ण बाजार केंद्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें

(कीमत ₹/किग्रा में)

मसाला	बाज़ार	2023-24	2024-25(*)
काली मिर्च (एमजी-1)	कोचीन	572.83	656.78
मिर्च	गुंटूर	161.30	124.85
हल्दी	चेन्नई	109.43	152.08
	निजामाबाद	95.25	119.58
धनिया	चेन्नई	103.29	99.31
	रामगंज मंडी	75.23	72.60
जीरा	चेन्नई	554.08	374.33
	उंझा	425.70	235.64
सौंफ	चेन्नई	279.00	159.81
मेथी	चेन्नई	101.30	115.44
लहसुन	चेन्नई	105.55	174.71
खसखस	चेन्नई	1407.21	1407.96
अजवाइन के बीज	चेन्नई	188.40	175.89
सरसों	चेन्नई	85.26	84.84
इमली	चेन्नई	113.43	137.05
केसर	दिल्ली	166562.50	212145.83
लौंग	कोचीन	901.03	843.07
जायफल(छिलका सहित)	कोचीन	229.89	242.26
जायफल (छिलका रहित)	कोचीन	425.53	495.92
जावित्री (मेस)	कोचीन	779.04	917.80

(*) अनंतिम

ङ. भारत से मसालों का निर्यात प्रदर्शन

भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर को पार कर गया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने ₹ 39,994.48 करोड़ (4,722.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 17,99,267 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 36,958.80 करोड़ (4,464.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 15,39,692 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। इस प्रकार, मात्रा में 17 प्रतिशत, रुपये के मूल्य में आठ प्रतिशत और डॉलर के मूल्य में छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

मसाला-वार विश्लेषण से पता चलता है कि काली मिर्च, इलायची (छोटी और बड़ी), अदरक, हल्दी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, इमली, मसाला तेल और तैलीराल और करी पाउडर और पेस्ट के निर्यात में 2024-25 में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। धनिया के मामले में, मात्रा में 44 प्रतिशत, रुपये के संदर्भ में 33 प्रतिशत और मूल्य के डॉलर के संदर्भ में 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। मिर्च के मामले में, मात्रा में 19 प्रतिशत की वृद्धि, रुपये के संदर्भ में नौ प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। जायफल और जावित्री के मामले में, मात्रा में आठ प्रतिशत, रुपये के संदर्भ में 12 प्रतिशत और मूल्य के डॉलर के संदर्भ में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। मिंट उत्पादों के मामले में, निर्यात की मात्रा में एक प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, निर्यात मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में रुपए के संदर्भ में तीन प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात अप्रैल 2023-मार्च 2024 की तुलना में नीचे तालिका VII में दिया गया है।

तालिका VII: अप्रैल-मार्च 2023-24 की तुलना में अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात

मसाले	अप्रैल-मार्च 2024-25 (एफ)			अप्रैल-मार्च 2023-24 (आर)			% परिवर्तन		
	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाखों में)	मूल्य (मिलियन डॉलर)	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाखों में)	मूल्य (मिलियन डॉलर)	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाखों में)	मूल्य (मिलियन डॉलर)
काली मिर्च	20830.15	105500	124.54	17890.17	73648.88	88.91	16%	43%	40%
इलायची छोटी	6727.81	156682	184.65	6168.13	99959.85	120.52	9%	57%	53%
इलायची बड़ी	1368.35	22944	27.02	1280.82	14815.41	17.86	7%	55%	51%
मिर्च	715506.26	1140490	1342.52	601084.35	1249248.45	1509.00	19%	-9%	-11%
अदरक	131359.75	106240	124.78	60833.26	64688.57	77.95	116%	64%	60%
हल्दी	176325.34	288539	341.54	162018.46	187586.79	226.65	9%	54%	51%
धनिया	60323.05	63320	74.84	108623.74	94820.97	114.74	-44%	-33%	-35%
जीरा	229881.07	617886	732.35	165269.45	579723.43	700.37	39%	7%	5%
अजमोदा	8473.43	11879	14.05	6598.58	10074.31	12.17	28%	18%	15%
सौंफ	76586.12	76544	90.93	39564.69	66960.91	80.97	94%	14%	12%
मेथी	44515.97	36589	43.23	30854.92	26612.76	32.14	44%	37%	35%
अन्य बीज (1)	35109.48	34959	41.37	39437.98	36177.50	43.74	-11%	-3%	-5%
लहसुन	43958.58	53838	63.34	73950.06	44118.84	53.33	-41%	22%	19%
इमली	43985.96	30328	35.78	27128.02	18475.00	22.30	62%	64%	60%
जायफल और जावित्री	4756.16	25192	29.85	5142.74	28687.69	34.63	-8%	-12%	-14%
करी पाउडर/पेस्ट	77151.45	209499	247.59	72420.92	175727.66	212.18	7%	19%	17%
मसाला तेल/ तैलीराल	20940.26	453324	535.92	18762.47	412300.59	497.98	12%	10%	8%
पुदीना उत्पाद (2)	27282.92	353576	417.8	27658.60	343919.81	415.40	-1%	3%	0.6%
अन्य मसाले (3)	74185.37	212119	250.55	75004.69	168333.08	203.33	-1%	26%	23%
कुल	**1799267**	**3999448**	**4722.65**	**1539692**	**3695880.50**	**4464.17**	**17%**	**8%**	**6%**

स्रोतः वाणिज्य मंत्रालय / डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता; एफः अंतिम और आरः संशोधित अंतिम

(1) मसाले का पौधा (अजोवन बीज), सोआ बीज, खसखस बीज, सौंफ, सरसों आदि शामिल हैं।

(2) मेन्थॉल, मेन्थॉल क्रिस्टल और अन्य पुदीना तेल शामिल हैं।

(3) हींग, दालचीनी, कैसिया, कम्बोजिया, केसर, मसाले (एन इ एस), आदि शामिल हैं।

च. वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख योगदानकर्ता और गंतव्य

वर्ष 2024-25 के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मसाला निर्यात टोकरी में प्रमुख योगदानकर्ता मिर्च (28%), जीरा (16%), मसाला तेल और तैलीराल (11%), पुदीना उत्पाद (9%), हल्दी (7%), करी पाउडर/पेस्ट (5%), छोटी इलायची (4%), अदरक और काली मिर्च (3%), सौंफ और धनिया (2%) थे, जिन्होंने मसालों से कुल निर्यात आय में 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया।

भारतीय मसालों के प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन (16%), यूएसए (15%), यूएई (9%), बांग्लादेश (8%), मलेशिया (4%), थाईलैंड (3%), यूके (3%), सऊदी अरब (3%), इंडोनेशिया (3%), श्रीलंका (2%), जर्मनी (2%), नीदरलैंड (2%), कनाडा (2%), नेपाल (2%), ऑस्ट्रेलिया (1%), जापान (1%), रूस (1%), सिंगापुर (1%), फ्रांस (1%), मैक्सिको (1%), वियतनाम (1%), मोरक्को (1%), दक्षिण अफ्रीका (1%) और कोरिया (1%) हैं। देश से मसालों की कुल निर्यात आय में इनका योगदान 85% से अधिक है।

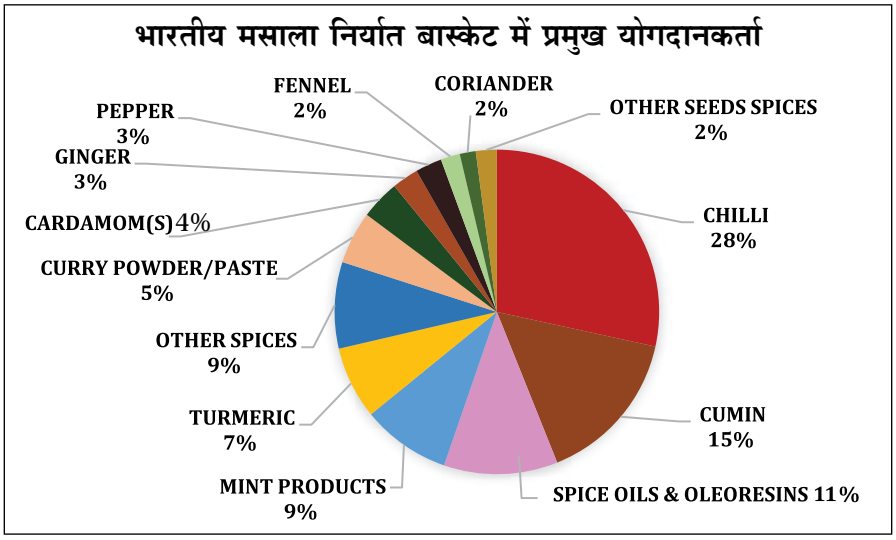

वस्तु	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	% योगदान
मिर्च	1342.52	28
जीरा	732.35	16
मसाला तेल और तैलीराल	535.92	11
पुदीना उत्पाद	417.8	9
हल्दी	341.54	7
अन्य मसाले	406.54	9
करी पाउडर/ पेस्ट	247.59	5
इलायची (छोटी)	184.65	4
अदरक	124.78	3
कालीमिर्च	124.54	3
सौंफ	90.93	2
धनिया	74.84	2
अन्य बीज मसाले	98.65	2
कुल	**4722.65**	

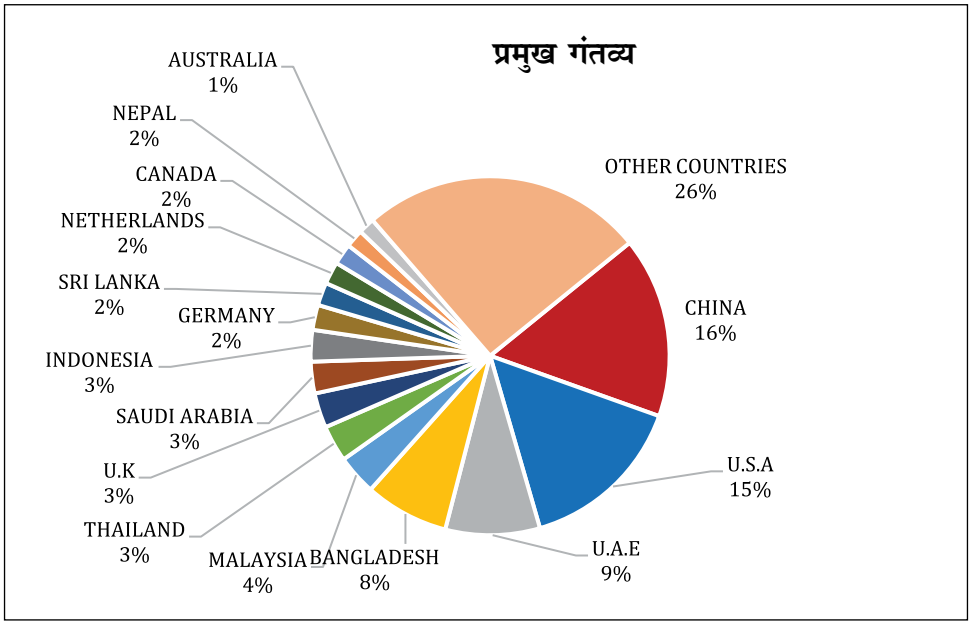

देश	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	% योगदान
चीन	769.58	16
यु.एस.ए.	711.16	15
यु.ए.ई.	401.73	9
बांग्लादेश	357.96	8
मलेशिया	169.73	4
थाईलैंड	154.98	3
यू.के.	148.24	3
साऊदी अरब	134.6	3
इंडोनेशिया	134.41	3
जर्मनी	106.37	2
श्रीलंका	97.55	2
नीदरलैंड	94.81	2
कनाडा	88.88	2
नेपाल	77.24	2
ऑस्ट्रेलिया	69.5	1
अन्य देश	1205.91	26
कुल	**4722.65**	**100**

07

प्रचार एवं संवर्धन

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान, प्रचार और संवर्धन अनुभाग ने स्पाइसेस बोर्ड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारतीय मसालों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य देश से मसालों के निर्यात में वृद्धि करना था। भारतीय मसालों, मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों, व्यंजनों में मसालों के अनुप्रयोगों और उनके संभावित स्वास्थ्य योगदान में जनता की रुचि जगाने के लिए हर प्रकार के प्रचार माध्यमों का लाभ उठाया गया। वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी भी प्रसारित की गई। वर्ष 2024-25 की प्रमुख गतिविधियों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, विज्ञापन अभियानों, ऑनलाइन प्रचार अभियानों में भागीदारी और पत्रिकाओं, ब्रोशर आदि का मुद्रण और प्रकाशन शामिल हैं।

क) प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में प्रतिभागिता

व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना वैश्विक मसाला उद्योग के विभिन्न खिलाड़ियों से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड ने प्रमुख व्यापार मेलों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की और जिन मेलों में प्रतिभागिता की है उनकी सूची नीचे दी गई है;

घरेलू मेलों की सूची जिनमें स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रतिभागिता की गई हैं।

क्रमांक	मेले का नाम	स्थान	मेले की तारीख
1	अन्नपूर्णा इंटर फूड 2024	आईआईसीसी, नई दिल्ली	5-7 जून 2024
2	मसालो पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2024	कृषि महाविद्यालय, केएयू, वेल्लयानी, तिरुवनंतपुरम	5-7 जून 2024
3	बयोफाक इंडिया 2024	इंडिया एक्सपोज़िशन मार्ट लिमिटेड (आईईएमएल), ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर	3-5 अगस्त 2024
4	सीआईआई ईस्टर्न क्षेत्र ईएक्सआईएम सम्मेलन 2024	कोलकत्ता	20 अगस्त 2024
5	अनुगा सेलक्ट इंडिया 2024	बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र, मूंबई	28-30 अगस्त 2024
6	सीआईआई केरल ग्लोबल आयुर्वेद शिखर सम्मेलेन और सीआईआई केरल स्वास्थ्य पर्यटन 2024 का 11वां संस्करण	कोच्ची, केरल	29-30 अगस्त 2024
7	वेल्ड फुड इंडिया 2024	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	19-22 सितंबर2024
8	एफआई इंडिया 2024	बैंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय पदर्शनी केंद्र, बेंगलुरु	25-27 सितंबर 2024
9	शैनिंग उत्तर प्रदेश 2024	वाराणासी	27-29 सितंबर 2024

10	भारत सरकार के वाणिज्य सचिव के साथ उद्योग संपर्क बैठक(स्पाइसेस बोर्ड और 'हाउस ऑफ हिमालय लिमिटेड' और 'राज्य बागवानी मिशन(उत्तराखंड)' के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह)	देहरादून	09 अक्तूबर 2024
11	सारास मेला	लेजर वैली पार्क, गुरुग्राम	13-29 अक्तूबर 2024
12	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	14-27 नवंबर 2024
13	21 केलकाता फूडटेक - 2024	कोलकाता	29 नवंबर - 01 दिसंबर 2024
14	एसआईएएल इंडिया 2024	नई दिल्ली	5-7 दिसंबर 2024
15	कर्नाटक उत्पादक संघ द्वारा कॉफी सम्मेलन 2024	सकलेशपूर	23 दिसंबर 2024
16	इंडस फुड 2025	ग्रेटर नोएडा, एनसीआर	8-10 जनवरी 2025
17	आईसीएआर-एनआरसीएसएस का रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह	अजमेर	19 जनवरी 2025
18	जिला प्रशासन, अल्लूरी सीताराम राजु जिले में गणतंत्र दिवस समारोह	पडेरू	26 जनवरी 2025

अंतर्राष्ट्रीय मेलों की सूची जिनमें स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रतिभागिता की गई हैं।

क्रमांक	मेले का नाम	स्थान	मेले की तारीख
1.	शंघाई अंतर्राष्ट्रीय मसाला और खाद्य सामग्री प्रदर्शनी 2024	शंघाई, चीन	28-30 अगस्त 2024
2.	फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया 2024	मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया	2-5 सितंबर 2024
3.	वर्ल्ड फूड मॉस्को 2024	मॉस्को, रूस	17-20 सितंबर 2024
4.	एसआईएएल (सियाल) पेरिस 2024	पेरिस, फ्रांस	19-23 अक्तूबर 2024
5.	फुड इंग्रीडियन्स नोर्थ अमेरिका 2024	लास वेगास, यूएसए	30-31 अक्तूबर 2024
6.	गल्फूड मैन्युफैक्चरिंग 2024	दुबई, युएई	5-7 नवंबर 2024
7.	फुड इंग्रीडियन्स यूरोप 2024	फ्रैंकफूर्ट, जर्मनी	19-21 नवंबर 2024
8.	फूडेक्स जापान 2025	टोक्यो, जापान	11-14 मार्च 2025
9.	आईएफई मैन्युफैक्चरिंग 2025	लंदन, यूके	17-19 मार्च 2025

ग) ऑनलाइन प्रचार अभियान

प्रचार विभाग ने भारतीय मसालों और स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों के प्रचार के लिए 2024-25 में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया। ऑनलाइन दर्शकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए, सोशल मीडिया अभियानों ने मसालों के बारे में इनकी वानस्पतिक और भौगोलिक जानकारी, व्यापारिक डेटा, चिकित्सकीय और पाक सम्बंधित पहलुओं आदि सहित, जागरूकता पैदा की।

घ) स्पाइस एक्सचेंज इंडिया-स्पाइसेस बोर्ड का बी2बी पोर्टल

स्पाइस एक्सचेंज इंडिया जो 20 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ था, (www.spicexchangeindia.com) स्पाइसेस बोर्ड के अभिनव 3डी वर्चुअल पोर्टल के रूप में कार्य करता है, जिसे रणनीतिक रूप से कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न बाजार अंतराल को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बी2बी प्लेटफॉर्म भारतीय मसाला उद्यमियों के लिए पर्याप्त व्यावसायिक संभावनाओं को खोलने के लिए तैयार है। चौबीसों घंटे वर्चुअल कार्यालय स्थान, एआई-संचालित अनुशंसा प्रणाली, बाजार अंतर्दृष्टि और वैश्विक मसाला व्यापार डेटा तक पहुंच प्रदान करते हुए, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया का लक्ष्य व्यावसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित करना और पहुंच को बढ़ाना है। यह पोर्टल, जिसे बोर्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मान्यता दी गई है, 2024-25 की अवधि के दौरान मसाला क्षेत्र के उद्यमियों को समर्थन प्रदान कर रहा है।

ङ) पत्रिकाएं

अ) स्पाइस इंडिया

आवधिक प्रकाशन, स्पाइस इंडिया, पांच अलग-अलग भाषाओं; अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल में एक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। पत्रिकाएँ इस अवधि के दौरान नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं।

आ) विदेश व्यापार पूछताछ बुलेटिन(फोरिन ट्रेड एनक्वायरीज़ बुलेटिन)

स्पाइसेस बोर्ड एक बुलेटिन तैयार करता और जारी करता है, जिसे विदेश व्यापार पूछताछ बुलेटिन (FTEB) के नाम से जाना जाता है, जिसमें विदेशी व्यापार मेलों, ईमेल और बोर्ड के कार्यालयों से सीधे पूछताछ से प्राप्त व्यापार पूछताछ को समेकित किया जाता है। यह बुलेटिन मूल्यवान व्यापारिक लीड और अवसर प्रदान करके मसालों के निर्यात की सुविधा प्रदान करने का काम करता है। सबस्क्राइबर्स को यह प्रकाशन आसान पहुंच और उपयोग के लिए ईमेल के माध्यम से प्राप्त होता है।

इ) अन्य प्रकाशन

वर्ष 2024-25 के दौरान मसालों, मसालों के उपयोग, मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों आदि से संबंधित ब्रोशर, पैम्फलेट और पैनल मुद्रित किए गए।

च) विज्ञापनों का जारी होना

वर्ष के दौरान स्पाइसेस बोर्ड में रिक्तियों, निविदाओं आदि के बारे में विज्ञापन जारी किए गए। इनके अलावा स्पाइसेस बोर्ड के बारे में सामान्य जानकारी और इलायची के प्रचार के लिए भी विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए थे।

छ) प्रेस विज्ञप्तियां

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निर्यात प्रदर्शन और रुझानों, पहलों, गतिविधियों और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों आदि का विवरण देने वाली प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गईं।

08

गुणवत्ता सुधार

कोच्ची में स्पाइसेज़ बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (QEL) की स्थापना वर्ष 1989 में बोर्ड की अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची को ब्रिटिश मानक संस्थान (BSI), यू. के. द्वारा 1997 से ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत, 1999 से ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रमाणित किया गया है और इसे राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL), भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), भारत सरकार द्वारा सितंबर 2004 से ISO/IEC:17025 प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत भी मान्यता प्राप्त है। चूंकि गुणवत्ता को प्रमुख प्रतिबद्धता माना जाता है, इसलिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने गुणवत्ता प्रणालियों को निरंतर उन्नत करके अपनी विश्वसनीयता हमेशा बनाए रखा है और बनाए रखना जारी रखा है। प्रयोगशाला को BSI द्वारा नवीनतम उन्नत प्रणालियों, ISO 9001:2015 और ISO 14001:2015 के तहत प्रमाणित किया गया है, और NABL द्वारा ISO/IEC 17025:2017 (NABL-FSSAI एकीकृत) के तहत मान्यता भी प्राप्त है।

भारत से निर्यात किए जाने वाले मसाले उपयुक्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हों तथा ग्राहकों को समय पर, विश्वसनीय और सटीक परीक्षण परिणाम उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से स्पाइसेज़ बोर्ड ने क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं स्थापित करके पूरे भारत में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। प्रमुख निर्यात केन्द्रों अर्थात चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और कोलकाता में वर्तमान में सात क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला संचालित हो रहे हैं, तथा स्पाइसेस पार्क, जोधपुर में जीरा और अन्य बीज मसालों के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधा और माइलाडुम्परा, इडुक्की में छोटी इलायची में कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित है। कोच्ची, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई, नई दिल्ली, तूतीकोरिन और कांडला स्थित प्रयोगशालाओं को NABL द्वारा ISO/IEC 17025:2017 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, तथा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोलकाता मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला बोर्ड के निर्यात खेपों के अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण के तहत नमूनों का विश्लेषण करते हैं, भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करते हैं और देश में उत्पादित और संसाधित मसालों की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करते हैं। प्रयोगशालाएं आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित हैं। प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक सेवाओं से संबंधित दस्तावेज, जिसमें कार्यपत्रक तैयार करना और विश्लेषणात्मक परिणाम प्रस्तुत करना शामिल है, 'QUADMAS' नामक सॉफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन बनाए जाते हैं और इन्हें लगातार अपडेट किया जाता है।

क. विश्लेषणात्मक सेवाएँ

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के परीक्षण का दायरा स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट पर मुख्य शीर्षक - गुणवत्ता और उप-शीर्षक - विश्लेषणात्मक सेवाएं और शुल्क के अंतर्गत उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेपों के अनिवार्य परीक्षण के तहत निम्नलिखित विश्लेषण के लिए सेवाएं प्रदान करना जारी रखा:

1. मिर्च (कुटी हुई, पाउडर और पिसी हुई), मिर्च के बीज, करी पाउडर, करी मसाला, करी पेस्ट, और हल्दी पाउडर और इसके उत्पादों (कटे हुए को छोड़कर) में एफ्लाटॉक्सिन और सूडान डाई (I से IV) के लिए परीक्षण।
2. साबुत मिर्च, हल्दी (साबुत और कटी हुई), अदरक और उसके उत्पाद, जायफल और उसके उत्पाद, जावित्री और उसके उत्पाद, तथा खाने के लिए तैयार वस्तुओं में एफ्लाटॉक्सिन की जांच।
3. करी पत्ते में कीटनाशकों (114 कीटनाशकों) की जांच।
4. जीरे में बाहरी पदार्थ और अन्य बीजों की जांच।

5. मिर्च, अदरक, काली मिर्च, पिमेंटा (ऑलस्पाइस), वेनिला, दालचीनी और दालचीनी के फूल, लौंग (पूरे फल, लौंग और तने), जायफल, जावित्री, इलायची, सौंफ के बीज, बादियान खटाई, सौंफ, धनिया, जीरा/ कैरवे, जुनिपर बेरीज, केसर, हल्दी, और अन्य मसाले, वनस्पति युक्त खाद्य पूरक, सरसों के बीज, सरसों का आटा, सरसों का आटा और तैयार सरसों, थाइम, लॉरेल/ तेज पत्ता/ करी पत्ता, तुलसी, मेंहदी, ऋषि, अजमोद, तारगोन, अजवाइन, मसाला मिश्रण (मसाला, करी ग्रेवी) खाने के लिए तैयार वस्तुएं, पकाने के लिए तैयार उत्पाद, सॉस और तैयारियां, मिश्रित चट नियों और मिश्रित मसालों में एथिलीन ऑक्साइड (क्द्यग्र) की जांच।
6. मिर्च (साबुत, कुचली हुई और पिसी हुई), मिर्च के बीज, करी पाउडर और करी मसाला, करी पेस्ट, और जीरा और पिसे हुए जीरे में साल्मोनेला की जांच।
7. मिर्च (साबुत, पाउडर, बीज, कुचला और पिसा हुआ), करी पाउडर और करी मसाला, करी पेस्ट, जीरा, जीरा (कुचल और पिसा हुआ), हल्दी (साबुत, सूखा, कट ा/फाड़ा और पाउडर), इलायची (पूरी और पिसी हुई), काली मिर्च (साबुत और पिसी हुई), और मेथी (साबुत और पिसी हुई) में कीटनाशक अवशेषों (ट्रायजोफोस, इप्रोबेनफोस, प्रोफेनोफोस, क्लोरपाइरीफोस, एथियन, मिथाइल पैराथियोन, पैराथियोन और फोरेट) की जांच।
8. जीरा (बीज, पिसा हुआ, कुचला हुआ) में चीन को निर्यात के लिए कीटनाशक अवशेषों (कार्बोसल्फान, क्लोरपाइरीफोस, कार्बेन्डाजिम, साइफ्लुथ्रिन, बीटा-साइफ्लुथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, बीटा-साइपरमेथ्रिन, मैलाथियान, डिसल्फोटोन, एकेफेट और प्रोफेनोफोस) और यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए 190 कीटनाशक अवशेषों की जांच
9. आयातित काली मिर्च की खेप में पिपेरिन और ओलियोरेसिन सामग्री का विश्लेषण।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 01 जून 2024 से अनिवार्य परीक्षण के लिए अपनी विश्लेषणात्मक सेवा में क्द्यग्र को एक पैरामीटर के रूप में शामिल किया है। प्रयोगशाला ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंग, कीट नाशक अवशेष, बाहरी पदार्थ, अन्य बीज, क्द्यग्र और साल्मोनेला सहित कुल 1,79,654 मापदंडों का विश्लेषण किया था।

निर्यात खेपों के अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण के दायरे के

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला	प्राप्त नमूनों की संख्या	परीक्षण किये गये मापदंडों की संख्या	परीक्षण किये गये अनिवार्य नमूनों की संख्या
कोच्ची	18983	37675	34537
कांडला	18147	37527	37342
चेन्नई	20526	26950	20417
मुंबई	19292	36865	32780
नरेला	2839	6232	5964
तूतीकोरिन	4815	10196	10190
गुंटूर	11200	19319	18455
कोलकाता	3913	4684	4665
जोधपुर	103	206	206
कुल योग	**99818**	**179654**	**164556**

विस्तार की आवश्यकता का आकलन करने के लिए आयातक देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण मसाला निर्यात की अस्वीकृति की निगरानी और समीक्षा की गई।

ख. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कर्मचारियों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार लाने और प्रयोगशालाओं द्वारा अपनाई गई विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों की आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं में भाग लिया:

1. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची के वैज्ञानिक-सी, वरिष्ठ रसायन विज्ञानी और कनिष्ठ रसायन विज्ञानी ने केरल राज्य उत्पादकता परिषद, कलमश्शेरी, केरल द्वारा 25 जून 2024 से 26 जून 2024 तक आयोजित 'ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर आंतरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम' में भाग लिया।

2. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची के कनिष्ठ रसायन विज्ञानी ने 22 जुलाई 2024 से 23 जुलाई 2024 तक कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT), कोच्ची के परिष्कृत परीक्षण और इंस्ट्रूमेंटेशन केंद्र (STIC) द्वारा आयोजित "ISO/IEC 17025:2017 के अनुसार विधि सत्यापन, वैधीकरण और माप अनिश्चितता" पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

3. वैज्ञानिक-सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 26 जुलाई 2024 को हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में भारत में 'डेटा उत्पादन और अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) निर्धारण के फसल समूहीकरण सिद्धांत' पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

4. वैज्ञानिक-सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 20 अगस्त 2024 को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), नई दिल्ली में FAD 9 (मसाले की तकनीकी समिति), "तकनीकी समिति के सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला-सह-मंथन सत्र" में भाग लिया।

5. वैज्ञानिक-सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 30 अगस्त 2024 को हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशंस, बेंगलुरु द्वारा आयोजित "खाद्य पदार्थों में खनिज तेल घटकों के विश्लेषण पर कार्यशाला" में भाग लिया।

6. वैज्ञानिक-सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, गुंटूर ने होटल द चांसरी पैवेलियन, बेंगलुरु, कर्नाटक में 18 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक "ISO/IEC 17025:2017 पर आधारित NABL मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" में भाग लिया।

7. वैज्ञानिक-ए, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 20 नवंबर 2024 को ITC ग्रैंड चोला, चेन्नई में स्पिनको चेन्नई और शिमादज़ु जापान द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय मास स्पेक्ट्रोमीटर सम्मेलन" में भाग लिया।

8. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची के वरिष्ठ रसायनविज्ञानी और कनिष्ठ रसायनविज्ञानी ने 06 जून 2024 से 07 जून 2024 तक मानसून एम्प्रेस, कोच्ची में "मसालों के नमूने और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के विनियमों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम" में भाग लिया।

9. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कांडला ने 09 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक गुजरात के ऊंझा में "मसाला उद्योग के लिए नमूनाकरण और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के नियमों पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम" में भाग लिया।

10. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई, और वैज्ञानिक-ए, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 12 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक नवी मुंबई में "मसालों के नमूने और प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ के नियमों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम" में भाग लिया।

11. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 18 दिसंबर 2024 को BIS-राष्ट्रीय प्रशिक्षण मानकीकरण संस्थान (NITS), नोएडा द्वारा आयोजित "ISO ऑनलाइन मानक विकास" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

12. कनिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 28 दिसंबर 2024 को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (TCB) प्रभाग, QCI द्वारा आयोजित 'सूक्ष्मजीववैज्ञानिक परीक्षण के लिए विधि सत्यापन और वैधीकरण' पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण में भाग लिया।

13. कनिष्ठ रसायनविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोलकाता ने 20 जनवरी 2025 से 21 जनवरी 2025 तक "रासायनिक विश्लेषण की विधि सत्यापन और वैधीकरण (कीटनाशक अवशेष, संदूषक और पोषण विश्लेषण को कवर करते हुए)" पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण में भाग लिया।

14. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 10 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक "प्रवीणता परीक्षण में उपयोग के लिए ISO 13528 2022 सांख्यिकीय विधियां" विषय पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण में भाग लिया।

15. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ने 10 फरवरी 2025 से 21 फरवरी 2025 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, रोम, इटली में 'खाद्य पदार्थों में माइकोटॉक्सिन के नमूने लेने और विश्लेषण पर सुरक्षित भोजन के लिए बेहतर प्रशिक्षण (BTSF)' प्रशिक्षण में भाग लिया।

16. कनिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 28 फरवरी 2025 को प्रशिक्षण और क्षमता

निर्माण सेल, QCI द्वारा आयोजित "ISO 16140-3 मानक के अनुसार माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण के लिए विधि सत्यापन और वैधीकरण" पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण में भाग लिया।

ग. प्रशिक्षण कार्यक्रम

अ) उद्योग के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने मसाला उद्योग के अधिकारियों के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए; (ङ) मसालों/मसाला उत्पादों के भौतिक, रासायनिक विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 29 अप्रैल 2024 से 03 मई 2024 तक, (ड) मसालों और मसाला उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों के GC-MS/LC-MS/MS विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 20 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक और (ड़) मसालों और मसाला उत्पादों में माइकोटॉक्सिन और अवैध रंगों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 20 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक। विभिन्न मसाला निर्यात/प्रसंस्करण इकाइयों, निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों से कुल 13 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

2. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 11 जुलाई 2024 को मसाला क्षेत्र के हितधारकों के लिए EtO विनियमों पर एक जागरूकता कार्यक्रम (ऑनलाइन सत्र) आयोजित किया, जिसमें 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आ) प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें प्रयोगशाला कर्मचारियों ने संसाधन कार्मिक के रूप में भाग लिया

1. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची, ने 08 अगस्त 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी विषय पर कार्यशाला में एक पैनल वक्ता के रूप में भाग लिया।

1. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची, को 27 अगस्त 2024 को, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान (JNTBGRI), पालोडे, त्रिवेंद्रम द्वारा आयोजित सुगंधित पौधों पर DBT कार्यक्रम में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।

इ) छात्र इंटर्नशिप/शैक्षणिक परियोजना कार्य

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के दो स्नातकोत्तर छात्रों, तीन स्नातक छात्रों को मार्गदर्शन/शोध प्रबंध सुविधाएं तथा एक स्नातक छात्र और एक स्नातकोत्तर छात्र को इंटर्नशिप सुविधाएं प्रदान कीं।

घ. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बैठकों में भागीदारी

1. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 07 मई 2024 को दिल्ली में "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी" विषय पर एक समीक्षा बैठक में भाग लिया।

2. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 17 जून 2024 से 20 जून 2024 तक AFNOR, पेरिस, फ्रांस में ISO/TC-34/SC-7 मसाला समिति की 32वीं बैठक में भाग लिया।

3. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 25 जुलाई 2024 को "केसर के लिए ISO मानक पर कार्य समूह की बैठक" (ऑनलाइन) में भाग लिया।

4. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 20 अगस्त 2024 को फरीदाबाद में BIS द्वारा आयोजित तकनीकी समिति के सदस्यों के लिए एक दिवसीय FAD 9 कार्यशाला-सह-मंथन सत्र में भाग लिया।

5. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 21 अगस्त 2024 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में "द्वितीय वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन की आयोजन समिति की बैठक" में भाग लिया।

6. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 21 अगस्त 2024 को कृषि भवन, नई दिल्ली में मसालों में लेबल दावों के विस्तार के संबंध में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIBRC) के सचिव के साथ एक बैठक में भाग लिया।

7. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 27 अगस्त 2024 को मसालों में कीटनाशक अवशेष विश्लेषण के लिए एक विश्लेषणात्मक विधि के विकास के लिए पैनल 2 के संयोजक के रूप में FAD27 (कीट नाशक अवशेष विश्लेषण अनुभागीय समिति) की दसवीं बैठक (वर्चुअल मोड) में भाग लिया।

8. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 26 सितंबर 2024 को BIS, नई दिल्ली में FAD 9 (मसाला तकनीकी समिति) की बैठक में भाग लिया।

9. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 07 अक्टूबर 2024 को "खतरनाक दृष्टिकोण और अपर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर "विभिन्न कीट नाशकों का MRL निर्धारण की सीमा (LOD) तक कम करने के यूरोपीय संघ के निर्णय" पर एक वर्चुअल बैठक

में भाग लिया।

10. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, गुंटूर ने 07 अक्टूबर 2024 से 08 अक्टूबर 2024 तक मलेशिया में "अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय (IPC) की गुणवत्ता पर 30वीं बैठक" में भाग लिया।

11. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 15 जनवरी 2025 को कीटनाशकों पर FAD 27 की एक्स्ट 11वीं बैठक में भाग लिया।

12. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने 20 मार्च 2025 को ISO FAD 09 मसाला अनुभागीय समिति की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

13. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई ने 20 मार्च 2025 को कोडेक्स समिति (CCCF) के अध्यक्ष के साथ नमूना योजना के लिए एक मानक का मसौदा तैयार करने के संबंध में खाद्य पदार्थों में संदूषण पर एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

ङ. आई एस ओ प्रणाली से संबंधित गतिविधियाँ

1. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला गुंटूर ने ISO 17025-2017 के निरंतर अनुपालन के लिए NABL डेस्कटॉप ऑडिट पूरा किया था।

2. क्यूईएल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कांडला ने ISO/IEC 17025:2017 नवीनीकरण ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।

3. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ने निरंतर अनुपालन के लिए NABL FSSAI एकीकृत निगरानी ऑडिट 08 मार्च 2025 से 09 मार्च 2025 तक और ISO 9001:2015 और ISO 14001:2015 ऑडिट 17 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।

च. स्पाइसेज़ बोर्ड का चेक नमूना कार्यक्रम/प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम

अ) अंतर-प्रयोगशाला जांच नमूना (ILC) कार्यक्रम का विवरण

1. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, तूतीकोरिन ने जीरा में बाहरी पदार्थ और अन्य बीजों तथा हल्दी पाउडर में करक्यूमिन सामग्री के मापदंडों के लिए ILC कार्यक्रम का आयोजन किया।

2. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने एंटरोबैक्टीरियासी पैरामीटर के लिए ILC कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

3. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने पैरामीटर कीट नाशक अवशेषों के लिए ILC कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

आ) PT कार्यक्रम विवरण

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संचालित दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों, जैसे खाद्य विश्लेषण प्रदर्शन मूल्यांकन योजना (FAPAS), अंतर्राष्ट्रीय पेपर समुदाय, फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, और आश्वी दक्षता परीक्षण एवं विश्लेषणात्मक सेवाओं के अंतर्गत, विभिन्न गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (कोच्ची, तूतीकोरिन, चेन्नई, नरेला, गुंटूर, मुंबई, कांडला और कोलकाता) ने विभिन्न भौतिक, रासायनिक और अवशिष्ट मापदंडों, जैसे एफ्लाटॉक्सिन, ऑक्रैटॉक्सिन A, सिंथेटिक डाई (सूडान I से IV, पैरारेड), कीटनाशक अवशेष (क्लोरपाइरीफॉस, डायज़िनॉन), अम्ल अघुलनशील राख, कुल राख, वाष्पशील तेल, नमी, करक्यूमिन, पिपेरिन, बाहरी/विदेशी पदार्थ, अन्य बीज, कैप्साइसिन, कुल कैप्साइसिनोइड्स (SHU), ASTA कलर और सूक्ष्मजीवविज्ञानी पैरामीटर जैसे *साल्मोनेला*, *स्टैफिलोकोकस ऑरियस*, कुल एरोबिक माइक्रोबियल गणना, यीस्ट और मोल्ड गणना, *ई.कोलाइ*, कोलीफॉर्म, एंटरोबैक्टीरियासी, *बैसिलस सेरेस* में भाग लिया।

छ. शुरू की गई परियोजनाएं/मानकीकरण कार्य

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोलकाता ने मसालों में गुणवत्ता मापदंडों के मानकीकरण का कार्य शुरू किया है।

ज. प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उपकरणों की खरीद

1. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने एक नया ICP MS (इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री) प्रणाली खरीदा और इसके दायरे में ट्रेस-लेवल हेवी मेटल विश्लेषण को शामिल करके अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाया। यह उन्नत प्रणाली गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला को मसालों में अति-निम्न-स्तरीय ट्रेस धातु विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। प्रयोगशाला ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए मसालों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मसालों में लेड जैसी खतरनाक धातुओं सहित, 11 भारी धातुओं के लिए विश्लेषणात्मक सेवाएं शुरू कीं। इस अपग्रेड से गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची को मसालों में भारी धातुओं के लिए कड़े विनियामक और संवेदनशीलता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ने माइक्रोबायोलॉजी अनुभाग में उप-नमूनाकरण के

लिए एक वर्टिकल लेमिनर एयर फ्लो यूनिट भी खरीदा।

2. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई ने एक नई LC-MS/MS (लिक्विड क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री) प्रणाली जोड़कर विश्लेषणात्मक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। नए LC-MS/MS का उपयोग सिंथेटिक खाद्य रंगों और कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण में किया जाता है।

झ. कोडेक्स, आई एस ओ और आई एस से संबंधित गतिविधियाँ

i. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची, सूखे और निर्जलित धनिया के लिए कोडेक्स मसौदा मानक पर EWG के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ii. वैज्ञानिक ए, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई वेनिला के लिए कोडेक्स मसौदा मानक पर EWG के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

iii. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, गुंटूर, मीठे मरुआ के लिए कोडेक्स ड्राफ्ट मानक पर EWG के सदस्य हैं।

iv. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कांडला दालचीनी के लिए कोडेक्स मसौदा मानक पर EWG के सदस्य हैं।

v. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ISO/TC 34/SC 7/WG 9 के संयोजक हैं, तथा ISO मानकों 951-1 और 951-2 - काली और सफेद मिर्च के संशोधन का समन्वय कर रहे हैं।

vi. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ISO 5562 हल्दी (ISO/TC 34/SC 7/WG 10) के संशोधन की परियोजना के नेता हैं।

vii. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची, काली मिर्च में पिपेरिन के विश्लेषण की ISO 11027 विधि के संशोधन की परियोजना के नेता हैं।

viii. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची, जड़ी-बूटियों और मसालों में मिलावट का पता लगाने के लिए ISO/TC 34/SC 7/AHG 1 क्षैतिज मानक का सदस्य है।

ix. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची और वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई, ज़ैंथोक्सिली पेरीकार्पियम पर ISO/TC 34/SC 7/WG 7 के सदस्य हैं।

x. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची सूखे चूने पर ISO/TC 34/SC 7/WG 8 के सदस्य हैं।

xi. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची, वैज्ञानिक वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला नरेला, और वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई केसर पर ISO/TC 34/SC 7/WG 11 के सदस्य हैं।

xii. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची, और वैज्ञानिक ए. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई, वेनिला पर ISO/TC 34/SC 7/WG 12 के सदस्य हैं।

xiii. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची, लेमन ग्रास पर SO/TC 34/SC 7/WG 13 के सदस्य हैं।

14. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची, मिर्च, अदरक, काली मिर्च और हल्दी के ओलियोरेसिन के विनिर्देशों में संशोधन के लिए FAD 9/पैनल 1 के सदस्य हैं।

15. वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची हींग के अध्ययन पर FAD 9 अनुसंधान और विकास परियोजना के तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों का निर्धारण करना है।

ञ. मसालों के लिए विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला नेटवर्क (ALNS) को प्रयोगशाला पैनल योजना के माध्यम से मजबूत करना

अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक खाद्य बाजार में खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा प्रमुख विभेदक बनकर उभरे हैं। यद्यपि भारत को मसालों और मसाला उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है, फिर भी इस अग्रणी स्थिति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए उत्पाद सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन और प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से, स्पाइसेस बोर्ड इंडिया अनिवार्य और स्वैच्छिक परीक्षण कार्यक्रमों के संयोजन के माध्यम से मसाला निर्यात की गुणवत्ता की निगरानी और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये गतिविधियाँ बोर्ड के गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला) के नेटवर्क के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जो रणनीतिक रूप से पूरे देश में स्थित हैं।

अपनी गुणवत्ता और सुरक्षा जांच रूपरेखा को मजबूत और विस्तारित करने के लिए, बोर्ड ने 2022 में ISO/IEC 17025:2017 के तहत मान्यता प्राप्त निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने की पहल शुरू की। इन प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा निर्धारित विशिष्ट मापदंडों के परीक्षण हेतु उनकी क्षमताओं के आधार पर किया जाता है, तथा चल रहे परीक्षण प्रयासों को समर्थन देने के लिए उन्हें प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया गया है। इस

पैनलबद्धता योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रयोगशाला की पहुंच प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों और प्रमुख निर्यात केन्द्रों के निकट सुनिश्चित करके जांच में लगने वाला समय (TAT) कम करना है। इसके अलावा, यह पहल बोर्ड को आयातक देशों द्वारा उठाई गई परीक्षण आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करने और भारत के मसाला निर्यात उद्योग के समग्र विकास के लिए निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता और उन्नत बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।

वर्तमान में, बोर्ड के आठ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, पैनलबद्ध प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर मसालों के लिए विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला नेटवर्क नामक एक समेकित परीक्षण ढांचा बनाते हैं। इस संरचना के अंतर्गत, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला जांच करने वाली मुख्य संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं, जबकि पैनलबद्ध प्रयोगशालाएं क्षमता और भौगोलिक पहुंच बढ़ाने के लिए द्वितीयक सहायता इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं। पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए, बोर्ड ने 2022 में प्रयोगशाला पैनलीकरण योजना पर एक व्यापक मैनुअल प्रकाशित किया था, जिसमें पात्रता मानदंड, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का विवरण दिया गया है। इस मैनुअल को 2024 में उभरते उद्योग की जरूरतों और नियामक चुनौतियों के अनुरूप संशोधित किया गया। वर्ष 2023 में, बोर्ड ने NABL को QCI के तहत उनकी एकीकृत मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पैनल आवश्यकताओं के अनुपालन को सत्यापित करने का काम सौंपा। वर्तमान में, अनिवार्य परीक्षण गतिविधियों के लिए 11 प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तथा नेटवर्क का आगे विस्तार सक्रिय रूप से चल रहा है।

09

कोडेक्स सेल एवं हस्तक्षेप

I. मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एस सी एच) का अवलोकन

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मातहत एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर-सरकारी निकाय है, जिसके 189 से अधिक देश सदस्य हैं, यह रोम में स्थित है और इसका काम भोजन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों को तैयार करना है। कोडेक्स द्वारा विकसित खाद्य मानकों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में मान्यता दी गई है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) अपना कार्य विभिन्न कोडेक्स समितियों के माध्यम से संचालित करता है, जिनकी अध्यक्षता कोडेक्स के विभिन्न सदस्य देश करते हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वव्यापी सुसंगत मानकों की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मसाला व्यापार प्रभावित हो रहा था, स्पाइसेस बोर्ड के आदेश पर भारत द्वारा 2012 में मसालों और पाक शाकों के लिए कोडेक्स में एक नई कोडेक्स समिति के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया था। मसालों और पाक शाकोंसे संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) को जुलाई 2013 के दौरान FAO मुख्यालय, रोम में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटे रियस कमीशन(CAC) के 36वें सत्र में अनुमोदित किया गया था। समिति की स्थापना 105 से अधिक सदस्य देशों के समर्थन से हुई; जिसमें भारत मेजबान देश और स्पाइसेस बोर्ड मेजबान संगठन था।

मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) के कार्यक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों, अन्य उपलब्ध मानकों और विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए मसालों और पाक-शाकों में गुणवत्ता मापदंडों के लिए वैश्विक मानकों में सामंजस्य स्थापित करना शामिल है। ये कोडेक्स मानक स्वैच्छिक हैं और सदस्य देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय नियमों को सुसंगत और संरेखित करने में इनका उपयोग किया जाता है। कोडेक्स मानकों को विश्व व्यापार संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों के मध्यस्थता में भी संदर्भित किया जाता है।

मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) की मेजबानी और अध्यक्षता भारत द्वारा की जाती है, तथा स्पाइसेस बोर्ड, भारत इसका स्थायी सचिवालय है। डॉ. एम.आर. सुदर्शन (सेवानिवृत्त निदेशक अनुसंधान, स्पाइसेस बोर्ड) इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

अब तक भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड द्वारा समिति के सात सत्र आयोजित किये जा चुके हैं। मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH)-1 सत्र 2014 में कोच्ची में, CCSCH-2 सत्र 2015 में गोवा में, CCSCH-3 सत्र 2017 में चेन्नई में और CCSCH-4 सत्र 2019 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण, दो सत्र वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए, अर्थात अप्रैल 2021 के दौरान CCSCH-5 पूरी तरह से वर्चुअल मोड में और सितंबर-अक्टूबर 2022 के दौरान CCSCH-6 पूरी तरह से भौतिक हेड टेबल और प्रतिनिधियों की ऑनलाइन उपस्थिति के साथ। सातवां सत्र 2024 के दौरान कोच्ची में आयोजित किया गया था।

II. कोडेक्स द्वारा मसालों और पाक-शाकों के लिए नए मानकों को अपनाना

नवंबर 2024 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (CAC47) के 47वें सत्र में CCSCH समिति द्वारा विकसित तीन और मसाला मानकों अर्थात हल्दी, छोटी इलायची और सूखे या निर्जलित फलों और बेरियों के लिए समूह मानक - ऑलस्पाइस, जुनिपर बेरी और स्टार ऐनीज़ को अपनाया गया। वर्तमान में, कुल 14 पूर्ण मसाला मानक जिनमें 16 मसाले हैं, प्रकाशित हैं और कोडेक्स के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

III. मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति - 8 वां सत्र

मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (CCSCH8) का

आठवां सत्र 13-17 अक्टूबर 2025 के दौरान आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में, मसालों पर पांच नए कोडेक्स मानकों, अर्थात वेनिला, स्वीट मार्जोरम, धनिया, बड़ी इलायची और दालचीनी का विकास कार्य प्रगति पर है, जिन पर आगामी सत्र में विचार किया जाएगा। भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिक धनिया के मानक के विकास पर इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह (EWG) की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा, स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिक भी वर्तमान में विकसित किए जा रहे अन्य मसाला मानकों के लिए EWG में सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं। दिसंबर 2024 के दौरान मसालों और पाक शाकोंपर कोडेक्स समिति के आठवें सत्र के आयोजन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय (MoC) के साथ पत्राचार शुरू कर दिया गया है।

IV. खाद्य पदार्थों में संदूषकों पर कोडेक्स समिति -17वां सत्र

खाद्य पदार्थों में संदूषकों पर कोडेक्स समिति (CCCF17) का 17वाँ सत्र अप्रैल 2024 में पनामा सिटी में आयोजित हुआ जिसमें स्पाइसेस बोर्ड के एक अधिकारी ने, मसालों में माइकोटॉक्सिन की अधिकतम सीमा के विकास पर इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया था। बैठक के दौरान, समिति ने मसालों में माइकोटॉक्सिन के परीक्षण के लिए नमूनाकरण योजना को कोडेक्स प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ाने की सिफारिश की, तथा निर्णय नियम और कुल नमूना भार पर भारत के प्रस्तावों पर सहमति भी व्यक्त की।

इस समिति सत्र में मसालों में लेड संदूषक का अधिकतम स्तर (MLs) का विकास भी प्रगति पर रहा। नवंबर 2024 के दौरान जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (CAC47) के 47वें सत्र में सूखे एरिल, सूखे पुष्प भाग, सूखे फल और बेरीज, सूखे पेपरिका और सुमाक, सूखी सिचुआन काली मिर्च और स्टार ऐनीज़, सूखे प्रकंद और जड़, और सूखे बीजों में लेड का अधिकतम स्तर को स्वीकृति दी गई। सूखी छाल और सूखी पाक शाकों में भी लेड का अधिकतम स्तर को स्वीकृति दी गई। CAC47 ने मसालों के लिए समूह में लेड का अधिकतम स्तर निर्धारित करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में भारत की चिंता को नोट किया, जिससे नमूनों का असमान वितरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लेड का अधिकतम स्तर संभावित रूप से गैर-प्रतिनिधिक हो सकते हैं। CAC47 ने सदस्य देशों को CCCF18 (2025) में चर्चा और निर्णय लेने में सुविधा के लिए डेटा की मांग पर प्रतिक्रिया देने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

वर्तमान में, भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिक 'कुछ मसालों (सूखी मिर्च, जायफल और लाल शिमला मिर्च) में कुल एफ्लाटॉक्सिन और ओक्रैटॉक्सिन ए के लिए नमूनाकरण योजना' विषय पर इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं।

V. निर्यात अस्वीकृतियों की निगरानी के लिए तकनीकी-वैज्ञानिक समिति

भारतीय मसालों के निर्यात अस्वीकृतियों तथा भारतीय मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित अन्य तकनीकी मामलों की निगरानी के लिए स्पाइसेस बोर्ड में एक तकनीकी-वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया। मार्च 2025 तक, कुल 15 सत्र आयोजित किए गए हैं, जिनमें इस अवधि के दौरान हुए निर्यात अस्वीकृतियों के मूल कारणों का विश्लेषण किया गया तथा बोर्ड को सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

VI. राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा समिति (NCSQS)

स्पाइसेस बोर्ड ने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक सलाहकार समिति अर्थात, 'राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा समिति' (NCSQS) का गठन किया है जिसमें गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं सहित भारतीय मसालों और उनके निर्यात को प्रभावित करने वाली चुनौतियों और तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मसाला क्षेत्र के विभिन्न विभागों, संस्थानों और हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा समिति (NCSQS3) का तीसरा सत्र 24 अक्तूबर 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। सत्र की अध्यक्षता स्पाइसेस बोर्ड के निदेशक (अनुसंधान) ने किया था। इस सत्र में नियामक क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों जैसे कि सचिव CIB एवं RC, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सलाहकार तथा भारतीय मसाला क्षेत्र की समिति के सदस्यों ने भाग लिया। समिति ने मसाला क्षेत्र के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों, जैसे मसालों में उपयोग के लिए कीटनाशकों के लेबल दावों का विस्तार और FSSAI के तहत भारत में एथिलीन ऑक्साइड की नियामक स्थिति पर चर्चा की, तथा विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गईं, तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर हैं।

कोडेक्स सेल बैठक के आयोजन, एजेंडा, बैठक के विवरण आदि तैयार करने में सहायता करता है।

VII. आई एस ओ टी सी-34/एस सी 7

आई एस ओ टी सी-34/एस सी 7 अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) के अंतर्गत एक उपसमिति है जो मसालों, पाक शाकों और चटनियों के लिए आई एस ओ मानक विकसित करती है। स्पाइसेस बोर्ड के निदेशक अनुसंधान इस आई एस ओ उपसमिति के अध्यक्ष हैं। आई एस ओ टी सी-34/एस सी 7 और संबंधित कार्य समूह की 32वीं बैठक 17 से 20 जून 2024 के दौरान पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। डॉ. ए.बी. रेमा श्री, निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेज़ बोर्ड ने बैठक में भाग लिया और इसकी अध्यक्षता की। कोच्ची स्थित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के एक वैज्ञानिक भी समिति के सदस्य के रूप में बैठक में शामिल हुए।

इस समिति में नए आइ एस ओ मानकों पर, तथा कुछ मौजूदा आई एस ओ मानकों में संशोधन का भी काम चल रहा है। इसके अलावा, समिति द्वारा 51 आई एस ओ मानकों की समीक्षा भी की गई। समिति ने नए मानकों के विकास के लिए आठ विनिर्देशों/परीक्षण विधियों के लिए नए कार्य मद प्रस्ताव शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिक मसाला मानकों के विकास/संशोधन/नए कार्य प्रस्तावों के लिए गठित विभिन्न कार्य समूहों का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में, TC 34/SC7 समिति की जिम्मेदारी के तहत 80 आई एस ओ मसाला मानक प्रकाशित किए गए हैं।

VIII. मसाले, पाक शाकों और मसाला अनुभागीय समिति, एफ ए डी 9

मसाले, पाक शाकों और मसालों की अनुभागीय समिति FAD-9 निम्नलिखित से संबंधित है:

(क) मसालों, पाक शाकोंऔर चटनियों के भारतीय मानकों (IS) का विकास

(ख) पोषण संबंधी पहलुओं सहित गुणवत्ता मूल्यांकन की सामान्य कार्यप्रणाली, और

(ग) आई एस ओ /TC 34/SC 7 मसालों, पाक शाकों और चट नियों की उपसमिति से संपर्क।

डॉ. ए.बी. रेमाश्री, निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड भारत इस समिति की अध्यक्षा हैं और इस अवधि के दौरान उन्होंने चार सत्रों की अध्यक्षता की; FAD9 की 23वीं बैठक 19 अप्रैल 2024 को, FAD9 की 24वीं बैठक 26 सितंबर 2024 को, FAD9 की 25वीं बैठक 04 दिसंबर 2024 को और FAD9 की 26वीं बैठक 20 मार्च 2025 को।

समिति की बैठक में भारतीय मानकों की उस सूची को अंतिम रूप दिया गया, जिनमें संशोधन किया जाना है, ताकि भारतीय मानकों के मसौदे को संशोधित रूप में अपनाने और अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके। हींग के अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजना की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य मानक विकसित करने के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मापदण्ड निर्धारित करना था।

10

निर्यातोन्मुख अनुसंधान

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (ICRI) अपने अनुसंधान प्रयासों को फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, फसल उत्पादन, फसल संरक्षण और फसल कटाई के बाद के अध्ययनों पर केंद्रित करता है। अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र छोटी और बड़ी इलायची दोनों के लिए पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा विश्लेषण, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करने वाली फसल संरक्षण रणनीतियां थे। इसके अलावा, ICRI अपने अनुसंधान के परिणामों को प्रौद्योगिकियों के रूप में परामर्श सेवाओं, जैव-एजेंट उत्पादन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक-किसान संवाद सत्र, मोबाइल मसाला क्लीनिक, वेबिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ऑडियो-विजुअल मीडिया और प्रकाशनों के माध्यम से प्रसार जैसी विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किसानों और लक्षित समूहों तक पहुंचाता है। स्थायित्व पर जोर देते हुए, ICRI इलायची की खेती में कीटनाशक के उपयोग को न्यूनतम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। इसमें एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM), और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) प्रणालियों के साथ-साथ जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहन दिया गया। अपनी क्षमताओं को और बढ़ाते हुए, ICRI ने मायलाडुमपारा में अत्याधुनिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की। मसाला किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, राज्य बागवानी मिशन, केरल की सहायता से, ICRI ने काली मिर्च के गुणन के लिए बारह उच्च तकनीक वाले पॉलीहाउस स्थापित किए, जिनमें सिंचाई के लिए स्वचालन के साथ-साथ सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रण और खेत में इलायची चूषक नर्सरी भी शामिल है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), रबर बोर्ड, केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) और कीटनाशक निर्माताओं के साथ अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में कई सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए गए।

क) फसल सुधार

अ) छोटी इलायची

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, स्पाइसेस बोर्ड, मैलाडुम्पारा द्वारा विकसित छोटी इलायची की अधिक उपज देने वाली, उत्कृष्ट, जलवायु अनुकूल किस्म, ICRI 10 (ICRI सुगंधा भारती) को कृषि और बागान फसलों पर केरल राज्य किस्म विमोचन समिति द्वारा 12 नवंबर 2024 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित अपनी 29वीं बैठक के दौरान जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. बी. अशोक IAS, कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव (कृषि), केरल सरकार ने की। इस किस्म में प्रोस्ट्रेट पैनिकल्स होते हैं जिनकी उपज क्षमता मध्यम प्रबंधन के तहत 3,500-4,000 किलोग्राम/हेक्टेयर तक है। कैप्सूल की शुष्क रिकवरी 23.5 प्रतिशत है। लगभग 80 प्रतिशत सूखे कैप्सूल सात (7) मिमी से बड़े आकार के होते हैं और उनका रंग हल्का हरा होता है। ये पौधे सूखे की स्थिति, बीमारियों, थ्रिप्स और बोरर संक्रमण के प्रति सहनशील हैं। नई किस्म के लगभग साठ प्रदर्शन भूखंड केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के इलायची क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

प्रायोगिक उद्देश्य के लिए तथा किसानों को आपूर्ति करने के लिए उत्कृष्ट क्लोनों का ICRI क्षेत्रीय स्टेशन, सकलेशपुर में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। कर्नाट क में जरूरतमंद किसानों को MCC 260- (1000 नग), SHC 1- (500 नग) और SHC 2 - (500 नग) और ICRI 5 - (500 नग) की आपूर्ति की गई।

आ) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची के तीन जर्मप्लाज्म, रंभांगे, दारुपट्टी और गोल्सी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों तथा सिक्किम के मंगन जिले से एकत्र किए गए तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR), नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार पासपोर्ट डेटा भी दर्ज किया गया। जर्मप्लाज्म में श्रेष्ठ लक्षणों के मूल्यांकन में, SCC 212 को ब्लाइट रोग के प्रति सहनशील पाया गया। संकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, आठ संकर वंशक्रम विकसित किए गए तथा वर्तमान में वे विकास प्रदर्शन और रोग प्रतिरोधकता के मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, एक स्क्रीनिंग अध्ययन में, जिसमें दस जीनोटाइप को शामिल किया गया था, PEG 6000 (पॉलीइथिलीन

ग्लाइकॉल 6000) का उपयोग करके नियंत्रित और कृत्रिम रूप से प्रेरित सूखा स्थितियों में, गोल्सी किस्म में सूखा सहिष्णुता का उच्चतम स्तर प्रदर्शित हुआ।

ख) जैव प्रौद्योगिकी

विभिन्न आणविक मार्करों का उपयोग करके छोटी और बड़ी इलायची की चुनी हुई 150 आनुवंशिक किस्मों पर आनुवंशिक विविधता अध्ययन किए गए। विभिन्न स्थानीय प्रजातियों या किसानों द्वारा उगाई जाने वाली किस्मों का आणविक लक्षण वर्णन और ICRI किस्मों के साथ उनकी तुलना की गई। छोटी और बड़ी इलायची में रोग-संबंधी जीन की पहचान करने के लिए ट्रांसक्रिप्टोम अनुक्रमण किया गया और भिन्न रूप से व्यक्त संबंधित जीन की जांच की गई। विभिन्न स्थानों की छोटी इलायची के फ्यूजेरियम आइसोलेट्स का आणविक लक्षण-वर्णन किया गया। चुने हुए प्राइमरों का उपयोग करके पंद्रह फ्यूजेरियम आइसोलेट्स का जीन अनुक्रमण किया गया। छोटी और बड़ी इलायची के अंकुरों और खेतों में खड़े पौधों में वायरस का शीघ्र और सटीक पता लगाने हेतु वायरस इंडेक्सिंग के लिए वायरल डायग्नोस्टिक्स और विशिष्ट प्राइमरों का विकास शुरू किया गया है। भारतीय इलायची और ग्वाटेमाला इलायची के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइल का अध्ययन किया गया।

ग) कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान

अ) छोटी इलायची

डॉ. के. जी. जगदीश आईएएस, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड ने 'स्पाइस अप योर बिज़नेसः स्टेकहोल्डर्स कॉन्क्लेव एंड बायर-सेलर मीट' के दौरान, जो 11 सितंबर 2024 को आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा में आयोजित हुआ था, 'कार्ड्सऐप' लॉन्च किया। यह ऐप, जिसमें ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा प्रणाली है, उडुम्बनचोला और इडुक्की तालुकों के 19 गांवों से एकत्रित नमूनों से मृदा उर्वरता मानचित्र सहित महत्वपूर्ण मृदा परीक्षण परिणाम प्रदान करता है - ये क्षेत्र इलायची की खेती की संभावनाओं के लिए जाने जाते हैं। यह परियोजना रबर बोर्ड और केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू की गई थी। ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा प्रणाली वाला यह ऐप किसानों को डेटा-आधारित जानकारी प्रदान करके उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्डसऐप का निःशुल्क एंड्रॉयड संस्करण प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और वेब पेज संस्करण इस लिंक पर उपलब्ध हैः https://cardsapp.spicesboard.org.in/, जो छोटी इलायची के लिए एक ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा प्रणाली है।

केरल के इडुक्की जिले, तमिलनाडु और कर्नाटक के कार्डमम हिल रिजर्व के 935 मृदा नमूनों में लगभग 7332 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और उर्वरकों के उचित अनुप्रयोग के लिए सिफारिशें दी गईं। इसके अलावा, सिक्किम में 44 मिट्टी के नमूनों से 528 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया तथा मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए रिपोर्ट प्रदान की गई। 226 किसानों से प्राप्त कुल 377 मृदा नमूनों में उपलब्ध नाइट्रोजन का विश्लेषण किया गया और ₹ 40,716 का राजस्व अर्जित हुआ।

'पॉली सल्फेट', जो कि चार पोषक तत्वों वाला एकल स्रोत उर्वरक है, का 200 किग्रा/हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से उपज में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा अकेले NPK का प्रयोग करने के मानक अभ्यास की तुलना में उपज में लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इलायची में वृद्धि मापदंडों के साथ मौसम चर के संबंध को समझने के लिए प्रतिगमन मॉडल विकसित किए गए हैं। कर्नाटक की परिस्थितियों में उर्वरक की अनुशंसित मात्रा (RDF) और नैनो यूरिया का पत्तों पर छिड़काव के संयुक्त प्रयोग से अकेले नैनो उर्वरक या RDF के पत्तों पर छिड़काव की तुलना में बेहतर वृद्धि और उपज दर्ज किए गए। कर्नाटक की परिस्थितियों में अनुशंसित अभ्यास पैकेज की तुलना में, जहां इलायची पावर मिक्स (इलायची के लिए IISR माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर्मूलेशन) का उपयोग किया गया था (189.9 किग्रा/हेक्टेयर), वहां वृद्धि और उपज काफी बेहतर थी।

एक शोध पत्र जिसका शीर्षक है 'स्थान-विशिष्ट उर्वरक अनुशंसाओं से किसानों को सशक्त बनानाः उडुम्बनचोला तालुका इडुक्की में कार्डसैप का उपयोग करने का मामला' जिसके लेखक हैं मनोज ओमन, जॉन जो वर्गीस, अमित मोहन, अनुजा वी.आर., हरीश एम., प्रदीप बी., टी. राधाकृष्णन, एम.डी. जेसी, ए.बी. रेमा श्री, इसे 5-7 जून 2024 के दौरान केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लयानी द्वारा मसालों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान उप-विषय 'नवीन उत्पादन प्रणालियाँ' के अंतर्गत मौखिक प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

आ) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची के लिए उपयुक्त पॉटिंग मिश्रण का मूल्यांकन करने के लिए एक नर्सरी अध्ययन किया गया। पॉलीबैग नर्सरी के पौधों में, जिन्हें गमलों में वन मृदा, गोबर की

खाद और वर्मीकम्पोस्ट के 1:1:1 मिश्रण के साथ 10 ग्राम वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा के साथ लगाया गया था मूल्यांकन किए गए नौ उपचारों में सर्वश्रेष्ठ पाया गया।

घ) पादप रोगविज्ञान

अ) छोटी इलायची

कवकनाशियों के व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नए अणुओं जैसे; एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाज़ोल 18.3%, प्रोपिकोनाज़ोल 13.9% + डाइफेनोकोनाज़ोल 13.9%, पाइडिफ्लुमेटोफेन 6.89% + डाइफेनोकोनाज़ोल 11.49%, कासुगामाइसिन 6% + थिफ्लुज़ामाइड 26%, और हेक्साकोनाज़ोल 4% + ज़िनेब WP 68% का छोटी इलायची के प्रमुख कवक रोगजनकों जैसे फ्यूज़ेरियम ऑक्सीस्पोरम, फाइटोफ्थोरा मीडी, कोलेटोट्राइकम ग्लोओस्पोरियोइड्स और राइज़ोक्टोनिया सोलानीपर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। परिणामों से पता चला कि एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेबुकोनाज़ोल, और प्रोपिकोनाज़ोल + डाइफेनोकोनाज़ोल द्वारा सभी परीक्षण सांद्रताओं (0.1, 0.2, 0.3%) में, और हेक्साकोनाज़ोल + ज़िनेब (0.3%) द्वारा भी पी. मीडी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेबुकोनाज़ोल (0.2% और 0.3%) ने भी एफ. ऑक्सीस्पोरम की वृद्धि को पूरी तरह से रोक दिया था। परिणामों से यह भी साबित हुआ कि एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेबुकोनाज़ोल (0.3%) और प्रोपिकोनाज़ोल + डाइफेनोकोनाज़ोल (0.2% और 0.3%) ने सी. ग्लोओस्पोरियोइड्स के माइसेलियल विकास को 100 प्रतिशत रोक दिया। आर. सोलानी के मामले में, एज़ोक्सी स्ट्रोबिन + टेबुकोनाज़ोल की सभी सांद्रताओं (0.1, 0.2, 0.3%) से, और प्रोपिकोनाज़ोल + डाइफेनोकोनाज़ोल (0.3%) से पूरा अवरोध प्राप्त हुआ।

नर्सरी की स्थिति में इलायची पर किए गए एक प्रारंभिक अध्ययन से पता चला है कि VAM और ट्राइकोडर्मा युक्त एक जैव-समूह इलायची के फ्यूजेरियम विल्ट को नियंत्रित करने में प्रभावी है। जीवाणु जैव-एजेंटों के माध्यम से कीटनाशकों के अपघटन पर अध्ययन के दौरान, इडुक्की जिले के विभिन्न इलाकों से एकत्रित 12 मिट्टी के नमूनों से कुल 34 जीवाणु अलग किए गए, जिनमें कीटनाशक क्लोरपाइरीफोस को अपघटित करने की क्षमता थी। शीर्ष 10 आइसोलेट्स को आगे के अध्ययन के लिए चुना गया।

फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, राइजोक्टोनिया सोलानी और कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोरियोइड्स जैसे प्रमुख रोगजनकों में रोधक गतिविधि का अध्ययन करने के लिए छोटी इलायची के फिलोस्फीयर और राइजोस्फीयर से दस जीवाणु आइसोलेट्स प्राप्त किए गए थे।

टी. हरजियानम का हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फार्मूलेशन विकसित किया गया, जो बीजाणुओं को छह महीने तक रोके रख सकता है। इससे अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए मात्रा में कमी होने से परिवहन लागत में कमी आएगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएस एचएयू), हिसार में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीएस) की 35वीं वार्षिक समूह बैठक (एजीएम) के दौरान दो प्रौद्योगिकियां जारी की गईं, जिनमें इलायची के प्रकंद में सड़न और पत्ती झुलसा के नियंत्रण के लिए कवकनाशी का उपयोग होता है।

आ) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची में रोग की घटना का आकलन व्यवस्थित निगरानी के माध्यम से किया गया। काबी और पंगथांग में ICRI के फार्मों में निश्चित भूखंड सर्वेक्षण किया गया। कोलेटोट्राइकम ब्लाइट (Colletotrichum blight), रस्ट और फ्यूजेरियम ड्राई रॉट जैसी प्रमुख बीमारियों का प्रकोप दर्ज किया गया। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में किसानों के खेतों पर भी सर्वेक्षण किए गए। रोगग्रस्त और लक्षणयुक्त नमूने एकत्र किए गए, तथा संबंधित रोगजनक सूक्ष्मजीवों को पहचान के लिए अलग किया गया। फफूंदजनित रोगजनकों पर उनकी प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए स्वदेशी लाभकारी सूक्ष्मजीवों (आईबीएम) का पृथक्करण, रखरखाव, तथा इन विट्रो और इन विवो दोनों प्रकार की जांच की गई। भारत के प्रमुख बड़ी इलायची उत्पादक क्षेत्रों में विषाणुजनित रोगों, विल्ट और फ्यूजेरियम शुष्क सड़न पर व्यापक सर्वेक्षण किए गए। पंगथांग फार्म में ट्राइकोडर्मा एसपीपी., स्यूडोमोनास एसपीपी., मेटारिज़ियम एसपीपी., और बेउवेरिया एसपीपी. जैसे जैव एजेंटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया।

ङ) कीटविज्ञान

अ) छोटी इलायची

एन्टोमो पैथोजेनिक नेमाटोड (ICRI EPN -18) (गैलेरिया कैडेवर्स) का बड़े पैमाने पर उत्पादन जारी रखा गया। इलायची की जड़ की इल्लियों के जैविक प्रबंधन के लिए, ICRI फार्म, मायलाडुम्परा और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (RRS), गंगटोक, सिक्किम के अलावा, केरल और

तमिलनाडु के किसानों को भी कुल 68,400 गैलेरिया कैडेवर्स की आपूर्ति की गई।

छोटी इलायची में प्रमुख कीटों के प्रबंधन के लिए नए अणुओं के लेबल विस्तार के लिए, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में एसीफेट 95% SG का मूल्यांकन किया गया और मेसर्स रैलिस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु के माध्यम से केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 10 दिसंबर 2024 को आयोजित केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) की 67वीं बैठक में CIB&RC द्वारा इस अणु को छोटी इलायची में प्रमुख कीटों जैसे थ्रिप्स और शूट बोरर के खिलाफ उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था।

छोटी इलायची में प्रमुख कीटों के खिलाफ उपयोग के लिए लेबल विस्तार हेतु स्पाइनेटोरम 12% SC पर अनुसंधान परीक्षण की रिपोर्ट मेसर्स कॉर्टेवा एग्रीसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के माध्यम से CIB &RC को प्रस्तुत की गई थी।

एंटोमोपैथोजेनिक कवक के तीन स्थानीय उपभेदों अर्थात मेटारिज़ियम प्रजाति को इलायची को संक्रमित करने वाले रूट ग्रब्स से अलग किया गया था। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान केरल के इडुक्की जिले के विभिन्न इलायची बागानों में घोंघे और स्लग का प्रकोप दर्ज किया गया और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, पुणे द्वारा उनकी पहचान की गई। इडुक्की में छोटी इलायची में पाई जाने वाली सामान्य घोंघा प्रजाति मैक्रोक्लेमिस इंडिका गॉडविन ऑस्टेन है और स्लग प्रजाति मारियाएला डुसुमिएरी ग्रे है। इडुक्की जिले के कुछ बागानों में विशालकाय अफ्रीकी घोंघा (GAS) (अचैटिना फुलिका), जो एक आक्रामक कीट है, का प्रकोप भी दर्ज किया गया है।

आ) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची में कीटों और उनके प्राकृतिक शत्रुओं पर अध्ययन, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों तथा अरुणाचल प्रदेश में किसानों के खेतों में स्थाई भूखंडों और भ्रमणशील सर्वेक्षणों द्वारा कीट निगरानी के माध्यम से जारी रखा गया। स्वदेशी तकनीकी ज्ञान (ITK) सत्यापन के भाग के रूप में, कीट नियंत्रण में राख के घोल के अनुप्रयोग की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया।

कैप्सूल बोरर संक्रमण पर निगरानी में विभिन्न स्थानों पर 0-15 प्रतिशत का अंतर पाया गया, जिसमें सेरेम्ना प्रजाति का प्रकोप सबसे अधिक (4-15%) देखा गया। कीट-सहिष्णु प्रजातियों की पहचान से पता चला कि पत्ती इल्ली के प्रकोप में गिरावट हारियो गोल्सी में 0.27% से लेकर ICRI सिक्किम-1 में 6.69% तक, तना मक्खी के प्रकोप में वरलांगे में 4.22% से लेकर सेरेमना में 11.94% तक तथा तना छेदक के प्रकोप में सामान्य गिरावट देखी गई, जिसे गोल्सी में सर्वाधिक 0.38% दर्ज किया गया। सेरेम्ना में कैप्स्यूल बोरर का प्रकोप सबसे अधिक, लगभग 15 प्रतिशत था। विभिन्न छाया स्तरों के अंतर्गत थ्रिप्स की जैव-पारिस्थितिकी पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि पॉलीहाउस स्थितियों में, जहां तापमान और आर्द्रता कमरे के तापमान की तुलना में अधिक होती है, संक्रमण 14.29 प्रतिशत तक पहुंच गया।

प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

अ) छोटी इलायची

दक्षिण भारत के इलायची क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर 24 मोबाइल मसाला क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और 459 किसान लाभान्वित हुए। विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और किसान संगठनों की ओर से छब्बीस प्रदर्शन दौरे आयोजित किए गए। कुल 1098 छात्र और किसान लाभान्वित हुए। आई सी आर आई मैलाडुंपारा द्वारा किसानों और अन्य हितधारकों के लिए लगभग 128 तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं।

आई सी आर आई मैलाडुंपारा में इलायची की ICRI 5 और MCC 260 किस्मों (13613 नग), तथा काली मिर्च की उन्नत किस्मों की जड़युक्त कटिंग (12964 नग) का उत्पादन तथा किसानों को आपूर्ति की गईं। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस (तरल) 1612 लीटर, ट्राइकोडर्मा हरजियानम (तरल) 1198 लीटर जैसे जैव-कारकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और किसानों को आपूर्ति की गई। ICRI, मायलाडुमपारा में नौ सौ पैंतीस (935) मृदा नमूनों में 5610 पोषक तत्व मापदंडों का परीक्षण किया गया और उर्वरकों के उचित उपयोग के लिए सिफारिशें दी गईं। इलायची में रूट ग्रब के स्थायी प्रबंधन के लिए 68400 एन्टोमो पैथोजेनिक नेमाटोड (EPN) कैडावर्स का उत्पादन और किसानों को आपूर्ति की गई।

डॉ. के.जी. जगदीश आईएएस, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड ने 11 सितंबर 2024 को ICRI, मायलाडुमपारा में आयोजित 'स्पाइस अप योर बिज़नेसः स्टेकहोल्डर्स कॉन्क्लेव और क्रेता-विक्रेता मीट' के दौरान ICRI-किसान सेवा केंद्र, एक समर्पित किसान सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। ICRI-

किसान सेवा केंद्र का उद्देश्य मसाला किसानों को सहायता और कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों का समाधान प्रदान करना है।

मसाला उत्पादकों के लाभ के लिए ICAR- IISR, कोझिकोड से विभिन्न जैव नियंत्रण एजेंटों और रोपण सामग्री की ICRI-किसान सेवा केंद्र के माध्यम से आपूर्ति की सुविधा के लिए स्पाइसेस बोर्ड और ICAR- IISR के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ICRI क्षेत्रीय स्टेशन, सकलेशपुर ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान छोटी इलायची (2964 नग) और काली मिर्च (366 नग) की रोपण सामग्री की आपूर्ति की। किसानों को जैव एजेंट अर्थात ट्राइकोडर्मा तरल (577 लीटर), ट्राइकोडर्मा ठोस (416 किलोग्राम) और स्यूडोमोनास तरल (981 लीटर) भी उपलब्ध कराए गए।

आ) बड़ी इलायची

वर्ष 2024-25 के दौरान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में बड़ी इलायची के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए नौ मसाला क्लीनिक आयोजित किए गए। कृषि परामर्श सेवा के एक भाग के रूप में, 162 बड़ी इलायची के खेतों का दौरा किया गया, तथा बागान सुधार के लिए आवश्यक कृषि परामर्श प्रदान किए गए। ICRI-क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, गंगटोक ने कृषि अभियांत्रिकी एवं फसल कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय) में एक प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां बड़ी इलायची में अनुसंधान गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

च) फसल कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी

अ) छोटी इलायची

फसल कटाई के बाद के अध्ययनों से पता चला है कि एआई-सहायता प्राप्त रंग छंटाई अधिक वजन और अधिक संख्या में बीजों वाले कैप्सूलों को प्रभावी ढंग से अलग करती है, जिससे बहुत कम समय में प्रीमियम गुणवत्ता की निगरानी और ग्रेडिंग समाधान सुनिश्चित होता है।

शोध अध्ययनों ने फसल कटाई के बाद की प्रक्रियाओं जैसे कि पूर्व-उपचार प्रक्रिया के दौरान धुलाई और पॉलिशिंग के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे इलायची के कैप्सूल के भौतिक (थोक घनत्व ग्राम/लीटर) और रासायनिक गुणवत्ता (सुगन्धित तेल (%), ओलियोरेजिन (%)) मापदंडों में वृद्धि हुई और एसिड अघुलनशील राख सामग्री में महत्वपूर्ण कमी आई। अध्ययनों से साबित हुआ है कि NPK के साथ-साथ द्वितीयक पोषक तत्वों का संतुलित अनुप्रयोग बेहतर भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता पहलुओं के साथ इलायची कैप्सूल के उत्पादन के लिए आवश्यक है।

आ) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची कैप्सूल के बेहतर शेल्फ जीवन के लिए उपचार के रूप में बोरियों, पॉलिथीन-लाइन वाले बैग और वायुरोधी भंडारण बैग का उपयोग करके बेहतर भंडारण और विभिन्न पैकिंग सामग्रियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि और प्रत्येक पैकेजिंग सामग्री की सापेक्ष संरक्षण क्षमता का आकलन करने के लिए तीन महीने के अंतराल पर कवक और जीवाणु आबादी की आवधिक गणना की गई। अध्ययन जारी है, तथा गुणवत्ता बनाए रखने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त पैकिंग विधि निर्धारित करने हेतु डेटा विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।

छ) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कीटनाशक अवशेष सामग्री की पहचान और मात्रा निर्धारण के लिए 5092 मापदंडों के आधार पर छोटी इलायची के कुल 106 नमूनों का विश्लेषण किया गया। नमूनों में फार्म गेट स्तर पर सलाहकार सेवा (52 नग) और फार्म गेट स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए अनुसंधान नमूने (54 नग) शामिल थे। किसी भी नमूने में कीटनाशक की मात्रा सऊदी अरब और जापान के लिए निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) से अधिक नहीं पाई गई। विश्लेषण करने पर पाया गया कि ICRI द्वारा जारी छोटी इलायची की किस्मों में जैव रासायनिक गुणों के तुलनात्मक अध्ययन में फ्लेवोनोइड्स, फिनोल और टेपीन जैसे फाइटोकेमिकल घटकों में स्पष्ट भिन्नता पाई गई।

ज) बाहर से वित्तपोषित परियोजनाएँ

अ) छोटी इलायची

'छोटी इलायची के प्रमुख कीटों पर नए अणु आईएसओसाइक्लोसीरम 10% w/v DC (100 DC) की जैव-प्रभावशीलता का मूल्यांकन' नामक एक बाहर से वित्त पोषित परियोजना को मेसर्स सिंजेन्टा इंडिया लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के सहयोग से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए ₹ 18.00 लाख की मंजूरी दी गई थी।

आ) बड़ी इलायची

अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना (AICRPS) के अंतर्गत, ICAR-भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा समर्थित, बाहर से वित्त पोषित परियोजना, को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। फसल सुधार घटक के अंतर्गत, बड़ी इलायची पर समन्वित वैरिएटल परीक्षण (CVT) के साथ-साथ जर्मप्लाज्म संग्रह, लक्षण वर्णन, मूल्यांकन और संरक्षण जैसी गतिविधियां की गईं। डेंटम क्षेत्र के राधु खांडू गाँव में 'सिक्किम में एक आदर्श बड़ी इलायची नर्सरी गाँव का विकास' शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया, जिससे 30 किसान लाभान्वित हुए।

बड़ी इलायची के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए अंग्रेजी और नेपाली में आठ विस्तार पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं, जैसे बड़ी इलायची की चूषक नर्सरी के लिए अच्छी कृषि पद्धतियां, बड़ी इलायची की अंकुर नर्सरी के लिए अच्छी कृषि पद्धतियां, बड़ी इलायची में एकीकृत कीट और परागण प्रबंधन (IPPM), और बड़ी इलायची की नर्सरी में कीट और रोग प्रबंधन का जैविक दृष्टिकोण।

11

सूचना प्रौद्योगिकी और इलक्टॉनिक डाटा प्रक्रमण

सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों में काफी बदलाव आया है। कई मैनुअल संचालन को ऑनलाइन सिस्टम से बदल दिया गया जो बोर्ड के विभिन्न विभागों के कार्यभार को प्रभावी ढंग से कम किया और संचालन के समय को भी कम किया। ईडीपी विभाग उनके साथ काम करके बोर्ड के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। वास्तव में, यह पूरी प्रणाली को तेज और अधिक उत्पादी बनाता है और बोर्ड को अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

क. ईडीपी विभाग की मुख्य गतिविधियाँ

1. सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए बोर्ड के विभिन्न विभागों और कार्यालयों को सलाह देना, उनका माग्रदर्शन और सहायता करना।
2. मौजूदा एप्लिकेशन, मैसेजिंग समाधान, इंटरनेट और वेबसाइट रखरखाव के लिए हेल्प डेस्क प्रबंधन।
3. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और परिधीय उपकरण जैसे संगठन के व्यापाक आईटी संसाधनों का प्रशासन।
4. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, एकीकरण और कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करना।
5. आईटी अवसंरचना का उन्नयन।
6. आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुचारु कामकाज के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को परिभाषित और कार्यान्वित करना।
7. डेटा प्रोससिंग
8. नए सिस्टम (या मौजूदा सिस्टम में संशोधन) की आवश्यकता की पहचान करना और उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का जवाब देना।
9. सूचना प्रणाली और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की डिजाइन, विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव।
10. बोर्ड की वेबसाइट indianspices.com,, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com एवं ccsch.in. का रखरखाव और अद्यतनीकरण।
11. कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार और संचालित करना।

ख. वर्ष 2024-25 की प्रमुख उपलब्धियाँ

- निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) में ऑनलाइन बैच भुगतान सुविधा।
- निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) से गुणवत्ता दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (क्वाडमास) तक एपीआई के माध्यम से सूचना विवरणों का एकीकरण।
- एपीआई के माध्यम से एकल साइन-ऑन की सुविधा के लिए आईसीईगेट के साथ निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) का एकीकरण।

12

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को प्राप्त हूई थी। अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के क्रम में, सार्वजनिक पराधिकरमों के नियंत्रण के अधीन की जानकारी सुरक्षित रूप से प्राप्त करने हेतु नागरिकों को सूचना के अधिकार का एक व्यावहारिक शासन व्यवस्था स्थापित करना है। नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोर्ड की जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचित कुछ जानकारी को छोड़कर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड सूचना का अधिकार अधिनियम को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुालन किया है। बोर्ड ने केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रेषित सूचना के प्रसारण के समायोजन हेतु उपनिदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया। मुख्यालय में एक सहायक समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को भी नामित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रसारण के लिए बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम का धारा 5 (2) के तहत मुख्यालय में सात केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अनुसंधान स्टेशन, मैलाडुम्पारा, इडुक्की में एक केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को पदनामित किया गया था। निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप निदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उप निदेशक (ईडीपी) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत दायित्वों के कार्यन्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड के 'पारदर्शिता अधिकारी' के रूप में नामित किया गया है। बोर्ड ने हर सूचना, जो प्रकट करना अपेक्षित है, को स्वप्रेरणा से, ऐसे प्रारूप और रीति में बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए आवश्यक जानकारी का ऐसे प्राकार और रूप में प्रकट किया है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य है। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 104 सूचना का अधिकार आवेदन (भौतिक रूप से और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) और 13 अपीलें प्राप्त हुईं और निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों में सूचना का प्रसार किया गया। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की तीन सुनवाई हुई। आरटीआई पंजीकरण शुल्क के रूप में 150 रुपए प्राप्त हुए। केंद्रीय सूचना आयोग की वोबसाइट पर निर्धारित क्रम के अनुसार त्रैमासिक आरटीआई विवरणी (पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक) का अद्यतनीकरण किया गया।

भविष्य की ओर

मसालों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध भारत, मसालों और मसाला उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में 75 से अधिक विशिष्ट मसालों की खेती के साथ, भारतीय मसालों का निर्यात 180 से अधिक देशों में किया जाता है, जिसमें 225 से अधिक अनूठे उत्पाद शामिल हैं। सदियों से, भारत ने खुद को विविध प्रकार के मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। यह क्षेत्र भारत के कुल कृषि निर्यात में लगभग नौ प्रतिशत और बागवानी निर्यात में 41 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।

देश की कृषि -जलवायु विविधता लगभग हर राज्य में मसाला उत्पादन को संभव बनाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने लगभग 12 मिलियन मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन किया और 1.80 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक का निर्यात किया, जो कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत है। मसाला बोर्ड के हस्तक्षेप से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1987 के 229.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 4.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में, मसाला निर्यात में मात्रा के हिसाब से 17 प्रतिशत, रुपये के हिसाब से मूल्य में आठ प्रतिशत और डॉलर के हिसाब से छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2024-25 के बीच, भारत के मसाला निर्यात में मात्रा में 101 प्रतिशत, रुपये के मूल्य में 168 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य में 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें मात्रा में 7 प्रतिशत, रुपये के मूल्य में 10 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य में 7 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई।

वैश्विक मसाला और मसाला उद्योग परंपरा और नवाचार के संगम पर स्थित है। सदियों पुरानी पाक-कला पद्धतियों में दृढ़ता से निहित होने के बावजूद, यह क्षेत्र आधुनिक स्वास्थ्य रुझानों, बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता और वैश्वीकरण के अनुरूप तेज़ी से विकसित हो रहा है। यह परिवर्तन बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं, लगातार बदलते अंतर्राष्ट्रीय नियमों, जलवायु संबंधी चुनौतियों और तेज़ी से बढ़ती तकनीकी प्रगति द्वारा आकार ले रहा है। ये रुझान भारतीय मसाला उद्योग के लिए गुणवत्ता, प्रामाणिकता, स्थिरता और पारदर्शिता पर अपना ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ताकि उभरते अवसरों का सफलतापूर्वक दोहन किया जा सके और संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

जैसे-जैसे पारंपरिक स्वादों, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और स्वच्छ-लेबल उत्पादों की वैश्विक उपभोक्ता माँग बढ़ रही है, प्राकृतिक, स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियों का बाज़ार भी लगातार विस्तार कर रहा है। हालाँकि, इस क्षेत्र को मिलावट, लेबलिंग में विसंगतियाँ, बदलते नियामक ढाँचे, नैतिक स्रोत, खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ आदि जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत के वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखने और मज़बूत करने के लिए, मसाला उद्योग को एक दूरदर्शी रणनीति अपनानी होगी जो निर्यात संवर्धन, तकनीकी उन्नति और समावेशी, सतत विकास पर केंद्रित हो। गुणवत्ता, पता लगाने की क्षमता और स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले निर्यातकों को इस उभरते बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की संभावना है।

भारत ने वैश्विक स्थिरता मानदंडों के साथ तालमेल बिठाने की अनिवार्यता को समझते हुए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सक्रिय कदम उठाए हैं। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के आठवें संस्करण का शुभारंभ, सतत कृषि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एनपीओपी के अंतर्गत अद्यतन दिशानिर्देश जैविक उत्पादन और प्रसंस्करण में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय जैविक मसाले गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ता विश्वास के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते रहें।

हालाँकि, लगातार चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला में सामाजिक स्थिरता हासिल करने में। भारत के मसालों का एक बड़ा हिस्सा छोटे किसानों द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिनमें से कई वित्तीय तंगी का सामना करते हैं और बुनियादी ढाँचे और कटाई के बाद की सुविधाओं तक उनकी पहुँच नहीं है। पर्याप्त संस्थागत समर्थन के बिना, ये किसान रासायनिक पदार्थों का सहारा ले सकते हैं या अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे स्थायी रूप से उगाए गए, उच्च

गुणवत्ता वाले मसालों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए, पारंपरिक कृषि पद्धतियों में सुधार पर ज़ोर दिया जा रहा है। किसानों को बेहतर प्रशिक्षण, तकनीक तक पहुँच और बेहतर भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पहल की जा रही हैं। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य कृषि स्तर पर मूल्य प्राप्ति बढ़ाना, बिचौलियों पर निर्भरता कम करना और प्राथमिक उत्पादकों के लिए उचित आय सुनिश्चित करना है।

यह क्षेत्र पर्यावरणीय स्थिरता पर बढ़ते वैश्विक ज़ोर का भी जवाब दे रहा है। कड़े नियमों के साथ, खरीदार फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस जैसे प्रमाणपत्रों और अपने-अपने देशों के नियामक ढाँचों के अनुपालन की माँग तेज़ी से कर रहे हैं। भारतीय उत्पादक अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए जैविक, एकीकृत कीट प्रबंधन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों जैसे तरीकों को अपना रहे हैं।

फिर भी, अनुपालन, प्रमाणन और आपूर्ति श्रृंखला अनुरेखण से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक बोझ, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ये चुनौतियाँ यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच को सीमित कर सकती हैं, जहाँ नियामक आवश्यकताएँ कठोर हैं। इन उत्पादकों को टिकाऊ और अनुपालन कृषि प्रणालियों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए संस्थागत और नीतिगत समर्थन महत्वपूर्ण होगा।

हालाँकि इस बदलाव से मसाला क्षेत्र में उत्पादों की कीमतों में वृद्धि और एकीकरण की उम्मीद है, लेकिन यह किसानों के लिए उचित मुआवज़ा और ज़िम्मेदार उत्पादन की वास्तविक लागत को भी दर्शाएगा। निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और एग्रीगेटरों को इस बदलाव का समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उभरती वैश्विक माँग से वास्तविक लाभ उठाने के लिए, भारतीय हितधारकों को ऐसे स्थिरता ढाँचे अपनाने होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

मसाला निर्यात में लगातार वृद्धि के बावजूद, भारत के निर्यात बास्केट में मूल्य-संवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत अपरिवर्तित बनी हुई है। यह एक अप्रयुक्त अवसर प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से न्यूट्रास्युटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में। प्रमुख बाधाओं में सीमित तकनीकी प्रगति और अपर्याप्त प्रसंस्करण अवसंरचना शामिल हैं। उच्च मूल्य वाले मसाला उत्पादों के वैश्विक बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इन अंतरालों को पाटना अत्यंत आवश्यक है।

वैश्विक खाद्य उद्योग अब बहुराष्ट्रीय खाद्य और पेय निगमों के प्रभाव में है, जिन्होंने विभिन्न बाज़ारों में नए उत्पादों की माँग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके समानांतर, सुविधाजनक खाद्य खंड-जिसमें रेडी-टू-ईट (आरटीई), रेडी-टू-कुक (आरटीसी), और रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी) श्रेणियाँ शामिल हैं-में शहरीकरण, बदलती जीवनशैली और त्वरित व आसान खाद्य समाधानों की बढ़ती माँग के कारण तेज़ी से विस्तार हुआ है। महामारी के बाद के दौर में इस प्रवृत्ति में और तेज़ी आई है, क्योंकि उपभोक्ता ऐसे उत्पादों को पसंद कर रहे हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो और तैयारी भी कम से कम हो।

इस विकसित होते संदर्भ में, मसाले न केवल स्वाद और सुगंध बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि अपने प्राकृतिक परिरक्षक और जैवसक्रिय गुणों के कारण उत्पाद के शेल्फ जीवन और पोषण मूल्य में भी योगदान देते हैं।

इन उभरते रुझानों को देखते हुए, स्पाइसेस बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेप (SPICED) के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता' को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत, टिकाऊ और निर्यात-तैयार मसाला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

SPICED योजना के माध्यम से, किसानों को इलायची (छोटी व बड़ी) के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, जैविक और टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने और फसल के बाद गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता प्रदान की जाती है; निर्यातकों को मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए; नए उत्पाद विकास, ब्रांडिंग और बाजार संबंधों को बढ़ाने के लिए स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स को सहायता प्रदान की जाती है।

अपने समेकित प्रयासों के माध्यम से, स्पाइसेस बोर्ड नवोन्मेषी और मूल्यवर्धित उत्पादों पर केंद्रित एक स्थायी और सुरक्षित निर्यात आपूर्ति श्रृंखला को सक्षम करके मसालों और मसाला-आधारित उत्पादों का 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। बोर्ड का लक्ष्य निर्यात टोकरी में मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों का 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात प्राप्त करना भी है, जिससे निर्यात में इसकी हिस्सेदारी वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो जाएगी। इसके लिए, हस्तक्षेप के प्रस्तावित फोकस क्षेत्र हैं;

1. उच्च-स्तरीय मूल्य संवर्धन को सुगम बनाने और प्रसंस्कृत मसाला निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत के मसाला विनिर्माण बुनियादी ढांचे को उन्नत और मजबूत करके मूल्य संवर्धन क्षमता को बढ़ाना।
2. निर्यातकों, उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को समर्थन देने के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ साझेदारी करके मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना, निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नवीन विचारों को बाजार के लिए तैयार मसाला उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने में सहायता करना।
3. इनक्यूबेशन सहायता, डिजिटलीकरण और आधुनिक प्रसंस्करण उपकरणों को अपनाकर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाना। निर्यात के लिए ट्रेसेबिलिटी और प्रत्यक्ष सोर्सिंग को सुगम बनाने हेतु प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
4. बदलती वैश्विक उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुरूप नए मसाला-आधारित उत्पादों और अनुप्रयोगों के विकास का समर्थन करना
5. संभावित निर्यात बाजारों पर विस्तृत अध्ययन करना तथा नए और मौजूदा दोनों क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार करना।
6. लक्षित निर्यात गंतव्यों में भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय करके प्रचार अभियान शुरू करना।
7. वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों और मसाला उत्पादों को अलग पहचान दिलाने के लिए जीआई-टैग वाले मसालों और अद्वितीय भारतीय किस्मों को बढ़ावा देना।
8. अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम लागू करना तथा वैश्विक नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं को उन्नत करना।
9. निर्यात-गुणवत्ता वाले मसालों और मूल्य-वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कटाई के बाद की प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र के मसालों, जीआई किस्मों और उच्च आंतरिक मूल्य वाले मसालों के लिए लक्षित कार्यक्रमों को लागू करना, जिसमें आयात प्रतिस्थापन का समर्थन करने की पहल भी शामिल है।
11. अंतर्राष्ट्रीय बाजार संपर्कों के निर्माण और भारतीय मसालों की लक्षित ब्रांडिंग सहित व्यापार संवर्धन प्रयासों को मजबूत करना।
12. निर्यात तत्परता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जैव-पूर्वेक्षण, जलवायु-लचीले व्यवहार, पेटेंटिंग और नवीन उत्पादों के व्यावसायीकरण जैसे क्षेत्रों में मसाला क्षेत्र को समर्थन देने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान करना।
13. उभरती वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने, ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ाने और सतत क्षेत्रीय विकास का समर्थन करने के लिए मसाला मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

खाद्य प्रसंस्करण के वैश्विक रुझान विकसित हो रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की गतिशीलता की सूक्ष्म समझ अत्यंत आवश्यक है। बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और नियामक अपेक्षाओं के साथ उत्पादन को संरेखित करने के लिए किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों और नीति निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। मसाला मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय मसाले वैश्विक बाज़ारों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करें। इन मानकों को बनाए रखने से भारतीय मसालों के लिए एक मज़बूत ब्रांड पहचान बनाने में मदद मिलेगी, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास से जुड़ी होगी और इस प्रकार वैश्विक मसाला व्यापार में भारत की स्थिति मज़बूत होगी।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष केलिए स्पाइसेस बोर्ड के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

अ	तुलनपत्र	
अ.1	**देनदारियाँ**	**उत्तर**
अ.1.1	**उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि- ₹ 339.16 करोड़ (अनुसूची 3)**	
	i) उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि/सहायता अनुदान से प्राप्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास को उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि/संबंधित अनुदान में समायोजन/उपयोग के रूप में मूल्यह्रास प्रभार को मानने के बजाय आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में दर्ज किया जा रहा था। इस प्रकार, उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि का संतुलन, वर्ष के लिए घाटा और कॉर्पस/पूंजी निधि को खातों में सही ढंग से नहीं बताया गया। हालांकि, उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि से प्राप्त संपत्तियों और सहायता अनुदान से प्राप्त संपत्तियों के विवरण की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा मूल्यह्रास प्रभार के गलत लेखांकन के वित्तीय प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकी। ii) उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियाँ विशिष्ट उद्देश्य के लिए होती हैं। एएसआईडीई योजना के अंतर्गत मसाला पार्कों के लिए पिछले वर्षों में ₹ 115.83 करोड़ की निधि का उपयोग करके परिसंपत्तियाँ खरीदी गई थीं, लेकिन परिसंपत्तियों का उपयोग धर्मस्व निधियों के विरुद्ध व्यय नहीं किया गया।	i) चूँकि धर्मस्व निधि से प्राप्त परिसंपत्तियों को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध पहले ही दर्ज किया जा चुका है, इसलिए मूल्यह्रास भी अनुदान के विरुद्ध ही लगाया जाता है, धर्मस्व निधि पर नहीं। सहायता अनुदान और धर्मस्व निधि से प्राप्त परिसंपत्तियों की अलग-अलग पहचान नहीं की जा सकी, इसलिए बोर्ड को धर्मस्व निधि से प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास को अलग करना मुश्किल लगता है। हालाँकि, वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान TIES, NHM, आदि (बाह्य निधि) के अंतर्गत प्राप्त परिसंपत्तियों को धर्मस्व निधि के विरुद्ध दर्ज किया जा रहा है। बोर्ड इस कारण से कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर सका कि पुराने मामलों में सहायता अनुदान और धर्मस्व निधि से प्राप्त परिसंपत्तियों को अलग नहीं किया जा सका। ii) उद्दिष्ट निधि ASIDE (निर्यात अवसंरचना एवं संबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु राज्य को सहायता) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के अतिरिक्त दी जाने वाली सहायता है। इन निधियों से प्राप्त परिसंपत्तियों को बोर्ड की परिसंपत्ति माना जाता है और धर्मस्व निधि शेष में दर्शाई गई ASIDE निधि से व्यय के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। यद्यपि ASIDE के अंतर्गत धर्मस्व निधि में अंतिम शेष राशि दिखाई देती है, परंतु वास्तव में वह उस विशेष धर्मस्व निधि के अंतर्गत बोर्ड के पास नहीं होती। ASIDE धर्मस्व निधि में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग परिसंपत्तियों की खरीद के लिए किया जाता है और उसे बोर्ड की कुल परिसंपत्तियों में शामिल कर उस विशेष वर्ष के लिए प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध दर्ज किया जाता है।
	iii) इसके अलावा, चालू वर्ष के लिए ₹ 24.94 करोड़ रुपये की वार्षिक पेंशन देनदारियों और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए किए गए 9.34 करोड़ रुपये के व्यय को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग करके पूरा किया गया, हालांकि बोर्ड के पास पेंशन और क्यूईएल के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए उद्दिष्ट निधि है।	iii) बोर्ड कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर सका क्योंकि पुराने मामलों में अनुदान सहायता और धर्मस्व निधि से प्राप्त परिसंपत्तियों को अलग नहीं किया जा सका था। वर्ष 2021 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड के पेंशन निधि में पर्याप्त धनराशि नहीं है और इसलिए वह पेंशन निधि से विशेष रूप से पेंशन भुगतान को पूरा नहीं कर सकता है।

<table>
<tr><td></td><td>अन्य उदाहरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 12 करोड़ के विश्लेषणात्मक शुल्क को आय और व्यय विवरण में आय के रूप में लेखा किए बिना सीधे ही उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों अर्थात पेंशन निधि (10 करोड़ रुपये) और 'मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक' (2 करोड़ रुपये) (अनुसूची 57 के नोट 1-लेखा पर नोट्स) में अंतरित कर दिया गया।
पिछले वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में इस विषय में लगातार की गई टिप्पणियों के बावजूद स्पाइसेस बोर्ड ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया है।</td><td>गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) के अनुरक्षण और रखरखाव के संबंध में, बोर्ड को प्रयोगशालाओं में उपकरणों के नवीनीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय की उम्मीद है, क्योंकि महंगे उपकरणों के अप्रत्याशित रूप से खराब होने से निर्यात खेपों के लिए गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो सकती है।
निर्यात में गुणवत्ता मानक बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया अपरिहार्य है। बोर्ड को इसके लिए पर्याप्त पूंजीगत व्यय की उम्मीद है, इसलिए प्रयोगशालाओं के नियमित व्यय के लिए नहीं, बल्कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए धनराशि निर्धारित की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>अ.1.2</td><td colspan="2">चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान - प्रावधान: ₹ 325.37 करोड़ (अनुसूची 7ख)</td></tr>
<tr><td></td><td>i) स्पाइसेस बोर्ड ने कर्मचारी संबंधी देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन किया और 31-03-2021 तक 348.72 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंचा, जिसके लिए उसने 31-03-2025 तक 325.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जैसा कि नीचे निर्धारित है:
<table>
<tr><th></th><th>पेंशन</th><th>उपदान</th><th>छुट्टी नकदीकरण</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>जैसा कि 31-03-2021 को है बीमांकिक मूल्य</td><td>319.07</td><td>18.54</td><td>11.10</td><td>348.72</td></tr>
<tr><td>जैसा कि 31-03-2025 को है प्रावधान</td><td>272.21</td><td>29.70</td><td>23.40</td><td>325.31</td></tr>
<tr><td>31-03-2021 के मूल्यांकन के संबंध में कमी (अधिकता)</td><td>46.86</td><td>(11.16)</td><td>(12.30)</td><td>23.41</td></tr>
</table></td><td>लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है।</td></tr>
<tr><td></td><td>बीमांकिक देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ और घाटे के लिए प्रावधान वर्ष के लिए ₹ 23.41 करोड़ (निवल) कम दर्शाए गए हैं।
ii) लेखा मानक 15 (पैरा 58) के अनुसार, परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का विस्तृत बीमांकिक मूल्यांकन तीन वर्ष से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में किया गया था, अर्थात 31-03-2025 तक अवधि तीन वर्ष से अधिक हो गई है।</td><td></td></tr>
</table>

अ.2.1	**चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि चालू परिसंपत्तियाँ- ₹ 316.41 करोड़ (अनुसूची - 11क)**	
	उपरोक्त में स्पाइसेस बोर्ड की पट्टे पर दी गई सुविधाओं के लिए फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड(एफ एस टी एल) से ₹ 0.87 करोड़ की प्राप्त होने केलिए शेष संचित किराया शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, चालू परिसंपत्तियों और समग्र/पूंजी निधि को ₹ 0.87 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इस मुद्दे को वर्ष 2023-24 की पृथक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया था।	लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है। एफएसटीएल से प्राप्त बकाया राशि को चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के दौरान बोर्ड के वार्षिक लेखों में शामिल किया जाएगा।
अ.2.2	**चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि ऋण, अग्रिम : ₹ 26.72 करोड़ (अनुसूची 11ख)**	
	उपरोक्त में वर्ष 2017-18 से आगे बढ़ाए जा रहे ₹ 6.72 करोड़ की राशि के लंबे समय से लंबित अग्रिम शामिल हैं। बोर्ड इन राशियों की पहचान करने और उन्हें वसूलने में असमर्थ रहा, क्योंकि अग्रिमों का ब्यौरा पता नहीं चल पाया है। समय बीतने और प्रासंगिक अभिलेखों की अनुपस्थिति को देखते हुए, खातों में अग्रिमों के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अग्रिमों की अत्युक्ति तथा घाटे का ₹ 6.72 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है। इस मुद्दे को वर्ष 2023-24 की पृथक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था।	लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई है। इस संबंध में, कृपया ध्यान दें कि बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान कुछ लंबित अग्रिमों, जैसे मशीनरी खरीद के लिए अग्रिम ₹ 58.01 लाख, वेतन अग्रिम ₹ 4.72 लाख, मोबिलाइजेशन अग्रिम ₹ 39.00 लाख और यात्रा भत्ता अग्रिम ₹ 4.91 लाख, का पहले ही निपटान कर दिया है। बोर्ड पुराने सॉफ़्टवेयर से उन अग्रिमों की पहचान करने का प्रयास कर रहा है। यदि बोर्ड पिछले सॉफ़्टवेयर से उन अनसुलझे अग्रिमों का विवरण प्राप्त कर लेता है, तो उन अग्रिमों के निपटान हेतु कार्रवाई शुरू की जाएगी।
आ.	**आय और व्यय लेखा**	
आ.1	**आय**	
आ.1.1	**भारत सरकार से अनुदान-प्लान- ₹ 130.00 करोड़ (अनुसूची 13)**	
	उपरोक्त में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त ₹ 1.01 करोड़ (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु एक करोड़ रुपये का अनुदान, अन्य व्यय) तथा ₹ 0.01 करोड़ (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान-उत्तर पूर्व) का अनुदान शामिल है। बोर्ड ने लेखांकन मानक 12-सरकारी अनुदान के पैरा 8 के अनुसार उपरोक्त अनुदानों का लेखा करने के बजाय, अनुदान राशि को आय और व्यय में आय के रूप में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2025 तक भारत सरकार की योजना सहायता अनुदान राशि को आय और व्यय खाते में अधिक दर्शाया गया है, घाटे को कम दर्शाया गया है और उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि को ₹ 1.01 करोड़ कम दर्शाया गया है।	लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई है। इस संबंध में वर्ष 2025-26 के वार्षिक लेखों में आवश्यक संशोधन किए जाएँगे। चालू वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्यय खाता, पूँजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु उपयोग की गई राशि को घटाने के बाद, सहायता अनुदान को खाते में जमा करके तैयार किया जाएगा।

इ.	**प्राप्ति और अदायगी लेखा - शून्य**	
ई.	**लेखांकन नीतियाँ - शून्य**	
उ.	**सामान्य - शून्य**	
ऊ	**प्रबंधन पत्र** जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।	लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई है।
ऋ	**(i) आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता** बैंकों के चालू खातों के अधीन वर्गीकृत 85 खातों में से, शेष पुष्टीकरण के 41 मामले (10,56,60,233.60 रुपए) ऐसे थे जिनमें यह नहीं बताया गया था कि यह चालू खाता है या बचत बैंक खाता। शेष पुष्टीकरण के 11 मामले (95,55,445 रुपए की राशि) बचत खाते के रूप में दिखाए गए हैं। जैसे कि 31 मार्च, 2025, को है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद शाखा की बही शेष 53,083 रुपए रहा जबकि बैंक पुष्टीकरण के अनुसार शेष 8,377 रुपए था। शेष राशि का समाधान नहीं किया गया था।	लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई है।
	(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान स्पाइसेस बोर्ड के 82 शाखा कार्यालयों तथा मुख्यालय में से किसी में भी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई गई है। इस मुद्दे को भी वर्ष 2023-24 की पृथक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में सूचित किया गया था।	लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई है।
	(iii) स्थिर परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी सभी 83 इकाइयों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है।	
	(iv) मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन और मूल्यांकन किया है।	केवल टिप्पणी
	(v) सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता: बोर्ड ने जी एस टी, टीडीएस, सी पी एफ आदि जैसे सभी सांविधिक देयों को नियमित रूप से जमा किया है।	केवल टिप्पणी

	(vi) इकाई के कामकाज से संबंधित अन्य मामले - लागू नहीं।	केवल टिप्पणी
ए	**सहायता अनुदान** सहायता अनुदान का अथशेष शून्य रहा। वर्ष के दौरान भारत सरकार से ₹ 130 करोड़ की राशि का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। इसका वर्ष के दौरान पूर्णतः उपयोग किया गया है।	केवल टिप्पणी

IN PICTURES
SPICES BOARD
2024-25

Visit of the Hon'ble Minister for Commerce and Industry

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India welcomed by Smt. P. Hemalatha IAS, Secretary Spices Board for the stakeholder interaction on 21st February 2025.

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India interacting with the spice industry stakeholders

A view of the stakeholders attending the interactive session with Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India

Interactive Session with Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry

Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry addressing the FPO/FPC stakeholders involved in the Saffron Value Chain in Jammu and Kashmir on 11th July 2024

A view of the saffron stakeholders attending interactive session with Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry

A glimpse of the stakeholder interaction held on 11th July 2024 in Jammu and Kashmir

Chintan Shivir

Inauguration of the 'Chintan Shivir' on spices organised during 09-10 May 2024 at Munnar, Kerala by lighting the lamp

Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Chairman, Spices Board addressing the stakeholders of the 'Chintan Shivir' on spices

Interactive session during the 'Chintan Shivir'

A view of the participants attending the 'Chintan Shivir' on spices at Munnar, Kerala

Participants of the common 'Chintan Shivir' organised by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and the Plantation Boards at Coorg in Karnataka during 22 -23 May 2024

A glimpse of the brainstorming session at the common 'Chintan Shivir' organised during 22 -23 May 2024

Inauguration of National Turmeric Board

Shri Arvind Dharmapuri, MP, Nizamabad garlanding Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India during the inauguration of the National Turmeric Board on 14th January 2025

Shri Palle Ganga Reddy, Chairperson, National Turmeric Board lighting the lamp during the inauguration of the National Turmeric Board at Nizamabad, Telangana

Ms Kesang Yangzom Sherpa IRS, Joint Secretary, Department of Commerce addressing the gathering during the inauguration of the National Turmeric Board

Smt. P. Hemalatha IAS, Secretary Spices Board addresses the audience during the inauguration of the National Turmeric Board

View of the turmeric farmers and other stakeholders assembled to witness the inauguration of the National Turmeric Board

Partnerships for Synergy

India taking over the Chairmanship of the International Pepper Community during its 52nd Annual Session and Meetings

Smt. P. Hemalatha IAS, Secretary Spices Board addressing the participants of the 52nd Annual Session and Meetings of the International Pepper Community

A view of the participants attending the 52nd Annual Session and Meetings of the International Pepper Community

Shri B.N. Jha, Director, Spices Board attending the 10th meeting of the IPC Committee on Marketing

Dr A.B. Rema Shree, Director, Spices Board chairs the 32nd Meeting of ISO/TC34/SC7 at AFNOR, Paris during 18-20 June 2024

Partnerships for Synergy

Signing and exchange of MoU between ICRI, Spices Board and ICAR-IISR, Kozhikode in connection with the establishment of ICRI- Kisan Seva Kendra

Shri Takayuki Hagiwara, FAO representative in India along with the FAO India team interacting with Spices Board officials on 25th June 2024, at Spices Board Head Office in Kochi

Memorandum of understanding signed between Indian Cardamom Research Institute, Spices Board and NIC, Kolkata on 3rd July 2024 for developing AI based detection of large cardamom diseases

The third session of the National Committee on Spices Quality and Safety (NCSQS3) was held on 24th October 2024

Signing of MoU between Spices Board and Directorate of Horticulture and Food Processing, Govt. of Uttarakhand for promotion of spices

Export Development & Promotion

Inauguration of the Buyer Seller Meet for Byadagi Chilli and Turmeric organised at Hubbali, Karnataka on 25th November 2024

Inauguration of the outreach programme on opportunities for growth in spices, tea and coffee for farmers of Uttarakhand on 21st December 2024

Shri Nyato Dukam, Hon'ble Minister for Commerce & Industry, Labour & Employment, Information & Public Relations, & Printing, Govt of Arunachal Pradesh attending the Buyer Seller Meet for Spices at Itanagar on 23rd January 2025

Participants attending the Buyer Seller Meet for Spices at Itanagar on 23rd January 2025

Dr A. B. Rema Shree, Director, Spices Board addressing the participants of the International Conclave cum Buyer Seller Meet on Spices at Aizawl, Mizoram

Shri B.N. Jha, Director, Marketing interacting with officials of Singapore Food Agency (SFA) on strengthening direct connections and updating on the EtO issue

Export Development & Promotion

Inauguration of the Buyer Seller Meet for Spices in Uttarakhand at Haldwani on 22nd August 2024

Shri B.N. Jha, Director, Spices Board addressing the participants of the Buyer Seller Meet for Spices in Odisha held on 7th December 2024 at Bhubaneswar, Odisha

Glimpse of the Buyer Seller Meet for Saffron and Temperate Spices held on 12th December 2024 at Srinagar, Jammu and Kashmir

Inauguration of the Buyer Seller Meet for Spices held at Ranchi, Jharkhand on 28th January 2025

Shri Palle Ganga Reddy, Chairperson, National Turmeric Board inaugurating the Buyer Seller Meet for Turmeric with Focus on Telangana on 18th March 2025 at Nizamabad

Ms P. Hemalatha IAS, Secretary, Spices Board visited Spices Park, Guna and interacted with stakeholders

Export Development & Promotion

Spices Board's pavilion at Biofach India 2025 held during 3-5 August 2024 at India Exposition Mart Ltd (IEML), Greater Noida, Delhi – NCR

Smt. Kesang Yangzom Sherpa IRS, Joint Secretary, Ministry of Commerce and Shri Neeraj Gaba, Director (Plantations), Ministry of Commerce at Spices Board's pavilion in India International Trade Fair held during14-27 November 2024 at New Delhi

Spices Board's pavilion at Food Ingredients Europe held during 19-21 November 2024 at Frankfurt, Germany

Spices Board's pavilion at Fine Food Australia held during 2-5 September 2024 at Melbourne, Australia

Inauguration of Spices Board's pavilion in International Food and Drink Event, London during 17-19 March 2025

Shri B. N. Jha, Director, Spices Board interacting with Shri Siby George, Ambassador of India to Japan during Foodex Japan 2025 held during 11-14 March 2025

Shri T. Nandakumar, Consul General, Consulate General of India, Shanghai at Spices Board's pavilion at Shanghai International Condiment and Food Ingredients Exhibition 2024

Glimpse of the Reverse Buyer Seller Meet organised as part of the Board's participation in Shanghai International Condiment and Food Ingredients Exhibition 2024 at Shanghai, China

Glimpse of the reverse buyer seller meet organised as part of Spices Board's participation in World Food Moscow 2024

Inauguration of Spices Board's pavilion at World Food Moscow held during 17-20 September 2024 in Moscow, Russia

Visit of Shri Chirag Kumar Paswan, Honorable Minister of Food Processing Industries to Spices Board pavilion at World Food India 2024.

Spices Board's stall in Indus Food during 8-10 January 2025 at India Expo Mart, Greater Noida.

Export Development & Promotion

A glimpse of 'Spice Up Your Business: Stakeholders' Conclave and Buyer Seller Meet on Spices' held at ICRI, Myladumpara on 11th September 2024

Participants attending the 'Stakeholders' Conclave and Buyer Seller Meet on Spices' held at ICRI, Myladumpara on 11th September 2024

Inauguration of the SCSP Farmers Training on Good Agricultural Practices in Black Pepper and Small Cardamom held at ICRI, Myladumpara on 11th March 2025

Glimpse of the workshop on Marketing of Branded Spices for FPOs organised in collaboration with Indian Institute of Plantation Management, Bengaluru

Inauguration of the Food Safety Training and Market Linkage Programme on Turmeric held at Chennai, Tamil Nadu on 24th March 2025

Inauguration of the Food Safety Training and Market Linkage Programme on Turmeric held at Shillong, Meghalaya on 26th March 2025

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

Assistance for installation of primary processing unit for garlic by M/s Lahsun Farmer Fed Krishi Producer Company at Baran, Rajasthan

Assistance for installation of spice cleaner/grader by M/s Farmer Leaf Krishi Producer Company at Amapura, Rajasthan

Participants of the Regional Workshop on Seed Spices for establishing arrangement between spice exporters and FPO under STDF project at Jodhpur

Honouring of Ms Kesang Yangzom Sherpa IRS, Joint Secretary, Department of Commerce during the Meeting with Spices Stakeholders in Raebareli, Uttar Pradesh

Clean & Safe Spices Campaign organised on 26th February 2025

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

A view of the Regional Level Workshop on Seed Spices under the STDF Project at Mehsana, Gujarat on 25th July 2024

Glimpse of the stakeholders meet held on 2nd September 2024 at ICRI Myladumpara to explore the modalities of weather based crop insurance scheme for small cardamom under PMFBY

Orientation session conducted for the 65th batch of trainees from the Diploma in Agriculture Marketing under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Field visit of pepper farmers from Andhra Pradesh to University of Agricultural Sciences, Bangalore

Project results dissemination workshop organised on 27th September 2025 at New Delhi on the project Strengthening Spice Value Chain in India and Improving Market Access through Capacity Building and Innovative Interventions

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

Extension advisory service extended to small cardamom farmers at Lower Palani Hills in Tamil Nadu

Extension advisory service for large cardamom farmers in Sikkim

Capacity Building Programme on turmeric at Nizamabad, Telangana

Quality Improvement Training Programme for saffron in Jammu and Kashmir

Quality Improvement Training Programme for chilli in Guntur, Andhra Pradesh

Quality Improvement Training Programme on seed spices in Gujarat

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

Demonstration on Good Agricultural Practices and Good Harvesting Practices in cumin under STDF at Tekara, Rajasthan

Students' exposure visit to Spices Board's cardamom e-auction centre at Bodinayakanur, Tamil Nadu

Construction of water storage structures for large cardamom in Sikkim

Construction of water storage structure for small cardamom in Idukki, Kerala

Irrigation Pump set for small cardamom in Karnataka

Modified Bhatti for curing large cardamom in Sikkim

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

Planting material production through Certified Nurseries for large cardamom in West Bengal

Planting material production of black pepper through Departmental Nursery at Yeslur, Karnataka

Replanting of large cardamom in Sikkim

Replanting of small cardamom in Idukki, Kerala

Exposure visit of farmers and FPO members from Guna, Madhya Pradesh to spices processing units in Rajasthan

Assistance extended for procurement of turmeric boiler at Satara, Maharashtra

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

GI Saffron Mela cum Awareness Programme organised for the promotion of GI Saffron at Jammu and Kashmir

Financial assistance for installing improved cardamom curing device

Financial assistance given for installing gravity separator for pepper in Uttara Kannada district of Karnataka

Assistance for installation of pepper thresher in Karnataka

Assistance for installation of turmeric polisher in Telangana

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

Assistance for on farm production of compost for large cardamom in Sikkim

Assistance for installation of pepper thresher at Paderu, Andhra Pradesh

Assistance for installation of polisher in Kerala

Assistance for installation of turmeric polisher at Hingoli, Maharashtra

Assistance for installation of seed spice thresher at Guna, Madhya Pradesh

Assistance for installation of seed spice thresher at Barmer, Rajasthan

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, former Chairman of the Spices Board and Additional Secretary (Plantations), Government of India visiting ICRI Sugandha Bharathi demonstration plot at Chinnakanal

Assistance for installation of turmeric boiler at Nizamabad, Telangana

On farm advisory services through Spice Clinic programme of Spices Board

Assistance for installation of spice cleaner/grader given to M/s Risch Return Krishi producer company at Anta, Rajasthan

Input distribution to large cardamom farmers under AICRPS project

General Administration

76th Republic Day Celebration at Spices Board
on 26th January 2025

International Yoga Day celebration at Spices Board
on 21st June 2024

Observation of Rashtriya Ekta Diwas on 31st October 2024

Observation of Swachhta Hi Sewa Campaign at ICRI
Myladumpara

Observance of World Blood Donor Day on 14th June 2024

General Administration

Release of handbooks on Good Agricultural Practices and Good Hygienic Practices for black pepper, cumin, fennel and coriander during the 38th Anniversary Celebration of Spices Board

Glimpse of Spices Board's 38th Anniversary Celebration on 26th February 2025

Special sales counter opened for organic spices at the Spices India outlet of Flavourit Spices Trading Limited at Cochin

International Women's Day celebration at Spices Board

Observance of Fit India Mission at Spices Board as part of International Women's Day celebration

Observance of Fit India Mission at Spices Board as part of International Women's Day celebration

BOARD MEMBERS

Shri Amardeep Singh Bhatia IAS
Chairman
(12-07-2023 to 10-10-2024)

Shri L. Satya Srinivas IRS
Chairman
(11-10-2024 to 31-03-2025)

Dr KG Jagadeesha IAS
Secretary
18-03-2024 to 23-10-2024

Ms. P. Hemalatha IAS
Secretary
24-10-2024 to 31-03-2025

Ms S. Jothimani MP
Member of Parliament

Shri Ramesh Chandappa Jigajinagi MP
Member of Parliament

Shri S. Thirumurugan
Member

Shri Chandrasekhar Singh Raghuvanshi
Member

Shri S.K. Sathyanarayana
Member

Shri Gautam Ghosh
Member

Shri Akkiseti Baburao
Member

Shri Rajesh Kumar Mishra IRS
Member
Indian Institute of Packaging
Mumbai

Dr R. Dinesh
Member
ICAR-Indian Institute of
Spices Research, Kozhikode

Dr Neelam Patel
Senior Advisor (Agriculture),
NITI Aayog

Dr Atya Nand
Member
Director, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi

Member
CSIR - Central Food Technological
Research Institute (CFTRI)

Number of vacant positions - 15

Spices Parks

Guntur	Andhra Pradesh
Puttady	Kerala
Chhindwara	Madhya Pradesh
Guna	Madhya Pradesh
Jodhpur	Rajasthan
Ramganj Mandi (Kota)	Rajasthan
Sivaganga	Tamil Nadu
Raebareli	Uttar Pradesh

e-Auction Centres

Puttady	Kerala
Bodinayakanur	Tamil Nadu

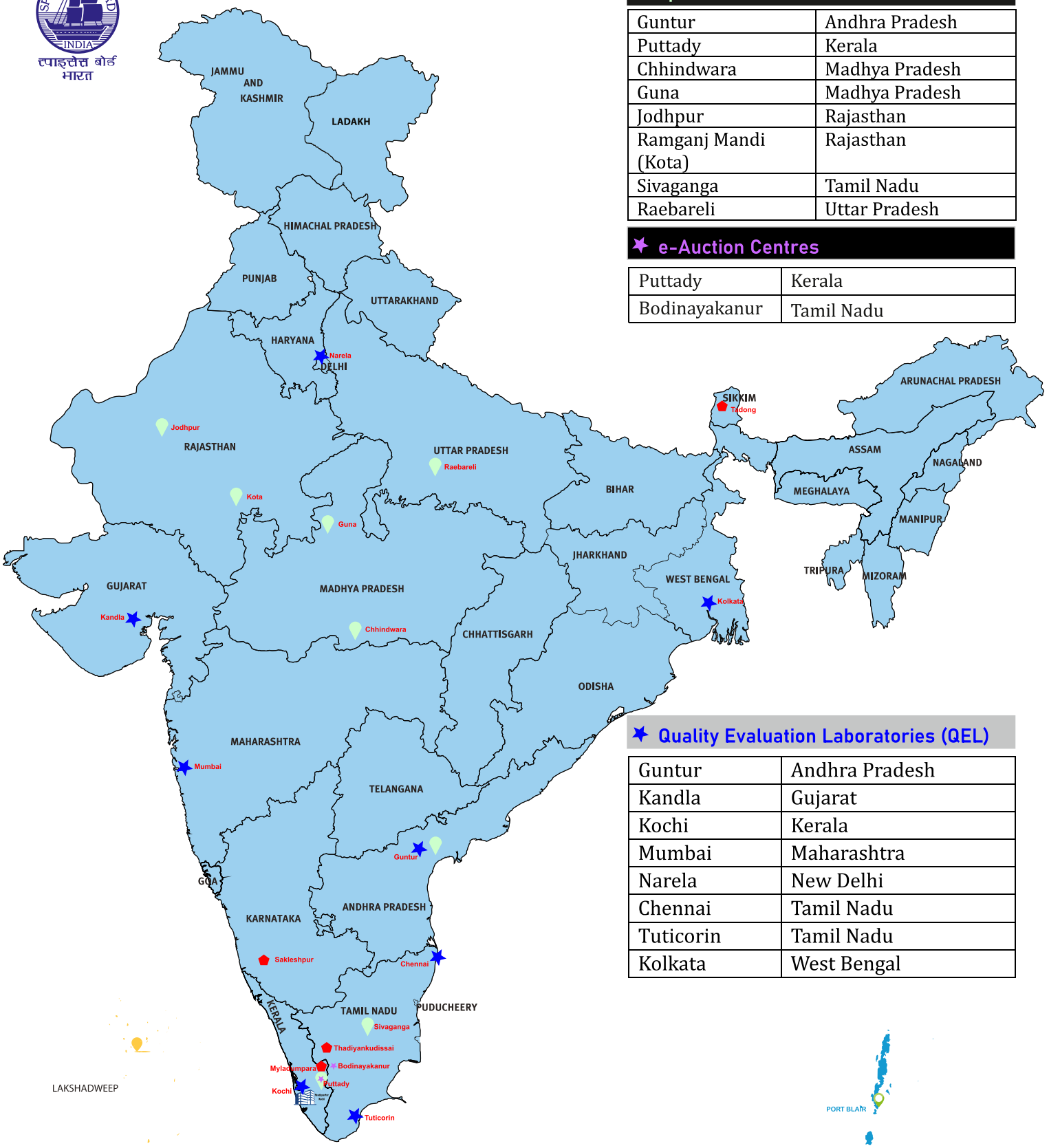

Quality Evaluation Laboratories (QEL)

Guntur	Andhra Pradesh
Kandla	Gujarat
Kochi	Kerala
Mumbai	Maharashtra
Narela	New Delhi
Chennai	Tamil Nadu
Tuticorin	Tamil Nadu
Kolkata	West Bengal

Research Stations

Myladumpara	**Kerala**
Donigal-Sakleshpur	**Karnataka**
Thadiyankudissai	**Tamil Nadu**
Tadong	**Sikkim**

flavourit™
EXOTIC INDIAN SPICES

Promoting Heritage, Hygiene & Health

Spices India
FLAVOURFULLY YOURS

Now open at:

Spices India
Lulu Mall, Edapally,
Kochi-682 024, Kerala
Tel: 0484-4073489

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

ANNUAL REPORT

2024 - 25

Compiled and Edited by:

Shri Nithin Joe
Deputy Director

Shri Kanagadhileepan K.
Assistant Director

Shri Biju D. Shenoy
Assistant Director

Ms Reshmi E.G.
Farm Manager

Ms Aneenamol P.S.
Editor

Technical Support:

Shri R. Jayachandran
EDP Assistant

CONTENTS...

EXECUTIVE SUMMARY

1. Constitution and Functions
2. Administration
3. Finance and Accounts
4. Export Oriented Production and Post-harvest Improvement of Spices
5. Export Development and Promotion
6. Trade Information Service
7. Publicity and Promotion
8. Codex Cell and Interventions
9. Quality Improvement
10. Export Oriented Research
11. Information Technology and Electronic Data Processing
12. Implementation of Right to Information Act, 2005

Way Forward

Appendix

Paras in Separate Audit Report 2024-25

EXECUTIVE SUMMARY

Spices Board is the flagship organisation under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India for the development and world-wide promotion of Indian spices. The Board has been spearheading activities for excellence of Indian spices to help the Indian spice industry to attain the vision of becoming the international processing hub and premier supplier of clean and value -added spices and herbs to the industrial, retail and food service segments of the global spices market. The Board has made quality and hygiene as the cornerstones for its development and promotional strategies.

The export of spices and spice products from India crossed an all-time high in FY 2024-25. During FY 2024-25, India exported 17,99,267 MT of spices and spice products valued at ₹39,994.48 crore (4,722.65 million US$) as compared to 8,93,920 MT valued at ₹14,899.67 crore (2432.84 million US$) during 2014-15, registering an increase of 101 per cent in volume, 168 per cent in rupee terms of value, and 94 per cent in dollar terms of value. The export of spices registered a CAGR of seven per cent in volume, ten per cent in rupee terms of value, and seven per cent in dollar terms of value since 2014-15.

Indian spice export basket contains 225 spices and spice products which were exported to more than 180 destinations globally during the period under report. During 2024-25, the major contributors in spice export basket in terms of value were chilli (28%), cumin (16%), spice oil & oleoresins (11%), mint products (9%), turmeric (7%), curry powder/ paste (5%), small cardamom (4%), ginger and pepper (3%), fennel and coriander (2%), which together contributed to more than 90 per cent to the total export earnings from spices.

The major export destinations for Indian spices during 2024-25 were China (16%), USA (15%), UAE (9%), Bangladesh (8%), Malaysia (4%), Thailand (3%), UK (3%), Saudi Arabia (3%), Indonesia (3%), Sri Lanka (2%), Germany (2%), Netherlands (2%),Canada (2%), Nepal (2%), Australia (1%), Japan (1%), Russia (1%), Singapore (1%), France (1%), Mexico (1%), Vietnam (1%), Morocco (1%), South Africa (1%), and Korea (1%) which together account for more than 85 per cent of the total export earnings of spices from the country.

In 2024-25, the export of pepper, cardamom (small& large), ginger, turmeric, cumin, celery, fennel, fenugreek, tamarind, spice oils & oleoresins, and curry powder & paste increased both in quantity and value. Though the export of chilli increased 19 per cent in volume in 2024-25, its value declined by nine per cent in rupee terms and 11 per cent in dollar terms. In the case of mint products, despite the decline of one per cent in volume of export, the export value has increased by three per cent in rupee terms and one per cent in dollar terms of value as compared to last year. Export of coriander, declined 44 per cent in volume, 33 per cent in rupee terms and 35 per cent in dollar terms of value while export of nutmeg & mace decreased by eight per cent in volume, 12 per cent in rupee terms, and 14 per cent in dollar terms of value.

During 2024-25, a total of 4,106 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES) were issued by the Board. Of these, 3,713 certificates were issued to merchant exporters and 393 to manufacturer exporters. The Board has issued 705 Cardamom Dealer Licences, comprising 688 Small Cardamom Dealer Licences and 17 Large Cardamom Dealer Licences. Of these, 130 were issued during 2024-25 which includes 116 Small Cardamom Dealer Licence and 14 Large Cardamom Dealer Licence. Also, at present there are 18 licensed e-auctioneers and four licensed

manual auctioneers for cardamom. During the FY 2024-25, the Board issued two cardamom e-auctioneer licence for small cardamom and one manual auctioneer licence for large cardamom.

During 2024-25, a total quantity of 23,335 MT of cardamom(small) was sold through e-auction/ manual auction with weighted average price of ₹2,575.98/kg. Production of small and large cardamom during 2024-25 was 20,696 MT and 9,552 MT respectively with a productivity of 435.57 kg/ha in small cardamom and 293.33 kg/ha in large cardamom.

The budget approved for the Board during 2024-25 was ₹13,000.00 lakh. An amount of ₹7,153.00 lakh against Grant-in-aid General, Capital Expenditure, Salaries, Other Expenditure and Swachha Bharath; ₹4,200.00 lakh against Grant-in-aid for Subsidies/ financial assistance; ₹849.00 lakh against Grant-in-aid for North East Region; ₹249.00 lakh against Grant-in-aid for Scheduled Caste Sub Plan; and ₹549.00 lakh against Grant-in-aid for Tribal Sub Plan were received by the Board from the Government of India during 2024-25. The Board generated a revenue (IEBR) of ₹3,751.59 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' subscriptions fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2024-25. The total expenditure of the Board during 2024-25 was ₹13,343.85 lakh.

To identify opportunities in key value addition segments in spices, challenges in supply chain, sharing best practices, development of Vision Document 2047 for spices sector and evolving strategies and action plan for increasing the export of spices, Spices Board organised a 'Chintan Shivir' during 09-10 May 2024 at Munnar, Kerala. The programme was inaugurated by Shri Amardeep Singh Bhatia, IAS, Additional Secretary, Department of Commerce, Government of India and Chairman, Spices Board. Senior officers from the Ministry of Commerce and Industry, industry representatives, and officials from the Spices Board participated in the 'Chintan Shivir' and contributed their insights on ways to address the challenges in the spices sector and devise a roadmap to achieve the goals and vision set for the spices sector by 2047.

Spices Board participated in the Common 'Chintan Shivir', a two-day, closed door, brainstorming session, organised by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and the Plantation Boards at Coorg in Karnataka during 22 -23 May 2024. The 'Chintan Shivir' was attended by around 75 senior officers of the Ministry, officers of the four Plantation Boards, exporters, experts, and industry leaders.

An interactive meeting was held by Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry with the FPO/FPC stakeholders involved in the Saffron Value Chain in Jammu and Kashmir on 11th July 2024. The Minister visited the Saffron Park wherein the post-harvest processing of saffron was demonstrated.

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India interacted with the stakeholders of spices sector on 21st February 2025 in a meeting organised at Marine Products Exports Development Authority (MPEDA), Headquarters in Kochi, Kerala. The meeting discussed the challenges and opportunities in the spices sector. Key areas of interaction included strengthening the monitoring of rerouted pepper, advancing value added processing, and expanding organic spice exports. Intercropping of potential spices with other plantation crops, modernising the Quality Evaluation Laboratories, stringent food safety and quality standards fixed by importing countries, especially the European Union, and cultivation of herbal spices in the North East India were also discussed during the meeting.

During 2024-25, Spices Board participated in 18 domestic trade fairs and nine international trade fairs with an aim to promote Indian spices globally. With a view to promote the export of spices and to strengthen linkages for export sourcing of spices,

the Board has been conducting buyer seller meets. Also, to attract, motivate and equip, the progressive stakeholders to enter the spices business, Spices Board has been organising Entrepreneurship Development Training Programmes (EDP) involving participants from across India. During 2024-25, the Board conducted 12 buyer seller meets and four entrepreneurship development training programmes.

Spices Board being responsible for the overall development of cardamom (small and large) in terms of improving production, productivity and quality, implemented various programmes for betterment of the cardamom sector under the SPICED scheme. During 2024-25, through implementing the replanting/new planting programme, financial assistance of ₹366.68 lakh was provided for replanting 746.67 ha of small cardamom benefitting 2670 growers in the states of Tamil Nadu and Kerala and financial assistance of ₹61.99 lakh was provided for replanting 153.7 ha of small cardamom in Karnataka benefitting 364 growers. Financial assistance of ₹265.36 lakh was provided for replanting/new planting 771.18 ha of large cardamom in NE region benefitting 3,472 growers.

During 2024-25, a total of 74,304 cardamom planting materials, 3,84,507 rooted pepper cuttings, and 13,377 pepper nucleus planting materials, and 34,132 cardamom suckers were produced by the five departmental nurseries of the Board in Karnataka region. These planting materials were distributed to 659 growers. Under certified nursery scheme, 216.03 small cardamom units (10,80,500 planting materials) and 342.4 large cardamom units (17,12,050 planting materials) were established with financial assistance of ₹141.77 lakh.

Under the programme 'Development of water sources and focus on micro-irrigation in small cardamom' 78 water storage structures, 53 rainwater storage structures, 67 irrigation pump sets and 22 sprinkler systems were installed benefitting 220 farmers with financial assistance of ₹61.56 lakh. In large cardamom, eight water storage structures, 16 rainwater harvesting structures and 36 irrigation pump sets were installed benefitting 60 farmers with financial assistance of ₹15.37 lakh.

To protect small cardamom growers against the adverse weather incidences such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), relative humidity, etc., which are deemed to adversely affect the production, Spices Board has been implementing a programme of weather based insurance for cardamom (small). The programme provides assistance of 75 per cent of the premium by Spices Board and 25 per cent by the beneficiary. During 2024-25, 670 farmers were enrolled under the programme covering an area of 370 ha with financial assistance of ₹62.22 lakh as the Board's share.

Under the programme for Post-harvest Quality Upgradation of Spices, Spices Board organised GI Saffron Mela cum Awareness Programme during 2024-25 and utilised an amount of ₹1.64 lakh for the promotion of GI Saffron; 42 farmer groups in spices sector were assisted for installing various post-harvest machines with financial assistance of ₹236.32 lakh benefitting 16,186 farmers under the Quality Gap Bridging Group (QGBG) component. Under the component for post-harvest machineries for farmers from remote areas/ NE region/ marginalised communities, SC/ST, major export/ production hub, assistance was provided for installing 66 power operated seed spice threshers, 492 pepper threshers, 84 turmeric boiling units, 153 spices polishing units (cardamom polisher and turmeric polisher), eight mint distillation units, 153 spice cleaners/graders/spiral gravity separators, 39 spices washing machines, ten spice slicing machines, and 320 spice dryers benefitting 1,325 farmers with financial assistance of ₹617.07 lakh.

To promote primary processing and value addition by groups or FPOs in identified clusters to generate an exportable surplus, Spices Board has been extending assistance to FPOs to set up units for primary processing and value addition. During 2024-25, assistance was given to two FPOs in setting up of processing units with financial assistance of ₹15.73 lakh, benefitting 405 growers.

During 2024-25, 29 improved small cardamom curing devices were set up at financial assistance of ₹34.48 lakh, benefitting 29 growers. In addition, a total of 40 modified bhatti units/sawo dryer were constructed for curing of large cardamom at financial assistance of ₹12 lakh, benefitting 40 growers.

Under the Board's programme for inclusive development for SC/ST communities through spice promotion, the Board has been implementing capacity building through ICAR institutes, SAUs, KVKs, ICRI, and similar institutes. During 2024-25, six such trainings were conducted in various ICAR institutes/KVKs in five states benefitting 183 growers. The programme helps empower the aspiring youth in agriculture/farmers belonging to the SC/ST category, upgrade their knowledge and skill in farming/entrepreneurship, and to create a pool of master trainers among the community.

With the objective of demonstrating and motivating the growers of North Eastern states for cultivation of various spices with intrinsic qualities and GI tag viz., Lakadong turmeric, Naga chilli, Hathei chilli, Mizo chilli, Mizo ginger, Dalley khursani, etc., Spices Board has been implementing a programme under the SPICED scheme. During 2024-25, assistance was provided to 680 farmers of NE states covering 266.6 ha with financial assistance of ₹60.73 lakh.

Under the programme for promotion of sustainable production and certification systems like organic, IndGAP, natural farming, etc., financial assistance of ₹2.49 lakh was provided to three farmer groups during 2024-25 for internal control system; ₹2.03 lakh was provided to three farmer groups for Organic Group Certification; ₹8.05 lakh towards certification assistance for five farmer groups for INDGAP and other sustainable certifications in production; ₹33.68 lakh towards on farm production of composts benefitting 247 farmers; and ₹8 lakh towards the cost of setting up of Care and Cure Centre and inputs procured from authorised sources to five FPOs.

During 2024-25, a total of 14,945 extension visits were made and 2,788 group meetings/campaigns were organised for cardamom (small and large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong, and Darjeeling districts of West Bengal, and other spices growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹114.53 lakh.

Spices Board is regularly conducting Quality Improvement Training Programmes (QITP) for farmers, officials of state agriculture / horticulture departments, traders, members of NGOs, etc., for educating them on scientific methods of pre- and post-harvest and storage technologies and updated quality requirements for major spices. A total of 12,771 personnel were trained under 215 training programmes during 2024-25 at a total expenditure of ₹22.32 lakh.

A campaign on 'Clean and Safe Spices' was conducted on 25 February 2025, commemorating the 38th foundation day of the Board. The campaign was designed to sensitise the stakeholders on the risk, corrective actions, and good practises to be followed at various stages of production, processing, value addition, and export of spices. A total of 735 personnel were trained under the 14 campaigns conducted during 2024-25 across 13 states at a total expenditure of ₹1.68 lakh. An outreach programme was organised by the Board for the large cardamom farmers of Uttarakhand. A total of 153 farmers from various parts of Uttarakhand were benefitted through the outreach programme with the financial assistance of ₹2.65 lakh.

During the year 2024-25, the Board has conducted 17 special capacity building programmes on GAP and GHP of turmeric for farmers and FPO members in 17 locations across 12 states and three food safety and market linkage programmes for turmeric in three major turmeric growing states with expenditure of ₹57.25 lakh benefitting 1,879 stakeholders.

In order to address the Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues in spices, Spices Board submitted a project proposal titled "Strengthening of spice value chain in India and improving market

access through capacity building and innovative interventions", to the Standards and Trade Development Facility (STDF), an organisation under World Trade Organisation (WTO) that supports developing countries in building capacity to implement international standards, guidelines, and recommendations as a means to improve their human, animal and plant health status and ability to gain or maintain access to international markets. The project was approved by the STDF in 2018. The FAO India was the implementation partner of the project and the budget holder and was responsible for the overall supervision of the project. Spices Board was the local partner of the project and had to ensure the implementation of all local activities and their coordination under the project. The project commenced with an inception workshop conducted on 22nd October 2020. The project was completed by September 2024.

Human resource development programmes were conducted for pepper farmers during 2024-25 under the Integrated Project on Production and Post-harvest Management of Black Pepper for Tripura. The programmes were organised by Spices Board with financial assistance from Government of Tripura. A total of 492 farmers were trained under four training programmes during 2024-25 at a total expenditure of ₹4.00 lakh.

Various programmes implemented under the components 'Enhancing Capacities for Market Expansion', 'Trade Promotion' and 'Technological Interventions' aim to support exporters in developing infrastructure and promoting Indian spices and spice products, with a view to enhance export of processed and value-added spices, which comply with the evolving food safety standards of the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focused on enhancing compliance with quality and food safety norms across the supply chain of spices. The major thrust areas under above mentioned components are trade promotion, product development and research, infrastructure development, promotion of Indian spice brands abroad, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centres, promotion of organic spices/GI spices, organising Buyer Seller Meets, etc.

Under the programme 'Technological & Infrastructural Interventions for Processing of Spices (TIIPS)' which aims at supporting the exporters for setting up facilities for processing and value addition of spices, adoption of hi-tech infrastructure in spice processing, undertake technology interventions for process upgradation, etc., assistance amounting to ₹100.00 lakh was provided during 2024-25.

Under the programme for 'Setting up/ Upgradation of In-house Labs for Exports', assistance of ₹1.60 lakh was provided during 2024-25. Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realisation and wider market access for their produce, has established eight crop specific Spices Parks in major production/market centres. All the Parks have well established common processing units for processing, value addition and storage of spices and spice products and the units in all the Parks are functioning presently through the operators identified by the Board. As on 31st March 2025, 25 plots have been allotted to 21 exporters at Spices Park, Jodhpur, of which 13 units are functioning; 37 plots have been allotted to 21 exporters at Spices Park, Guna, of which three units are functioning; 16 plots have been allotted to 15 exporters at Spices Park, Ramganjmandi (Kota), of which one unit is functioning; 51 plots have been allotted to 26 exporters at Spices Park, Guntur, of which seven units are functioning; 17 plots have been allotted to 12 exporters at Spices Park, Sivaganga and seven plots have been allotted to three exporters at Spices Park, Raebareli. During the financial year 2024-25, one unit in Spices Park, Jodhpur started functioning.

During 2024-2025, 68774.08 MT spices worth ₹89,951.70 lakh have been processed in the common processing units and units established by the exporters in the Spices Parks of which

19,789.17 MT spices / spices products valued at ₹35,326 lakh were exported / supplied to exporters. In addition, a total of 18,197.04 MT of spices worth ₹26,261.76 lakh have been stored in the warehouses at Spices Parks. Also, a total of 1,717 workers / labourers were engaged in the Spices Parks.

Under the programme for primary processing equipment for spices, assistance of ₹14.80 lakh was provided to two exporters during 2024-25. To assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, with a clear mark of traceability and food safety through a series of promotional programmes. The Board has been implementing a programme for promotion of Indian spices logo and brands and assistance of ₹15.70 lakh was released to one exporter during 2024-25.

Under the programme for Assistance to Spice Exporters for Sending Samples (ASESS), assistance of ₹1.30 lakh was provided under this programme to seven exporters. Under the component for supporting product development for export, the Board provided assistance of ₹37.40 lakh to four firms during the period under report. Spices Board provided assistance of ₹8.57 lakh as certification cost to five exporters under the programme "Assistance for implementation of food safety and quality assurance mechanisms/ certifications" during 2024-25.

Under the Board's programme for participation in trade fairs/ meetings/ seminars/ trainings, assistance to the tune of ₹62.61 lakh as reimbursement of air fare as well as stall charges was given to 22 exporters in FY 2024-25. The Board is also implementing programme for setting up of “Spice incubation Centres” in identified expert Institutions to support exporters, start-ups, SMEs, and entrepreneurs with innovative ideas. Objective of this programme is to guide and assist them in developing innovative products and processes in the spices sector. During 2024–25, the Board provided assistance of ₹20 lakh to two expert institutions and ₹2 lakh to an incubatee under the programme.

The Quality Evaluation Laboratories (QEL) of Spices Board at Kochi, Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla, and Kolkata continued to provide analytical services and mandatory testing and certification of export consignments of select spices. During the FY 2024-25, the laboratory analysed a total of 1,64,556 parameters such as Aflatoxin, Illegal dyes, Extraneous matters, Pesticide residues, Salmonella, and EtO, in 71,241 samples of spices and spice products meant for export to various countries. Also, the Board issued 14,162 Official Certificates for export consignments of spices and spice products to the EU and UK. During 2024-2025, the Board tested 606 samples in import consignments of spices and spice products received from the Customs Department under Advance Authorisation Scheme (AAS) and test reports were issued. Spices Board being referral lab to FSSAI, the Board undertook testing of samples drawn by the FSSAI for reconfirmation the ML of specified parameters. During 2024–2025, the Board tested 18 such samples received from the FSSAI Department and issued corresponding test reports.

The 47th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC47) held at Geneva, Switzerland during November 2024 adopted three more spice standards developed by the CCSCH committee viz., turmeric, small cardamom and the group standard for dried or dehydrated fruits and berries – allspice, juniper berry, and star anise. Presently, a total of 14 full-fledged spice standards comprising of 16 spices are published and available under Codex.

Indian Cardamom Research Institute (ICRI) focused its research efforts on crop improvement, biotechnology, crop production, crop protection, and post-harvest studies. The focal areas of research were nutrient management and soil analysis, crop protection strategies employing Integrated Pest and Disease Management techniques for both small and large cardamom. A high yielding, superior, climate resilient small cardamom variety, ICRI 10 (ICRI Sugandha Bharathi) developed by ICRI, Spices

Board, Myladumpara was released by the Kerala State Variety Release Committee on Agricultural and Plantation Crops during its 29th meeting held on 12 November 2024 at Thiruvananthapuram.

Spices Board launched the 'CardsApp,' an application with online fertiliser recommendation system during "Spice Up Your Business: Stakeholders Conclave and Buyer Seller Meet" held at ICRI, Myladumpara on 11th September 2024. This app with online fertiliser recommendation system provides vital soil test results, including a Soil Fertility Map, from samples collected across 19 villages in Udumbanchola and Idukki taluks— the regions known for cardamom cultivation potential. The project was undertaken in collaboration with Rubber Board and Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. ICRI- Kisan Seva Kendra, a dedicated farmer facilitation centre, was also inaugurated during " Spice Up Your Business: Stakeholders Conclave and Buyer Seller Meet" held at ICRI, Myladumpara on 11th September 2024. The ICRI- Kisan Seva Kendra aims to support the spice farmers and provide solutions to various challenges in the agricultural sector. An MoU has been signed between Spices Board and ICAR- IISR for facilitating the supply of various bio control agents and planting materials from ICAR- IISR, Kozhikode through ICRI- Kisan Seva Kendra for the benefit of spice growers.

About 7,332 soil fertility parameters were tested from 935 soil samples of Cardamom Hill Reserve of Idukki district in Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka and recommendations were given for judicial application of fertilisers. Additionally, 528 soil fertility parameters from 44 soil samples in Sikkim were tested and reports provided for soil nutrient management. A total 377 soil samples from 226 farmers were analysed for available nitrogen.

In order to cater to the needs of spice farmers, with the assistance of State Horticulture Mission, Kerala, ICRI established twelve numbers of hi-tech polyhouses with automation for irrigation as well as relative humidity control for multiplication of black pepper and a cardamom sucker nursery.

During 2024–25, the 95th Board Meeting of Spices Board was held on 29th June 2024 at Vanijya Bhawan, New Delhi, in hybrid mode. A total of 16 members were appointed to the Board out of a sanctioned strength of 31. Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India, held charge as Chairman of the Board from 12th July 2023 to 10th October 2024. Shri L. Satya Srinivas IRS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India was appointed as the Chairman of the Board on 11th October 2024.

Dr K. G. Jagadeesha IAS assumed the charge of Secretary, Spices Board with effect from 18th March 2024 and continued upto 23rd October 2024. Ms P. Hemalatha IAS took the charge of Secretary, Spices Board on 24th October 2024 and continued during the period under report.

In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Dept. of Official Language, M/o Home Affairs in regard to use of Hindi as Official Language, the OL section continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2024-25.

The Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the government in this regard. The Board designated the Library & Information Officer as the Co-ordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs. The Board disclosed every information required to be disclosed suo moto in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2024-25, a total of 104 RTI applications (through physical and through the online portal) and 13 appeals were received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. Three Central Information Commission (CIC) hearings were held during this period.

01

CONSTITUTION AND FUNCTIONS

A. Constitution of Spices Board

The Spices Board Act 1986, (No.10 of 1986) enacted by the Parliament provides for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including control of cultivation of cardamom and matters connected therewith. The Central Government by notification in the official gazette constituted the Spices Board, which came into being on 26 February, 1987.

B. The Spices Board consists of:

a A Chairman to be appointed by the Central Government

b) Three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;

c) Three members to represent the Ministries of the Central Government dealing with:

(i) Commerce;

(ii) Agriculture; and

(iii) Finance;

d) Six members to represent the growers of spices*;

e) Ten members to represent the exporters of spices;

f) Three members to represent major spice producing states;

g) Four members one each to represent:

(i) The Planning Commission (now NITI Aayog);

(ii) The Indian Institute of Packaging, Mumbai;

(iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysuru;

(iv) Indian Institute of Spices Research, Kozhikode;

h) One member to represent spices labour interests

❖ Amended as per Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Gazette Notification (Extraordinary)No.G.S.R.157 (E) dated 2nd February, 2018.

C. Functions of the Board

The Spices Board Act, 1986 has assigned the following functions to the Board:

a) The Board may:

(i) Develop, promote and regulate export of spices;

(ii) Grant certificate for export of spices;

(iii) Undertake programmes and projects for promotion of export of spices;

(iv) Assist and encourage studies and research, for improvement of processing, quality techniques of grading and packaging of spices;

(v) Strive towards stabilization of prices of spices for export;

(vi) Evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through 'quality marking' of spices for export;

(vii) Control quality of spices for export;

(viii) Give licences, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;

(ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;

(x) Provide warehousing facilities abroad for spices;

(xi) Collect statistics with regard to spices for compilation and publication;

(xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and

(xiii) Advise the Central Government on matters relating to import and export of spices.

b) The Board may also:

(i) Promote cooperative efforts among growers of cardamom;

(ii) Ensure remunerative returns to growers of cardamom;

(iii) Provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;

(iv) Regulate the sale of cardamom and stabilization of the prices of cardamom;

(v) Provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;

(vi) Increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;

(vii) Register and license brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;

(viii) Improve the marketing of cardamom;

(ix) Collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry, publish statistics so collected or portions thereof, extracts therefrom;

(x) Secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and

(xi) Undertake, assist, or encourage scientific, technological, and economic research.

D. Spices under the purview of the Board

The following 52 spices (table below) are listed in the schedule of the Spices Board Act:

1	Cardamom	19	Kokam	37	Juniper berry
2	Pepper	20	Mint	38	Bayleaf
3	Chilli	21	Mustard	39	Lovage
4	Ginger	22	Parsley	40	Marjoram
5	Turmeric	23	Pomegranate seed	41	Nutmeg
6	Coriander	24	Saffron	42	Mace
7	Cumin	25	Vanilla	43	Basil
8	Fennel	26	Tejpat	44	Poppy seed
9	Fenugreek	27	Pepper long	45	All-Spice
10	Celery	28	Star anise	46	Rosemary
11	Aniseed	29	Sweet flag	47	Sage
12	Bishop's weed	30	Greater Galanga	48	Savory
13	Caraway	31	Horseradish	49	Thyme
14	Dill	32	Caper	50	Oregano
15	Cinnamon	33	Clove	51	Tarragon
16	Cassia	34	Asafoetida	52	Tamarind
17	Garlic	35	Cambodge		
18	Curry leaf	36	Hyssop		

[In any form including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant]

Organogram of Spices Board

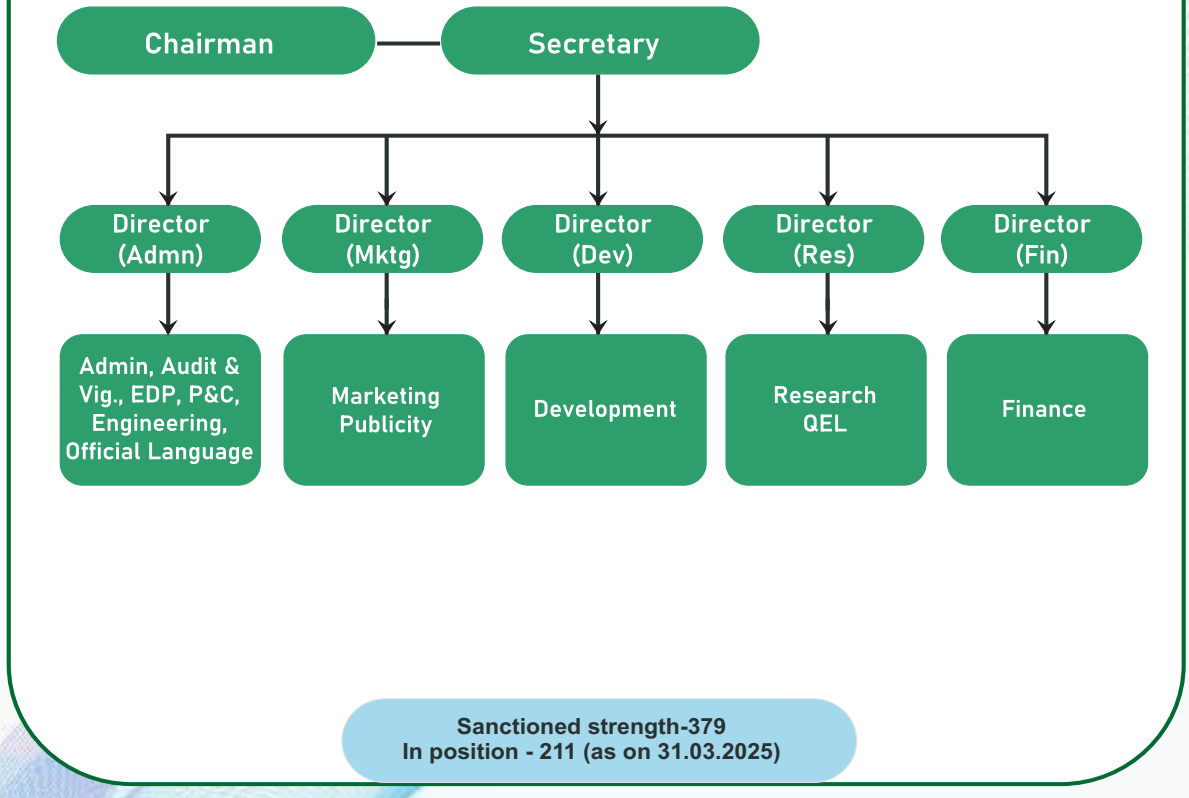

Sanctioned strength-379
In position - 211 (as on 31.03.2025)

02

ADMINISTRATION

A. Administration

Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India held charge as the Chairman, Spices Board from 12th July 2023 to 10th October 2024. Shri L. Satya Srinivas IRS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India was appointed as the Chairman of the Board on 11th October 2024 for a period of six months or until further orders. Dr K. G. Jagadeesha IAS assumed the charge of Secretary, Spices Board with effect from 18th March 2024 and continued upto 23rd October 2024. Ms P. Hemalatha IAS took the charge of Secretary, Spices Board from 24th October 2024 and continued during the period under report. Dr Rema Shree A. B. continued as Director (Research) and held additional charge of Director (Finance) during the period under report. Shri Jijesh T. Das, Deputy Director (EDP), Shri B. N. Jha, Deputy Director (Marketing), and Shri Dharmendra Das, Deputy Director (Development) continued to hold the charge of Director (Administration), Director (Marketing), and Director (Development) respectively during the period under report.

Spices Board has already achieved the targeted staff strength approved in the restructuring proposal. Against the sanctioned strength of 379, as on 31st March 2025, the existing staff strength of Spices Board is 211 consisting of 64 Group A, 72 Group B, and 75 Group C employees.

The Board granted promotion to two employees and granted financial upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) to 14 eligible employees during the period under report. The Board engaged three Marketing Executives and eight Development Executives to support export promotion and development activities.

The Board engaged 57 unemployed youth from the SC/ST category in the graduate/postgraduate level as trainees for imparting training in analytical services in the Quality Evaluation Laboratories, agricultural extension service in the Field Offices and Research Stations and for attending official works in the Accounts and Library section.

a) Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for SC/ST/OBC. The instructions issued by the Government from time to time in this regard were strictly adhered to. As on 31st March 2025 there were 128 (OBC-76, SC- 31 and ST-21) employees belonging to SC/ST and OBC categories.

No appointment was made during the period under report as per the direction from the Department of Commerce due to pending approval of the Recruitment Regulation (R.R.) of Spices Board.

b) Welfare of women

As on 31st March 2025, the total strength of women employees in the Board in Group A, B, and C categories was 59. The grievances of women employees were timely and properly attended to. A Group-A level woman officer of the Board was appointed as 'Women Welfare Officer' to sort out the difficulties/ problems, if any, or to bring them to the notice of the higher

authorities along with suggestions for possible solutions. Internal Complaints Committee was re-constituted under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013.

c) SC/ST/OBC welfare

The Board constituted SC/ST and OBC Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to SC/ST/OBC. Apart from this, an "Internal Grievance Committee" for Scheduled Tribes employees was also constituted as recommended by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST).

d) Welfare of persons with disabilities

Spices Board constituted PWD Cell for looking after the welfare of the employees belonging to PWD category and to sort out their problems. The Board nominated a Liaison Officer for reservation matters related to persons with disabilities. The Board also implemented reservation in promotion to the persons with disabilities as per the instructions from the Government. An expert committee was re-constituted for the purpose of identification of posts suitable for Persons with Disabilities as per the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. As on 31st March, 2025 there were 9 (OH-5,VH-3,HH-1) employees belonging to Persons with Disabilities (Divyangjan) category.

e) Functional network of Spices Board

The Head Office of Spices Board is located at Kochi in Kerala. Further, the Board has offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices for small and large cardamom, Quality Evaluation Laboratories (QEL), Research Stations, and Spices Parks.

The following offices of the Board functioned during 2024-25:

(i) Export Promotion Offices

Sl. No.	Location	State/UT
1	Paderu	Andhra Pradesh
2	Warangal	Andhra Pradesh
3	Guntur	Andhra Pradesh
4	Guwahati	Assam
5	Patna	Bihar
6	Jagdalpur	Chhattisgarh
7	New Delhi	Delhi
8	Ponda	Goa
9	Ahmedabad	Gujarat
10	Unjha	Gujarat
11	Una	Himachal Pradesh
12	Srinagar	Jammu & Kashmir
13	Bangalore	Karnataka
14	Mumbai	Maharashtra
15	Shillong	Meghalaya
16	Aizawl	Mizoram
17	Koraput	Odisha
18	Jodhpur	Rajasthan
19	Chennai	Tamil Nadu
20	Nagercoil	Tamil Nadu
21	Nizamabad	Telangana
22	Hyderabad	Telangana
23	Agartala	Tripura
24	Barabanki	Uttar Pradesh
25	Kolkata	West Bengal

(ii) Development Offices/Farms

Research and Development of Small Cardamom		
Sl. No.	Location	State
1	Adimali	Kerala
2	Elappara	Kerala
3	Kalpetta	Kerala

4	Kattappana	Kerala
5	Kumily	Kerala
6	Nedumkandam	Kerala
7	Pampadumpara	Kerala
8	Peermade	Kerala
9	Puttady	Kerala
10	Rajakkad	Kerala
11	Rajakumari	Kerala
12	Santhanpara	Kerala
13	Udumbanchola	Kerala
14	Bodinayakanur	Tamil Nadu
15	Erode	Tamil Nadu
16	Bathlagundu	Tamil Nadu
17	Aigoor (farm)	Karnataka
18	Belagola (farm)	Karnataka
19	Beligeri (farm)	Karnataka
20	Bettadamane(farm)	Karnataka
21	Sakleshpur	Karnataka
22	Haveri	Karnataka
23	Koppa	Karnataka
24	Madikeri	Karnataka
25	Mudigere	Karnataka
26	Shivamogga	Karnataka
27	Sirsi	Karnataka
28	Somwarpet	Karnataka
29	Vanagur	Karnataka
30	Yeslur (farm)	Karnataka

Research and Development of Large Cardamom		
Sl. No	**Location**	**State**
1	Itanagar	Arunachal Pradesh
2	Namsai	Arunachal Pradesh
3	Pasighat	Arunachal Pradesh
4	Roing	Arunachal Pradesh
5	Ziro	Arunachal Pradesh
6	Dimapur	Nagaland
7	Kohima	Nagaland
8	Gangtok	Sikkim
9	Geyzing	Sikkim
10	Jorethang	Sikkim
11	Mangan	Sikkim
12	Kalimpong	West Bengal
13	Sukhiapokhri	West Bengal
14	Churachandpur	Manipur

(iii) Research Stations

Sl. No.	Location	State
1	Myladumpara	Kerala
2	Donigal-Sakleshpur	Karnataka
3	Thadiyankudissai	Tamil Nadu
4	Tadong	Sikkim

(iv) Quality Evaluation Laboratories (QEL)

Sl. No.	Location	State
1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Kandla	Gujarat
3	Kochi	Kerala
4	Mumbai	Maharashtra
5	Narela	New Delhi
6	Chennai	Tamil Nadu
7	Tuticorin	Tamil Nadu
8	Kolkata	West Bengal

(v) Spices Parks

Sl. No.	Location	State
1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Puttady	Kerala
3	Chhindwara	Madhya Pradesh
4	Guna	Madhya Pradesh
5	Jodhpur	Rajasthan
6	Ramganj Mandi (Kota)	Rajasthan
7	Sivaganga	Tamil Nadu
8	Raebareli	Uttar Pradesh

f. Activities during 2024-25

i. **Procurement of goods and services**

All the outsourced services like security, house keeping, electricians, drivers, etc., were procured through Central/State Government owned Service Providers. Purchase of products like computers, printers, stationery, etc., were also made through GeM (More than 80 per cent of the total purchase was done through GeM).

ii. Implementation of Swachh Bharat Mission

All the activities notified by the Ministry as part of implementation of Swachh Bharat Mission were successfully implemented in Spices Board and reports including photos were forwarded to the Ministry.

As a part of the Swachhata Hi Seva (Special Campaign 4.0), the dormant and scrap items of different locations of Spices Board were identified and disposed by following the procedure as laid down in the Manual for Procurement of Goods & Services and credited the proceedings to the Spices Board.

iii. Board meetings during 2024-25

During the period 2024–25, only one Board meeting was held i.e., the 95th Board Meeting on 29th June 2024 at Vanijya Bhawan, New Delhi, in hybrid mode. A total of 16 members were appointed to the Board out of a sanctioned strength of 31. Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India, held charge as Chairman of the Board from 12th July 2023 to 10th October 2024. Shri L. Satya Srinivas IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India, was appointed as Chairman of the Board on 11th October 2024 for a period of six months or until further orders.

Dr K.G. Jagadeesha, IAS, Secretary, Coffee Board, was given additional charge of Secretary, Spices Board, with effect from 18th March 2024 to 17th September 2024, or until further orders. Ms P. Hemalatha, IAS, Development Commissioner, Cochin SEZ, was given additional charge of Secretary, Spices Board with effect from 22nd October 2024, and assumed charge on 24th October 2024. She continues to hold the position as of date.

iv. Maintenance of Outstation Offices

Maintenance of the Head Office of the Board located at Kochi and 82 offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices, eight Quality Evaluation Laboratories (QELs), four Research Stations and eight Spices Parks was attended to.

v. Observance of Days of National Importance

Days of National Importance notified by the Government of India were observed in Spices Board. Following such Days were observed during the year 2024-25:-

a) 10th International Day of Yoga (IDY)
b) World Blood Donation Day
c) Communal Harmony Week
d) Campaign on “Har Ghar Tiranga”
e) Country-wise Mass Pledge against Drugs
f) Rashtriya Ekta Diwas
g) Janjatiya Gaurav Divas
h) National Commerce Day
i) Armed Forces Day
j) Vigilance Awareness Week
k) All other days of national importance like Independence Day, Republic Day, Constitution day, etc.

B. Implementation of Official Language Policy

The Official Language section in Spices Board HO is the nodal point responsible to assist the Board to formulate and carry out programmes to promote use of Hindi as official language and also to monitor and guideline implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme

as well as the orders issued by the Department of Official Language, M/o Home Affairs in regard to use of Hindi as Official Language, the OL section, with concurrence and approval of the Secretary and the Official Language Implementation Committee of the Board, kept its efforts continued to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2024-25.

Major activities and achievements:

(i) Translation

Major translation work [English to Hindi and Vice versa] undertaken were of the;

- Documents coming under section 3(3) of OL Act, like General Orders [Circulars], Tender Documents, Advertisements, Press Release, Notifications, VIP references, etc.
- Annual Report & Audit Report 2023-24 and other administrative reports of the Board placed before the Parliament.
- Letters received in Hindi and replies thereof.
- Material for visiting cards, rubber stamps for the officials in service and mementos for the officials retiring from the service of the Board.
- Materials [banner, backdrop, invitation card, programme sheets, etc.) for various official functions arranged by the Board.

(ii) Implementation of OL policy

a) OLIC meetings

Four OLIC meetings, in the tune of one in each quarter, were convened on 27th June 2024 (April-June 2024), 30th September 2024 (July-September 2024), 31st December 2024 (October-December 2024), and 26th March 2025 (January-March 2025) respectively.

b) Hindi workshop

Four Hindi workshops were organised regularly in each quarter for the staff members of the Board and information was provided to the participants about the latest techniques to increase the use of Hindi in the office. They were made aware of the OL policy as well as the Boards' activities to implement the OL policy with a thrust on ensuring compliance of check-points effectively.

c) Subscription to Hindi newspaper/ magazines

Continued subscription to Hindi newspaper 'Daily Hindi Milap' and Hindi magazines namely *Sarita* and *Vanita*.

d) Official Language inspection

Shri Paramanad, Deputy Director (OL), Department of Commerce and his team visited and conducted Official Language inspection of the Regional Office, Spices Board, Mumbai on 14th November 2024. The progress made by the Board in the field of implementation of the Official Language Policy of the Government was appreciated by the inspection team. During the inspection/meeting, the officials gave valuable suggestions for better implementation of the Official Language policy. Actions are being taken on the suggestions given by the officials.

e) Hindi Day/Fortnight celebrations 2024

14th September 2024 was celebrated as Hindi Day in the Board. On behalf of the Board, the Assistant Director (Official Language), Head Office, Kochi participated in the All India Hindi Conference held at Bharat Mandapam, New Delhi during 14-15 September 2024. The same day was celebrated as Hindi Day across the Board. Officials from across India participated in the Hindi Fortnight Celebrations held during 14-29 September 2024. Various competitions were organised through online medium for the staff members in connection with Hindi Fortnight Celebrations 2024.

f) Participation in the programmes arranged by TOLIC

During the period under report, Spices Board was awarded the Rolling Trophy (3rd position) instituted by Kochi TOLIC for the

best implementation of Official Language Policy in the office. The award was received by the Director i/c (Administration) during the periodical meeting of the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Kochi on 23rd October 2024.

During the period, the Director (Research and Finance i/c) and Assistant Director (OL) of the Board attended the first half-yearly meeting of TOLIC, Kochi organised on 28th May 2024 .

g) In-service training

Spices Board nominated two officials for the Pragya Hindi training course through correspondence organised by the Central Hindi Training Institute, New Delhi.

h) Internship for the University Students

Five students doing Post Graduate Diploma in Translation, Journalism and Hindi Computing (PGDTJC) in Department of Hindi, Cochin University of Science and Technology (CUSAT) successfully completed their internship in Hindi Language from the Board as part of their curriculum.

iii) Spice India (Hindi)

Attended the work related with the release of the Board's monthly magazine 'Spice India' in Hindi.

C. Library and Documentation Service

The Board's library has a good collection of books and periodicals with computerised biblographic data base. The process of strengthening the library and documentation unit was continued by addition of new books and periodicals. During 2024-25, 139 new books were added and continued the subscription of about 80 periodicals. Library continued the regular services like issue and return of books and periodicals, current awareness services, daily information services, e- paper reading and accessing open access journals and commenced the 'spice news service'. Reference facilities including guidelines were provided to about 17 students and research scholars from various institutions. Besides the regular activities, information was compiled on organic farming, climatic change, Indian agriculture, black pepper, cardamom, ginger, turmeric, chilli, garlic, mint, seed spices, tree spices, and oils and oleoresins.

03

FINANCE AND ACCOUNTS

The schemes, projects, and programmes of Spices Board are financed through grants from the Government of India. The expenditure on Administration is partly met through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The budget approved for the Board during 2024-25 was ₹13,000.00 lakh. The detailed allocation of the Grant-in-aid of ₹13,000.00 lakh was as under:

Sl No	Allocation of Grant-in-aid	₹in lakh
1	Grant-in-aid General, Capital Expenditure, Salaries, Other Expenditure and Swachh Bharat	7153.00
2	Grant-in-aid for Subsidies/ financial assistance	4200.00
3	Grant-in-aid for North East Region	849.00
4	Grant-in-aid for Scheduled Caste Sub Plan	249.00
5	Grant-in-aid for Tribal Sub Plan	549.00
	Total	**13000.00**

The Board generated a revenue (IEBR) of ₹3,751.59 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2024-25.

Spices Board is mandated with the Export Promotion of spices (52 scheduled spices and their products); Production, Research, Development, and Domestic Marketing of Cardamom (small & large); and Quality Evaluation and Certification of Spices for Export. To achieve this objective, the Board has been implementing various programmes and activities under the Central Sector Scheme – Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development [SPICED]. The scheme includes various components such as Improving productivity of Cardamom, Post- harvest Quality Upgradation of Spices, Quality Improvement, Enhancing Capacities for Market Expenditure, Trade Promotion, and Technologic Intervention, Research on Small and Large Cardamom, Capacity Building and Skill Development.

The total expenditure of the Board during 2024-25 was ₹13,343.85 lakh, break-up of which is given below:

Head of Account	Expenditure (₹Lakh)
Improving productivity-cardamom	1031.49
Post-harvest quality upgradation of spices	1157.20
Quality improvement	1044.65
Enhancing capacities for market expansion	1021.65
Trade promotion	1302.48
Technologic intervention	44.68
Research on small & large cardamom	296.25
Capacity building & skill development	89.16
Establishment	7356.29
Total	**13343.85**

The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other Government Departments and national agencies such as, ICAR, ASIDE and others. The details of grants received and expenditure incurred for such projects during 2024-25 are given below :-

Programmes	Grants Received (₹lakh)	Expenditure (₹lakh) (*)
Area Wide IPM Black Pepper	-	2.00
ICAR - AICRPS	21.31	33.25
Bayer Project	-	3.03
Evaluation of Flupyrimin	-	4.33
WTO-STDF	-	16.89
DUS Test Centre	0.75	0.15
Assessment of Polysulphate	6.00	5.09
Evaluation of Spinetoram	-	11.71
Evaluation of Nano Fertiliser	2.40	1.70
SHM – High Tech Nursery	-	71.41
Syngenta Fungicide	-	2.64
Syngenta Insecticide	-	1.21
Women Scientist Scheme	-	0.03
ASIDE- TIES-Sikkim	-	98.47
Ginger Project Bastar	-	0.88
Myanmar Large Cardamom	-	2.62
RKVY Andhra Pradesh	-	5.93
MIDH	-	28.30
NABARD Sikkim	-	0.94
Total	**30.46**	**290.58**

(*) Expenditure includes grants received in the previous years and utilised in FY 2024-25, as well.

The paras in the statutory Audit Report 2024-25 on Spices Board are placed as Appendix I.

04

EXPORT ORIENTED PRODUCTION AND POST-HARVEST IMPROVEMENT OF SPICES

Spices Board is responsible for the overall development of cardamom (small and large) in terms of improving production, productivity, and quality. The Board is also implementing post-harvest improvement programmes for production of quality spices for export. In line with its mandate, Spices Board is implementing the central sector scheme "Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development (SPICED), which includes various development programmes and post-harvest quality improvement programmes namely; component-I) Improving Productivity of Cardamom (small & large), and component - II) Post-harvest Quality Upgradation of Spices.

These programmes are implemented through the extension network of the Board consisting of Regional Offices, Divisional Offices, and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Nurseries in the major cardamom growing areas in Karnataka to cater to the requirements of quality planting materials for the spice growers.

A. Improving Productivity of Cardamom (Small & Large)

The major programmes implemented with an objective to improve the production and productivity in small and large cardamom are as follows;

a. Productivity improvement of cardamom (small)

Small cardamom is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. Majority of cardamom holdings are small and marginal. The total area under small cardamom during 2024-25 was 70,411 hectares (ha) with an estimated production of 20,696 metric tonnes. The programmes implemented for the development of small cardamom are given below:

1) Replanting / new planting

The objective of this programme is to motivate the growers to improve production and productivity through systematic replanting of the diseased, old, senile, and uneconomic plantations and to take up area expansion of small cardamom in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka by encouraging small and marginal growers and providing them financial assistance for replantation/new plantation.

(i) Replanting / new planting (Tamil Nadu & Kerala)

The growers are being offered financial assistance of ₹1,00,000/- for General and ₹2,10,000/- for SC and ST farmers per ha in Kerala and Tamil Nadu towards 33.33 per cent and 75 per cent respectively for the cost of replanting and maintenance during gestation period, payable in two equal annual instalments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to four (4) ha land are eligible for benefit under this programme.

During 2024-25, financial assistance of ₹366.68 lakh was provided for replanting 746.67 ha of small cardamom (which includes ₹236.14 lakh towards first instalment for replanting of 468.15 ha during 2024-25, ₹130.54 lakh towards second instalment of replanting of 278.52 ha during 2023-24 and backlog cases of 2023-24) benefitting 2670 growers (Female:801, Transgender: 0, SC:43,ST:33).

(ii) Replanting/new planting (Karnataka & other potential states)

The growers are being offered financial assistance of ₹75,000/- for General and ₹1,68,000/- for SC and ST farmers per ha in Karnataka, towards 33.33 per cent and 75 per cent respectively for the cost of replanting and maintenance during gestation period, payable in two equal annual instalments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to four (4) ha are eligible for benefit under this programme.

During 2024-25, financial assistance of ₹61.99 lakh was provided for replanting 153.7 ha of small cardamom in Karnataka (which includes ₹34.40 lakh towards first Instalment for replanting of 83.65 ha during 2024-25, ₹27.59 lakh towards second instalment of replanting of 70.05 ha during 2023-24 and backlog cases of 2023-24) benefitting 364 growers (Female:91,Transgender: 0, SC:17, ST:10).

2) Production of quality planting materials

Availability of good quality planting materials of improved varieties/ cultivars for replanting is the key to improve the productivity of cardamom. The programmes implemented to make available quality, high yielding, and disease-free planting materials for replanting are as follows;

(i) Planting material production through certified nurseries

In order to produce disease free, healthy, and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers/seedlings in their own field. Planting materials produced in the certified nurseries were used for replanting / gap filling by the applicants and the balance were supplied to neighbouring/needy farmers at an optimum price not exceeding the market price.

During 2024-25, 216.03 units (i.e.,10,80,500 planting materials) were established covering 434 beneficiary farmers (Female: 130, Transgender: 0,SC:11,ST:1) with the financial assistance of ₹44.50 lakh.

(ii) Planting material production through departmental nurseries

Production and distribution of disease free, healthy, and quality planting materials were taken up by the Board's departmental nurseries departmental nurseries. The planting materials produced in the five departmental nurseries were distributed at a nominal rate to growers.

During 2024-25, a total of 74,304 cardamom planting materials, 3,84,507 rooted pepper cuttings, and 13,377 pepper nucleus planting materials, and 34,132 cardamom suckers were produced by five departmental nurseries in the Karnataka region and 55,354 cardamom seedlings, 25,565 cardamom suckers, 2,48,842 rooted pepper cuttings, and 8,545 pepper nucleus planting materials were distributed to 659 growers (Female:25, Transgender: 0 SC:13,ST:2).

3) Development of water sources & focus on micro-irrigation

Irrigation during summer months is essential in cardamom plantations for getting higher yield. This programme aims at promoting irrigation in cardamom plantations by augmenting water resources by constructing irrigation structures like farm ponds, tanks, wells, rainwater harvesting structures, and installation of irrigation equipment and micro irrigation structures. The Board is implementing the programme in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka.

(i) Construction of water storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail benefit under the programme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/ well/ storage tank. The minimum

capacity of irrigation structure should be 25 cubic metres for availing maximum assistance under the programme. Financial assistance offered under the programme is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹45,000/- to SC/ST category whichever is less.

During 2024-25, 78 water storage structures were constructed benefitting 78 farmers (Female: 24,Transgender: 0, SC:1,ST:0) with the financial assistance of ₹23.67 lakh.

(ii) Rainwater harvesting structures

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail the benefits under the programme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Financial assistance at the rate of 33.33 per cent of the actual cost limited to ₹18,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost limited to ₹40,000/- to SC/ST category whichever is less is extended for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2024-25, 53 rainwater harvesting structures were constructed benefitting 53 farmers (Female:16, Transgender: 0 SC:1,ST:0) with the financial assistance of ₹8.55 lakh.

(iii) Irrigation pump set

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the programme. The scale of assistance offered is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- whichever is less to General category and 75 per cent of the actual cost limited to ₹45,000/- to SC/ST category.

During 2024-25, 67 irrigation equipment were installed benefitting 67 farmers (Female:21 Transgender: 0, SC:2,ST:0) with the financial assistance of ₹16.98 lakh.

(iv) Micro irrigation / sprinkler / ICT enabled irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the programme. The scale of assistance offered is 50 per cent of the actual cost or ₹63,000/- whichever is less to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹95,000/- whichever is less to SC/ST category.

During 2024-25, 22 sprinkler system were installed benefitting 22 farmers (Female:7 Transgender: 0 SC:0,ST:0) with the financial assistance of ₹12.36 lakh.

4) Weather based insurance for cardamom (small)

The objective of the programme is to protect small cardamom growers against the adverse weather incidences such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), relative humidity, etc., which are deemed to adversely affect the production. Registered cardamom growers of small cardamom having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to enrol for the programme. Agriculture Insurance Company of India Ltd (AIC) is the implementing agency of this programme under the aegis of Spices Board. The programme provides assistance of 75 per cent of the premium by Spices Board and 25 per cent by the beneficiary. The Board provides maximum assistance of ₹16,040/ ha (including GST).

During 2024-25, 670 farmers were enrolled under the programme covering an area of 370 ha with financial assistance of ₹62.22 lakh as the Board's share(Female:135).

b). Productivity improvement of cardamom (large)

Large cardamom is mainly grown in the sub-Himalayan tracts of Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Darjeeling, and Kalimpong districts of West Bengal. The total area under large cardamom in Darjeeling and Kalimpong districts

of West Bengal and Sikkim during 2024-25 was 26,617 ha with an estimated production of 6,518 MT. The total large cardamom growing area under Arunachal Pradesh, Manipur, and Nagaland in 2024-25 was 19,399 ha with the production of 3,033 MT. Non-availability of quality planting materials, presence of senile, old, and uneconomic plants and incidence of blight diseases are the major challenges affecting large cardamom production. Keeping this in view, the Board is implementing the following programmes for large cardamom.

1) Replanting / new planting

Large cardamom is grown by small and marginal farmers belonging to weaker sections of the society. The objective of the programme is to motivate the growers to adopt replanting in a systematic way to increase productivity. It is difficult for cardamom farmers to meet the cost of replanting / new planting due to higher investment. The programme provides assistance of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of new planting in non-traditional areas and replanting in traditional areas as well as maintenance during gestation period (first and second years) as financial assistance subject to a maximum of ₹33,600/- and ₹75,000/- per hectare respectively, payable in two equal annual instalments.

During 2024-25, financial assistance of ₹265.36 lakh was provided for replanting / new planting 771.18 ha of large cardamom (which includes ₹137.75 lakh towards first instalment for replanting of 411.45 ha during 2024-25, ₹127.61 lakh towards second instalment of replanting of 359.73 ha during 2023-24 and backlog cases of 2023-24) benefitting 3,472 growers (Female:868, Transgender: 0, SC:9, ST:2,985).

2) Planting material production through certified nurseries

Availability of high yielding and disease-free planting materials is one of the major challenges in large cardamom cultivation. In order to produce disease free, healthy, and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field.

During 2024-25, under this programme 342.41 units (i.e., 17,12,050 planting materials) were established covering 604 beneficiary farmers (Female:184, Transgender: 0 SC:3,ST:422) with the financial assistance of ₹97.27 lakh.

3) Development of water sources & focus on micro irrigation

Large cardamom is mainly grown as a rainfed crop. Vagaries of climate often affect the production. The long dry spell from November to March coincides with severe winter resulting in retardation of growth and adversely affecting production. In order to increase water resources as well as to install irrigation equipment in large cardamom plantations for enabling irrigation to combat long dry spells during winter months and to increase the productivity and quality, the Board is implementing programmes in the North Eastern region and Darjeeling district of West Bengal.

(i) Construction of water storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail benefit under the programme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/ well/ storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metres for availing maximum financial assistance under the programme. The financial assistance offered under the programme is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹45,000/- to SC/ST category whichever is less.

During 2024-25, under this programme eight water storage structures were constructed covering eight beneficiary farmers (Female:3, Transgender: 0, SC:0, ST:8) with the financial assistance of ₹3.15 lakh.

(ii) Rainwater harvesting structures

Irrigation during summer months is very much essential in large cardamom plantations for getting higher yield. Harvesting rainwater (both direct rainfall as well as diversion of surface run off) for irrigation purpose is becoming popular among the cardamom growers because of its low cost and convenience. Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail benefit under the programme. The assistance will be for a structure of 200 cubic meter capacity lined with HDPE sheet (120GSM). For lesser capacity the assistance will be limited proportionate to the water holding capacity. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. The financial assistance offered under the programme is 33.33 per cent of cost of construction subject to a maximum of ₹18,000/- per structure for General and 75 per cent subject to maximum of ₹40,000/- per structure for SC/ST.

During 2024-25, under this programme 16 rainwater harvesting structures were constructed covering 16 beneficiary farmers (Female:6, Transgender: 0, SC:0, ST: 12) with the financial assistance of ₹5.52 lakh.

(iii) Irrigation equipment (including ICT enabled irrigation equipment)

Use of irrigation equipment help the growers in irrigating better way without much wastage and it is proposed to assist the growers in installing the irrigation pump sets and hose pipes for irrigation. Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 4.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the programme 'irrigation equipment'. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one unit. The financial assistance offered under the programme is 50 per cent of cost of equipment subject to a maximum of ₹15,000/- for General and 75 per cent subject to maximum of ₹22,500/- for SC/ST.

During 2024-25, 36 irrigation pump sets were installed benefitting 36(Female:11, Transgender: 0 SC: 0,ST: 28) farmers with the financial assistance of ₹6.70 lakh.

B. Post-harvest Quality Upgradation of Spices

a. Mission clean and safe spices through post-harvest improvement by groups in identified clusters

Main objective of implementing programmes under this component is increasing the export of spices from the country through focused interventions for generating an exportable surplus, meeting the quality and safety specifications of importing countries. Physical, chemical, and microbial contaminants in spices can affect the quality compliance of Indian spices, which can be addressed by adopting Good Agricultural Practices including better technologies for Post-harvest Quality Upgradation. Also, mechanisation of farm activities is proposed to address the issue of shortage of labour. Thrust is also given to equip and sustain the spice FPOs/ farmers clusters to become entrepreneurs, through post-harvest processing, value addition, and marketing.

1) Saffron Production and Export Development Agency programmes

Spices Board established Saffron Production and Export Development Agency (SPEDA) at Srinagar, Jammu and Kashmir for promoting development, marketing, quality, export, and domestic consumption of saffron. The SPEDA is co-chaired by the Secretary, Ministry of Commerce and Industry, and the Chief Secretary, Government of Jammu and Kashmir. During the period under report, the Board has taken steps for the reconstitution of SPEDA. Activities such as quality improvement training programmes, buyer seller meets, were conducted. The Board also organised GI Saffron Mela cum Awareness Programme during 2024-25 and utilised an amount of ₹1.64 lakh for the promotion of GI Saffron.

2) Quality Gap Bridging Group (QGBG)

Post-harvest management helps upgrade the quality of spices and plays an important role in achieving exportable surplus. Popularising the adoption of better post-harvest management practices at farm level contributes to making available quality spices, thereby increasing the export of spices from India. The objective of the programme is to capacitate the spices producers to produce spices with quality, safety, and traceability through supporting identified groups.

(i) Post-harvest machine / equipment bank

Registered spice producer's groups in the major spice growing clusters having forward market linkage with exporters can avail the assistance for setting up of two machines/ equipment under each sub-component of the post-harvest improvement programme for use among the members of the spice producer's groups. The programme envisages to develop linkage of the groups with the exporters. The groups will be encouraged to enter market linkage arrangements with exporters, for sourcing the spices for exports.

The programme provides an assistance of a maximum of ₹23.5 lakh per spice producers' group for setting up of post-harvest machine /equipment bank with maximum assistance for seed spice thresher at the rate of ₹1,35,000/-, pepper thresher at the rate of ₹34,000/-,turmeric boiler at the rate of ₹3,38,000/-, spices polishers at the rate of ₹1,70,000/-,mint distillation units at the rate of ₹3,38,000/-, leaf/herbal spice distillation units at the rate of ₹6,30,000/-, spice cleaners / graders/ spiral gravity separators at the rate of ₹80,000/, spice washing equipment at the rate of maximum ₹95,000/-,spice slicing machines at the rate of ₹16,000/-, latest post-harvest equipment (tamarind de-seeder, garlic grader, etc.) for spices at the rate of ₹1,50,000/-,spice dehullers at the rate of ₹90,000/-, spice driers at the rate of ₹67,500/-,drying spices on clean and hygienic surfaces (Silpauline/Tarpauline) at the rate of ₹4,000/-, basic quality testing of spices for aggregation for export at the rate of ₹18,000/-,and drying platforms for FPOs, and market yards at the rate of ₹1,00,000/-

During 2024-25, 42 farmer groups in spices sector were assisted for installing various post-harvest machines with financial assistance of ₹236.32 lakh benefitting 16,186 farmers.

(ii) Post-harvest machineries for farmers from remote areas/NE region/marginalised communities, SC/ST, major export/production hub

1. Seed spice threshers

The harvesting and post-harvest practices followed by some of the seed spice growers are unhygienic which result in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits, etc. The seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks, rubbing the plants manually by hand, etc. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, the Board popularises the use of threshers which are operated manually or by using power. Growers having land holding size upto 0.40 ha are eligible to avail the assistance under the programme.

The Board is providing 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher as financial assistance subject to a maximum of ₹75,000/- and ₹1,12,000/- respectively for General and SC/ST farmers.

During 2024-25, assistance was provided for installing 66 power operated threshers in the farmers' fields with total financial assistance of ₹53.20 lakh, benefitting 66 growers (Female:18, Transgender: 0, SC:4,ST: 6).

2. Pepper threshers

The objective of the programme is to motivate the pepper growers to produce good quality pepper for export by promoting installation of pepper threshers for hygienic separation of pepper berries from the

spikes. The programme provides assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher subject to a maximum of ₹19,000/- for General and ₹28,000/- for SC and ST farmers respectively as financial assistance .

During 2024-25, assistance was provided for installing 492 threshers with total financial assistance of ₹93.99 lakh, benefitting 492 growers (Female:172 , Transgender: 0, SC: 17,ST: 107).

3. Turmeric boiler

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods for processing turmeric using steam boiling units. This provides better colour and quality to the final produce. Spices Board popularises the use of large- scale turmeric boiling units among growers for production of quality turmeric suitable for exports. The financial assistance provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the actual cost of the boiling unit or ₹1,88,000/- for General and ₹2,82,000/- for NE/SC/ST farmers respectively whichever is less.

During 2024-25, a total number of 84 turmeric steam boiling units were installed with financial assistance of ₹183.31 lakh, benefitting 84 growers (Female:30, Transgender: 0, SC: 20, ST: 14).

4. Spice polishers

The programme aims at motivating and assisting the spices growers especially turmeric and small cardamom growers, growers' group, spice producer societies / spice farmer producer company and so on, to adopt polishing of spices by giving assistance to install improved polishers at subsidised rates to produce quality spices suitable for exports. The financial assistance provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the actual cost of the polisher unit or ₹94,000/- for General and ₹1,40,000/- for NE/SC/ST farmers respectively, whichever is less.

During 2024-25, assistance was provided for 153 spices polishing units (cardamom polisher and turmeric polisher) with financial assistance of ₹125.35 lakh, benefitting 153 growers (Female:38, Transgender: 0, SC: 18, ST: 24).

5. Mint distillation units

The objective of the programme is to motivate the mint growers to set up modern distillation units lined with stainless steel in their fields to improve the efficiency of distillation and quality of the oil for exports. The scheme provides assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the distillation unit subject to a maximum of ₹1,88,000/- for General and ₹2,82,000/- for SC and ST farmers respectively as financial assistance.

During 2024-25, eight mint distillation units were installed with total financial assistance of ₹16.91 lakh, benefitting eight growers (Female:2, Transgender: 0, SC:2 ,ST:0).

6. Spice cleaners/ graders/ spiral gravity separators

The objective of the programme is to popularise the spice cleaners/graders/spiral gravity separators to increase profitability in production of spices by way of mechanisation and to improve the quality of spices for export. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹44,000/- per unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹66,000/- per unit for NE/SC/ST farmers.

During 2024-25, a total of 153 spice cleaners/ graders/spiral gravity separators were installed with financial assistance of ₹46.60 lakh, benefitting 153 growers (Female: 33, Transgender: 0, SC:6,ST:35).

7. Spice washing equipment

The objective of the programme is to popularise the spice washing equipment to increase profitability in production of spices by way of mechanisation and to improve the quality of spices for exports. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹53,000/- per

unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹79,500, per unit for NE/SC/ST farmers respectively.

During 2024-25, a total of 39 spices washing machines were installed with financial assistance of ₹21.28 lakh, benefitting 39 growers (Female: 14, Transgender: 0, SC: 0,ST:3).

8. Spice slicing machines

The objective of the programme is to motivate the growers to adopt slicing of ginger and turmeric before drying using simple slicing machines to improve the quality. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹9,000 /- per unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹13,000, per unit for NE/SC/ST farmers respectively.

During 2024-25, ten spice slicing machines were installed with financial assistance of ₹1.30 lakh benefitting 10 growers (Female: 4, Transgender: 0, SC:0 ,ST:9).

9. Spice dryers

The objective of the programme is to popularise mechanical dryers among the growers to produce quality nutmeg, mace, clove, etc. The programme provides assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the cost of the dryer subject to a maximum of ₹37,500/- for General and ₹56,250/- for NE/SC/ST farmers respectively as financial assistance.

During 2024-25, assistance was given for setting up of 320 spice dryers with financial assistance of ₹75.13 lakh, benefitting 320 growers(Female:112, Transgender: 0, SC:0, ST:0)

(iii) FPO/QGBG level processing and value addition

The objective of this programme is to promote primary processing and value addition by groups or FPOs in identified clusters to generate an exportable surplus. Assistance is provided to FPOs in setting up of unit(s) for primary processing and value addition of spices, to generate an exportable surplus and to facilitate forward integration. Financial assistance is provided at the rate of 90 per cent of the establishment cost of small-scale primary processing/value addition units subject to a maximum ceiling of ₹15 lakh/unit.

During 2024-25, assistance was given to two FPOs in setting up of processing units with financial assistance of ₹15.73lakh, benefitting 405 growers.

3) Improved Curing Devices for Small Cardamom

The objective of the programme is to motivate the growers to adopt improved curing devices for drying cardamom to produce good quality cardamom for export. The programme provides assistance of 33.33 per cent to a maximum of ₹1,50,000/- for general and 75 per cent for SC/ST to a maximum of ₹3,37,500/-, 90 per cent for Groups/FPOs subject to a Maximum of ₹4,00,000/-.

During 2024-25, 29 improved cardamom curing devices were set up at total financial assistance of ₹34.48 lakh, benefitting 29 growers (Female:12, Transgender: 0, SC:0, ST:0).

4) Large Cardamom Dryers (Sawo dryer / Modified Bhatti / Approved equivalent dryer)

The objective of the programme is to motivate the farming community to adopt scientific curing methods for improving the quality of large cardamom. The programme provides financial assistance at the rate of 75 per cent for NE/SC/ST and Kalimpong, and Darjeeling districts of West Bengal and 90 per cent for Groups / FPOs with maximum ceiling as follows;

a) Individual growers: Large cardamom growers having 0.10 ha to 0.40 ha for 200 kg capacity bhatti or single door sawo / equivalent dryer assistance is ₹30,000/- and for cardamom growers having 0.4 ha to 4 ha for 400 kg capacity bhatti or double door sawo / equivalent dryer assistance is ₹45,000/-

b) Groups/FPOs: For 200 kg capacity bhatti or single door sawo / equivalent dryer assistance is ₹36,000/- and for 400 kg capacity bhatti or

double door sawo / equivalent dryer assistance is ₹54,000/-.

During 2024-25, a total of 40 modified bhatti units/sawo dryer were constructed at financial assistance of ₹12 lakh, benefitting 40 growers (Female:10, Transgender: 0 SC:0, ST:27)

5) Inclusive development for SC/ST communities through spice promotion

The programme aims to train and equip the SC/ ST community to take up spice cultivation and turn them from primary sellers to entrepreneurs, thereby uplifting the community.

(i) Capacity building through ICAR institutes/ SAUs/KVKS/ICRI/similar institutes

The objective of the programme is to empower the aspiring youth in agriculture/ farmers belonging to the SC/ST category, upgrade their knowledge and skill in farming/ entrepreneurship, and to create a pool of master trainers among the community.

During the year 2024-25, six trainings were conducted in various ICAR institutes/ KVKs in five states benefitting 183 growers (Female:55,Transgender: 0 SC:8, ST:170). An amount of ₹10.19 lakh was incurred.

6) Promoting exportable surplus of GI tagged and other spices

The objective of the component is to demonstrate and motivate the growers of North Eastern states for cultivation of various spices with intrinsic qualities and also spices with GI tag viz., Lakadong turmeric, Naga chilli, Hathei chilli, Mizo chilli, Mizo ginger, Dalley khursani, etc., in specific agro-climatic conditions suitable for cultivation of such spices, with a view to facilitate import substitution. Individual registered grower having a land holding size of 0.10 ha to 4 ha is eligible to apply. Minimum area to be planted under the programme to avail assistance is 0.10 ha in a continuous block. Maximum 4 ha is eligible per beneficiary limited to 2 ha per year. Financial assistance is provided at the rate of 50 per cent of cost of planting material subject to maximum of ₹25,000 per ha.

During 2024-25, assistance was provided to 680 farmers of NE states covering 266.6 ha with financial assistance of ₹60.73 lakh (Female:204 Transgender: 0, SC:22, ST:484).

b. Promotion of sustainable production & certification systems like organic, IndGAP, Natural farming, etc.

1) Internal control system (Groups)

Spices Board is promoting organic farming in spices sector by supporting farmer groups/FPOs to establish grower group certification. The farmers who are desirous of adopting organic farming need to go through the procedures of organic certification. Establishing an Internal Control System [ICS] is a pre-requisite for grower group certification (Umbrella certification) in order to prepare these farmers on group formation, organic regulations, certification procedures, training, documentation, internal inspection, etc. The Board proposes to support the grower groups / FPOs, etc., to establish ICS for organic certification and aggregation of the produce. A group/FPO is eligible for financial assistance for three years consecutively or in staggered manner as per availability of funds in the component. The assistance is provided at the rate of 50 per cent of cost of organic certification subject to a maximum of ₹1,12,000/- for groups from other than North East Region and 75 per cent subject to a maximum of ₹1,68,000 for North East Region groups.

Financial assistance of ₹2.49 lakh was provided to three farmer groups during 2024-25.

2) Organic group certification

The objective of the programme is to assist spices growers groups / FPOs in acquiring certification for organic spices farms for promoting export of organic spices. The programme provides assistance of 50 per cent assistance subject to maximum of ₹1,50,000/- for from other than North East Region and 90per cent subject to a maximum of ₹2,70,000/- for NER groups.

Financial assistance of ₹2.03 lakh was provided to three farmer groups during 2024-25.

3) IndGAP & other sustainable certification in production

The objective of the programme is to assist Farmers' Groups/FPO/FPC/Spice Producers' Societies in acquiring IndGAP group certification for spices farms for promoting exports of GAP spices. The programme provides assistance of 90 per cent of the cost of certification subject to a maximum of ₹1,12,500/- per group.

Financial assistance of ₹8.05 lakh has been provided towards certification assistance for five farmer groups during 2024-25

4) On farm production of composts

The objective of this programme is to promote the growers to construct vermicompost units/any farm compost unit in the farm itself to produce quality vermicompost/composts for maintaining soil health to promote organic production.The programme provides 50 per cent assistance for General, 75 per cent for SC/ST and 90 per cent for Groups/ FPOs with maximum ceiling (General category: ₹10,000/-; NE/SC/ST: ₹15,000/-; FPOs/SHGs/ FIGs/Spices societies: ₹18,000/-).

During 2024-25, assistance was provided to 247 farmers with financial assistance of ₹33.68 lakh (Female:74, Transgender: 0, SC:9, ST: 139).

5) Care and Cure Centres for FPOs on PPP mode to promote IPM/ GAP and sustainable cultivation

The objective of this programme is to support FPO/FPC towards the cost of setting up of Care and Cure Centre and inputs procured from authorised sources in order to promote IPM/GAP and sustainable cultivation. Maximum assistance is limited to ₹2,00,000/- based on the project proposed by FPOs/FPCs. Financial assistance of ₹8 lakh was provided to five FPOs during 2024-25.

C. Extension Advisory Services

Training on transfer of technical know-how to growers on production and post-harvest improvement of spices is an important factor in increasing productivity and improving quality of spices. This programme envisages technical/extension support to growers on the scientific aspects of cultivation and post-harvest management through personal contact, field visits, group meetings, and distribution of literature for small cardamom (in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka) and for large cardamom (in the states of Sikkim and West Bengal).

Besides extension advisory service, the programmes for production and post-harvest improvement of small and large cardamom and post-harvest programmes of the Board are implemented through the extension network.

During 2024-25, a total of 14,945 extension visits were made and 2,788 group meetings/campaigns were organised for cardamom (small and large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong, and Darjeeling districts of West Bengal, and other spices growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹114.53 lakh during 2024-25.

The program envisages engaging spice extension trainees (SET) and young professionals for providing on field extension services by paying a consolidated monthly stipend.

D. Capacity Building Programmes

a. Training Programme for Quality Improvement of Spices (QITP)

Spices Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers, officials of state agriculture / horticulture departments, traders, members of NGOs, etc., for educating them on scientific methods of pre and post-harvest and storage technologies and updated quality requirements for major spices.

A total of 12,771 personnel were trained under 215 training programmes during 2024-25 at a total expenditure of ₹22.32 lakh (Female: 3434, Transgender: 0, SC: 621, ST: 4,814).

b. Campaign on Clean and Safe Spices

A campaign on 'Clean and Safe Spices' was conducted on 25th February 2025, commemorating the 38th foundation day of the Board. The campaign was designed to sensitise the stakeholders on the risk, corrective actions, and good practises to be followed at various stages of production, processing, value addition, and export of spices. The campaign was conducted across the country for creating awareness to all the stakeholders and public. A total of 735 personnel were trained under the 14 campaigns conducted during 2024-25 across 13 states at a total expenditure of ₹1.68 lakh (Female: 193; Transgender: 0, SC: 70; ST: 124).

c. Outreach programme

An outreach programme visit was organised by the Board for the large cardamom farmers of Uttarakhand. A total of 153 farmers from various parts of Uttarakhand were benefitted through the outreach programme with the financial assistance of ₹2.65 lakh.

d. Special programmes for turmeric

During the year 2024-25, the Board has conducted 17 special capacity building programmes on GAP and GHP of turmeric for farmers and FPO members in 17 locations across 12 states and three food safety and market linkage programmes for turmeric in three major turmeric growing states with expenditure of ₹57.25 lakh benefitting 1,879 stakeholders.

(i) Capacity building programme on turmeric 1108 (Female: 327, SC:120,ST:471)

(ii) Market linkage programme: 771 (Female: 244, Transgender: 0, SC:36; ST:171)

E. Externally Funded Projects

a. Strengthening of spice value chain in India and improving market access through capacity building

In order to address the Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues in spices, Spices Board had submitted a project proposal in 2014 titled " *Strengthening of spice value chain in India and improving market access through capacity building and innovative interventions*", to the Standards and Trade Development Facility (STDF), an organisation under World Trade Organisation (WTO) that supports developing countries in building capacity to implement international standards, guidelines and recommendations as a means to improve their human, animal and plant health status and ability to gain or maintain access to international markets.

The project was approved by the STDF in October 2018. FAO India was the implementation partner of the project and the budget holder and was responsible for the overall supervision of the project. Spices Board was the local partner of the project and had to ensure the implementation of all local activities and their coordination.

The overall objectives of the project were:

- Capacity building of stakeholders in spices value chain to expand exports of safe and high-quality spices from India to overseas market.
- Boost income of small-scale farmers, empower women and other marginalised communities
- Support efforts to reduce poverty (SDG 1/0 and hunger (SDG 2)

The project was implemented in 12 villages across four states focusing four spices namely;

- Cumin and Fennel in Gujarat and Rajasthan (implemented in four villages in each state)
- Coriander in Madhya Pradesh (in two villages)
- Black Pepper in Andhra Pradesh (in two villages)

The project commenced with an inception workshop conducted on 22nd October, 2020. The project was completed by September 2024 in four phases . The activities conducted during fourth phase include:

- Organised four field visits for selected farmers/ FPOs from the project implementing areas to industries/ processing facilities/spice parks in nearby districts and states benefitting 61 growers(Female: 4,SC:2,ST:10).

- Conducted four regional workshops for establishing arrangements between spice exporters and FPOs in the state of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Andhra Pradesh resulted in signing of Memorandum of Understanding (MOU) between the Farmer Producer Organizations (FPOs) and exporters.
- Conducted demonstration programmes on GAP and GHP in post-harvest operation at the four project locations benefitting 636 growers (Female:55,SC:3,ST:124).
- 144 spice samples were collected and analysis completed through empaneled lab of Spices Board.
- Four FPOs in the project implementing states were certified under IndGAP certification.

(b) Integrated Project on Production and Post-harvest Management of Black Pepper for Tripura

Human resource development programmes were conducted for pepper farmers during 2024-25 under the integrated Project on Production and Post-harvest Management of Black Pepper for Tripura. The programmes were organised by Spices Board with financial assistance from Government of Tripura.

A total of 492 farmers were trained under four training programmes during 2024-25 at a total expenditure of ₹4.00 lakh (Female: 105, SC: 79, ST: 247).

05

EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION

Spices Board is mandated with the export promotion of spices (52 scheduled spices and their products) & production, research, development, and domestic marketing of cardamom (small & large) and quality evaluation & certification of spices for export. To achieve this objective, the Board has been implementing various programmes and activities under the Central Sector Scheme - "Sustainability in Spice Sector Through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development (SPICED)".

The export of spices and spice products from India crossed an all-time high in FY 2024-25. During FY 2024-25, India exported 17,99,267 MT of spices and spice products valued at ₹39,994.48 crore (4,722.65 million US$) as compared to 8,93,920 MT valued at ₹14,899.67 crore (2432.84 million US$) during 2014-15, registering an increase of 101 per cent in volume, 168 per cent in rupee terms of value and 94 per cent in dollar terms of value. The export of spices registered a CAGR of seven per cent in volume, ten per cent in value (INR), and seven per cent in value (US$) since 2014-15.

An interactive meeting was held by Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry with the FPO/FPC stakeholders involved in the Saffron Value Chain in Jammu and Kashmir on 11th July 2024. The Minister visited the Saffron Park wherein the post-harvest processing of saffron was demonstrated.

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India interacted with the stakeholders of spices sector on 21st February 2025 in a meeting organised at Marine Products Exports Development Authority (MPEDA), Headquarters in Kochi, Kerala. The meeting discussed the challenges and opportunities in the spices sector. Key areas of interaction included strengthening the monitoring of rerouted pepper, advancing value added processing, and expanding organic spice exports. Intercropping of potential spices with other plantation crops, modernising the Quality Evaluation Laboratories, stringent food safety and quality standards fixed by importing countries, especially the European Union, and cultivation of herbal spices in the North East India were also discussed during the various programmes implemented under the components *'Enhancing Capacities for Market Expansion'*, *'Trade Promotion'* and *'Technological Interventions'* aim to support exporters in developing infrastructure for processing, value addition and export promotion, with a view to enhance export of processed and value-added spices, which comply with the evolving food safety standards of the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focuses on enhancing compliance with quality and food safety norms across the supply chain of spices.

The major thrust areas under the above-mentioned components are mission value addition, trade promotion, product development and research, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing and storing (Spices Park) in major spice growing/ marketing centres, promotion of organic spices/GI spices, organising Buyer Seller Meets, etc.

A. Enhancing Capacities for Market Expansion

a. Mission Value Addition

1) Technological & Infrastructural Interventions for Processing of Spices (TIIPS)

The programme aims at supporting the exporters for setting up facilities for processing

and value addition of spices, adoption of hi-tech infrastructure in spice processing, undertake technological interventions for process upgradation, etc. Under the programme, units engaged in high end value-addition segments such as spice extracts, spice-based seasonings, oils & oleoresins, curry powder / blends as well as other product segment where India has potential for enhancing its global market share, are supported.

Under the programme, support is also extended to other forms of value addition such as spices in consumer packs, single spice powders, spices in brines, dehydrated spices, freeze dried spices, etc. The programme also supports export of certified organic spices. The scale of assistance under the programme is 33 per cent of the cost of machineries / equipment for high end value addition and accessories subject to a maximum of ₹2.00 crore per exporter under general category, 33 per cent of the cost of machineries / equipment (in the case of new exporters, forms of value addition other than high end value addition) & accessories subject to a maximum of ₹1.00 crore per exporter under general category, and 75 per cent of the cost of machineries / equipment subject to a maximum of ₹1.50 crore for SC / ST exporters, FPO exporters, units in NE region (including Sikkim and Darjeeling & Kalimpong Region of West Bengal), other Himalayan states / Himalayan UTs and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep).

During 2024-25, assistance amounting to ₹100.00 lakh was provided under this programme.

2) Setting up / up-gradation of in-house labs of exporters

Under this programme, the Board aims to assist exporters to set up /upgrade in-house quality evaluation laboratories with an objective to check and ensure compliance of spices exported from India with international norms of quality and safety. This includes establishing facilities to undertake quality testing of the products including physical, chemical, and microbial contaminants, toxins, allergens, heavy metals, etc., as well as intrinsic parameters. The scale of assistance under the programme is 33 per cent of the cost of machinery/equipment and accessories subject to a maximum of ₹1.00 crore per exporter for general category and 75 per cent of the cost of machinery/equipment and accessories subject to a maximum of ₹1.50 crore for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan States and Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep. During 2024-25, assistance of ₹1.60 lakh was provided under this programme.

3) Establishment of common processing facilities in the production / export hubs including maintenance of Spices Parks

Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realisation and wider market access for their produce, has established eight crop specific Spices Parks in major production/market centers. The objective of the Park is to have an integrated operation for cultivation, post-harvest processing, value addition, packaging and storage of spices and spice products. The common processing facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilisation, etc., will help the farmers to improve the quality of their produce and thus result in a higher price realisation. Ministry of Food Processing Industries, Govt of India had notified all the eight Spices Parks as Designated Food Parks in May 2018. The crop specific Spices Parks established by the Board in the major production/market centers are as below:

Sl No	Location/State	Spices Covered	Land Area (Acre)
1	Chhindwara, Madhya Pradesh	Chilli & Garlic	10.00
2	Puttady, Kerala	Pepper & Cardamom	12.50
3	Jodhpur, Rajasthan	Cumin & Coriander	60.00
4	Guna, Madhya Pradesh	Coriander	100.00
5	Sivaganga, Tamil Nadu	Chilli & Turmeric	75.00
6	Guntur, Andhra Pradesh	Chilli	125.00
7	Ramganjmandi (Kota), Rajasthan	Coriander	30.00
8	Rae Bareli, Uttar Pradesh	Mint	11.79

(i) Status of common processing units in Spices Parks

All the Parks have well established common processing units for processing, value addition, and storage of spices and spice products, which are functioning through the operators identified by the Board. The processing facilities available in each Park along with the name of the operators are given below:

Location of the Spices Park	Details of processing facilities	Name of the operator
Chhindwara	Garlic drying / dehydration and chilli extraction	M/s Vee natural
Guna	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly coriander	M/s Mayank Industries
Guntur	Cleaning, sorting, grinding and packaging facilities for chillies	M/s Mane Kancor Spices Pvt Ltd
Jodhpur	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly cumin	M/s Shree Radhey Krishna Spices Pvt Ltd
Ramganj Mandi (Kota)	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly coriander	M/s Orkla India Ltd
Puttady	Cleaning, grading, grinding, packaging facilities for cardamom and pepper	M/s Flavourit Spices Trading Ltd
Raebareli	Mint and other herbs oil distillation unit in Park and impact zone	The distillation units are directly operated by Farmers groups
Sivaganga	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for chillies and turmeric	M/s Season Fresh Agro Foods

Also, the common storage facilities (warehouses) at Spices Park, Jodhpur, Raebareli, and Sivaganga have been leased out to exporters.

(ii) Status of allotment of plots to exporters and status of units established at Spices Parks

All the Spices Parks except Chhindwara and Puttady, have land that is earmarked for allotting to prospective entrepreneurs for developing their own processing units for value addition and high-end processing of spices.

As on 31st March 2025, 25 plots have been allotted to 21 exporters at Spices Park, Jodhpur, of which 13 units are functioning; 37 plots have been allotted to 21 exporters at Spices Park, Guna, of which three units are functioning; 16 plots have been allotted to 15 exporters at Spices Park, Ramganjmandi (Kota), of which one unit is functioning; 51 plots have been allotted to 26 exporters at Spices Park, Guntur, of which seven units are functioning; 17 plots have been allotted to 12 exporters at Spices Park, Sivaganga and seven plots have been allotted to 3 exporters at Spices Park, Raebareli. During the financial year 2024-25, one unit in Spices Park, Jodhpur started functioning.

Also, the Board is in the process of allotting vacant plots in different spices Parks. The plots in Spices Park at Sivaganga and Guna are open for allotment to exporters registered with APEDA, Tea Board and Coffee Board for establishing processing units of food and allied products.

Further, the Board has allotted supporting facilities in the Parks viz., built up area for establishing laboratory, office space, canteen building, bank building, etc., to eligible stakeholders through bidding process.

(iii) Performance of Spices Parks

During 2024-2025, 68774.08 MT spices worth ₹89,951.698 lakh was processed in the common processing units and units established by the exporters in the Spices Parks of which 19,789.167 MT spices / spices products valued at ₹35,326 lakh was exported / supplied to exporters. In addition, a total of 18,197.04 MT of spices worth ₹26,261.76 lakh was stored in the warehouses at Spices Parks. Also, a total of 1,717 workers / labourers were engaged in the Spices Parks.

(iv) Spice Complex Sikkim

Govt of Sikkim had allotted ten acres of land free of cost at Namcheybong in East District of Sikkim to Spices Board to establish a Spice Complex for development of infrastructure for promoting spices exports from the state. The Executive Committee of Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) in its 13th meeting held on 9th February 2021 accorded approval for the establishment of Spice Complex in Sikkim, at a total financial outlay of ₹26.51 crore, out of which Spices Board's share is ₹8.77 crore and the remaining amount of ₹17.74 crore would be the contribution from TIES. Spices Board signed a MoU with Central Public Works Department (CPWD), Gangtok for establishment of the Spice Complex on a turn-key basis. The work is under progress and is expected to be completed by 31st December 2025.

4) Primary processing equipment for spices

Under this programme, the Board aims at assisting exporters in installing various types of primary processing equipment/ facilities including driers, cleaners, grading equipment, colour sortex, polishing equipment, destalking machines, dehulling equipment, packing equipment, etc., for improving the quality of the produce, so as to pool an exportable surplus of spices and spice products. The scale of assistance is 50 per cent of the cost of equipment and accessories subject to a maximum of ₹10 lakh for general category exporters and 75 per cent of the cost of machinery subject to a maximum of ₹15 lakh for SC/ST exporters and FPO exporters. During 2024-25, assistance of ₹14.80 lakh was provided to two exporters under this programme.

b. Product & Market Development and Branding of Indian Spices

1) Promotion of Indian Spices Logo and Brands

The objective of the programme is to assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, with a clear mark of traceability and food safety through a series of promotional programmes. Under this programme, exporters who have registered their brand with the Board can avail the financial assistance as interest free loan of up to ₹100 lakh per brand. Assistance under the programme covers 100 per cent of slotting / listing fee and promotional expenditure, and 50 per cent of the cost of product development, so as to help the exporters to position specified brands in the identified outlets in selected cities abroad. During 2024-25, the Board released an amount of ₹15.70 lakh to one exporter under the programme.

2) Assistance to Spice Exporters for Sending Samples (ASESS)

Export contracts for spices and spice products in general are concluded based on samples provided to the buyers. Exporters are required to send samples to their customers abroad, for approval and to match the requirements of the buyers. Considering the higher cost of couriering samples and number of samples required to be couriered for securing a contract, the Board provides assistance to exporters to offset the cost of courier charges for sending samples abroad. Assistance under the scheme is provided to newly registered exporters (first registration with Spices Board in the last three years) and exporters falling under micro and small category and exporters with annual turnover not more than ₹50 crore during the previous FY at the rate of 50 per cent of the cost of courier charges subject to a maximum of ₹1.50 lakh per annum for general category and 75 per cent of the courier charges subject to a maximum of ₹2.25 lakh per annum for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan States, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep).

During 2024-25, assistance of ₹1.30 lakh was provided under this programme to seven exporters.

3) Supporting Product development for Export

Spices are known to have medicinal, cosmetic, nutritional, and health values. A vast body of traditional knowledge about such uses is available in the country. However, sufficient documented evidence / validation studies do not exist to establish the acclaimed properties of spice / spice extracts / spice mixes. The absence of documentation / validation prevents the marketability of such products. If the required documentation/ validation is generated on the basis of scientifically conducted trials and clinical evaluation, products can be formulated with very high value addition and these products can be marketed and patented (if required) in the established markets as alternative medicines, functional foods, nutraceuticals, immunity boosters, etc. Also, there is scope for deriving new end uses and applications from the spices produced within the country. Development of new end products from spices involve scientific research in the areas of unconventional applications, which can further lead to creation of patentable products with higher potential for exports. The scheme offers financial assistance for product research and development, clinical trials, validation of properties, and patenting and test marketing. Registered exporters and R&D institutions having required facilities are eligible to avail assistance under the programme to the tune of 50 per cent of the cost of product development, research, including development of new devices / equipment/ validation of technology subject to a maximum of ₹1.00 crore, if clinical trials (international), patenting and commercial / regulatory approvals (EPA, FDA etc.) are involved. If clinical trials, patenting etc., are not involved the assistance will be limited to ₹25 lakh. The assistance towards cost of equipment, if any, will be considered up to a maximum of 25 per cent of the project cost. Also, for Central/State Universities/ R&D and other institutions of the Government, the scale of assistance is extended up to 100 per cent

of the cost of the project, without any change in the ceiling. During 2024-25, the Board provided assistance of ₹37.40 lakh to four firms under the programme.

4) Assistance for implementation of food safety and quality assurance mechanisms/ certifications

Quality and food safety are key aspects for export of spices to international markets. Third party / reputed certifications related to quality and food safety build confidence and trust among the international buyers and consumers and thus help to sustain / enhance the spices exports from the country. In order to encourage the spices exporters to obtain Quality and Food Safety Certifications and Markings, the cost of accreditation/certification of processing units, in-house laboratories, etc., of spices exporters under ISO/ HACCP/ FSSC 22000/ NPOP, etc., (including KOSHER, HALAL, GMP, SQF, BRC, etc.) by recognised agencies, certification by authorised agencies of importing countries / Foreign Buyer Verification Programme (FBVP), etc. are considered.

Under this programme, the Board provides assistance to exporters for implementation of HACCP/ ISO Standards/ Food safety/ Quality Management Systems (FSMS)/ GMP/ NPOP/ Organic Certifications / other certifications and markings related to spices including the Spice House Certification, Indian Spices Logo etc., so as to enable communication of compliance with quality and safety parameters and to build and improve the trust among the global buyers for Indian spices.

The Board provides 50 per cent of the cost of certification/ renewal subject to a maximum of ₹5 lakh for general category exporter during the period. And 75 per cent of the cost of certification / renewal subject to a maximum of ₹7.50 lakh for SC/ ST exporters, FPO exporters and exporters from NE region (including Sikkim, Darjeeling and Kalimpong region of West Bengal) & other Himalayan states/ Himalayan UTs and islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2024-25, the Board provided assistance of ₹8.57 lakh as stall charges to five exporters.

5) Market research and auxiliary services for export Development

(i) Mandatory sampling and testing

Under the provisions of the Spices Board Act, 1986 and Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, Spices Board is undertaking Mandatory Sampling and Testing of export consignments of some of the spices and spice products to selected destinations based on the requirement of the importing countries, previous incidences of export alerts, risk assessment, etc. During FY 2024-25, the Board continued the mandatory sampling, testing and clearance of spice consignments, with periodic amendments to the parameters and spices tested, in line with the changing requirements.

As part of mandatory sampling and testing programme, the Board analysed 1,64,556 parameters such as Aflatoxin, Illegal dyes, Extraneous matters, Pesticide residues, Salmonella, and EtO in 71,241 samples of spices and spice products meant for export to various countries during 2024-25. Also, the Board issued 14,162 Official Certificates for export consignments of spices and spice products to the EU and UK.

(ii) Testing of Customs samples of spices

The Board is receiving samples of spices and spice products imported into the country under Advance Authorisation Scheme (AAS) through Customs Department for yield assessment and providing recommendation to the DGFT for the fixation of Standard Input Output Norms (SION). During 2024-2025, the Board tested 606 samples in import consignments of spices and spice products received from the customs department and test reports were issued.

(iii) Testing of FSSAI samples of spices

Spices Board being referral lab of FSSAI, the Board undertook testing of samples drawn by the FSSAI for reconfirmation the MRL of specified parameters. During 2024–2025, the

Board tested 18 such samples received from the FSSAI and issued corresponding test reports.

(iv) Testing of private samples of spices

The Board receives private samples of spices and spice products from exporters /farmers / stakeholders to test the quality of their spices / spice products, according to the parameters specified by them.

During 2024-25, the Board tested 346 private samples and issued the test reports.

6) Registration & licensing

(i) Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES)

As per the Spices Board Act, 1986, any person exporting spices from India is required to possess a valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES). As per Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2021, the CRES is valid for three years from the date of issuance.

The issuance of CRES by the Board was migrated to the Common Digital Platform (eRCMC) developed by the Directorate General Of Foreign Trade (DGFT) during 2022-23 and starting from May 2022, CRES was issued through the DGFT platform.

During 2024–25, a total of 4,106 CRES were issued, of which 3,713 were granted to merchant exporters and 393 to manufacturer exporters.

(ii) Cardamom Dealer & Auctioneer license

Any person who wishes to carry on the business of cardamom as auctioneer or dealer shall have a valid licence from the Board, as per the Cardamom Licensing & Marketing Rules, 1987. Accordingly, Auctioneer and Dealer Licenses for Cardamom (Small & Large) are issued by the Board. As part of facilitating ease of doing business, Spices Board has on-boarded the National Single Window System (NSWS) developed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), for the issuance of Cardamom Dealer and Auctioneer License, with effect from 1st August 2022. The Auctioneer and Dealer Licenses are issued for a block period of the three years and the current block period (2023-26) extends till 31stAugust 2026.

As of now, the Board has issued 705 Cardamom Dealer Licenses, comprising 688 Small Cardamom Dealer Licenses and 17 Large Cardamom Dealer Licenses. During 2024-25, the Board issued 130 Cardamom Dealer Licenses, of which 116 were issued to small cardamom dealers and 14 to large cardamom dealers.

Currently, there are 18 licensed e-auctioneers and four licensed manual auctioneers for cardamom. During 2024-25, the Board issued two cardamom e- auctioneers licence for small cardamom and one manual auctioneer licence for large cardamom.

(iii) Auction of Cardamom - Establishment of cloud-based live e-auction system

The Board introduced 'Cloud Based Live e-Auction' with effect from 1st November 2021, which enabled virtual linking of both the auction centres at Puttady in Kerala and Bodinayakanur in Tamil Nadu and simultaneous conduct of the e-auction. In this system, the farmers and dealers can take part in the cardamom auctions from any of the auction centre as per their convenience unlike the earlier system, wherein the farmers and dealers had to travel to the respective auction centre for participating in the auction. The Board continued to run the cloud based live e-auction system during FY 2024-25 as well. The cloud based live e-auction system helped increase the buyer participation in the auction, thereby enabling better price realisation. During 2024-25, a total quantity of 23,335 MT of cardamom (small) was sold through e-auction/ manual auction with weighted average price of ₹2575.98/kg.

B. Trade Promotion

a. Participation in Trade fairs/ meetings/ seminars/ trainings

Spices Board functions as an international link between the Indian exporters and the importers

abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets and to provide opportunities for exporters, the Board participates in international fairs, exhibitions, etc., to showcase the capabilities of Indian spices to the international buyers.

The Board also encourages exporters to participate in the international trade fairs and exhibitions abroad for promoting exports. The Board supports exporters in setting up their own stalls in international fairs to showcase their capabilities and capacities in the export of spices. Under the programme, an assistance of 50 per cent of the cost of stall rent subject to a maximum of ₹5.00 lakh for General category and 75 per cent of the cost of air fare subject to a maximum of ₹2.25 lakh as well as 75 per cent of the cost of stall rent, subject to a maximum of ₹7.50 lakh is provided for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan States, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2024-25, the Board provided assistance to the tune of ₹62.61 lakh under this programme to 22 exporters.

b. Buyer seller meets, seminars and training programmes

In order to impart knowledge to stakeholders on export procedures, import documentation, etc., and to motivate them to enter spices business, the Board has been organising Entrepreneurship Development Training Programmes. Further, to facilitate the market linkages between buyers and sellers, the Board has been conducting Buyer Seller Meets targeting producers, exporters and importers of spices.

1) Buyer seller meets

With a view to promote the export of spices and to strengthen linkages for export sourcing of spices, the Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSMs) which shall provide a platform for interaction between the spice growers, exporters, and importers for establishing direct market linkages.

(i) Buyer seller meets

The buyer seller meets facilitate direct interaction between the farmers' groups and exporters, and helps strengthen the export sourcing, besides facilitating information

Sl No	Name of the programme	Date
1	Buyer Seller Meet for Spices in Uttarakhand	22 August 2024
2	Buyer Seller Meet for Spices at Idukki, Kerala	11 September 2024
3	Buyer Seller Meet for Spices at Gangtok, Sikkim	25 September 2024
4	Buyer Seller Meet for Spices at Hubballi, Karnataka	25 November 2024
5	Buyer Seller Meet for Spices in Odisha	7 December 2024
6	Buyer Seller Meet for Spices in Jammu and Kashmir	12 December 2024
7	Buyer Seller Meet for Spices at Itanagar, Arunachal Pradesh	23 January 2025
8	Buyer Seller Meet for Spices at Ranchi, Jharkhand	28 January 2025
9	Buyer Seller Meet for Spices at Nizamabad, Telangana	18 March 2025
10	Food Safety and Market Linkage Programme, Nagpur, Maharashtra	23 March 2025
11	Food Safety and Market Linkage Programme, Chennai, Tamil Nadu	24 March 2025
12	Food Safety and Market Linkage Programme, Shillong, Meghalaya	26 March 2025

exchange on the quality and safety requirements of the export sector. During 2024-25, the Board conducted the following buyer seller meets.

(ii) Entrepreneurship development programmes

Spices and value-added spice products have been registering a steady growth in world market, thereby enhancing the potential for entrepreneurial ventures in spice processing and value addition. Spices Board, so as to attract, motivate and equip the progressive stakeholders to enter into the spices business, has been organising Entrepreneurship Development Training Programmes, involving participants from across India. The main purpose of the programme is to sensitize and educate the participants on various aspects of the spice export sector, including export documentation and procedure, quality and safety standards, regulatory requirements for exports, international marketing, export logistics, analysing export data and trends, etc. Details of such programme organised by the Board during 2024-25, are given below:

Sl No	Name of the Programme	Date
1	Entrepreneurship Development Programme for spices exports, Unjha, Gujarat	12-13 August 2024
2	Capacity Building for the Spice Industry on EU Regulation for Sampling & Certification, Kochi, Kerala	06-07 December 2024
3	Capacity Building for the Spice Industry on EU Regulation for Sampling & Certification, Unjha, Gujarat	09-10 December 2024
4	Capacity Building for the Spice Industry on EU Regulation for Sampling & Certification, Mumbai, Maharashtra	12- 13 December 2024

c. Geographical Indication Registration

Spices Board has obtained GI tags for five spices viz., Malabar Pepper, Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Guntur Sannam Chilli, and Byadagi Chilli from the GI registry and is the registered proprietor of these five GI tagged spices.

C. Technological Interventions

a. Assistance to Spice Incubation Centres for Raising Entrepreneurship (ASPIRE)

The Board is implementing a programme for setting up of "Spice Incubation Centres" in identified expert institutions to support exporters, start-ups, SMEs, and entrepreneurs with innovative ideas. The objective of the programme is to guide and assist them in developing innovative products and processes in the spices sector.

Under this programme, one-time financial assistance of up to ₹10 lakh is provided to the expert institutions for developing necessary infrastructure. Further, financial assistance of up to ₹10 lakh per incubatee is provided for undergoing incubation on selected project in the Spice Incubation Centres established by the Board in collaboration with the identified expert institutions.

The incubatees and expert institutions are selected through a selection process based on applications received.

At present, the Board has collaborated with the Technology Business Incubator (TBI) operated by the Agri-Business Incubation Society at the Directorate of Agribusiness Development (DABD), Tamil Nadu Agricultural University (TNAU), Coimbatore, and with the Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore under ASPIRE programme.

M/s Sree Raja Rajeswari Traders has been selected as an incubatee at CFTRI Mysore, under the ASPIRE programme and is currently undergoing incubation for the project titled "Techno-

Commercial Applications of Spice Nutraceutical Nanoemulsions."

During 2024-25, Board provided assistance of ₹20 lakh to two expert institutions and ₹2 lakh to an incubatee under the programme.

D. International Pepper Community (IPC)

The International Pepper Community is an intergovernmental organisation under the auspices of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). The Community now includes India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam as permanent members and Papua New Guinea, and Philippines as associate members. The Community is a non-profit organisation designed as a platform to discuss the common issues and seek solutions for the betterment of global pepper industry. Representative of the member countries hold the office of the Chairman of IPC on rotation basis for a period of one year. IPC has formed different Standing Committees to frame policies and specific strategies in respect of Research & Development, Marketing and Quality Evaluation of Pepper for addressing current and emerging issues.

E. Major Interventions undertaken for Export of Spices

The General Administration of Customs of China (GACC), People's Republic of China (PRC), implemented the 'Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food', and has stipulated for registration of overseas production enterprises of 14 categories of food products, including spices during the year 2021. Accordingly, establishments involved in the production, processing and storage of the aforementioned categories of products, exported to China were formerly required by GACC to be registered in the China Import Food Enterprise Registration (CIFER) system.

During 2022-23, GACC bifurcated the procedure for registration of spices to ground and unground segments and registration of establishments involved in the production, processing, storage, and export of unground/unprocessed spices has been entrusted to the Department of Animal and Plant Quarantine (DAPQ) of GACC. Accordingly, the Board facilitated the DAPQ registration of exporters of unground spices to China and the list of registered exporters is updated periodically by adding new exporters.

06

TRADE INFORMATION SERVICE

Trade Information Service of the Marketing Department is responsible for the collection, compilation, analysis, and dissemination of statistics relating to exports, imports, area, production, auction, and domestic prices of spices.

The major source of information for compiling the estimated export/import of spices from India is the export/import data provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata/ Ministry of Commerce (MoC) website/Daily List of Exports (DLE)/Daily List of Imports (DLI) published by Customs. The Board is compiling the export details of spices on a monthly basis and import details of spices on an annual basis and the figures are disseminated to stakeholders through its website and Ministry/Departments on a regular basis. For this purpose, the Board regularly collects both the DLE and DLI from all major ports like Cochin, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Kolkata, Petrapole, Mohadhipur, Raxual, Amritsar/ DGCI&S, Kolkata and information is also collected through the Regional Offices of the Board.

The Board compiles and disseminates information on prices of spices from major markets in India and abroad on regular basis to the end-users through its website and publications. The major sources for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association, Agricultural Produce Marketing Committees, Merchants Associations, International Trade Centre, Geneva, International Pepper Community, Indonesia. All this information is also collected through online/offline mode through the Regional Offices of the Board and subscription to the international agencies.

The Board is responsible for the production development of cardamom (small & large), and the area, production and productivity of cardamoms are estimated by the Trade Information Service by the support of the field sample study conducted through the field set up of the Board. Area and production of other spices are collected from the State Economics and Statistics/Agriculture/Horticulture Departments/DASD for compilation. Information on area and production of all spices has been disseminated through the Board's publications as well as the website to the stakeholders and policymakers.

As per the Registration of Exporters (Regulations), all the registered exporters of spices have to submit their quarterly export returns to the Board. Trade Information Service is compiling the Quarterly Export Returns submitted by the registered exporters and maintaining the database of exporter wise export of spices. By using this database, the details of leading exporters of each spice are compiled and used for official purpose/ dissemination to stakeholders based on their request.

Spices Board is conducting e-auction for trading of cardamom through e-auction centres developed by the Board at Bodinayakanur and Puttady. The details on daily auction quantity and average price of cardamom are compiled and published on a daily basis through the Board's website. The consolidated details on auction sale and average prices are compiled and disseminated through the Board's publication.

Weekly domestic prices of different spices for different markets centres are compiled and published through the publication of the Board namely *Spices Market* on a weekly basis (on website) for the benefit of stakeholders of the industry.

A. Area and Production of Spices

The area and production of cardamom (small) and cardamom (large) for 2024-25 compared to 2023-24 are given in Table I & II. The area and production of other spices are given in Table-III.

Table-I: Area and Production of Cardamom (Small)

State	2023-24				2024-25			
	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Production (MT)	Productivity (Kg/ha)	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Production (MT)	Productivity (Kg/ha)
Kerala	40345	30949	22868	738.90	40345	30095	18310	608.41
Karnataka	25135	14666	867	59.17	25135	14694	902	61.40
Tamil Nadu	4930	2781	1495	537.73	4930	2727	1484	544.24
Total	**70410**	**48396**	**25230**	**521.33**	**70410**	**47516**	**20696**	**435.57**

Source: Estimate by Spices Board.

Table-II : Area and Production of Cardamom (Large)

State	2023-24				2024-25			
	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Production (MT)	Productivity (Kg/ha)	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Production (MT)	Productivity (Kg/ha)
Sikkim	23312	17453	5280	302.50	23312	17550	5429	309.33
West Bengal	3305	3165	1069	338.00	3305	3187	1089	341.79
Arunachal Pradesh	12131	7078	1806	255.14	12438	7289	1864	255.65
Nagaland	6631	4431	1128	254.64	6694	4473	1165	260.47
Manipur	217	64	5	76.50	267	64	5	79.89
Total	**45596**	**32191**	**9288**	**288.54**	**46017**	**32563**	**9552**	**293.33**

Source: Estimate by Spices Board

Table-III: Major Spice Wise Area and Production in India

Spices	2023-24		2024-25 *	
	Area (ha)	Production (MT)	Area (ha)	Production (MT)
Pepper	312902	126038	254597	77533
Chilli	965612	2909844	921540	2693265
Ginger (fresh)	194243	2333000	193258	2246292
Turmeric (dry)	292830	1063224	290939	1116124
Coriander	604075	836524	627008	869443
Cumin	1302336	894565	1094382	723795
Celery	4657	6882	4590	6636
Fennel	216019	376049	129858	243666

Fenugreek	158203	249523	147000	226853
Garlic	388676	3315545	405115	3422491
Tamarind	35593	132429	39563	138113
Clove	1847	1015	1887	1031
Nutmeg	25743	18940	26204	19012
Grand total including others	**5056599**	**12483215**	**4686713**	**11995594**

Source: Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikode; (*) :1st Advance Estimate

B. Auction Sales and Prices of Cardamom (Small)

The state-wise auction sales and weighted average price of cardamom (small) for 2024-25 (August 2024 – July 2025) and 2023-24 (August 2023- July 2024) are given in Table-IV.

Table IV: Auction Sales & Prices of Cardamom (Small)

(Qty. in Tonnes, Price in ₹/kg.)

Centre	2023-24 (August -July)		2024-25 (August –July)	
	Quantity Sold	Wt. Avg Auction Price	Quantity Sold	Wt. Avg Auction Price
Kerala & Tamil Nadu (e-auction)	29119	1763.89	23315	2575.94
Karnataka	11	1335.40	4	2229.23
Maharashtra	106	1916.09	17	2728.54
Total	**29237**	**1764.43**	**23335**	**2575.98**

Source: Reports received from licenced auctioneers

C. Prices of Cardamom (Large)

The average wholesale prices of cardamom (large) at Gangtok and Siliguri Markets for 2023-24 and 2024-25 are given in Table V.

Table V: Prices of Cardamom (Large)

(Price in ₹/kg)

Centre	Grade	2023-24	2024-25
Gangtok	Badadana	930.21	1481.25
Siliguri	Badadana	1177.90	1687.17

D. Prices of Other Major Spices

The average domestic prices of major spices are given below. These prices were collected from secondary sources like Chamber of Commerce, Indian Pepper and Spice Trade Association, Market reviews prepared by the Merchants Associations, etc. Prices of major spices in important market centres are given in Table VI.

Table VI: Prices Of Major Spices in Important Market Centers

(Price in ₹/kg)

Spice	Market	2023-24	2024-25(*)
Black Pepper(MG-1)	Cochin	572.83	656.78
Chillies	Guntur	161.30	124.85
Turmeric	Chennai	109.43	152.08
	Nizamabad	95.25	119.58
Coriander	Chennai	103.29	99.31
	Ramganj Mandi	75.23	72.60
Cumin	Chennai	554.08	374.33
	Unjha	425.70	235.64
Fennel	Chennai	279.00	159.81
Fenugreek	Chennai	101.30	115.44
Garlic	Chennai	105.55	174.71
Poppy seed	Chennai	1407.21	1407.96
Ajwain seed	Chennai	188.40	175.89
Mustard	Chennai	85.26	84.84
Tamarind	Chennai	113.43	137.05
Saffron	Delhi	166562.50	212145.83
Clove	Cochin	901.03	843.07
Nutmeg (with shell)	Cochin	229.89	242.26
Nutmeg(without shell)	Cochin	425.53	495.92
Mace	Cochin	779.04	917.80

(*) Provisional

E. Export Performance of Spices from India

The export of spices and spice products from India crossed an all-time high in FY 2024-25. During FY 2024-25, India exported 17,99,267 MT of spices and spice products valued at ₹39,994.48 crore (4,722.65 million US$) as compared to 15,39,692 MT valued at ₹36,958.80 crore (4,464.17 million US$) during 2023-24, registering an increase of 17 per cent in volume, 8 per cent in rupee terms of value, and 6 per cent in dollar terms of value.

The spice wise analysis shows that the export of pepper, cardamom (small& large), ginger, turmeric, cumin, celery, fennel, fenugreek, tamarind, spice oils & oleoresins and curry powder & paste has registered increase both in quantity and value in 2024-25. In the case of coriander, there is a decline of 44 per cent in volume, 33 per cent in rupee terms and 35 per cent in dollar terms of value. In the case of chillies, there is an increase of 19 per cent in volume, decline of nine per cent in rupee terms and 11 per cent in dollar terms. In the case of nutmeg & mace, there is a decline of eight per cent in volume, 12 per cent in rupee terms and 14 per cent in dollar terms of value. In the case of mint products, despite the decline of one per cent in volume of export, the export value has increased by three per cent in rupee terms and one per cent in dollar terms of value as compared to last year.

The export of spices from India during April 2024 – March 2025 compared with April 2023-March 2024 is given as Table VII below.

Table VII : Export of Spices and Spice products from India during April- March 2024-25 Compared with April- March 2023-24

Spices	April-March 2024-25 (F)			April-March 2023-24 (R)			% CHANGE		
	Qty (Tons)	Value (Lks)	Value (Mln $)	Qty (Tons)	Value (Lks)	Value (Mln $)	Qty (Tons)	Value (Lks)	Value (Mln $)
Pepper	20830.15	105500	124.54	17890.17	73648.88	88.91	16%	43%	40%
Cardamom Small	6727.81	156682	184.65	6168.13	99959.85	120.52	9%	57%	53%
Cardamom Large	1368.35	22944	27.02	1280.82	14815.41	17.86	7%	55%	51%
Chilli	715506.26	1140490	1342.52	601084.35	1249248.45	1509.00	19%	-9%	-11%
Ginger	131359.75	106240	124.78	60833.26	64688.57	77.95	116%	64%	60%
Turmeric	176325.34	288539	341.54	162018.46	187586.79	226.65	9%	54%	51%
Coriander	60323.05	63320	74.84	108623.74	94820.97	114.74	-44%	-33%	-35%
Cumin	229881.07	617886	732.35	165269.45	579723.43	700.37	39%	7%	5%
Celery	8473.43	11879	14.05	6598.58	10074.31	12.17	28%	18%	15%
Fennel	76586.12	76544	90.93	39564.69	66960.91	80.97	94%	14%	12%
Fenugreek	44515.97	36589	43.23	30854.92	26612.76	32.14	44%	37%	35%
Other Seeds(1)	35109.48	34959	41.37	39437.98	36177.50	43.74	-11%	-3%	-5%
Garlic	43958.58	53838	63.34	73950.06	44118.84	53.33	-41%	22%	19%
Tamarind	43985.96	30328	35.78	27128.02	18475.00	22.30	62%	64%	60%
Nutmeg & Mace	4756.16	25192	29.85	5142.74	28687.69	34.63	-8%	-12%	-14%
Curry Powder/ Paste	77151.45	209499	247.59	72420.92	17572.7.66	212.18	7%	19%	17%
Spice Oils/ Oleoresins	20940.26	453324	535.92	18762.47	412300.59	497.98	12%	10%	8%
Mint Products(2)	27282.92	353576	417.8	27658.60	343919.81	415.40	-1%	3%	0.6%
Other Spices (3)	74185.37	212119	250.55	75004.69	168333.08	203.33	-1%	26%	23%
Total	**1799267**	**3999448**	**4722.65**	**1539692**	**3695880.50**	**4464.17**	**17%**	**8%**	**6%**
SOURCE: MOC / DGCI&S,Kolkata F: Final and R: Revised Final									
1) Include Bishops Weed(Ajwain seed), Dill Seed, Poppy Seed, Aniseed, Mustard, etc.									
(2) Include Menthol, Menthol Crystals and Other Mint Oils.									
(3) Include Asafoetida, Cinnamon, Cassia, Cambodge, Saffron, Spices (Nes), etc.									

F. Major Contributors & Destinations during 2024-25

During 2024-25, the major contributors in spice export basket in terms of value were chilli (28%), cumin(16%), spice oil & oleoresins (11%), mint products (9%), turmeric (7%), curry powder/paste (5%), small cardamom (4%) ginger and pepper (3%), fennel and coriander (2%), which together contributed to more than 90 per cent to the total export earnings from spices.

The major export destinations for Indian spices were China (16%), USA (15%), UAE (9%), Bangladesh (8%), Malaysia (4%), Thailand (3%), UK (3%), Saudi Arabia (3%), Indonesia (3%) Sri Lanka (2%), Germany (2%), Netherlands (2%), Canada(2%), Nepal (2%), Australia (1%) Japan (1%), Russia (1%), Singapore (1%), France (1%), Mexico (1%), Vietnam (1%), Morocco (1%), South Africa (1%), and Korea (1%) contribute more than 85 per cent of the total export earnings of spices from the country

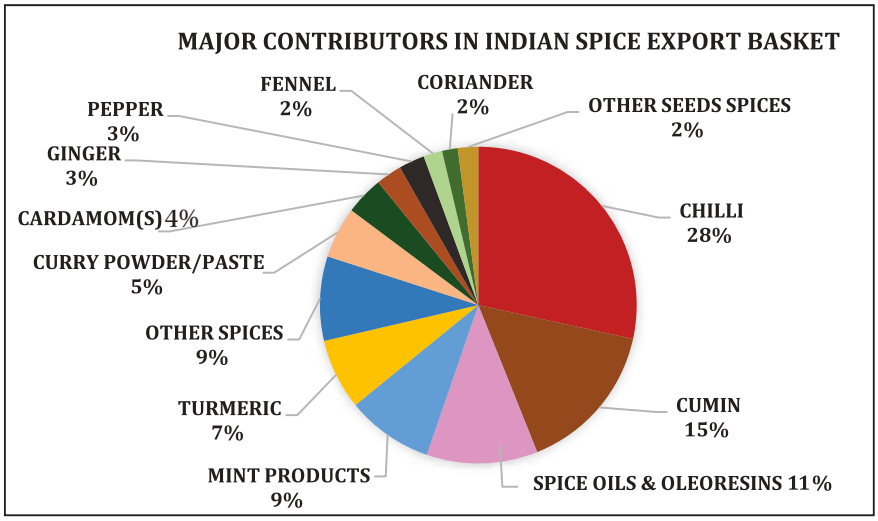

Item	Value (Mln $)	% Share
Chilli	1342.52	28
Cumin	732.35	16
Spice Oils & Oleoresins	535.92	11
Mint Products	417.8	9
Turmeric	341.54	7
Other Spices	406.54	9
Curry Powder/ Paste	247.59	5
Cardamom (S)	184.65	4
Ginger	124.78	3
Pepper	124.54	3
Fennel	90.93	2
Coriander	74.84	2
Other Seeds Spices	98.65	2
Total	**4722.65**	

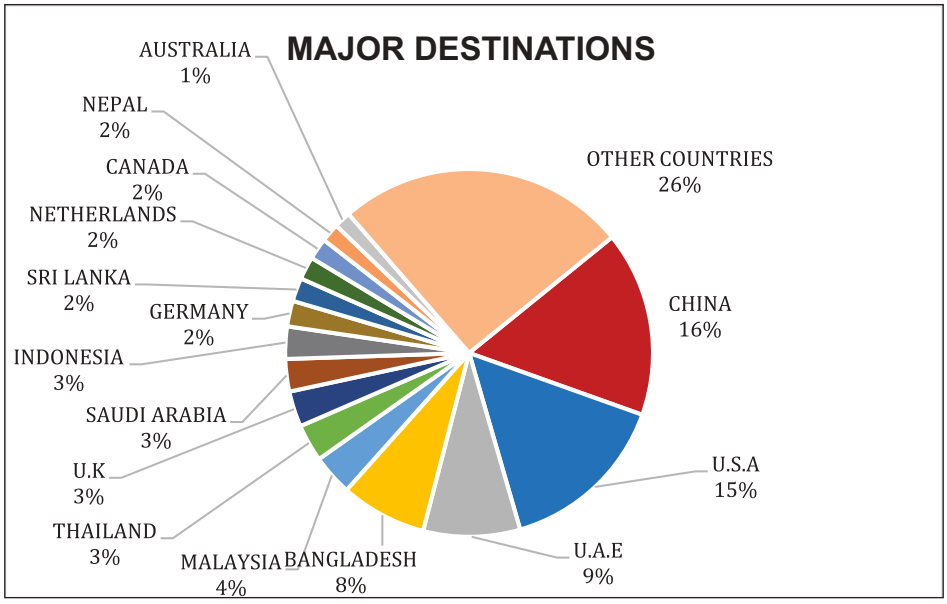

Country	Value (Mln $)	% Share
China	769.58	16
USA	711.16	15
UAE	401.73	9
Bangladesh	357.96	8
Malaysia	169.73	4
Thailand	154.98	3
UK	148.24	3
Saudi Arabia	134.6	3
Indonesia	134.41	3
Germany	106.37	2
Sri Lanka	97.55	2
Netherlands	94.81	2
Canada	88.88	2
Nepal	77.24	2
Australia	69.5	1
Other Countries	1205.91	26
Total	**4722.65**	**100**

07

PUBLICITY AND PROMOTION

During the period between April 2024 to March 2025, the Publicity and Promotion Section carried out various activities for enhancing the reputation of Spices Board and for promotion of Indian spices aiming at increased export of spices from the country. Every promotional avenue was leveraged to ignite public interest in Indian spices, value-added spice products, culinary applications of spices, and their potential health contributions. Information on the activities and schemes of Spices Board were also disseminated using various channels during the period 2024-25.

The major highlights of 2024-25 include participation in trade fairs / exhibitions, advertisement campaigns, online promotional campaigns, and printing and publication of magazines, brochures, etc.

A. Participation in Exhibitions/Trade Fairs

Attending trade shows and exhibitions is a powerful way to connect with different players in the global spice industry. During the financial year, the Board ensured its participation in major trade fairs and the list of fairs attended is given below;

List of Domestic Fairs Participated by Spices Board

Sl No	Event Name	Place	Event Date
1.	Annapoorna Inter Food 2024	IICC, New Delhi	5-7 June 2024
2.	International Seminar on Spices 2024	College of Agriculture, KAU, Vellayani, Trivandrum	5-7 June 2024
3.	Biofach India 2024	India Exposition Mart Ltd (IEML), Greater Noida, Delhi - NCR	3 - 5 August 2024
4.	CII Eastern Region EXIM Conference 2024	Kolkata	20 August 2024
5.	Anuga Select India 2024	Bombay Exhibition Centre, Mumbai	28-30 August 2024
6.	CII Kerala Global Ayurveda Summit and 11th edition of the CII Kerala Health Tourism 2024	Kochi, Kerala	29-30 August 2024
7.	World Food India 2024	Pragathi Maidan, New Delhi	19-22 September 2024
8.	Fi India 2024	Bangalore International Exhibition Centre, Bengaluru	25-27 September 2024
9.	Shining Uttar Pradesh 2024	Varanasi	27-29 September 2024

10.	Industry Interaction Meet with Secretary Commerce, Govt. of India (MoU signing ceremony between Spices Board and 'House of Himalayas Ltd.' & 'State Horticulture Mission (Uttarakhand)')	Dehradun	09 October 2024
11.	SARAS Mela	Leisure Valley Park, Gurugram	13 - 29 October 2024
12.	India International Trade Fair	Pragati Maidan, New Delhi	14-27 November 2024
13.	21st Kolkata Foodtech-2024	Kokata	29 November - 01Dec 2024
14.	SIAL India 2024	New Delhi	5-7 December 2024
15.	Coffee Conference 2024 by Karnataka Growers Federation	Sakleshpur	23 December 2024
16.	Indus Food 2025	Greater Noida, NCR	8-10 January 2025
17.	Silver Jubilee Foundation Day Celebrations of ICAR-NRCSS	Ajmer	19 January 2025
18.	Republic Day Celebrations at District Administration, Alluri Sitharama Raju district	Paderu	26 January 2025

List of International Fairs Participated by Spices Board

Sl. No.	Event Name	Place	Event Date
1	Shanghai International Condiment and Food Ingredients Exhibition 2024	Shanghai, China	28-30 August 2024
2	Fine Food Australia 2024,	Melbourne, Australia	2-5 September 2024
3	World Food Moscow 2024	Moscow, Russia	17-20 September 2024
4	SIAL Paris 2024	Paris, France	19-23 October 2024
5	Food Ingredients North America 2024	Las Vegas, USA	30-31 October 2024
6	Gulfood Manufacturing 2024	Dubai, UAE	5-7 November 2024
7	Food Ingredients Europe 2024	Frankfurt, Germany	19-21 November 2024
8	Foodex Japan 2025	Tokyo, Japan	11-14 March 2025
9	IFE Manufacturing 2025	London, UK	17-19 March 2025

B. Online Promotional Campaigns

The publicity department made use of the various social media platforms like X (Twitter) Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn for promotion of Indian spices and Spices Board's activities in 2024-25. Designed to educate the online viewers, the social media campaigns created awareness on spices including its botanical and geographical information, trade data, therapeutic and culinary aspects, etc.

C. Spice Xchange India- Spices Board's B2B Portal

Launched on 20th January 2022, Spice Xchange India (www.spicexchangeindia.com) serves as the Spices Board's innovative 3D virtual portal, strategically designed to bridge market gaps exacerbated by the COVID-19 pandemic. This B2B platform is poised to unlock substantial business prospects for Indian spice entrepreneurs. Offering round-the-clock virtual office spaces, an AI-driven recommendation system, market insights, and access to global spice trade data, Spice Xchange India aims to streamline business operations and enhance accessibility. Recognised as a pivotal initiative by the Board, this portal has been supporting entrepreneurs in the spices sector throughout the 2024-25 period.

D. Periodicals

a. Spice India

The periodical publication, Spice India is being published in five different languages; English, Hindi, Malayalam, Kannada, and Tamil, as a monthly. The periodicals were published regularly during this period.

b. Foreign Trade Enquiries Bulletin

The Spices Board curates and releases a bulletin known as the Foreign Trade Enquiries Bulletin (FTEB), consolidating trade inquiries sourced from overseas trade fairs, emails, and direct inquiries to the Board's offices. This bulletin serves to facilitate the export of spices by providing valuable trade leads and opportunities. Subscribers receive this publication via email for easy access and utilisation.

c. Other Publications

Brochures, pamphlets, and panels related to spices, use of spices, value added spice products, etc., were printed during 2024-25.

E. Release of Advertisements

Advertisements on vacancies in Spices Board, tenders, etc., were released during the year. Besides these, advertisements on general information on Spices Board and for promotion of cardamom and advertorials were also released through various newspapers and magazines.

F. Press Releases

Press releases detailing the export performance and trends, initiatives, activities, and major events organised by Spices Board, etc., were released during FY 2024-25.

08

QUALITY IMPROVEMENT

The Quality Evaluation Laboratory (QEL) of Spices Board at Kochi was established as the Board's first of its kind laboratory in the year 1989. QEL, Kochi is certified under ISO 9001 Quality Management System since 1997, ISO 14001 Environmental Management System since 1999 by the British Standards Institution (BSI), U.K and is also accredited under ISO/IEC:17025 Laboratory Quality Management System since September 2004 by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), Quality Council of India (QCI), Govt. of India. Quality being considered the prime commitment, QEL, Kochi has always maintained and continues to maintain its credentials by consistently upgrading the quality systems. The lab is also certified under the latest upgraded systems, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 by the BSI, and accredited under ISO/IEC 17025:2017 (NABL-FSSAI Integrated) by the NABL.

With the objective that spices exported from India conform to specifications laid down by appropriate national/ international organisations and also to provide the customers, timely, reliable, and accurate test results, Spices Board has expanded its reach throughout India by establishing Regional Quality Evaluation Laboratories. Seven Regional QELs are now in operation at major exporting centers, viz. Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla, and Kolkata, and basic testing facility for cumin and other seed spices at Spices Park, Jodhpur and laboratory for testing pesticide residues in small cardamom at Myladumpara, Idukki. The laboratories at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai, New Delhi, Tuticorin, and Kandla are accredited under ISO/IEC 17025:2017 by the NABL, and QEL Kolkata is in the process of obtaining accreditation.

QELs undertake analysis of samples under the Board‘s mandatory sampling and testing of export consignments, provide analytical services to the Indian spice industry and help monitor the quality of spices produced and processed in the country. The laboratories are equipped with sophisticated instruments to undertake the analysis as per the requirements of the importing countries. The documents pertinent to analytical services of the laboratory, including the generation of worksheets and submission of analytical results, are made online through a software system called “QUADMAS” and the same is being constantly updated.

A. Analytical Services

The scope of testing of Quality Evaluation Laboratories is available on the Spices Board website under the main head – Quality and sub-head - Analytical Services and Fees. During the financial year 2024-25, the QELs of the Board continued providing services for the following analysis under the mandatory testing of export consignments of spices and spice products:

1. Testing for aflatoxins and sudan dyes (I to IV) in chilli (crushed, powder and ground), chilli seed, curry powder , curry masalas, curry pastes, and turmeric powder and its products (except sliced).
2. Testing for aflatoxins in chilli whole, turmeric (whole and sliced), ginger and its products, nutmeg and its products, mace and its products, and ready-to-eat items.
3. Testing for pesticides (114 pesticides) in curry leaves.
4. Testing for extraneous matter and other seeds in cumin seeds.

5. Testing for ethylene oxide (EtO) in chilli, ginger, pepper, pimenta (allspice), vanilla, cinnamon and cinamon-tree flowers, cloves (whole fruit, cloves and stems), nutmeg, mace, cardamoms, seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin/ caraway, juniper berries, saffron, turmeric, & other spices, food supplements containing botanicals, mustard seeds, mustard flour, mustard meal and prepared mustard, thyme, laurel/ bay leaves/ curry leaves, basil, rosemary, sage, parsley, tarragon, celery, spice mix (masalas, curry gravy) ready - to - eat items, ready - to - cook products, sauces and preparations, mixed condiments, and mixed seasonings.
6. Testing for *Salmonella* in chilli (whole, crushed, and ground), chilli seed, curry powder and curry masalas, curry pastes, and cumin seeds and ground.
7. Testing for pesticide residues (Triazophos, Iprobenfos, Profenofos, Chlorpyrifos, Ethion, Methyl Parathion, Parathion and Phorate) in chilli (whole, powder, seed, crushed and ground), curry powder and curry masalas, curry pastes, cumin seeds, cumin (crushed and ground), turmeric (whole, dried, sliced/ split and powder), cardamom (whole and ground), black pepper (whole and ground), and fenugreek (whole and ground).
8. Testing for pesticide residues (Carbosulfan, Chlorpyrifos, Carbendazim, Cyfluthrin, Beta-Cyfluthrin, Cypermethrin, Beta-Cypermethrin, Malathion, Disulfoton, Accephate and Profenofos) in cumin (seed, ground, crushed) for consignment for export to China and 190 pesticides for consignment for export to the EU
9. Analysis of piperine and oleoresin content in imported black pepper consignments.

QEL, Kochi included EtO as a parameter in its analytical service for mandatory testing with effect from 1st June 2024. The laboratory had analysed a total of 1,79,654 parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, extraneous matter, other seeds, EtO and *Salmonella* during the financial year 2024-25.

QEL	No. of Samples Received	No. of Parameters Tested	No. of Mandatory Samples Tested
Kochi	18983	37675	34537
Kandla	18147	37527	37342
Chennai	20526	26950	20417
Mumbai	19292	36865	32780
Narela	2839	6232	5964
Tuticorin	4815	10196	10190
Guntur	11200	19319	18455
Kolkata	3913	4684	4665
Jodhpur	103	206	206
Total	**99818**	**179654**	**164556**

Rejections of spice exports due to food safety and quality issues from importing countries were monitored and reviewed to assess the need for expansion of the scope of mandatory sampling and testing of export consignments.

B. Human Resources Development Programme

During the period, as a part of improving the technical capabilities of the QEL staff and to meet the requirements of various Quality Systems

adopted by the laboratories, the following national/ international training programmes/workshops were attended by the scientific and technical staff:

1. Scientist C, Senior Chemist, and Junior Chemist from QEL, Kochi attended the 'Internal auditor Training Programme on ISO 9001:2015 Quality Management System' conducted by Kerala State Productivity Council, Kalamassery, Kerala, from 25 June 2024 to 26 June 2024.
2. Junior Chemists from QEL, Kochi attended a training on 'Method Validation, Verification and Measurement Uncertainty as per ISO/ IEC 17025:2017' conducted by Sophisticated Test and Instrumentation Centre (STIC), Cochin Universtiy for Science and Technology (CUSAT), Kochi from 22 July 2024 to 23 July 2024.
3. Scientist C, QEL, Chennai attended a workshop on 'Crop Grouping Principles of Data Generation and Maximum Residue Limit (MRL) setting in India' at Habitat Centre, New Delhi on 26 July 2024.
4. Scientist C, QEL, Chennai attended FAD 9 (Spices Technical Committee), 'One-day Workshop-cum-Brainstorming Session for Technical Committee Members' at Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi on 20 August 2024.
5. Scientist C, QEL, Kochi attended a 'Workshop on the Analysis of Mineral Oil Components in Food' conducted by Hydrocarbon Solutions, Bengaluru on 30 August 2024.
6. Scientist C, QEL, Guntur attended 'NABL Assessors' Training Course based on ISO/IEC 17025:2017' at Hotel The Chancery Pavilion, Bengaluru, Karnataka from 18 November 2024 to 22 November 2024.
7. Scientist A, QEL, Chennai attended the 'National Mass Spectrometer Conference' conducted by Spinco Chennai and Shimadzu Japan at ITC Grand Chola, Chennai on 20 November 2024.
8. Senior Chemist and Junior Chemist from QEL, Kochi attended ''Capacity Building Programme on EU Regulations for sampling and certification of spices" at Monsoon Empress, Kochi from 06 June 2024 to 07 June 2024.
9. Scientist C, QEL, Kandla attended ''Capacity Building Training Programme on EU regulations for Sampling and Certification for the Spice Industry" at Unjha, Gujarat from 09 December 2024 to 10 December 2024.
10. Scientist C, QEL, Mumbai, and Scientist A, QEL, Chennai attended the ''Capacity Building Programme on EU Regulations for Sampling and Certification of Spices" at Navi Mumbai from 12 December 2024 to 13 December2024.
11. Scientist C, QEL, Chennai attended a training programme on ''ISO Online Standards Development" conducted by BIS- National Insitute of Training Standardisation (NITS), Noida on 18 December 2024.
12. Junior Microbiologist, QEL, Kochi attended a virtual training on 'Method Verification and Validation for Microbiological Testing, conducted by Training and Capacity Buidling (TCB) Division, QCI on 28 December 2024.
13. Junior Chemist, QEL, Kolkata attended a virtual training on "Method Validation and Verification for Chemical Analysis (Covering Pesticide Residue, Contaminants and Nutritional Analysis)" from 20 January 2025 to 21January 2025.
14. Scientist C, QEL, Chennai attended a virtual training on "ISO 13528 2022 Statistical Methods for use in Proficiency Testin" from 10 February 2025 to 11 February 2025.
15. Scientist C, QEL Kochi attended "Better Training for Safer Food (BTSF) Training on Sampling and Analysis of Mycotoxins in Food" at the National Institute of Health, Rome, Italy, from 10 February 2025 to 21 February 2025.
16. Junior Microbiologist, QEL, Chennai attended a virtual training on ''Method Verification and

Validation for Microbiological Testing as per the ISO 16140-3 standard' conducted by Training and Capacity Building Cell, QCI, on 28 February 2025.

C. Training Programmes

a. Training programmes conducted for the industry

1. QEL, Kochi conducted three training programmes for the officials from spices industry; (a) Training Programme on Physical, Chemical Analysis of Spices/Spice Products from 29 April 2024 to 03 May 2024, (b) Training Programme on GC-MS/LC-MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Spices and Spice Products from 20 January 2025 to 24 January 2025 and (c) Training Programme on Analysis of Mycotoxins and Illegal Dyes in Spices and Spice Products from 20 January 2025 to 24 January 2025. A total of 13 participants from various spice export/processing units, private testing laboratories, and national research institutes attended the training programmes.
2. QEL, Chennai conducted an awareness programme on EtO regulations (online session) for stakeholders in the spices sector on 11 July 2024, which had 60 participants.

b. Training programmes for which the laboratory staff attended as resource personnel

1. Scientist C, QEL, Kochi was a panel speaker for the Workshop on Monitoring of Pesticide Residues at National Level, conducted at Indian Council for Agricultural Research (ICAR), Delhi on 08 August 2024.
2. Scientist C, QEL, Kochi was an invited speaker for the DBT programme on aromatic plants conducted by Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Insititute (JNTBGRI), Palode, Trivandrum, on 27 August 2024.

c. Student internship/academic project works

QEL, Kochi provided guidance/ dissertation facilities to two students of Post Graduation, three students of Under Graduation, and internship facilities to one student of Under Graduation and one student of Post Graduation from different colleges/universities.

D. Participation in Meetings of National and International Importance

1. Scientist C, QEL, Kochi attended a review meeting on 'Monitoring of Pesticide Residues in National Level' at Delhi on 07 May 2024.
2. Scientist C, QEL, Kochi attended the 32nd meeting of ISO/TC-34/SC-7 Spices Committee at AFNOR, Paris, France, from 17June 2024 to 20 June 2024.
3. Scientist C, QEL, Kochi attended a 'Working Group Meeting on ISO standard for saffron' (Online) on 25 July 2024.
4. Scientist C, QEL, Chennai attended the FAD 9 one-day workshop-cum-brainstorming session for Technical Committee Members by BIS at Faridabad on 20 August 2024.
5. Scientist C, QEL, Chennai attended the 'Committee meeting for 2nd Global Food Safety Summit' at Nirman Bhavan, New Delhi on 21August 2024.
6. Scientist C, QEL, Chennai attended a meeting with the Central Insecticides Board and Registration Committee (CIB&RC) Secretary regarding extension of label claims in spices at Krishi Bhawan, New Delhi on 21 August 2024.
7. Scientist C, QEL, Chennai attended the 10th meeting (virtual mode) of FAD27 (Pesticide Residues analysis Sectional Committee) as convener of Panel 2 for the development of an analytical method for pesticide residue analysis in spices on 27August 2024.
8. Scientist C, QEL, Kochi attended the FAD 9 (Spices Technical Committee) meeting at BIS, New Delhi on 26 September 2024.
9. Scientist C, QEL, Kochi attended a virtual meeting on the 'EU's decision on lowering of MRLs of various pesticides to the limit of

determination (LOD) based on hazardous approach and insufficient scientific evidence' on 07 October 2024.

10. Scientist C, QEL, Guntur attended '30th Meeting of International Pepper Community (IPC) on Quality" in Malaysia from 07 October 2024 to 08 October 2024.
11. Scientist C, QEL, Kochi attended BIS 11th meeting of FAD 27 on pesticides on 15 January 2025.
12. Scientist C, QEL, Kochi, attended the ISO FAD 09 Spices Sectional Committee meeting by virtual mode on 20 March 2025.
13. Scientist C, QEL, Mumbai, attended an online meeting with the Codex Committee on Contaminations in Foods (CCCF) Chair regarding drafting a standard for the sampling plan on 20 March 2025.

E. ISO System Related Activities

1. QEL Chennai and QEL Guntur had completed the NABL desktop audit for the continuous compliance of ISO 17025-2017.
2. QEL Kandla had successfully completed the ISO/IEC 17025:2017 renewal audit.
3. QEL Kochi successfully completed NABL FSSAI integrated surveillance audit from 08 March 2025 to 09 March 2025 and ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 audit from 17 December 2024 to 19 December 2024 for the continuous compliance.

F. Spices Board Check Sample Programme/Proficiency Testing Programme

a. Inter-Laboratory Check Sample (ILC) programme details

1. QEL, Tuticorin organised ILC programme for the parameters extraneous matter and other seeds in cumin and curcumin content in turmeric powder.
2. QEL, Kochi successfully organised an ILC programme for the parameter *Enterobacteriaceae.*
3. QEL Kochi actively participated in ILC programme for the parameter pesticide residues.

b. PT programme details

Under the proficiency-testing programmes conducted by various international/ national agencies like Food Analysis Performance Assessment Scheme (FAPAS), International Pepper Community, Fare Labs Pvt Ltd, and Aashvi proficiency testing and analytical services, QELs (Kochi, Tuticorin, Chennai, Narela, Guntur, Mumbai,Kandla and Kolkata) participated in various physical, chemical and residual parameters like Aflatoxins, Ochratoxin A, synthetic dyes (Sudan I to IV, Parared), pesticide residues (Chlorpyrifos, Diazinon), acid insoluble ash, total ash, volatile oil, moisture, curcumin, piperine, extraneous/ foreign matter, other seeds, capsaicin, total capsaicinoids (SHU), ASTA colour and microbiological parameters like *Salmonella, Staphylococcus aureus,* total aerobic microbial count, yeast and mould count, *E.coli, coliforms, enterobacteriaceae, Bacillus cereus.*

G. Projects/Standardisation Works Undertaken

QEL, Kolkata has undertaken the standardisation for quality parameters in spices.

H. Strengthening of Lab`s Infrastructure and Purchase of Equipment

1. QEL, Kochi procured a new ICP MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) system and enhanced its analytical capabilities by including trace-level heavy metal analysis in its scope. This advanced system enables the QEL to perform ultra-low-level trace metal analysis in spices. The lab commenced analytical services for 11 heavy metals in spices, including hazardous metals like lead, to ensure the safety and quality of spices for both domestic and international markets. This upgrade will allow QEL Kochi to meet stringent regulatory and sensitivity requirements for heavy metals in spices. QEL Kochi also

purchased a Vertical Laminar Air Flow Unit for sub-sampling in the Microbiology section.

2. QEL, Mumbai augmented the analytical infrastructure by adding a new LC-MS/MS (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry) system. The new LC-MS/MS is used for the analysis of synthetic food dyes and pesticide residues.

I. CODEX, ISO, and IS Related Activities

1. Scientist C, QEL Kochi is functioning as the Chair for EWG on the CODEX draft standard for dried and dehydrated coriander.
2. Scientist A, QEL Chennai is functioning as the Co-chair for EWG on the CODEX draft standard for vanilla.
3. Scientist C, QEL Guntur is a member of the EWG on the CODEX draft standard for sweet marjoram.
4. Scientist C, QEL Kandla is a member of the EWG on the CODEX draft standard for cinnamon.
5. Scientist C, QEL Kochi is the convenor of ISO/TC 34/SC 7/WG 9, is coordinating the revision of ISO standards 951-1 and 951-2 – black and white pepper.
6. Scientist C, QEL Kochi is the project leader for the revision of ISO 5562 turmeric (ISO/TC 34/SC 7/WG 10)
7. Scientist C, QEL Kochi is the project leader for the revision of ISO 11027 method of analysis of piperine in black pepper.
8. Scientist C, QEL Kochi is a member of ISO/TC 34/SC 7/AHG 1 horizontal standard for the herb and spice adulteration detection.
9. Scientist C, QEL Kochi and Scientist C, QEL Chennai are members of ISO/TC 34/SC 7/WG 7 on *Zanthoxyli Pericarpium*.
10. Scientist C, QEL Kochi is a member of ISO/TC 34/SC 7/WG 8 on dried lime.
11. Scientist C, QEL Kochi, Scientist C QEL Narela, and Scientist C, QEL Chennai are members of ISO/TC 34/SC 7/WG 11 on saffron.
12. Scientist C, QEL Kochi, and Scientist A, QEL Chennai, are members of ISO/TC 34/SC 7/WG 12 on vanilla.
13. Scientist C, QEL Kochi is a member of ISO/TC 34/SC 7/WG 13 on lemon grass.
14. Scientist C, QEL, Kochi is a member of FAD 9/ Panel 1 for the revision of specifications for oleoresins of chilli, ginger, black pepper, and turmeric.
15. Scientist C, QEL Kochi is a member of the technical evaluation committee for the FAD 9 Research and Development project on the Study of Asafoetida for determining its quality and safety parameters.

J. Strengthening of Analytical Laboratory Network for Spices (ALNS) through Laboratory Empanelment Scheme

Food quality and safety have emerged as key differentiators in the highly competitive global food market. While India holds the distinction of being the world's largest producer, consumer, and exporter of spices and spice products, maintaining and advancing this leadership position requires sustained efforts to enhance product safety, quality assurance, and processing infrastructure. To this end, the Spices Board India continues to play a pivotal role in monitoring and controlling the quality of spice exports through a combination of mandatory and voluntary testing programmes. These activities are carried out through the Board's network of Quality Evaluation Laboratories (QELs), strategically located across the country.

In a bid to strengthen and expand its quality and safety testing framework, the Board launched an initiative in 2022 to empanel private and government laboratories accredited under ISO/IEC 17025:2017. These laboratories are assessed for their capabilities to test specific parameters mandated by the Board and are integrated into its laboratory ecosystem to support ongoing testing efforts. The primary objective of this empanelment scheme is to reduce the turnaround time (TAT) for

testing, by ensuring laboratory accessibility near key spice-producing regions and major export hubs. Moreover, this initiative enables the Board to promptly meet testing requirements raised by importing countries and harness the technical expertise and advanced infrastructure of the private sector for the overall development of India's spice export industry.

As of now, the Board's eight QELs, along with the empanelled laboratories, form a cohesive testing framework, the Analytical Laboratory Network for Spices**.** Within this structure, QELs serve as the core institutions conducting testing, while the empanelled laboratories operate as secondary support units to augment capacity and geographic reach. To institutionalise the empanelment process, the Board published a comprehensive *Manual on Laboratory Empanelment Scheme* in 2022, detailing eligibility criteria, roles, responsibilities, and procedural guidelines. This manual was further revised in 2024 to align with emerging industry needs and regulatory challenges. In 2023, the Board assigned the NABL, under QCI, to verify compliance with the empanelment requirements as part of their integrated assessment process. At present, 11 laboratories have been empanelled for mandatory testing activities, and further expansion of the network is actively underway.

09

CODEX CELL AND INTERVENTIONS

A. Overview on Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

The Codex Alimentarius Commission (CAC) is an international, intergovernmental body under the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) and World Health Organisation (WHO), with membership of over 189 countries, based in Rome and tasked with formulating internationally accepted standards pertaining to food. The food standards developed by Codex are recognised by the World Trade Organisation (WTO) as international reference points for the resolution of disputes concerning food safety and consumer protection. The CAC conducts its work through various Codex committees, hosted by different member countries of Codex.

Considering the fact that international spice trade was being affected by the lack of worldwide harmonised standards, a proposal for the constitution of a new Codex committee for Spices and Culinary Herbs was initiated in Codex by India in 2012, at the behest of Spices Board. The Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) was approved at the 36th Session of the CAC held at the FAO Headquarters, Rome during July 2013. The committee got established with the support of over 105 member countries; with India as the host country and Spices Board as the host organisation.

The scope of work of the CCSCH committee includes harmonisation of global standards for quality parameters in spices and culinary herbs, taking into consideration the international and national legislations, other available standards and specifications. These Codex standards are voluntary and are used by member countries to harmonise and align their national regulations. Codex standards are also referred by WTO in arbitration of international trade disputes.

The CCSCH Committee is hosted and chaired by India, with Spices Board India as its permanent Secretariat. Dr M.R. Sudharshan (Retired Director Research, Spices Board) is the present Chairman of this Committee.

So far, seven sessions of the committee have been organised by Spices Board on behalf of India. The CCSCH1 session was held in 2014 at Kochi, CCSCH2 in 2015 at Goa, CCSCH3 in 2017 at Chennai, and CCSCH4 in 2019 at Thiruvananthapuram. Due to COVID-19 pandemic, two sessions were held virtually, viz. CCSCH5 in fully virtual mode during April 2021 and CCSCH6 with a full physical head table and delegates attending online, during September- October 2022. The seventh session was held at Kochi during January 2024.

B. Adoption of New Standards for Spices and Culinary Herbs Adopted by Codex

The 47th session of the Codex Alimentarius Commission (CAC47) held at Geneva, Switzerland during November 2024 adopted three more spice standards developed by the CCSCH committee viz., turmeric, small cardamom and the group standard for dried or dehydrated fruits and berries – allspice, juniper berry, and star anise. Presently, a total of 14 full-fledged spice standards comprising of 16 spices are published and available under Codex.

C. Codex Committee on Spices and Culinary Herbs- 8th Session

The eighth session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH8) is scheduled to be held during 13-17 October 2025. Currently, development

of five new Codex standards on spices, *viz.,* vanilla, sweet marjoram, coriander, large cardamom, and cinnamon, are progressing to be taken up in the upcoming session. Spices Board Scientist on behalf of India is chairing the electronic working group (EWG) on the development of coriander standard. Also, scientists from Spices Board are participating as members in the EWG for other spice standards that are currently being developed. Communication has been initiated with Ministry of Commerce (MoC) during December 2024, for seeking approval to organise the eighth session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs.

D. Codex Committee on Contaminants in Foods -17th session

The 17th session of Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF17) held during April 2024 at Panama City was attended by Spices Board official who had functioned as the chair of the electronic working group on development maximum limits for mycotoxins in spices . During the meeting, committee recommended to advance the sampling plan for testing mycotoxins in spices to the next step in Codex procedure, and also agreed to the India's proposals on decision rule and aggregate sample weight.

Development of maximum levels (MLs) for Lead contaminant spices also progressed under this committee session. The 47th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC47) held at Geneva, Switzerland during November 2024 adopted Lead MLs for dried aril, dried floral part, dried fruits and berries, dried paprika and sumac, dried Sichuan pepper and star anise, dried rhizomes and root, and dried seeds. MLs for lead in dried bark and dried culinary herbs were also adopted. CAC47 noted India's concern about the approach taken for setting group MLs for spices, which might lead to uneven distribution of samples, resulting in potentially unrepresentative MLs. CAC47 also encouraged member countries to respond to the call for data to facilitate discussion and decision-making at CCCF18 (2025).

Presently, Spices Board scientist on behalf of India is chairing the electronic working group on the subject 'sampling plans for total aflatoxins and ochratoxin A in certain spices (dried chilli pepper, nutmeg, and paprika)'.

E. Techno-scientific Committee for Monitoring Export Rejections

A techno-scientific committee was constituted in Spices Board for monitoring export rejections of Indian spices and other technical matters concerning quality and safety of Indian spices. Till March 2025, 15 sessions have been convened which analysed the root causes for the export rejections that occurred during this period and submitted recommendations to the Board.

F. National Committee on Spices Quality and Safety (NCSQS)

Spices Board India, under the Ministry of Commerce and Industry, has constituted an advisory committee, *viz*., the 'National Committee on Spices Quality & Safety' (NCSQS) with representatives from various departments, institutions and stakeholders of the spice sector to address the challenges and technical issues affecting the Indian spices and their exports, including quality and safety concerns.

The third session of the National Committee on Spices Quality and Safety (NCSQS3) was held on 24 October 2024 in hybrid mode. The session was chaired by the Director (Research), Spices Board. Eminent experts from the regulatory sector like Secretary CIB & RC, Advisor Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) along with the members of the committee across the Indian spice sector attended the session. The committee discussed the key issues faced by spices sector, like expansion of label claims of pesticides for use in spices and regulatory status of ethylene oxide in India under FSSAI, and charted out specific action plans, and the works are currently progressing.

Codex cell assists in organising the meeting, preparing agenda, minutes of the meeting, etc.

G. ISO TC34/SC7

The ISO TC34/SC7 is a subcommittee under International Organisation for Standardisation (ISO) that develops ISO standards for spices, culinary herbs and condiments. Director Research, Spices Board by designation is the chair of this ISO subcommittee. The 32nd meeting of ISO/TC 34/SC7 and related working group was held during 17 to 20 June 2024 in Paris, France. Dr A.B. Rema Shree, Director (Research), Spices Board attended and chaired the meeting. A scientist from the Quality Evaluation Laboratory at Kochi also attended the meeting as the member of the committee.

Work on new ISO standards, and the revision of some of the existing ISO standards are progressing in this committee. Also, 51 ISO standards were reviewed by the committee. The committee agreed to launch new work item proposal for eight specifications/test methods for development of new standards. Spices Board scientists on behalf of India are leading various working groups constituted for development/revision/new work proposals for spice standards. At present, 80 ISO spice standards have been published under the responsibility of the TC 34/SC7 committee.

H . Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee, FAD 9

Spices, Culinary Herbs and condiments sectional committee FAD-9 deals with

a. Development of Indian Standards (IS) of Spices, Culinary Herbs and Condiments
b. General methodology for quality evaluation including nutritional aspects, and
c. Liaison with ISO/TC 34/SC 7 Spices, Culinary Herbs and condiments subcommittee.

Dr A. B. Rema Shree, Director (Research), Spices Board India is the Chairperson of this committee and chaired four sessions during this period; FAD9 23rd meeting on 19 April 2024, FAD9 24th meeting on 26 September 2024, FAD9 25th meeting on 04th December 2024, and FAD9 26th meeting on 20 March 2025.

The committee session finalised the list of Indian Standards which are due for revision in order to commence action and to undertake modified adoption of draft Indian standards for finalisation. An R&D project that was approved for the Study of Asafoetida to determine the quality and safety parameters for developing the standard, was reviewed.

10

EXPORT ORIENTED RESEARCH

Indian Cardamom Research Institute (ICRI) focused its research efforts on crop improvement, biotechnology, crop production, crop protection, and post-harvest studies. The focal areas of research were nutrient management and soil analysis, crop protection strategies employing Integrated Pest and Disease Management techniques for both small and large cardamom. Moreover, ICRI extended the fruits of its research as technologies to farmers and targeted groups through extension activities like advisory services, hands on training on bioagent production, scientist-farmer interface sessions, mobile spice clinics, webinars, workshops, training programmes and dissemination via audio-visual media and publications. Emphasising sustainability, ICRI spearheaded efforts to minimise pesticide usage in cardamom cultivation. It advocated the adoption of Integrated Pest Management (IPM), and Integrated Nutrient Management (INM) systems, as well as organic farming practices. Further, enhancing its capabilities, ICRI established a cutting-edge Quality Evaluation Laboratory at Myladumpara. In order to cater to the needs of spice farmers, with the assistance of State Horticulture Mission, Kerala, ICRI established twelve numbers of hi-tech polyhouses with automation for irrigation as well as relative humidity control for multiplication of black pepper and cardamom sucker nursery in the field. In addition, numerous collaborative research programmes were undertaken in the focal areas of research with Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Rubber Board, Kerala University of Digital Sciences, Innovation, and Technology, Kerala, National Information Centre (NIC), and pesticide manufacturers.

A. Crop Improvement

a. Small cardamom

A high yielding, superior, climate resilient small cardamom variety, ICRI 10 (ICRI Sugandha Bharathi) developed by ICRI, Spices Board, Myladumpara was released by the Kerala State Variety Release Committee on Agricultural and Plantation Crops during its 29th meeting held on 12 November 2024 at Thiruvananthapuram, which was chaired by Dr B. Ashok IAS, Agriculture Production Commissioner and Principal Secretary (Agriculture), Government of Kerala. The variety possesses prostrate panicles having a yield potential of 3,500 – 4,000 kg / ha under moderate management. The dry recovery of capsules is 23.5 per cent. Almost 80 per cent of the dried capsules are above seven (7) mm size and possess pale green colour. The plants are tolerant to drought conditions, diseases, thrips, and borer infestation. About sixty demonstration plots of the new variety have been established in the cardamom tracts of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka.

Mass multiplication of elite clones was carried out for experimental purpose and also to supply to farmers from ICRI Regional Station, Sakleshpur. MCC 260-(1000 nos), SHC 1-(500 nos) and SHC 2 – (500nos) and ICRI 5 – (500 nos) were supplied to needy farmers in Karnataka.

b. Large cardamom

Three large cardamom germplasm accessions, *Rambhangey, Darupattey, and Golsey*, were collected from Darjeeling and Kalimpong

districts of West Bengal and Mangan district of Sikkim and also recorded passport data as per guidelines of Indian Council of Agricultural Research- National Bureau of Plant Genetic Resources (ICAR-NBPGR), New Delhi. In the evaluation of germplasm for superior traits, accession SCC 212 was found to be tolerant to blight disease. Under the hybridisation programme, eight hybrid lines were developed and are currently under various stages of evaluation for growth performance and disease resistance. Additionally, in a screening study involving ten genotypes under both controlled and artificially induced drought conditions using PEG 6000 (Polyethylene Glycol 6000), the Golsey cultivar exhibited the highest level of drought tolerance.

B. Biotechnology

Genetic diversity studies were conducted on 150 selected accessions of small and large cardamom using various molecular markers. Molecular characterisation and comparison of different landraces or farmers' varieties with ICRI varieties have been done. Transcriptome sequencing for small and large cardamom was carried out to identify disease-related genes, and differentially expressed related genes were screened. Molecular characterisation of *Fusarium* isolates from small cardamom of different locations were carried out. Gene sequencing of fifteen *Fusarium* isolates was carried out using selective primers. Development of viral diagnostics and specific primers for virus indexing has been initiated for speedy and accurate detection of viruses in seedlings and field-grown plants of small and large cardamom. DNA fingerprinting profiles of Indian cardamom and those of Guatemalan cardamom were studied.

C. Agronomy and Soil Science

a. Small cardamom

Dr K. G. Jagadeesha IAS, Secretary, Spices Board launched the '*CardsApp*,' during " Spice Up Your Business: Stakeholders Conclave and Buyer Seller Meet" held at ICRI, Myladumpara on 11th September 2024. This app with online fertiliser recommendation system provides vital soil test results, including a Soil Fertility Map, from samples collected across 19 villages in Udumbanchola and Idukki taluks - the regions known for cardamom cultivation potential. The project was undertaken in collaboration with Rubber Board and Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. The app with online fertiliser recommendation system is expected to play a crucial role in increasing productivity by offering data-driven insights to farmers. The free android version of the CardSApp is available in play store and web page version is available in the link: https://cardsapp.spicesboard.org.in/, which is an online fertiliser recommendation system for small cardamom.

About 7,332 soil fertility parameters were tested from 935 soil samples of Cardamom Hill Reserve of Idukki district in Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka and recommendations were given for judicial application of fertilisers. Additionally, 528 soil fertility parameters from 44 soil samples in Sikkim were tested and reports provided for soil nutrient management. A total 377 soil samples from 226 farmers were analysed for available nitrogen and revenue of ₹40,716 was generated.

Application of 'Poly sulphate' which is a single source fertiliser with four nutrients at the rate of 200 kg/ ha resulted in significant improvement in yield and yield increase was about 37 per cent compared to standard practice of NPK application alone.

Regression models are developed to interpret the relationship of weather variables with growth parameters in cardamom. Combined application of recommended dose of fertiliser (RDF) and foliar spray of Nano urea recorded better growth and yield attributes as compared to foliar application of nano fertiliser alone or RDF under Karnataka conditions. Growth and yield attributes were significantly superior in

treatments where cardamom power mix (IISR Micronutrients Formulation for Cardamom) was used (189.9 kg/ha) as Compared to recommended package of practice under Karnataka conditions.

A research paper entitled 'Empowering farmers with site specific fertiliser recommendations: the case of Udumbanchola taluk Idukki utilising CardSApp' authored by Manoj Oommen, John Jo Varghese, Amith Mohan, Anuja V.R., Hareesh M., Pradeep B, T. Radhakrishnan, M.D. Jessy, A.B. Rema Shree received the best research paper award for the oral presentation under the sub theme Innovative Production Systems during the International Seminar on Spices, organised by Kerala Agricultural University, Vellayani during 5 -7 June 2024.

b. Large cardamom

A nursery study was conducted to evaluate suitable potting mixture for large cardamom. The polybag nursery plants potted with 1:1:1 mixture of forest soil, FYM, and vermicompost along with 10 g of *Vesicular Arbuscular Mycorrhiza* recorded to be the superior among the nine treatments evaluated.

D. Plant Pathology

a. Small cardamom

The commercially available new molecules of fungicides such as; Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3%, Propiconazole13.9%+Difenoconazole 13.9%, Pydiflumetofen 6.89% + Difenoconazole 11.49%, Kasugamycin 6% + Thifluzamide 26%, and Hexaconazole 4% + Zineb WP 68% were evaluated against major fungal pathogens of small cardamom such as *Fusarium oxysporum*, *Phytophthora meadii*, *Colletotrichum gloeosporioides* and *Rhizoctonia solani*. The results showed that *P. meadii* was completely inhibited by Azoxystrobin + Tebuconazole, and Propiconazole + Difenoconazole in all tested concentrations (0.1, 0.2, 0.3 %) and also by Hexaconazole + Zineb (0.3%). Azoxystrobin + Tebuconazole (0.2% and 0.3%) also showed the complete growth inhibition of *F. oxysporum*. Results also proved that Azoxystrobin + Tebuconazole (0.3%) and Propiconazole + Difenoconazole (0.2% and 0.3%) inhibited 100 per cent mycelial growth of *C. gloeosporioides*. In the case of *R. solani*, full inhibition was achieved with Azoxystrobin + Tebuconazole at all concentrations (0.1, 0.2, 0.3%), and with Propiconazole + Difenoconazole (0.3%).

A preliminary study in cardamom under nursery condition revealed that a bio-consortium consisting of VAM and *Trichoderma* is effective in controlling the *Fusarium* wilt of cardamom. During the study on degradation of pesticides through bacterial bioagents, a total of 34 bacterial isolates having ability to degrade the pesticide Chlorpyrifos were isolated from 12 soil samples collected from various localities of Idukki district. The top 10 isolates were shortlisted for further studies.

Ten bacterial isolates were obtained from phyllosphere and rhizosphere of small cardamom to study the antagonistic activity against major pathogens such us *Fusarium oxysporum*, *Rhizoctonia solani,* and *Colletotrichum gloeosporioides.*

Hard gelatin capsule formulation of *T. harzianum* , which can retain the spores up to six months, was developed. It would eventually decrease the cost of transportation by reducing the volume for the end users. Two technologies were released during the 35th Annual Group Meeting (AGM) of All India Coordinated Research Project on Spices (AICRPS) held at Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University (CCS HAU), Hisar which involve the use of fungicides for the control of rhizome rot and leaf blight of cardamom.

b. Large cardamom

Assessment of disease incidence in large cardamom was undertaken through

systematic surveillance. Fixed plot survey was conducted at the ICRI farms in Kabi and Pangthang. The incidence of major diseases such as *Colletotrichum* blight, rust, and *Fusarium* dry rot were recorded. Roving surveys were also conducted across farmers' fields in Sikkim, West Bengal, and Arunachal Pradesh. Diseased and symptomatic samples were collected, and the associated pathogenic microbes were isolated for identification. Isolation, maintenance, and both in vitro and in vivo screening of indigenous beneficial microorganisms (IBMs) were undertaken to assess their efficacy against fungal pathogens. Comprehensive surveys on viral diseases, wilt, and *Fusarium* dry rot were conducted across major large cardamom growing regions of India. Bioagents such as *Trichoderma* spp., *Pseudomonas* spp., *Metarhizhium* spp., and *Beuvaria* spp. were mass multiplied at Pangthang Farm.

E. Entomology

a. Small cardamom

The mass production of the Entomo Pathogenic Nematode (ICRI EPN -18) (Galleria cadavers) was continued. A total 68,400 Galleria cadavers were supplied to farmers of Kerala and Tamil Nadu, in addition to ICRI farm, Myladumpara and Regional Research Station (RRS), Gangtok, Sikkim for the bio management of cardamom root grubs.

For label expansion of new molecules for the management of major insect pests in small cardamom, evaluated Acephate 95% SG in different agro climatic zones covering Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu and report submitted to Central Insecticides Board and Registration Committee (CIB&RC) through M/s Rallis India Ltd, Bengaluru. The molecule was approved by CIB&RC in the 67th meeting of the Central Insecticides Board (CIB) held on 10 December 2024 for use in small cardamom against major insect pests viz., thrips and shoot borer.

Report of research trial on Spinetoram 12 % SC was submitted to CIB &RC through M/s Corteva Agriscience Pvt Ltd., Hyderabad for label expansion for use in small cardamom against major insect pests.

The three native strains of entomopathogenic fungus viz., *Metarhizium* spp. were isolated from root grubs infesting cardamom. Snails and slugs outbreak was recorded in different cardamom plantations of Idukki district of Kerala during the reporting period and were identified by Zoological Survey of India, Pune. The common snail species found in small cardamom in Idukki is *Macrochlamys indica* Godwin Austen and slugs species is *Mariaella dussumieri* Gray. The Giant African Snail (GAS) (*Achatina fulica*), which is an invasive pest, incidence also recorded in a few plantations in the Idukki district.

b. Large cardamom

The study on insect pests and their natural enemies in large cardamom was continued through pest surveillance in both fixed plots and roving surveys conducted across farmers' fields in Sikkim, Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal, and Arunachal Pradesh. As part of indigenous technical knowledge (ITK) validation, the application of ash solution was tested for its efficacy in pest control.

Surveillance on capsule borer infestation revealed a variation from 0–15 per cent across locations, with the highest incidence observed in the Seremna cultivar (4–15%). The identification of pest-tolerant lines revealed that leaf caterpillar incidence ranges from 0.27 per cent in Hario Golsey to 6.69% in ICRI Sikkim-1, shoot fly incidence ranges from 4.22 per cent in Varlangey to 11.94 per cent in Seremna and stem borer incidence showed a general decline, with the highest recorded at 0.38 per cent in Golsey. Capsule borer remained most prevalent in Seremna, with

approximately 15 per cent infestation. Study on the bio-ecology of thrips under varying shade levels found that infestation reached 14.29 per cent under polyhouse conditions, where temperature and humidity are higher compared to room temperature.

F. Transfer of Technology

a. Small cardamom

Twenty four mobile spice clinic programmes were conducted in various locations in cardamom tracts in South India and 459 farmers were benefitted. Twenty-six exposure visits were organised from different colleges, universities and farmers' organisations. A total of 1098 students and farmers were benefitted. About 128 technical advisory services were provided from ICRI Myladumpara for farmers and other stakeholders.

Cardamom suckers of ICRI5 and MCC 260 (13,613Nos.), and improved varieties of black pepper rooted cuttings (12964 Nos.) were produced at ICRI Myladumpara and supplied to the farmers. Bioagents such as *Pseudomonas fluorescence* (Liquid) 1,612 litre, *Trichoderma harzianum* (Liquid) 1198 litre were mass multiplied and supplied to farmers. Nine hundred and thirty-five (935) soil samples were tested for 5,610 nutrient parameters at ICRI, Myladumpara and recommendations given for judicial application of fertilisers. Produced and supplied 6,8400 Entomo Pathogenic Nematode (EPN) cadavers to farmers for the sustainable management of roots grubs in cardamom.

Dr K.G. Jagadeesha IAS, Secretary, Spices Board inaugurated the ICRI- Kisan Seva Kendra, a dedicated farmer facilitation centre during the during " Spice Up Your Business: Stakeholders Conclave and Buyer Seller Meet" held at ICRI, Myladumpara on 11 September 2024. The ICRI- Kisan Seva Kendra aims to support the spice farmers and provide solutions to various challenges in the agricultural sector.

An MoU has been signed between Spices Board and ICAR- IISR for facilitating the supply of various bio control agents and planting materials from ICAR- IISR, Kozhikode through ICRI- Kisan Seva Kendra for the benefit of spice growers. ICRI Regional Station, Sakleshpur supplied planting materials of small cardamom (2964 nos) and black pepper (366) during the reporting period. Bioagents viz., *Trichoderma* liquid (577 lit), *Trichoderma* solid (416 kg) and *Pseudomonas* liquid (981 litres) were also supplied to the farmers.

b. Large cardamom

During 2024-25, nine spices clinics were conducted covering various aspects of large cardamom in Sikkim, and Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal. As part of the farm advisory service, 162 large cardamom fields were visited, and necessary agro-advisories were provided for plantation improvement. ICRI-Regional Research Station, Gangtok participated in an exhibition at College of Agriculture Engineering and Post-harvest Technology (Central Agricultural University) where research activities and achievements in large cardamom were showcased.

G. Post-harvest Technology

a. Small cardamom

The post-harvest studies revealed that the AI-assisted colour sorting effectively segregates capsules with more weight and more number of seeds, ensuring premium quality monitoring and grading solutions within very short time.

The research studies highlighted the significance of post-harvest operations like washing during pre-curing process and polishing in enhancing the physical (bulk density g/l) and chemical quality (essential oil (%), oleoresin (%) parameters of cardamom

capsules and significant reduction in acid insoluble ash content. Studies proved that balanced application of secondary nutrients along with NPK is essential in producing cardamom capsules with better physical as well as chemical quality aspects.

b. Large cardamom

The effectiveness of different packing materials for better storage and improved shelf life of cured large cardamom capsules was evaluated using gunny bags, polythene-lined bags, and hermetic storage bags as treatments. Periodic enumeration of fungal and bacterial populations was conducted at three-month intervals to assess microbial growth and the relative preservation efficacy of each packaging material. The study is ongoing, and data analysis is in progress to determine the most suitable packing method for maintaining quality and extending shelf life.

H. Quality Evaluation Laboratory

A total of 106 small cardamom samples were analysed for the identification and quantification of pesticide residue content during the reporting period for 5,092 parameters. The samples comprised of advisory service at farm gate level (52 nos), and research samples for monitoring of pesticide residues at farm gate level (54 nos). None of the samples were detected with the pesticide content beyond the maximum residue limit (MRL) for Saudi Arabia and Japan. On analysis, it was found that ICRI released varieties of small cardamom distinctly differed for phytochemical constituents like flavonoids, phenols, and tepenes in the comparative study for biochemical characters.

I. Externally Funded Projects

a. Small cardamom

An externally funded project entitled "Evaluation of bio-efficacy of new molecule ISOCYCLOSERAM 10% w/v DC (100 DC) against major pests on small cardamom" was sanctioned for ₹18.00 lakh for implementation during the reporting period in association with M/s Syngenta India Ltd., Coimbatore, Tamil Nadu.

b. Large cardamom

An externally funded project under the All India Coordinated Research Project on Spices (AICRPS), supported by ICAR–Indian Institute of Spices Research, was successfully implemented. Under the crop improvement component, activities such as germplasm collection, characterisation, evaluation, and conservation, along with the co-ordinated Varietal Trial (CVT) on large cardamom were undertaken. A special programme titled *"Development of a Model Large Cardamom Nursery Village in Sikkim"* was successfully implemented at Radhu Khandu village in the Dentam area, benefitting 30 farmers.

Published eight extension booklets in English and Nepali covering various aspects of large cardamom viz., Good Agricultural Practices for Large Cardamom Sucker Nursery, Good Agricultural Practices for Large Cardamom Seedling Nursery, Integrated Pest and Pollinator Management (IPPM) in Large Cardamom, and Organic Approaches for Insect Pest and Disease Management in Large Cardamom Nursery.

11

INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC DATA PROCESSING

The activities of Spices Board have changed significantly with the leverage of information technology. Many manual operations were replaced with online systems which effectively reduced the workload of various departments of the Board and reduced the turnaround time for operations. Electronic Data Processing (EDP) department facilitates the use of information technology in various departments of the Board by working along with them. In effect, this makes the whole system faster and more productive and enables the Board to perform more efficiently.

A. Main Activities of EDP Department

a. Advising, guiding, and assisting various departments and offices of the Board for effective use of information technology.

b. Help desk management for existing applications, messaging solutions, internet, and website maintenance.

c. Administration of organisation wide IT resources namely hardware, software, databases, networking, and peripheral equipment.

d. Formulate strategies for technology acquisition, integration, and implementation.

e. Upgrade of IT infrastructure.

f. Defining and implementing systems and procedures for the smooth functioning of IT equipment and software.

g. Data processing.

h. Identify the need for new systems (or modifications to existing systems) and respond to requests from users.

i. Design, development, documentation, testing, implementation and maintenance of Information Systems and application softwares.

j. Maintenance and update of the Board's websites *indianspices.com*, *spicesboard.in*, *indianspices.org.in*,*worldspicecongress.com,* and *ccsch.in.*

k. Formulate and conduct computer training programmes.

B. Major Achievements during 2024-25

- Online Batch Payment Facility in Export Support system(ESS).
- Integration of intimation details from Export Support system (ESS) to the Quality Document Management System (Quadmas) via API.
- Integration of Export Support system (ESS) with ICEGATE to facilitate single sign-on via API.

12

IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) was enacted by the Parliament and the assent of the President was obtained on 15 June 2005. The objective of the Act is to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The citizens can have access to the information of the Board under the provisions of the Right to Information Act except certain information as notified under Section 8 of the Act and can obtain the information about the Board on payment of a prescribed fees.

The Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board designated the Library and Information Officer as the Co-ordinating Central Public Information Officer for co-ordinating the dissemination of information by CPIOs. An Assistant Co-ordinating Central Public Information Officer in Head Office also was nominated. Seven Central Public Information Officers (CPIOs) in Head Office and one Central Public Information Officer (CPIO) in the Research Station at Myladumpara, Idukki were designated under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005 to disseminate information under Right to Information Act, 2005. The Director (Research) is nominated as Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 and the Library and Information Officer, Spices Board is nominated as the Nodal Officer for ensuring compliance with the proactive disclosure guidelines of the RTI Act 2005. The Deputy Director (EDP), has been designated as the 'Transparency Officer' of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act. The Board has disclosed every information required to be disclosed *suo motu* in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act, 2005] through the Board's official website. During 2024-25, a total of 104 RTI applications (through physical and the online portal) and 13 appeals were received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. Three Central Information Commission (CIC) hearings were held during this period. An amount of Rs.150/- was received as RTI registration fee. The Quarterly RTI Returns (first quarter to fourth quarter) were updated in the Central Information Commission's website as scheduled.

WAY FORWARD

India, widely celebrated as the Land of Spices, is the world's largest producer, consumer, and exporter of spices and spice products. With cultivation spanning over 75 distinct spices across varied agro-climatic zones, Indian spices are exported to more than 180 countries, comprising over 225 unique products. Over centuries, India has established itself as a trusted global supplier of a diverse array of spices and value-added spice products. The sector contributes approximately nine per cent to India's total agricultural exports and over 41 per cent to horticultural exports.

The country's agro-climatic diversity enables spice production in almost every state. During 2024-25, India produced around 12 million MT of spices and exported over 1.80 million MT, accounting for roughly 15 per cent of total domestic production. The interventions of the Spices Board have significantly boosted exports, increasing from US$ 229.90 million in 1987 to US$ 4.72 billion in 2024-25. Compared to the previous year, spice exports recorded a 17 per cent increase in volume, eight per cent growth in value in rupee terms, and six per cent in dollar terms. Between 2014-15 and 2024-25, India's spice exports grew by 101 per cent in volume, 168 per cent in rupee value, and 94 per cent in dollar value by registering a CAGR of seven per cent in volume, 10 per cent in rupee value, and seven per cent in dollar value.

The global spices and seasonings industry is positioned at the intersection of tradition and innovation. While firmly rooted in centuries old culinary practices, the sector is rapidly evolving to address modern health trends, increasing consumer awareness, and globalisation. This transformation is being shaped by shifting consumer preferences, ever evolving international regulations, climate-related challenges, and rapid technological advancements. These trends underscore the urgent need for the Indian spice industry to intensify its focus on quality, authenticity, sustainability, and transparency to successfully harness emerging opportunities and mitigate associated challenges.

As global consumer demand for ethnic flavours, functional foods, and clean-label products in on the rise, the market for natural, health-promoting ingredients is expanding steadily. However, the sector also face challenges such as adulteration, labelling inconsistencies, evolving regulatory frameworks, ethical sourcing, food safety concerns, etc. To sustain and strengthen India's global leadership, the spice industry must adopt a forward-thinking strategy that focuses on export promotion, technological advancement, and inclusive, sustainable growth. Exporters who prioritise quality, traceability, and sustainability are likely to gain a competitive edge in this evolving marketplace.

India has also taken proactive steps to support organic farming, recognising the imperative of aligning with global sustainability norms. The launch of the 8th Edition of the National Programme for Organic Production (NPOP) in 2024 represents a major milestone in India's commitment to sustainable agriculture. The updated guidelines under NPOP reflect global best practices in organic production and processing, ensuring Indian organic spices continue to meet international standards of quality, safety, and consumer trust.

However, persistent challenges remain, particularly in achieving social sustainability across the supply chain. A considerable proportion of India's spices are produced by smallholder farmers, many of whom face financial constraints and lack access to infrastructure and post-harvest facilities. Without adequate institutional support, these farmers

may turn to chemical inputs or shift to more lucrative crops, thereby affecting the availability of sustainably grown, high-quality spices.

To address these issues, there is increasing emphasis on improving traditional farming practices. Initiatives are being implemented to provide farmers with better training, access to technology, and improved storage and processing facilities. These interventions are intended to increase price realisation at the farm level, reduce reliance on intermediaries, and ensure fairer income for primary producers.

The sector is also responding to the growing global emphasis on environmental sustainability. With stringent regulations in place, buyers are increasingly seeking certifications like Fairtrade, Rainforest Alliance, and compliance with regulatory frameworks of their respective countries. Indian producers are adopting practices such as organic, integrated pest management, and sustainable agricultural methods to ensure compliance and remain competitive.

Nevertheless, the financial and administrative burdens linked with compliance, certification, and supply chain traceability can be challenging especially for small and marginal farmers. These challenges may restrict access to premium international markets such as the EU, where regulatory requirements are stringent. Institutional and policy support will be crucial in enabling these producers to make the transition towards sustainable and compliant agricultural systems.

Although this shift is expected to result in higher product prices and consolidation within the spice sector, it will also reflect fairer compensation for farmers and the true cost of responsible production. Exporters, processors, and aggregators must play an active role in supporting this transition. To truly benefit from the evolving global demand, Indian stakeholders must adopt sustainability frameworks that align with international market expectations.

Despite steady growth in spice exports, the share of value-added products in India's export basket has remained relatively unchanged at around 50 per cent in recent years. This presents an untapped opportunity, particularly in fast-growing sectors such as nutraceuticals, cosmetics, and pharmaceuticals. Key obstacles include limited technological advancement and inadequate processing infrastructure. Bridging these gaps is vital for enhancing India's share in the global market for high-value spice products.

The global food industry is now heavily influenced by transnational food and beverage corporations, which have played a pivotal role in shaping demand for new products across markets. In parallel, the convenience food segment-comprising Ready-to-Eat (RTE), Ready-to-Cook (RTC), and Ready-to-Drink (RTD) categories-has seen rapid expansion, driven by urbanisation, changing lifestyles, and increasing demand for quick and easy food solutions. The post-pandemic period further accelerated this trend, with consumers favouring products that offer extended shelf life and minimal preparation.

In this evolving context, spices play a critical role not only in enhancing taste and aroma but also in contributing to product shelf life and nutritional value, owing to their natural preservative and bioactive properties.

In view of these emerging trends, the Spices Board is implementing the central sector scheme "Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development (SPICED)", aimed at developing a robust, sustainable, and export-ready spice ecosystem.

Through the SPICED scheme, support is extended to farmers for improving production and productivity of cardamom (small & large), adopting organic and sustainable cultivation practices, and post-harvest quality improvement; to exporters for developing infrastructure for value addition, processing, and quality assurance; to start-ups and innovators for new product development, branding, and enhancing market linkages.

Through its consolidated efforts, the Spices Board is targeting to achieve USD 10 Bn exports of spices and spice-based products by enabling a sustainable and safe export supply chain focused on innovative and value-added products. The Board also aims at achieving export of US$ 6.5 billion of value-added spice products in the export basket increasing its share from the current level of 50 per cent to 65 per cent. For this, the proposed focus areas of intervention are;

1. Enhancing Value Addition Capacity by Upgrading and strengthening India's spice manufacturing infrastructure to facilitate higher-end value addition and increase the share of processed spice exports.
2. Establishment of Spice Incubation Centres by partnering with leading institutions to support exporters, entrepreneurs, start-ups, and Farmer Producer Organisations (FPOs) in transforming innovative ideas into market-ready spice products and technologies, with a focus on exports.
3. Adoption of Advanced Technologies to promote technological innovation through incubation support, digitisation, and adoption of modern processing tools. It is also proposed to enhance connectivity between spice growers and exporters through technology-based platforms to facilitate traceability and direct sourcing for exports.
4. Support development of new spice-based products and applications aligned with changing global consumer preferences
5. Conduct detailed studies on potential export markets and formulate strategies to strengthen India's presence in both new and existing segments.
6. Launch promotional campaigns in coordination with Indian embassies in target export destinations.
7. Promote GI-tagged spices and unique Indian varieties to differentiate Indian spices and spice products in the global marketplace.
8. Implement robust quality assurance programmes to ensure compliance with international standards and upgrade quality evaluation laboratories to meet global regulatory requirements.
9. Focus on post-harvest practices to enhance the availability of export-quality spices and value-added products.
10. Implement targeted programmes for spices from the Northeastern region, GI varieties, and those with high intrinsic value, including initiatives to support import substitution.
11. Strengthen trade promotion efforts, including the creation of international market linkages and targeted branding of Indian spices.
12. Undertake applied research to support the spice sector in areas such as bio-prospecting, climate-resilient practices, patenting, and commercialisation of innovative products, with a focus on export readiness.
13. Conduct training and capacity-building programmes for stakeholders across the spice value chain to address emerging global requirements, enhance knowledge transfer, and support sustainable sectoral growth.

Global trends in food processing are evolving, and a nuanced understanding of international market dynamics is critical. Aligning production with shifting consumer preferences and regulatory expectations requires coordinated efforts from all stakeholders, including farmers, processors, exporters, and policymakers. A continued focus on maintaining and enhancing quality and safety standards across the spice value chain is crucial to ensure that the Indian spices meet the stringent requirements of global markets. Upholding these standards will help build a strong brand identity for Indian spices, associated with quality, safety, and trust and thereby strengthen India's position in the global spice trade.

Reply for the Separate Audit Report on the accounts of Spices Board for the year ended 31st March 2025

A	BALANCE SHEET	
A.1	LIABILITIES	Reply
A.1.1	EARMARKED / ENDOWMENT FUND - ₹339.16 crore (Schedule -3)	
	i) Depreciation on fixed assets procured from earmarked/endowment funds/grant in aids was being accounted as expenditure in Income and Expenditure Account instead of treating the depreciation charge as adjustment/utilization in earmarked/ endowment funds/related grants. Thus, the balance of Earmarked/Endowment funds, deficit for the year and Corpus/Capital Fund were not correctly stated in the accounts. However, due to non-availability of details of assets procured from earmarked/ endowment funds and assets procured from grants in aid, audit could not quantify the financial impact of the incorrect accounting of depreciation charge.	(i)Since the Assets procured from the Endowment Fund have already been booked against the Grant-in-Aid received from the Govt of India, the depreciation is also charged against the grant and not to the Endowment Fund. The assets procured from the Grant-in-aid and Endowment Fund could not be identified, separately and hence the Board finds it difficult to segregate the depreciation for the assets procured from Endowment Fund. However, during the period from 2023-24 the assets procured under TIES, NHM, etc., (External Funds) are being booked against Endowment Fund. The Board could not take any corrective action due to the reason that the Assets procured from Grant-in-aid and Endowment Fund could not be segregated in old cases. (ii)The Earmarked Funds ASIDE (Assistance to State for Developing Export Infrastructure and Allied Activities) is an Assistance from Ministry of Commerce and Industry in addition to the Grant-in-Aid. The Assets procured from these funds are taken as the assets of the Board and not included as expenditure from the ASIDE funds shown in Endowment Fund balance. Though the Endowment Fund under ASIDE shows closing balance, the same is not actually with the Board under that particular Endowment Fund. The fund balance available in the ASIDE Endowment Fund is utilised for procurement of assets and the same has been included in the total assets of the Board and booked against Grant-in-Aid received for that particular year. The Board could not take any corrective action due to the reason that the Assets procured from Grant-in-aid and Endowment Fund could not be segregated in old cases.

<table>
<tr><td></td><td>ii) Earmarked/Endowment funds were meant for a specific purpose. The assets for Spices Parks under ASIDE scheme were procured in previous years utilizing the funds of 115.83 crore but use of assets was not expensed against the endowment funds.</td><td>The Board is not having sufficient funds in its Pension Fund as per the actuarial valuation report of 2021 and hence could not meet the pension payments exclusively from the Pension Fund.</td></tr>
<tr><td></td><td>Further, annual pension liabilities of ₹24.94 crore and expenses incurred for the upkeep and maintenance of Quality Evaluation Labs (QELs) amounting to ₹29.34 crore for the current year were met by utilising grants-in-aid from Government of India, though the Board has earmarked funds for pension and the up-keep and maintenance of QELS. In another instance, analytical charges amounting to ₹12 crore received during the year were transferred to earmarked endowment funds i.e. Pension Fund (10 crore) and “Quality Standard in Export of Spices” (₹2 crore) (Note 1 of Schedule 57-Notes to Accounts) directly without accounting as income in the Income and Expenditure Statement.

Spices Board did not take any corrective action in this regard despite the repeated comments in previous years 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</td><td>As regards upkeep and maintenance of Quality Evaluation Labs (QEL), the Board expects a significant capital expenditure for refurbishment of equipment in Labs for the unforeseen breakdown of costly equipment which will lead delay in generating quality reports for export consignments.

This procedure is unavoidable to sustain the quality standard in export. The Board anticipate a substantial capital expenditure for the same and hence, earmarking fund to meet the expenses and not for the routine expenditure of the Labs.</td></tr>
<tr><td>A.1.2</td><td colspan="2">Current Liabilities and Provision – Provisions :₹325.37 Crore (Schedule 7B)</td></tr>
<tr><td></td><td>i) The Spices Board conducted an Actuarial valuation of Employee - related Liabilities and arrived at figure of ₹348.72 crore as on 31.03.2021 against which it has provided for ₹325.31 crore as on 31.03.2025 as detailed below:
<table>
<tr><th></th><th>Pension</th><th>Gratuity</th><th>Leave Encashment</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Actuarial value as on 31.03.2021</td><td>319.07</td><td>18.54</td><td>11.10</td><td>348.72</td></tr>
<tr><td>Provision as on 31.03.2025</td><td>272.21</td><td>29.70</td><td>23.40</td><td>325.31</td></tr>
<tr><td>Shortfall (Excess) w.r.t to 31.03.2021 valuation</td><td>46.86</td><td>(11.16)</td><td>(12.30)</td><td>23.41</td></tr>
</table></td><td>The Observation of Audit is noted.</td></tr>
</table>

	The non-provisioning of the actuarial liability has resulted in understatement of provisions for Employees Benefits and deficit for the year by 23.41 crore (net). ii) As per Accounting standard 15 (Para 58) the detailed actuarial valuation of the present value of defined benefit obligations may be made at intervals not exceeding three years. However, the last actuarial valuation was carried out in 2020-21, i.e., a period exceeding three years as on 31.03.2025.	
A.2	**Current Assets, Loan, Advances, etc., Current Assets- ₹316.41 crore (Schedule 11 A)**	
	The above does not include ₹0.87 core being the accumulated rent receivable from Flavourit Spices Trading Limited (FSTL) for the leased facilities of Spices Board. Thus, the Current Asset and Corpus/Capital Fund were understated by ₹0.87 core. This issue was highlighted in the SAR 2023-24 also.	The observation of Audit is noted. The dues from FSTL shall be incorporated in the Annual Accounts of the Board during the current financial year (2025-26)
A.2.2	**Current Assets, Loan, Advances, etc.,- Loan and Advances - ₹26.72 crore (Schedule 11B)**	
	The above includes long pending advances of ₹6.72 crore being carried over from 2017-18 onwards. The Board was unable to identify and recover these amounts as the breakup of the advances was not traceable. Considering the passage of time and the absence of relevant records, a provision for advances should have been created. The non-creation of provision resulted in overstatement of advances and understatement of deficit for the year by ₹6.72 crore. This matter was pointed out in SAR 2023-24.	The observation of Audit is noted. In this connection it may please be noted that the Board had already settled some of the long pending advances viz Advance for purchase of Machinery Rs. 58.01 lakhs, Pay Advance Rs. 4.72 lakhs, Mobilisation Advance Rs. 39.00 lakhs and TA Advance Rs. 4.91 lakhs during the year 2024-25. The Board is trying to identify those advances from the earlier software. If the Board could locate the details of those unsettled advances from the previous software, action shall be initiated to settle those advances.

B.	**Income and Expenditure Account**	
B.1	**Income**	
B.1.1	**Grant from Govt. of India-Plan - ₹130.00 crore (Schedule 13)**	
	The above includes grants of ₹1.01 crore (₹1. crore grant for creation of capital assets other expenditure and ₹0.01 crore (Grants for creation of Capital Assets - NE) received from the Ministry of Commerce and Industry. The Board, instead of accounting the above grants as per para 8 of Accounting Standard 12 – Government Grants, accounted the grant amount as income in Income and Expenditure Account under income approach. This has resulted in over statement of the grants in aid from GOI – Plan in Income and Expenditure Account. understatement of deficit and understatement of Earmarked/ Endowment Fund by ₹1.01 crore as on 31 March 2025.	The observation of Audit is noted. Necessary modification in this regard shall be made in the annual accounts for the year 2025-26. The Income and Expenditure Account for the current financial year shall be prepared by crediting Grant in aid to the account after deducting the amount utilised for acquisition of Capital Assets.
C.	**Receipts and Payments Account - NIL**	
D.	**Accounting Policies - NIL**	
F.	**General - NIL**	
F	**Management Letter** Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.	Observations noted
G	**(i) Adequacy of Internal Control** Out of the 85 accounts classified under Current Accounts with Banks, for 41 cases of confirmation balance (₹10,56,60,233.60) were without showing whether it is Current account or Savings bank account. In 11 cases (amounting to ₹95,55,445) of confirmation balance were shown as Savings Bank Account. As on 31 March 2025, the book balance of Central Bank of India, Hyderabad Branch, was ₹53,083, whereas the balance as per the bank confirmation was ₹8,377. The reconciliation of balances were not done.	Observations noted

	(ii) Adequacy of Internal Audit System: As per the records furnished to audit, internal audit was not conducted during the year 2023-24 and 2024-25 in any of the 82 branch offices and HO of Spices Board. This issue was commented in SAR of 2023-24 also.	Observations noted
	(iii) System of Physical verification of fixed assets: The Board had carried out physical verification of fixed for all the 83 units during the year 2024-25.	
	(iv) System of Physical verification of inventory: The physical verification and valuation of inventory has been	Remark Only
	(v) Regularity in payment of statutory dues: The Board has regularly deposited all statutory dues like GST, TDS, CPF etc	Remark Only
	(vi) Other matters relating to functioning of the entity: NA	Remark Only
H	**Grants in aid** Opening balance of grants – in – aid was nil. Grants – in – aid received during the year from Government of India were amounting to ₹130 crore. The same was fully utilized during the year.	Remark Only

Spices Parks

Guntur	Andhra Pradesh
Puttady	Kerala
Chhindwara	Madhya Pradesh
Guna	Madhya Pradesh
Jodhpur	Rajasthan
Ramganj Mandi (Kota)	Rajasthan
Sivaganga	Tamil Nadu
Raebareli	Uttar Pradesh

e-Auction Centres

Puttady	Kerala
Bodinayakanur	Tamil Nadu

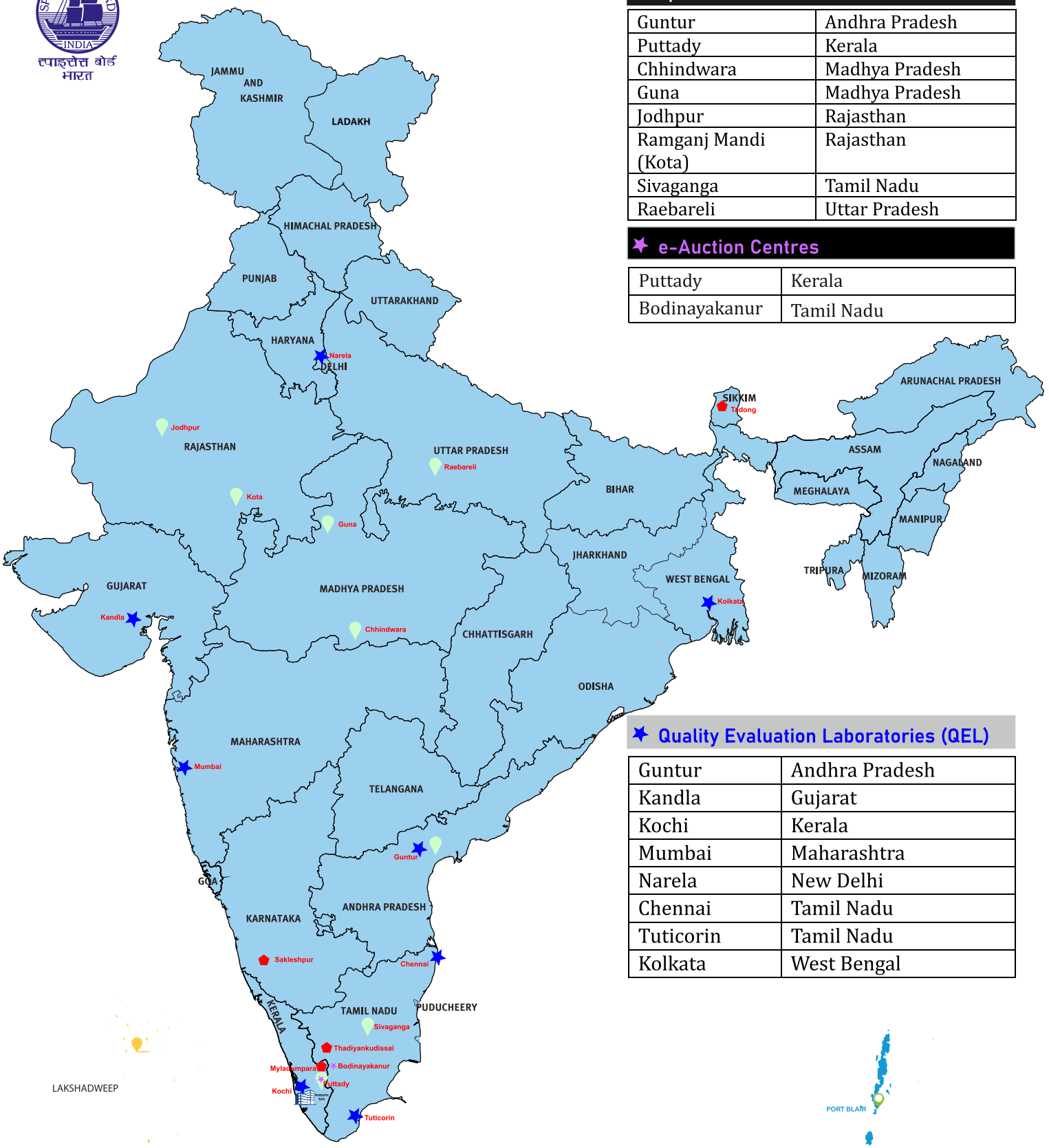

Quality Evaluation Laboratories (QEL)

Guntur	Andhra Pradesh
Kandla	Gujarat
Kochi	Kerala
Mumbai	Maharashtra
Narela	New Delhi
Chennai	Tamil Nadu
Tuticorin	Tamil Nadu
Kolkata	West Bengal

Research Stations

Myladumpara	**Kerala**
Donigal-Sakleshpur	**Karnataka**
Thadiyankudissai	**Tamil Nadu**
Tadong	**Sikkim**

flavourit™
EXOTIC INDIAN SPICES

Promoting Heritage, Hygiene & Health

Spices India
FLAVOURFULLY YOURS

Now open at:

Spices India
Lulu Mall, Edapally,
Kochi-682 024, Kerala
Tel: 0484-4073489